दशम माला, खंड 7, अंक 20

बुधवार, 18 दिसम्बर, 1991
27 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 7 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 18 दिसम्बर, 1991 / 27 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
23	12	"कोयला राज्यमंत्री" के स्थान पर "कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री" पढ़िये।
23	नीचे से पंक्ति 12	"श्री मंजल लाल" के स्थान पर "श्री मंजय लाल" पढ़िये।
25	नीचे से पंक्ति 11	"(ख) और (ख)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये।
26	8	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
44	नीचे से पंक्ति 2	"श्री के.वी.तंक्कालबालू" के स्थान पर "श्री के.वी. तंक्काबालू" पढ़िये।
46	21	प्रश्न संख्या "5308" के स्थान पर "4308" पढ़िये।
47	12	प्रश्न संख्या "43 0" के स्थान पर "4310" पढ़िये।
53	6	"नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण" के पश्चात "मंत्रालय में" अन्त: स्थापित कीजिए ।
53	नीचे से पंक्ति 3	"शहरी विकास" के पश्चात "मंत्रालय में" अन्त:— स्थापित कीजिए ।
60	नीचे से पंक्ति 2	"श्री कडोही कुन्नोल सुरेश" के स्थान पर "श्री कोडीकुन्नीलसुरेश" पढ़िये।
67	2	"4 40" के स्थान पर "4340" पढ़िये।
72	18	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
72	नीचे से पंक्ति 6	"(क) से (घ)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
87	16	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
114	10	"(ग)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये।
129	12	प्रश्न संख्या "44 0" के स्थान पर "4410" पढ़िये।
136	14	"भारी इंजीनियरी निगम को बंद करने का विलय करना" के स्थान पर "भारी इंजीनियरी निगम का बंद विलय' किया जाना" चाहिए ।
142	2	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
142	नीचे से पंक्ति 3	"(ङ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
156	16	"अरो" के स्थान पर "और" पढ़िये।
159	15	प्रश्न संख्या "44 0" के स्थान पर "4450" पढ़िये।
167	नीचे से पंक्ति 6	पंक्ति के प्रारम्भ में "(घ)" पढ़िये।
171	नीचे से पंक्ति 6	"(च)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
178	नीचे से पंक्ति 4	"(ख)" के स्थान पर "(1)" पढ़िये।
179	3	प्रश्न संख्या "4433" के स्थान पर "4485" पढ़िये।
191	8	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
194	11	"प्रो॰ राणा सिंह रावत" के स्थान पर "प्रो॰ रासा सिंह रावत" पढ़िये।
200	18	"(ख) से (ग)" के स्थान पर "(ख) से (घ)" पढ़िये।
205	6	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

शुद्धि

"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

"(ग)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये।

प्रश्न संख्या "44 0" के स्थान पर "4410" पढ़िये।

"भारी इंजीनियरी निगम को बंद करने का विलय करना" के स्थान पर "भारी इंजीनियरी निगम का बंद विलय' किया जाना" चाहिए।

"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

"(ङ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

"अरो" के स्थान पर "और" पढ़िये।

प्रश्न संख्या "44 0" के स्थान पर "4450" पढ़िये।

पंक्ति के प्रारम्भ में "(घ)" पढ़िये।

"(च)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

"(ख)" के स्थान पर "(1)" पढ़िये।

प्रश्न संख्या "4433" के स्थान पर "4485" पढ़िये।

"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

प्रो॰ राणा सिंह रावत" के स्थान पर "प्रो॰ रासा सिंह रावत" पढ़िये।

"(ख) से (ग)" के स्थान पर "(ख) से (घ)" पढ़िये।

"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 7, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 20, बुधवार, 18 दिसम्बर 1991/27 अग्रहायण 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 386 और 388 से 391	...	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 392 से 405	...	24-34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4292 से 4313, 4315 से 4453, 4455 से 4525 और 4525 क, 4525 ख, 4525 ग	...	34-208
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	228-241
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	...	242
पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	...	242
पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
नियम 377 के अधीन मामले	...	242-246
(एक) भोपाल-रामगंज मंडी रेल लाईन को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता		
श्री दिग्विजय सिंह	...	242
(दो) महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का केन्द्रीय सर्वेक्षण करने और प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता		
श्री तेजसिंह राव भोंसले	...	243
(तीन) सूखा राहत प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता		
श्री अष्टभुज प्रसाद शुक्ल	...	243

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(चार) वाराणसी-छपरा और मऊ-बलिया-शाहगंज रेल लाइन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता		
श्री राम बदन	...	243
(पांच) तेनाली रेलवे स्टेशन का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता		
प्रो० वेंकटेश्वरलु कम्मारेड्डि	...	244
(छः) कालीकट के बेपुर उप-पत्तन को सर्व मौसम पत्तन के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता		
श्री ई० अहमद	...	244-245
(सात) पंजाब से गुजरने वाली गंग नहर की संपर्क नहर के भाग को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता		
श्री बीरबल	...	245
(आठ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बदरपुर-लमडिंग पर्वतीय सैक्शन में मिगरेनदिसा और डिटोकचेरा के बीच रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता		
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	...	245-246
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प		
और		
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव	...	246-279
श्री मुरली देवरा	...	246-251
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	...	252-255
श्री अमल दत्त	...	255-258
श्री दिग्विजय सिंह	...	258-262
श्री जार्ज फर्नान्डीज	...	262-270
श्री शरद दिघे	...	271-273
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	...	273-279
नियम 193 के अधीन चर्चा	...	280-345
पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, विदेशी मुद्रा संकट और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के संदर्भ में देश की वर्तमान स्थिति		
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	...	280-285
श्री भोगेन्द्र झा	...	285-290

विषय		पृष्ठ
श्री मणिशंकर अय्यर	...	290-295
श्री नीतीश कुमार	...	295-300
श्री अन्ना जोशी	...	300-304
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	...	304-308
प्रो० सुशांत चक्रवर्ती	...	308-311
श्री गोपीनाथ गजपति	...	311-314
श्री मोहन रावले	...	314-316
श्री विनोद बिहारी मेहतो	...	316-317
श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन	...	317-320
श्री रमेश चेन्नितला	...	320-322
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	...	322-325
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	...	325-327
श्री ई० अहमद	...	327-331
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	...	331-333
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	333-336
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	336-338
श्री निर्मल कांति चटर्जी	...	338-341
श्री मनमोहन सिंह	...	341-345

लोक सभा

बुधवार, 18 दिसम्बर, 1991/27 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण

[अनुवाद]

*386. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन सी कंपनियां वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण कर रही हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक कंपनी का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या वाणिज्यिक वाहनों की मांग वर्ष प्रति घटती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विदेशों में भारतीय वाणिज्यिक वाहनों की मांग है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) :(क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख) वाणिज्यिक वाहनों के प्रमुख विनिर्माताओं के नाम और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका उत्पादन इस प्रकार है :—

	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
1. मै० टेल्को	61258	64963	81931
2. मै० अशोक लीलेण्ड	18909	22689	24968
3. मै० हिन्दुस्तान मोटर्स	1678	1644	1296

1	2	3	4
4. मै० बजाज टैम्पो	14667	16871	16325
5. मै० डी०सी०एम० टोयोटा	3348	3619	4312
6. मै० आयशर मोटर्स	4271	4427	4829
7. मै० स्वराज माज्दा	3215	3371	3750
8. मै० महिन्द्रा निसान	2352	2533	3952
9. मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	4901	4950	3193

(ग) तथा (घ) पिछले तीन वर्षों (नीचे दिए गए) के दौरान वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री से वृद्धि की प्रवृत्ति का पता चलता है :

1988-89	117413
1989-90	124444
1990-91	141782

(ङ) तथा (च) वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात विश्व के विभिन्न भागों को किया जा रहा है। वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात 1989-90 के दौरान 5052 और 1990-91 के दौरान 5759 रहा है तथा इसके 1991-92 के दौरान और बढ़ जाने का अनुमान है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, पिछले तीन वर्षों में वाणिज्यिक वाहनों की कितनी संख्या विदेशों में भेजी गई और उन देशों के नाम क्या हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय हम सोवियत संघ, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बंगला देश, कुवैत और श्रीलंका को बसों और ट्रकों का निर्यात कर रहे हैं। श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और बंगलादेश को विशेष रूप से ट्रकों का निर्यात किया गया है। निर्यात में वृद्धि हो रही है। माननीय सदस्य के प्रश्नोत्तर में इस वर्ष के निर्यात के आंकड़े पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं। हम निर्यात में वृद्धि की अपेक्षा रखते हैं। हम भविष्य में दस हजार से भी ज्यादा वाहनों के निर्यात की आशा करते हैं। लेकिन हम आठवीं योजना की आवश्यकताओं का अनुमान कर रहे हैं। चूंकि आठवीं योजना की आवश्यकताएं अभी अन्तिम रूप से अपेक्षित नहीं की गई हैं, अत: मैं भविष्य में निर्यात के सम्बन्ध में अपेक्षित योजना के सही आंकड़े देने में असमर्थ हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, किन-किन देशों ने सरकार से 1991-92 के लिए वाणिज्यिक वाहनों की मांग की है तथा भारत में बने वाणिज्यिक वाहनों की कीमत और विदेशों में बने वाहनों की कीमत में क्या अन्तर है ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, इस प्रश्न को वाणिज्य मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिए। वाणिज्यिक वाहनों की मांग में कमी ही इस प्रश्न का मुख्य दबाव है। माननीय सदस्य को वाणिज्य मन्त्री महोदय से एक पृथक प्रश्न पूछना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रमेश चन्द्र तोमर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय क्या बताने की कृपा करेंगे, विदेशों में भारत के बने वाहनों की कुल मांग का कितना प्रतिशत निर्यात होता है और इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ताकि हमें अधिक विदेशी मुद्रा मिल सके और हमारे वाणिज्यिक वाहनों की अधिक मांग हो ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि वर्ष 1989-90 में हमने 5502 वाणिज्यिक वाहनों का तथा 1991 में 5759 वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात किया। महोदय, निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों को तो वाणिज्य मंत्रालय ही चलाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विश्व बाजार में प्रतियोगी बन सकें फिर भी हमारा उद्योग मंत्रालय उन मोटरवाहनों की गुणवत्ता में सुधार लाने को प्रयासरत है जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। हम निर्यातोन्मुखी कारों के लिये कच्चे माल के आयात की अनुमति भी प्रदान करते हैं। हम कम दरों पर कच्चे माल के आयात की अनुमति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, कारों के निर्माण हेतु ईंधनक्षम उपकरणों पर अनुसंधान चल रहे हैं। इन सब बातों का लक्ष्य हमारे उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना है, ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरें।

इस तरह के निर्यात संवर्द्धन उपाय, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किए जाने चाहिए।

श्री अनबरासु इरा : महोदय, मुझे विश्वस्त सूचना मिली है कि कोयम्बटूर की एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में डीजल इंजन युक्त छोटी कार जिसकी कीमत मारुति से कम होगी, बनाने के लाइसेंस हेतु आवेदन दिया था, किन्तु सरकार ने उसे लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया। क्या यह सत्य है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे छोटी डीजल वाली कार बनाने का लाइसेंस देगी जिसकी कीमत भी मारुति कारों से कम होगी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह सच है कि कोयम्बतूर स्थित एक फर्म ने पहले डीजल इंजन वाली कारों के उत्पादन हेतु लाइसेंस देने के लिए आवेदन पत्र दिया था जो कि निर्माता के कहने के अनुसार सस्ती भी होंगी। यद्यपि पहले उस आवेदन को रद्द कर दिया था लेकिन उन्होंने फिर अभ्यावेदन भेजा है जिस पर मंत्रालय में विचार हो रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इन वाणिज्यिक वाहनों में से कुछ ऐसी भी कम्पनियां हैं जो केवल हल्के मोटर वाहन (एल० एम० वी०) बनाते हैं। टेल्को को छोड़कर, सभी जापानी सहयोग से बने हैं। अर्थात जो हल्के मोटर वाहन बनाते हैं जैसे आईशर मोटर्स, स्वराज माज्दा, डी०सी० एम० टोयटा आदि। मन्त्री महोदय ने कारों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, संख्या के रूप में। मैं जिस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं वह यह है कि इन कारों के विनिर्माण में आयात की सभी अवस्थाओं में पुर्जों के आयात सहित, कितनी विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन हुआ है। आपने कितनी विदेशी मुद्रा खोई है। क्या विदेशी मुद्रा खर्च हुई है अथवा नहीं। मुझे आंकड़े चाहिएं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इन सभी कारों का, हल्के मोटर वाहनों का भी जिनका निर्माण विदेशी सहयोग से हुआ है, निर्यात किया गया है माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं निर्यातित कारों के आंकड़े दे सकता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विदेशी मुद्रा की बहिर्गमन राशि क्या है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इससे विदेशी मुद्रा की शुद्ध कमाई हुई है। इसमें विदेशी मुद्रा का शुद्ध लाभ हुआ है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन आंकड़े क्या हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आंकड़ों के लिए मुझे अलग से नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं, पटेल जी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जबलपुर स्थित सरकारी वाहन कारखाने सहित, अन्य सरकारी वाहन कारखानों के पास बड़ी क्षमता है और वे प्रौद्योगिकी में थोड़ा सा आशोधन और उन्नयन करके वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस क्षमता को उपयोग में लाने की कोई योजना है जिससे इनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके और वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

प्रो० पी० जे० कुरियन : नई औद्योगिक नीति के बाद आज वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण हेतु लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पहले से ही कतिपय अधिष्ठापित क्षमता है और जिसको सर्वथा पूर्ण नहीं किया गया है। अतः हम नहीं समझते हैं कि हलके वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण हेतु किसी प्रकार की अतिरिक्त क्षमता की कोई आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नाण्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि इसी साल अप्रैल से लेकर अक्तूबर तक लाइट कर्मशियल व्हिकल्स और मीडियम एण्ड हैवी कर्मशियल व्हिकल्स, इन दोनों क्षेत्रों में उत्पादन घटा और घटा इस माने में क्योंकि जहां पिछले साल इसी कालावधि में 26.4 प्रतिशत मीडियम और हैवी कर्मशियल व्हिकल्स के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी वहां इस साल मात्र 8.2 प्रतिशत और लाइट कर्मशियल व्हिकल्स में जहां पिछले साल 24.4 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी वहां इस साल मात्र 2.9 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। मंत्री महोदय तथ्यों को, कम से कम इस वर्ष के तथ्यों को सदन के सामने रखने की कृपा करें क्योंकि मेरे पास यहां पर दस्तावेज हैं एक निजी एजेंसी के द्वारा निकलता है, सेंटर फार मोनिटरिंग इण्डियन इकोनोमी के द्वारा, इसमें यह कहा गया है :

[अनुवाद]

हल्के वाणिज्यक वाहनों के मामले में बजाज टैम्पो, डी०सी०एम० टोयटा, आईशर मोटर्स, महेन्द्रा निशान, महेन्द्रा और स्वराज मजदा के संबंध में इनकी बिक्री अप्रैल से अक्टूबर 1990 की

अवधि के दौरान वर्ष 1990 की इसी अवधि की तुलना में कम थी। जबकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान अशोक लीलैण्ड की बिक्री स्थिर रही। टैल्को को छोड़कर अन्य कोई भी कम्पनी इन वाहनों को गत वर्ष की कीमत पर नहीं बेच सकी।

[हिन्दी]

तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास ताजा आंकड़े नहीं हैं और आप सदन को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : उत्पादन की वृद्धि की दर में वास्तव में कमी हुई है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि वाणिज्यिक वाहनों के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। तैयार किए गए वाणिज्य वाहनों की संख्या बढ़ी हैं। वास्तव में इसमें बढ़ोतरी हुई है। ···(व्यवधान) मैं इसे स्पष्ट करूंगा। कृपया सुनियेगा। उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन वृद्धि की दर में कमी आयी है। मैं इसकी संख्या बताऊंगा ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें वृद्धि तथा वृद्धि की दर का अन्तर स्पष्ट करना होगा। यह दोनों अलग-अलग हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे स्पष्ट करूंगा। पहले मैं संख्या बता दूं ···(व्यवधान)। वर्ष 1991 में वृद्धि की दर गत वर्ष के मुकाबले में 15 प्रतिशत थी। और जबकि वाणिज्यक वाहनों के मामले में वर्ष 1991-92 में, अप्रैल तक, वृद्धि की दर पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले में 5.5 प्रतिशत है। मैं इसकी सही संख्या भी बताऊंगा।

1989-90 में 1,25,051 वाणिज्यिक वाहन तैयार किए गए। 1991 में वाणिज्यिक वाहनों की कुल संख्या 1,44,556 है। वृद्धि की दर 15 प्रतिशत है। अब चालू वर्ष 1991-92 के अक्टूबर माह तक वाहनों की यह संख्या 82,474 है। गत वर्ष इसी अवधि की यह संख्या 78,042 है। यह वृद्धि 5.5 प्रतिशत है। इस प्रकार से सही माइनों में वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 78000 से बढ़कर 82,000 हुई है परन्तु पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर 15 प्रतिशत से गिरकर 5.5 प्रतिशत हो गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 387 वित्त मंत्रालय को अन्तरित किया गया है।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि

***388. श्री पी० पी० कालियापेरुमल :**

कुमारी विमला वर्मा :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1976 के लागू होने की तिथि से अब तक इसके अंतर्गत, राज्यवार तथा वर्षवार, कुल कितने भूक्षेत्र का पता लगाया गया है;

(ख) कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से वितरित/आवंटित की गई; और

(ग) इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा है।

महोदय, शहरी भूमि अधिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत 2,16,537.79 हेक्टर भूमि का पता लगाया गया है और केन्द्रीय अधिनियम नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडु तथा जम्मू-काश्मीर राज्य में लागू नहीं है क्योंकि उन्होंने इस अधिनियम को नहीं अपनाया है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अधिगृहित की गई व उन्हें वितरित की गई भूमि 10,373-53 हेक्टर थी और यह आवंटन राज्य द्वारा किया जाता है।

योजना में उल्लिखित आवास इकाईयों की संख्या 3,19951 है। और यदि एक परिवार में 5 सदस्य हों तो 15,99,725 व्यक्तियों को इससे लाभ पहुंचेगा।

विवरण

(क) से (ग) फालतू रिक्त भूमि का अनुमान, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक रूप से कब्जे में ली गई रिक्त भूमि की मात्रा एवं अनुमोदित योजनाओं में विचारित रिहायशी एककों की संख्या तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अंतर्गत अनुमोदित योजनाओं में शामिल भूमि की मात्रा हेक्टेयर में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा प्राप्त ब्यौरे संलग्न अनुलग्नक में स्पष्ट किए गए हैं। इस प्रकार की सूचना वर्षवार भारत सरकार द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जांच के बाद फालतू रिक्त भूमि का अनुमान (हेक्टेयर)	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक रूप से अर्जित फालतू भूमि की मात्रा (हेक्टेयर)	धारा 21 के अंतर्गत विवरण	
			अनुमोदित योजनाओं में विचारित रिहायशी एककों की संख्या	अनुमोदित योजनाओं में शामिल भूमि की मात्रा (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	12,364-37	1,777-77	2,524	819-25
2. असम	73-43	7-63	—	—
3. बिहार	235-45	19-16	—	—
4. गुजरात	32,513-C0	770-00	1,44,550	2,120-00
5. कर्नाटक	9,744-27	852-97	57	4-45
6. मध्य प्रदेश	16,007-73	1,447-00	1,215	26-82

1	2	3	4	5
7. महाराष्ट्र	53,342-36	974-70	1,26,557	1,015-34
8. उड़ीसा	124-60	47-08	1!	1-06
9. पंजाब	1,851-16	—	—	—
10. राजस्थान	27,369-14	565-55	1, 837	64-81
11. उत्तर प्रदेश	54,690-23	3,828-03	40,886	423-85
12. पं० बंगाल	5,007-00	46-14	—	—
13. दिल्ली	341-06	1-99	—	—
14. पांडिचेरी	254-18	13-75	—	—
15. चंडीगढ़	13-63	—	—	—
16. छावनी क्षेत्र	606-18	21-79	2,313	20-91
कुल :	2,16,537-79	10,373-53	3,19,951	4,496-49

श्री पी० पी० कालियापेरुमल : इस अधिनियम को लागू करने की धीमी गति के क्या कारण हैं ?

श्रीमती शीला कौल : कुछ समस्यायें आड़े आती रही हैं । और यह कहना सही है कि यह वसा नहीं है जैसा हम इसे चाहते हैं । चूंकि हमारे पास पर्याप्त भूमि नहीं है, इसलिए कुछ समस्यायें आड़े आयी हैं, बांटने के लिए भूमि नहीं है । और फिर मुकदमें बाजी होगी । मुकदमें बाजी से सब कुछ अवरुद्ध हो जाएगा ।

[हिन्दी]

कुमारी विमला शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है "ए" और "बी" भाग के उत्तर को देखने से पता चलता है कि 5 परसेंट जमीन एक्वायर की गयी है । जमीन एक्वायर न हो जाने का कारण इन्होंने बताया है कि लिटिगेशन वगैरह हो जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या इस हेतु वे एक्ट में परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं और परिवर्तन करते समय दि नैशनल कमीशन आफ अर्बनाइजेशन की अन्तरिम रिपोर्ट के सुझाव और सैंट्रल काउंसल फार रूरल डिवेलेपमेंट एण्ड अर्बन डिवेलेपमैंट एक्जीक्युटिव कमेटी आफ आल इण्डिया काउन्सिल आफ मेयर की 1989 में बैठक हुई थी, क्या उसकी सिफारिशों पर विचार करेंगे । क्या मिडिल क्लास की विधवाओं को और वार विडोज को प्राथमिकता के आधार पर जमीन देने का प्रावधान करने का विचार करेंगी ।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला कौल : राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों विशिष्ठ व्यक्तियों तथा अन्यों ने इस अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया है । इनके विचारों की व्यापक छानबीन हो रही है और प्रस्तावों को संशोधित किया जा रहा है । विधवाओं तथा अन्य ऐसे लोग जिन्हें इसकी जरूरत है,

विभिन्न राज्य सरकारें इस पर कार्यवाही कर सकती हैं क्योंकि राज्य ही भूमि का वितरण और आवंटन करते है।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का पहला भाग यह है कि आम जनता को अपना घर बनाने के लिए जमीन मिले और वह भी सस्ते में, इस हेतु एक एक्ट बनाया गया है। इस हेतु सफल न होने के लिए क्या सरकार इस एक्ट में कुछ परिवर्तन करना चाहती है और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अभी एक मिनट पहले उन्होंने जवाब दिया है।

श्री अन्ना जोशी : इस सिफारिशों की डिटेल क्या है। दूसरा यह कि इस कानून के तहत जो एक्सेस लैंड विभिन्न राज्यों में पड़ी हुई है उसको जल्दी से जल्दी जनता को वितरण करने हेतु क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को कोई डायरेक्शन देना चाहती है।

श्रीमती शीला कौल : आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूं।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी : समिति द्वारा की गई सही सिफारिशें कौन सी है ?

श्रीमती शीला कौल : यह बहुत लम्बी है। मैं इसे सभा पटल पर रखूंगी।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के दूसरे भाग को ले सकते है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक्सेस लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करना चाहेंगी।

श्रीमती शीला कौल : जो एक्सेस लैंड है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको जनता की बेहतरी के लिए किया गया है। हमको कहा गया है कि उसका ध्यान रखें। जिनको तकलीफ हो या जिनको जमीन चाहिए अपने काम के लिए, बिजनेस या इन्डस्ट्री के लिए उसमें उसको किया जाए, यह हमारा ख्याल है।

श्रीमती कृष्णा साही : ··(**व्यवधान**)···अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि उस निर्देश का कहां तक पालन हुआ है। क्या कोई टाईम बाइन्ड प्रोग्राम बन सकता है।

श्रीमती शीला कौल : मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहती हूं कि हमने निर्देश नहीं दिया है। यह उनका काम है, यह वे करेंगे।··· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय :··· (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, जो सरप्लस लैंड दी जा रही है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कितना कोटा निर्धारित है। यह बताने की कृपा करें। कितनी परसेंट और किन-किन हरिजन-आदिवासियों को दी गई है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सरप्स लैंड का हरिजन-आदिवासियों के लिए कितना कोटा है।

श्रीमती शीला कौल : वीकर सैक्शन के लिए है, जिसमें वे भी आते हैं।

श्री मुरली देवरा : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि 2.16 लाख 4 हेक्टेयर भूमि में से 10,000 हेक्टेयर से कम भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। यह कुल उपलब्ध फालतू भूमि का 5 प्रतिशत होता है। इसके अलावा उसमें से भी केवल 4,496 हेक्टेयर भूमि के लिए दी योजनाएं स्वीकृत की गयीं हैं। वह कुल प्राप्य भूमि क्षेत्र का 2.5 प्रतिशत से भी कम है। यह दर्शाता है कि 1976 से यह अधिनियम पूर्णत: असफल रहा है। सरकार की उदार नीति को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय प्रधान मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वह इस अधिनियम को पूर्णत समाप्त करने पर विचार करेंगे क्योंकि इससे वह उद्देश्य बिलकुल भी प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए इसे लाया गया था।

दूसरे, यह एक केन्द्रीय अधिनियम है। यह राज्य सरकारों द्वारा बनाया गया अधिनियम नहीं है। अत: केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम को संशोधित अथवा समाप्त करना है। इस संबंध में मन्त्री महोदय का उत्तर क्या है ?

श्रीमती शीला कौल : हम सभा के विचारों का अनुकरण करेंगे।

समुद्र पर अधिकारों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता

*389. **श्री मनोरंजन भक्त** :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र के अधिकारों के बारे में किसी अन्तर्राष्ट्रीय-समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या बंगाल की खाड़ी में, विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर समुद्र में प्राकृतिक संपदा की संभावनाओं का पता लगाने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस अनुसंधान का क्या निष्कर्ष निकला है तथा भविष्य में इसके उपयोग की क्या संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन 30 अप्रैल, 1982 को अंगीकार किया गया एवं भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर कर्ता है। यह सम्पूर्ण समुद्री क्षेत्र के व्यवस्थापक के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है इसमें समुद्र क्षेत्र पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा, समुद्र अभिगम, नौपरिवहन, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, सजीव संसाधनों का विदोहन एवं संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्र संस्तर खनन एवं अन्य निर्जीव संसाधनों का विदोहन एवं झगड़ों का निपटारा करने के साथ-साथ इन प्रावधानों को संचालित करने की व्यवस्था समाविष्ट हैं।

(ग) और (घ) जी हां श्रीमान।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

सजीव संसाधनों का विदोहन

महासागर विकास विभाग के अनुसंधान एवं सर्वेक्षण जलयानों, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण एवं केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा बंगाल की खाड़ी एवं अण्डमान निकोबार के समुद्र सहित भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सजीव संसाधनों का अन्वेषण एवं विदोहन किया जाता है। अब तक किए गए सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि बंगाल की खाड़ी से 10.9 लाख टन एवं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समुद्र से 1.61 लाख टन वार्षिक समुद्री मछली के विदोहन की संभाव्यता है। हाल ही में भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा अण्डमान एवं निकोबार समुद्र में ट्रालर सर्वेक्षण द्वारा गहन समुद्री शूल महाचिंगट (लॉबस्टर) की समुपयोगी मात्रा वाले स्थानों का पता लगाया गया।

2. बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान समुद्र में वेलापवर्ती संसाधनों का सर्वेक्षण एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में ओशियनिक पर्स सीनिंग विधि द्वारा सतह पर तैरती हुई ट्यूना (मछली) का सर्वेक्षण करना भविष्य के कार्यक्रम में सम्मिलित है।

निर्जीव संसाधनों का अन्वेषण

3. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीपों सहित भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 63% भाग में निर्जीव संसाधनों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सर्वेक्षण से निम्न जानकारी प्राप्त हुई :—

1. उड़ीसा एवं आन्ध्र प्रदेश तट के शेल्फ प्रदेश के पास इलमेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, मोनाजाइट के बहुप्लेसर बालू जैसे विस्तृत टुकड़ों का पता चला।
2. आंध्र प्रदेश में पेंटाकोट के समीप उच्च श्रेणी चूना मिट्टी का पता चला एवं।
3. अंडमान समुद्र में आधारभूत धातुओं (कापर, लेड, जिंक) के पतली पर्तों में अनियमित जमाव होने के संकेत मिले हैं।
4. क्षेत्रीय सीमान्तर्गत समुद्र में प्लेसर खनिजों की खोज करना एवं महाद्वीपीय ढालों के साथ केटैंजेन्स हाइड्रोकार्बन के संभावित साधनों के लिए भूरासायनिक नमूना एकत्र करना भविष्य के कार्यक्रम में समाहित है।
5. बंगाल की खाड़ी एवं अण्डमान सागर क्षेत्र में तेल एवं गैस के अन्वेषणों के चौथे दौर में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने तट के समीप तीन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में एवं ग्यारह अण्डमान में प्रस्तावित किए हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, हम पहले ही इस भूमि से खनिजों का दोहन कर चुके हैं और अब मानवता के लिए समुद्र तल स्थित संपदा के दोहन करने की आवश्यकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए क्या समुद्री संपदा का विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच समान वितरण सहित समुद्री संपदा पर अधिकारों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय संधि को ध्यान में रखा गया है तथा वे कौन-कौन से देश हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? 54 मिलियन वर्ग किलोमीटर समुद्री तल में से कितना क्षेत्र भारत में है?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, समुद्र के बारे में कानून पर कन्वेंशन को 1982 में स्वीकृत किया गया था तथा 130 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन, इसे लागू करने लिए यह आवश्यक है कि इस कन्वेंशन का कम से कम 60 देश अनुसमर्थन करें। अभी तक केवल 49 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। अतः समुद्र तल प्राधिकरण, जिसकी कन्वेंशन के अन्तर्गत अवधारणा की गई थी, अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है और उसके कारण मुझे कहना चाहिए कि जिस सभी की अवधारणा की गई थी वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संभव नहीं हो पाया है। भारत ने भी अभी तक कन्वेंशन का अनुसमर्थन नहीं किया है।

क्षेत्र के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कानून के अन्तर्गत हमारे पास अनन्य आर्थिक क्षेत्र है और आपके पास कतिपय नियम हैं जो ऐसे क्षेत्रों पर लागू होते हैं जो अधीन नहीं हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि क्या संधि में विकसित और विकासशील देशों के बीच समान वितरण को कोई स्थान दिया गया है?

अध्यक्ष महोदय : यह मानवता की आम विरासत है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : हां महोदय, कन्वेंशन का अनेक देशों ने अनुसमर्थन किया है और समुद्र तल प्राधिकरण अस्तित्व में आया है। कन्वेंशन के अनुसार एक बार यह अस्तित्व में आ जाये, इसमें दो मुख्य उपबन्ध हैं। सर्वप्रथम 50 प्रतिशत विलपोषण स्वयं सदस्य देशों द्वारा किया जाना है। दूसरे किसी भी सदस्य द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को किसी अन्य देश द्वारा प्रयुक्त करने की व्यवस्था है, ताकि अन्य भी इससे लाभ उठा सके। शायद यही एक ऐसा कारण है जबकि किसी भी औद्योगिक देश (उनमें से 17) ने अभी तक इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन नहीं किया है जिसका तात्पर्य है कि आवश्यक संसाधनों और विश्व के अन्य देशों के सहयोग से विकसित प्रौद्योगिकी को बांटने के बारे मे कुछ आशंकाएं हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग दो का उचित जवाब नहीं दिया गया है। माननीय प्रधान मन्त्री भी यहां मौजूद हैं। वह इस स्थिति के बारे में अधिक बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि क्या समुद्र पर अधिकार के बारे में हुई अन्तर्राष्ट्रीय संधि में विकसित और विकासशील देशों के बीच समुद्री संपदा के समान वितरण को शामिल किया गया है, और क्या उसका अन्तर्राष्ट्रीय संधि में कोई स्थान है?

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : यही भावना इस कन्वेंशन में निहित है। यह एक अलग बात है कि कन्वेंशन अभी तक प्रभावी नहीं हुई है। वह पहले ही बता चुकी हैं कि यह संभव्यतः किस कारण लागू नहीं हुई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। इस प्रकार अनुमति नहीं दी जा सकती। आपने अपने अधिकार का समुचित प्रयोग नहीं किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जैना, श्री भक्त को प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के आस-पास समुद्र तल का सर्वेक्षण किया है तथा समुद्र तल में 500 से 2,500 मीटर की

गहराई तक 75 नमूने एकत्रित किए, जो यह दर्शाता है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के आस-पास समुद्री क्षेत्र में तांबा, शीशा, जस्ता और सोने के उपलब्ध होने की भी संभावना है। इस को मद्देनजर रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में 2,500 मीटर से अधिक की गहराई में तथा समुद्र तल से ऊपर पानी का अध्ययन करने हेतु समुद्र विकास विभाग का एक कार्यालय खोलने पर विचार करेगी।

उत्तर में यह बताया गया है कि तेल की खोज का कार्य किया जाएगा तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में संबंधित स्थानों का पता लगा लिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस कार्य हेतु किसी विदेशी कम्पनी को ठेके देने जा रही है और यदि ऐसा है तो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कितनी फर्मों को ठेके दिए जायेंगे ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : जहां तक तेल अन्वेषण का संबंध है मैं यह कह सकती हूं कि यह अपतटीय-ड्रिलिंग सुविधा है। इस समय अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में ऐसा कुछ स्थापित करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। केवल अन्वेषण हेतु ही अप्रैल 1992 तक मांगे गए हैं। तथा इस बारे में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अन्य विवरण देने में समर्थ होगा।

जहां तक समुद्र तट अन्वेषण का संबंध है, अधिकतर कार्य विशेष जहाजों के माध्यम से कराया जा रहा है जो कि महासागर तट का अध्ययन एवं सर्वेक्षण और खोज की गई सम्भावनाओं की जांच कर रहे हैं। हाल ही में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्र विकास केन्द्र हेतु एक छोटा सा कार्यालय खोला गया है। इसकी व्यवस्था है समय आने पर इसका विस्तार किया जाएगा।

श्री श्रीकान्त जेना : बंगाल की खाड़ी में हमारे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में निर्जीव पदार्थों जैसे इलुमेनाइट, जरकन तथा जिप्सम इत्यादि की उपलब्धता का पता लगाया गया है। मेरी जानकारी में इन सभी निर्जीव संसाधनों का पता लगाया जा चुका है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार राष्ट्रीय उपयोग के लिए इन सभी संसाधनों का दोहन करने की योजना बना रही है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : कुछ क्षेत्रों में संसाधनों का पता लगाया जा चुका है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, जब हम उन्हें आर्थिक रूप से दोहन हेतु सक्षम पायेंगे तो संबंधित विभाग एवं अन्य विभाग इस कार्य को हाथ में लेंगे। उदाहरण के लिए मैं कह सकती हूं कि यह विभाग अन्वेषण कार्य करता है, आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं और फिर सम्बन्धित विभाग विशिष्ट योजना बनाते हैं और फिर उसका अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए आणविक ऊर्जा विभाग के पास दुर्लभ क्षेत्रों के लिए भी व्यवस्था है। हमारे पास केरल और तमिलनाडू में भी संयंत्र है, जो पहले ही यह कार्य कर रहे हैं। अतः इस समय मैं यह बताने में समर्थ नहीं हूं कि कौन क्या करने जा रहा है। अन्वेषण कार्य हो चुका है। कतिपय क्षेत्रों और स्थानों का पता लगाया जा चुका है तथा उसके बाद का कार्य जैसे प्रौद्योगिकी इत्यादि पर कार्य किया जाना है। जैसे ही धन राशि और अन्य चीजें उपलब्ध होंगी, वाणिज्यिक रूप से इसका दोहन होने लगेगा।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, सन् 1980-81 में अनुसंधान, जीव-जन्तु और वनस्पति तथा समुद्र तट के दोहन के लिए लगभग 4100 करोड़ रुपये की लागत से तीन पोत खरीदे गए थे तथा उनके द्वारा किया गया कार्य संतोष जनक नहीं था। मैं ऐसा सोचता हूं। क्या माननीय मन्त्री आठवीं पंचवर्षीय योजना में समुद्र तल अनुसंधान और सर्वेक्षण के लिए और अधिक धनराशि की मांग करेंगे तथा संधि को अंतिम रूप देने हेतु 50 प्रतिशत देशों के हस्ताक्षर लाने के लिए भी प्रयास किए जायेंगे

क्योंकि यह भारत जैसे देश के लिए जहां विशाल समुद्र तट है तथा अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर, जहां से हम और अधिक गहराई अर्थात 450 किलोमीटर तक जा सकते है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के रूप में, सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा विदोहन अति महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मन्त्री से ब्यौरा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्रालय हमेशा ही वित्त मन्त्री से और अधिक धनराशि की मांग करते हैं।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, संपूर्ण कार्यक्रम के लिए आठवीं योजना में 235 करोड़ रुपये की मांग की गई है और हमें उम्मीद है कि हम अपेक्षित राशि प्राप्त करने में समर्थ होंगें। जहां तक हमारे पास उपलब्ध जहाजों का सम्बन्ध है अर्थात मेरा तात्पर्य विभिन्न विभागों से है, सदस्य महोदय ने कहा है कि उनका कोई खास फायदा नहीं हैं। लेकिन हमारा विचार है कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : उनका समुचित उपयोग नहीं किया गया है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, उनका प्रयोग हुआ है। मत्स्य विभाग और समुद्र विकास-विभाग के पास कुछ सर्वेक्षण पोत है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की अपनी आधार-संरचना है और इसीलिए उनका प्रयोग विभिन्न विभागों द्वारा किया गया है तथा अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक उन्होंने अपने उपकरण प्राप्त कर लिए हैं। दो तरह के पोतों की जरूरत है, एक तट के लिए तथा दूसरा गहरे समुद्र के लिए। दो प्रकार के पोतों का प्रयोग किया गया है। आठवीं योजना में इस संबंध में आधार भूत ढांचे में सुधार हेतु व्यवस्था की गई है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या अनुसमर्थन के लिए 50वें हस्ताक्षर की व्यवस्था हमारे द्वारा होगी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कन्वेंशन को कार्यरूप देने के लिए हमें 50 नहीं 60 हस्ताक्षरों की आवश्यकता है।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री महोदय ने हमें सूचित किया है कि जहां तक कन्वेंशन का संबंध है, कन्वेंशन पर हस्ताक्षर न करने वालों में तथा उसका समर्थन न करने वालों में से भारत भी एक है। हमने भी कन्वेंशन का समर्थन नहीं किया है। माननीय प्रधान मन्त्री महोदय 'अथवा राज्य मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि हमने कन्वेंशन का समर्थन क्यों नहीं किया।

जहां तक ई० ई० जेड० का संबंध है, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का पूरी तरह से परिसीमन किया गया है। और यदि हमने पूरी तरह से इसे परिसीमित नहीं किया तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनका परिसीमन नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए न्यू मूरे द्वीप विवाद का क्षेत्र है जिसका परिसीमन नहीं किया गया। इसके क्या कारण है ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : कन्वेंशन के कुछ प्रावधानों में हमारी भी शर्तें थी। हमने इनका अभी समर्थन नहीं किया है और उनमें से, जैसा कि मैंने कहा है, एक यह भी है कि यदि एक बार सन्धि पर समर्थन हो जाए तो सारी प्रौद्योगिकी में उन सभी की भागीदारी रहेगी जो इसके सदस्य होंगें हम अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं जिस पर हम अपना धन व्यय कर रहे हैं; 17 औद्योगिक देशों में से किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। इसका अभिप्राय है कि वे,

विकसित प्रौद्योगिकी में भागीदारी करने अथवा धन लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसलिए, जब तक हम सभी इसे एक साथ करने को तैयार न हों, हम यह महसूस करते हैं कि हमें, मात्र इसलिए आगे दौड़ नहीं लगानी है कि उनके पास यह प्रौद्योगिकी है।

महोदय, जहां तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के परिसीमन का संबंध है, मैं समझती हूं कि इसके बारे में हमारी कोई समस्या नही हैं। इसका दूसरा भाग महाद्वीप का है जिसके बारे में इस आशय का मानचित्रण किया जाना है कि इसमें से कितना हमारे विशिष्ट नियंत्रण के अन्तर्गत आता है। यह कार्य प्रगति में है, इसका कुछ कार्य पूरा हो चुका है और शेष अभी सर्वेक्षणाधीन है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मेरा प्रश्न भारत के विशिष्ठ आर्थिक क्षेत्र के बारे में है। उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि ऐसी पांच एजेन्सियां हैं जोकि सर्वेक्षण और खोज कार्य कर रही है और वे हैं : महासागर विकास विभाग, मत्स्य सर्वेक्षण, सैन्ट्रल मेराइन फिशरीज, भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग। पांच अलग-अलग एजेन्सियां सर्वेक्षण और खोज कार्य में लगी हैं। उपलब्ध सभी संकेतों के अनुसार, हमारे समुद्र अत्यधिक संपदा सम्पन्न है लेकिन यह देखा गया है कि और इस खोज कार्य को जितनी तेजी से किया जाना है इसके अनुकूल हमारे पास पर्याप्त क्षमता व आवश्यक उपकरण एवं संगठन भी नहीं है। इसे मद्दे नजर रखते हुए क्या सरकार किसी समन्वय विभाग अथवा एजेन्सी बनाए जाने के बारे में विचार कर रही है? दूसरे जहां कहीं समुद्रीय सम्पदा को खोजने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी व उपकरणों की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ विदेशी एजेन्सियों से भी सहायता लेने पर विचार कर रही है?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, मैं अंतिम भाग का उत्तर पहले देना चाहूंगी। समुद्र-तटीय क्षेत्र में तेल निकालने हेतु हमने अब उन अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों से, जो अण्डमान निकोबार द्वीप समूहों के समुद्रवर्ती क्षेत्र एवं साथ-साथ बंगाल की खाड़ी के तीन ब्लॉक, दोनों ही क्षेत्रों से तेल निकालने को तैयार हों, निविदाएं आमंत्रित की हैं। ये निविदाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्वेषण और तेल निकालने और अन्य कुछ शर्तों के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिसमें तेल उपलब्ध होने पर हमारे द्वारा 100% कच्चा तेल खरीदने का विकल्प भी शामिल है।

जहां तक अन्य दोहन कार्य का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय द्वारा मत्स्य संसाधनों के दोहन के बारे में एक कार्यदल गठित किया गया था। प्रस्तुत प्रश्न पूर्णतया बंगाल की खाड़ी व अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों से संबंधित है। इस क्षेत्र में भी 'तूना' और 'समुद्री झींगा' जैसे कुछ अन्य मत्स्य स्त्रोत्रों का भी पता लगाया गया है और इन क्षेत्रों से प्रतिवर्ष 10.9 और 1.61 लाख टन संसाधन प्राप्त किए जा सकते थे जिन्हें अभी तक भी प्राप्त नहीं किया गया है यह कार्य कृषि मंत्रालय और मत्स्य पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ-साथ हमारे अन्य दोहन कार्य भी चल रहे हैं। उदाहरणार्थ ई० ई० जैड० का परिसीमन भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। अत: जैसाकि मैंने प्रारम्भ में बताया है कि बहुत सी ऐसी एजेन्सियां हैं जोकि तटीय क्षेत्रों में प्रारम्भ किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर रही हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, इन सभी कार्यों में समन्वय करने वाली एजेंसी के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, यह एक अच्छा सुझाव है जिस पर हम अवश्य ही विचार करेंगे।

लेवी चीनी के आवंटन के लिए मापदण्ड

*390. श्री काशीराम राणा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को लेवी चीनी के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को लेवी चीनी का प्रतिमाह कितना-कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों के लिए लेवी चीनी का कोटा वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर नियत करने का है ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) मासिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत राज्यों को सामान्यत: लेवी चीनी का आवंटन 1-10-1987 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ये मानदंड 1-2-1987 से लागू हैं।

मासिक लेवी कोटे के अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष त्योहार कोटे के रूप में 99950 टन लेवी चीनी रिलीज की जाती है। यह त्योहार कोटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनके सामान्य लेवी आवंटन के अनुपात में बांट दिया जाता है।

(ख) मासिक लेवी चीनी कोटा, अतिरिक्त 5 प्रतिशत तदर्थ आवंटन तथा त्योहार कोटे की राज्यवार मात्रा सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

(ग) बढ़े हुए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आवंटन बढ़ाया जा रहा है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक सामान्य कोटा	5 प्रतिशत तदर्थ मासिक वृद्धि (अगस्त, 91 से मार्च 92 तक मंजूर की गई)	प्रत्येक वर्ष के लिए त्योहार कोटा
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	25281	1264	7614
2.	अण्डमान निकोबार	247	12	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	314	16	94
4.	आसाम	9617	481	2896
5.	बिहार	33459	1673	10078
6.	चण्डीगढ़	372	19	112

1	2	3	4	5
7.	दादरा व नगर हवेली	51	3	14
8.	दिल्ली	8721	436	2316
9.	गोआ	500	25	150
10.	दमन	24	1	
11.	दीव	15	1	12
12.	गुजरात	16190	810	4878
13.	हरियाणा	6386	319	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2019	101	608
15.	जम्मू व कश्मीर	2884	144	868
16.	कर्नाटक	17769	888	5350
17.	केरल	11953	598	3600
18.	लक्षद्वीप	71	4	22
19.	मध्यप्रदेश	25031	1252	7536
20.	महाराष्ट्र	29938	1497	9014
21.	मणिपुर	694	35	208
22.	मेघालय	662	33	200
23.	मिजोरम	261	13	78
24.	नागालैंड	426	.1	128
25.	उड़ीसा	12393	620	3730
26.	पांडिचेरी	305	15.2	64
27.	कारीकल	73	3.7	18
28.	माहे	15	0.7	4
29.	यानम	7	8.7	2
30.	पंजाब	7945	397	2392
31.	राजस्थान	16914	846	5092
32.	सिक्किम	165	0	50
33.	तमिलनाडु	22547	1127	6790
34.	त्रिपुरा	1001	50	302
35.	उत्तर प्रदेश	52926	2646	15936
36.	पश्चिमी बंगाल	25888	1294	7796
	कुल	339068	16654	99950

डा० सुधीर राय : महोदय, आप पिछली सीटों पर बैठने वाले सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप हम पर धौंस नहीं जमा सकते।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पिछली सीटों वाले सदस्यों को अब मौका मिलेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको हम पीछे बैठने वालों को भी बोलने का मौका देना चाहिए।...(व्यवधान)...या हमें बता दीजिए कि हमें किस दिन बोलना है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरा सुझाव है कि यह सब टेलीवाइज होना चाहिए।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, हम रोजाना तैयारी करके आते हैं और आपके आदेश की ओर देखते रहते हैं, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिलता। हम रोजाना प्रतीक्षा करके ही रह जाते हैं। इसकी ओर आप देखिए।...(व्यवधान)

श्री हरिराधन राव : हम रोजाना हाथ उठा उठाकर रह जाते हैं, तैयारी करके भी आते हैं, हमें कोई प्रश्न या सप्लीमेंटरी पूछने का मौका नहीं मिलता।... (व्यवधान)

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से अपने प्रश्न में स्पेसिफिकली पूछा था कि आप जो लेवी चीनी का कोटा वर्ष 1987 की जनसंख्या के आधार पर आवंटित करते हैं। (व्यवधान)...

लेकिन 1987 से आज तक, हमारे देश की जनसंख्या में 20 से लेकर 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गयी है। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चीनी के आवंटन के मामले में हम 1991 को बेस-ईयर मानने का कोई विचार नहीं रखते हैं।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और आप 1987 की जनसंख्या को आधार मान कर राज्यों को लेवी चीनी का कोटा आवंटित करते हैं, उस समय से हमारे देश की आबादी 20-25 प्रतिशत बढ़ गयी है, इस कारण हमारे यहां बहुत से लोग चीनी के बिना रह जाते हैं, उन्हें चीनी नहीं मिलती।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब देश में अनेक लोगों को चीनी के बिना रह जाना पड़ता है तो आप 1991 की जनसंख्या को आधार मानकर राज्यों को चीनी का कोटा क्यों नहीं देना चाहते हैं …(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं पीछे वाली सीटों पर बैठे सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। कृपया इसके लिए तैयार रहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : पिछले एक महीने से, आप अध्यक्ष जी, देख लीजिए, मुझे एक प्रश्न पूछने का भी अवसर नहीं मिला है।…(व्यवधान)

श्री काशी राम राणा : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए क्या आप 1987 के बजाए 1991 की जनसंख्या को बेस-ईयर मानकर चीनी का कोटा आबंटित करने का विचार रखते हैं या नहीं क्योंकि उसके बाद देश की जनसंख्या में 20 से लेकर 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गयी है। इसके अलावा चीनी का उत्पादन भी हमारे देश में लगातार बढ़ा है, गवर्नमैंट चीनी को निर्यात करने के बारे में भी सोच रही है। इसलिए 1991 की जनसंख्या को बेस-ईयर मानने का पूरा औचित्य है, क्या मंत्री जी इसे मानने के लिए तैयार हैं, यही मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : महोदय, यह सच है कि आज भी हम 1-10-1986 की जनसंख्या के आधार पर लेवी चीनी का आबंटन कर रहे हैं। इस बीच चीनी के उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हमने वर्तमान कोटा पांच प्रतिशत बढ़ा दिया है। 1991 की जनगणना के अनुसार लेवी चीनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मेरे विचार से, एक और वर्ष लग सकता है क्योंकि इसके लिए चीनी का उत्पादन बढ़ाना है और उसको स्थिर रखना है। हम इस पर अगले वर्ष विचार कर सकते हैं। आवश्यकता को पूरा करने के लिए दस प्रतिशत चीनी की वृद्धि करना आवश्यक है। हम पहले ही पांच प्रतिशत अधिक दे चुके हैं।

श्री काशीराम राणा : मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार बाजार में चीनी के मूल्य में बेहताशा वृद्धि को देखते हुए चीनी का कोटा 425 ग्राम से बढ़ाकर 700 ग्राम करने पर विचार करेगी।

श्री तरुण गोगोई : हम 1991 की जनगणना के आधार पर भी चीनी का कोटा 425 ग्राम से बढ़ाने में भी समर्थ नहीं हुए हैं। वह विचारणीय है। लेवी चीनी की सेल चीनी का अनुपात क्रमश: 45 और 55 है, यह आंशिक नियन्त्रण हैं। लेवी चीनी से हमें विभिन्न राज्यों को चीनी का आबंटन करना होता है।

[हिन्दी]

श्री छीतूभाई गामीत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं भारत सरकार की चीनी प्राइस पालिसी से चीनी मिलों को बहुत घाटा हो रहा है, किसानों को ठीक प्राइस नहीं मिल रहा है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं निकलता है। यदि मैं आपको ऐलाऊ नहीं करूंगा तो आप गुस्सा हो जायेंगे।

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह प्रश्न इससे सम्बंधित नहीं है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार द्वारा राज्यों में चीनी वितरण करने के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन हो रहा है और यदि मानदण्डों का अनुपालन हो रहा है तो वह मानदण्ड क्या है। और क्या यह सच है कि शहरों के मुकाबले गांवों में चीनी का कम वितरण किया जाता है और यदि कम वितरण किया जाता है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री तरुण गोगोई : 1986 की जनसंख्या के आधार पर 425 ग्राम चीनी वितरित की जाती है। सभी राज्यों को चीनी वितरित करने का यह मानदण्ड है। एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। जो कुछ राज्य को आबंटित किया जाता है, वह उसे वितरित कर देता है। हम इस बात को नहीं देखते कि क्या शहर और गांव के बीच कोई भेदभाव रखा गया है।

श्री कार्तिकेश्वर पात्र : चीनी का कुल उत्पादन कितना है। खपत की कुल मांग कितनी है और खुले बाजार में वर्तमान मूल्य कितना है ? खुले बाजार के मूल्य और नियंत्रित मूल्य में कुछ अन्तर है। मूल्य में इस अन्तर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाते हैं।

श्री तरुण गोगोई : उत्पादन 1,19,000 टन है और खपत 1,15,000 टन है। नियंत्रित मूल्य और खुले बाजार के मूल्य में हमेशा अन्तर रहा है। नियंत्रित मूल्य सस्ता मूल्य है और खुला बाजार मूल्य मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। नियंत्रित मूल्य और खुला बाजार मूल्य के बीच अन्तर होता है। ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान में रखिए कि मैं एक प्रश्न सत्ता पक्ष द्वारा और दूसरा प्रश्न विपक्ष द्वारा पूछने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरविंद त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो शुगर कंट्रोल प्राइस में मिलती है और जो ओपन मार्केट में मिलती है, उन दोनों की क्वालिटी में फर्क क्यों होता है ? गरीबों को भी वही शुगर देनी चाहिए जो मार्केट में मिलती है। हम क्वांटिटी कम देते हैं क्योंकि कंट्रोल प्राइस से देते हैं। क्वालिटी में फर्क नहीं होना चाहिए और सब जगह मापतोल बराबर होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर राशन की दुकानों पर खराब क्वालिटी की चीनी मिलती है, उसमें सुधार होना चाहिए। ··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रह कर सदस्यों को अपने प्रश्न पूछने के लिए सदन में सदस्यों की सहायता कीजिये।

(व्यवधान)

श्री तरुण गोगोई : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो कुछ राशन की दुकानों पर दिया जाता है वह घटिया किस्म का होता है। जो कुछ हम आबंटित करते हैं, राज्य सरकारों को आबंटित करते हैं। यदि यह निम्न स्तर का होता है तो उन्हें इसे लेने से इन्कार करने का अधिकार है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच बीच में क्यों उठ रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि दूसरों को चांस नहीं दिया जाता है ?

(व्यवधान)

श्री अरविन्द त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, दोनों में फर्क होता है, यह फर्क नहीं होना चाहिए और राशन में भी वही शुगर मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपना उत्तर पूरा कर लिया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं आप इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री तरुण गोगोई : उनके प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो चीनी हम आबंटित करते हैं वह एक जैसी है क्योंकि वह एक ही फैक्टरी से आती है।

अध्यक्ष महोदय : अब, महिला सदस्या डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम प्रश्न पूछेंगी।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहती।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना हाथ उठाया था। अब आप अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहती आपस में बातें न करें। कृपया अन्य सदस्यों की सहायता कीजिए।

[हिन्दी]

श्री चुन्नीलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि शहरी इलाके में और ग्रामीण इलाके में जो चीनी का बंटवारा होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें राज्यों के साथ भेदभाव होता है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब लेवी की चीनी राज्यों को आवंटित करते हैं तो क्या यहां से कोई निर्देश राज्यों को देंगे कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में कोई भेदभाव न किया जाए और बराबर चीनी आबंटित हो, नहीं तो राज्यों की लेवी का कोटा यह काटेंगे।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : आमतौर पर हम कोई अनुदेश नहीं देते कि इसे कैसे वितरित किया जाता है। हम इसे 1.10.1986 की जनसंख्या के आधार को ध्यान में रखकर आबंटन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकरराव डी० काले। वह चीनी के बारे में काफी जानते हैं।

श्री शंकरराव डी० काले : चीनी के उत्पादन की लागत को पूरा करने के लिए लेवी चीनी का निर्धारित मूल्य पर्याप्त नहीं है। क्या मंत्री जी उत्पादन की लागत को पूरा करने के लिए लेवी चीनी का मूल्य बढ़ाने पर विचार करेंगे? प्रत्येक राज्य में लेवी मूल्य अलग-अलग है। क्या मंत्री जी समूचे राज्यों में लेवी मूल्य को एक समान करने पर विचार करेंगे? क्या वह सभी राज्यों में समान मूल्य करने पर विचार करेंगे? ... (व्यवधान)

श्री तरुण गोगोई : राज्यों में एक्स-फैक्टरी लेवी मूल्य अलग-अलग है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य का तात्पर्य चीनी के एक्स-फैक्टरी मूल्य से है। लेकिन इसका प्रश्न ही नहीं उठता। मैं कहना चाहूंगा कि यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, वहां उत्पादन अधिक है, वसूली अधिक है, अवधि अधिक है; उत्पादन लागत कम है। उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में महाराष्ट्र में उत्पादन लागत कम है। इसीलिए हम उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए एक्स फैक्टरी मूल्य निर्धारित करते हैं... (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आप मेरा प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अगली सीट पर बैठने वाले सदस्यों में है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में दो किस्म का राशनिंग सिस्टम है— एक है स्टैट्यूटरी राशनिंग और दूसरा मॉडिफाइड राशनिंग। जब हिन्दुस्तान में ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन होता है तो क्यों नहीं जो शुगर स्टैट्यूटरी राशन से मिलती है, वही मॉडिफाइड राशन से दी जाए? और कब तक दी जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह क्वश्चन रैलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं मिनिस्टर को एलाऊ कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : हम कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसे एक समान रूप से वितरित करते हैं। हम इसे 425 ग्राम प्रति व्यक्ति देते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, राशन का जो कोटा है, वह दिल्ली में परहेड के हिसाब से ज्यादा मिलता है और बाकी राज्यों में कम मिलता है। क्या दिल्ली में ही लोग रहते हैं। इसमें एकरूपता होनी चाहिए। अगर आप 1991 के सैंसस के हिसाब से देंगे तो वह सबको प्राप्त हो जाएगा।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : महोदय, यह सच है कि दिल्ली को कुछ ज्यादा दी जा रही है...

कुछ माननीय सदस्य : क्यों?

श्री तरुण गोगोई : इसे काफी अर्से से दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : और क्योंकि दिल्ली में कोई चीनी की फैक्टरी नहीं है। श्री मेघे, कृपया बैठ जाइए। आपने प्रश्न पूछा है और आपको उत्तर मिल जाएगा।

श्री तरुण गोगोई : महोदय, न केवल दिल्ली में बल्कि ऐसे सात क्षेत्र हैं जिन्हें थोड़ी ज्यादा चीनी दी जा रही है। उदाहरण के लिए, लक्षद्वीप, जो श्री पी० एम० सईद का निर्वाचन क्षेत्र है, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह जहां से श्री मनोरंजन भक्त आए हैं तथा कतिपय अन्य क्षेत्र।

बीड़ी उद्योग में बाल श्रमिकों को काम पर लगाने पर प्रतिबन्ध

*391. **श्रीमती गीता मुखर्जी**† :

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी उद्योग में कितने बाल श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है जिसके द्वारा बीड़ी उद्योग में बच्चों को काम पर लगाने पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निदेशों को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उन औद्योगिक परिसरों में जहां बीड़ी का निर्माण किया जाता है बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अंतर्गत बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। तथापि उपरोक्त अधिनियम की धारा 43 में यह प्रावधान है कि निजी आवास में अपने परिवार के सदस्यों, जिसमें आश्रित बच्चे भी शामिल हैं, की सहायता से बीड़ी निर्माण करने वाले स्व-नियोजित व्यक्ति पर उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत "बालक" का आशय उस व्यक्ति से है जिसने 14 साल की आयु पूरी नहीं की है। बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में भी बीड़ी निर्माण में बालकों के नियोजन के संबंध में ऐसे ही प्रावधान विद्यमान हैं। बीड़ी निर्माण में परिवार या निजी निवास गृहों में सहायता करने के लिए नियोजित किए जा रहे बालकों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2. उच्चतम न्यायालय ने 1987 की रिट याचिका सं० 1262 पर 19 नवम्बर, 1991 को दिए गए निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया है :—

"तम्बाकू उत्पादन वास्तव में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः जहां तक सम्भव हो इस व्यवसाय में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध कर दिया जाना चाहिए और बाल श्रमिकों का नियोजन या तो तुरन्त या राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित क्रमिक तरीके से रोक दिया जाना चाहिए

किन्तु यह कार्य अब से लेकर तीन वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। बाल श्रम उत्सादन अधिनियम, 1986 के उपबंधों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।"

3. राज्य सरकारों को बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों का कड़ाई से कार्यान्वियन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1987 में निर्णय दिया था जिसमें बताया गया था कि "बीड़ी बनाने में बालश्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है और कि इसे या तो तुरन्त बन्द कर दिया जाए अथवा राज्य-सरकारों द्वारा नियत किए जाने वाले चरणबद्ध तरीके से, परन्तु अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के अन्दर।" पहले ही चार वर्ष बीत चुके हैं। विवरण में आपने राज्य-सरकारों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करने को कहा है।

क्या मैं जान सकती हूं कि सरकारों से कोई जानकारी प्राप्त हुई है और यदि हां, किन राज्यों ने उत्तर दिया है और दी गई जानकारी क्या है।

कोयला राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय 1987 में नहीं दिया था। यह निर्णय 19 नवम्बर, 1991 को दिया गया था। मेरे विचार से माननीय सदस्या ने मामला संख्या और वर्ष का उल्लेख करने में थोड़ी-सी गलती की है। यह निर्णय 19 नवम्बर, 1991 को दिया गया था। यह अब से ठीक एक माह पहले का है। राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। हमारे विधि-विभाग द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है। इसमें कुछ समय लगेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, यदि मामला 1987 में पंजीकृत कराया गया था, तो इसमें ऐसी क्या बात थी कि सरकार को इसे पास करने में चार वर्ष लग गए? क्या मैं जान सकती हूं कि समय पर निर्णय देने के लिए उस समय कौन-से कदम उठाए गए थे।

श्री पी० ए० संगमा : महोदया, मैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में हुई देरी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री मंगल लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि 1966 के अधिनियम के अनुसार बाल मजदूरों को काम पर नहीं लगाया जायेगा, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है लेकिन बिहार में बीड़ी उद्योग में 8 से 10 वर्ष के लड़के भी काम में लग रहे हैं तो क्या सरकार की कोई मोनेटरिंग एजेन्सी है, जो मोनेटरिंग करने पर रोक लगा दे?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, बाल नियोजन पर हर जगह प्रतिबन्ध नहीं है। बाल नियोजन केवल उन कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रतिबंधित हैं, जहां यह खतरनाक हैं, और गैर-खतरनाक क्षेत्रों में विशेष नियमों, विशेष परिस्थितियों में बाल नियोजन की अनुमति है। इसलिए, यह सम्भव है कि गैर-खतरनाक क्षेत्रों में बच्चों को नियोजित किया जा रहा हो।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, बीड़ी उद्योग में जो बाल मजदूर लगे हुए हैं उनके बारे में क्या सरकार ने पूरे देश में कोई सर्वे कराया है कि कितने बाल मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते

हैं ? सुप्रीम कार्ट के आदेश के बाद भी गरीब लोग हैं, जो अपनी मजदूरी को नहीं खो सकते हैं इसलिए क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि उन बाल मजदूरों की पढ़ाई-लिखाई करके उन्हें रोजगार दिया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, बीड़ी दो प्रकार से तैयार की जाती है। एक है कारखाने में और दूसरा है परिवार में, ठेके के आधार पर। जहां तक कारखाने का संबंध है, हमने कारखानों में बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगा रखा है। जहां तक घर पर बीड़ी बनाने का संबंध है, हमने बच्चों को उनके माता-पिता को सहायता प्रदान करने की अनुमति दी हुई है। ऐसे बच्चे अपने माता-पिता को बीड़ियां लपेटने में सहायता करते हैं।

————

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में संशोधन

*392. **श्री विजय नवल पाटिल** :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उदार आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में संशोधन किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तैयार किया जा रहा है तथा इसके लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को पुनः अर्थक्षम बनाने के बारे में स्थिति-पत्र

*393. **श्री रविराय** :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को पुनः अर्थक्षम बनाने और कोयला खानों के कार्य-निष्पादन के बारे में अलग अलग कोई स्थिति-पत्र तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक पत्र का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा हाल ही में गठित की गई त्रिपक्षीय समिति में इन स्थिति-पत्रों पर विचार-विमर्श किए जाने की सम्भावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की निष्पादन स्थिति के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तैयार किया गया मोनोग्राफ (लेखा-जोखा) विभाग द्वारा सदन के सदस्यों को पहले ही भेजा जा चुका है। उपरोक्त लेखा-जोखा पर श्रमिकों को प्रभावित करने वाली समस्याओं तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर नई औद्योगिक नीति पर विचार करने और इसके लिए समुचित सिफारिशें करने के उद्देश्य से श्रम मन्त्रालय द्वारा गठित विशेष त्रिपक्षीय समिति में विचार-विमर्श किया जाएगा।

जहां तक घाटे में चल रही कोयला खानों से सम्बद्ध स्थिति कागजात का संबंध है कोयला मंत्रालय से संबद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति के विचार विमर्श के लिए एक ब्यौरा तैयार कर लिया गया है।

इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के एकक

*394. **श्री ह० प्रताप राय** :

श्री राम कृष्ण कोंताला :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के एकक किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के कुछ नए एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इनके लिए राज्य-वार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और इन पर अनुमानत: कितना खर्च होने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० (आई० पी०सी०एल०) के तीन निर्माण एकक हैं जो बड़ोदा, गुजरात एम०जी०सी०सी०, नागोथाणे, महाराष्ट्र, और थाणे, महाराष्ट्र में स्थापित हैं।

(ख) और (ग) आई० पी० सी० एल० ने 6 नई विस्तार परियोजनाएं, स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना	स्थान	प्रस्तावित पूंजीगत लागत (करोड़)
1.	पालिबुटाडाइन रबड़ विस्तार	बड़ोदा काम्प्लेक्स, गुजरात	149.2
2.	पालिप्रापिलीन	— वही —	198.63
3.	इन्जीनियरी प्लास्टिक	— वही —	125.62
4.	इथाइलीन विस्तार	नागोथाणे, महाराष्ट्र	177.58
5.	एच.डी.पी.ई. विस्तार	— वही —	158.78
6.	इंटिग्रेटिड गैस क्रेकर काम्पलेक्स	गंधार, जिला भड़ोच, गुजरात	3484.37

जार्डन में संयुक्त उर्वरक उद्यम

395. श्री हरिन पाठक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जार्डन में संयुक्त उर्वरक उद्यम की स्थापना के लिए जार्डन के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मजदूरों को वहां रोजगार मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) मैसर्स सदर्न पेट्रोकैमिकल्स इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० (स्पीक) और मैसर्स जोर्डन फास्फेट माइन्स लि० (जे०पी०एम० सी०) ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 12 अक्तूबर, 1991 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अधिकांश शेयर स्पिक के होंगे और जो मुख्यत: भारत से प्लांट उपकरण और तकनीकी सेवाएं के रूप में होंगे। इस परियोजना को 100 मिलियन अमरीकी डालर निवेश से 2.08 लाख टन पी^{2} ओ^5 प्रतिवर्ष के समतुल्य फास्फोरिक एसिड का उत्पादन करना है। वाणिज्यिक उत्पादन 1994 के आरम्भ मे होने की आशा है।

(ग) और (घ) संयुक्त उद्यम के परिणामस्वरूप भारतीय श्रमिकों के लिए अवसर उपलब्ध होने की आशा है, किन्तु इस स्तर पर अभी इसका आकलन नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

स्वरोजगार कार्यक्रम

*396. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या रहे; और

(ग) ऐसी क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिससे इन कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम निकले ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार कार्यक्रम है, के समवर्ती मूल्यांकन का तीसरा दौर राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में जनवरी, 1989 –दिसम्बर, 1989 की अवधि के दौरान चलाया गया था।

(ख) इस मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार है :—

(3) प्राथमिकता और तृतीय क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया जिनके अन्तर्गत क्रमशः 44 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत परिवारों को कवर किया गया। प्राथमिक क्षेत्र में अन्य योजनाओं की तुलना में डेयरी इकाईयां (20 प्रतिशत कवरेज) अधिक लोकप्रिय थी। तृतीय तथा द्वितीय क्षेत्रों में क्रमशः दुकानों (17 प्रतिशत कवरेज) तथा ग्राम उद्योगों (6 प्रतिशत कवरेज) की तरफ झुकाव था।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर, 65 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं की बैठकों में किया गया।

(3) लाभार्थियों के मतानुसार 80 प्रतिशत मामलों में उनको उपलब्ध कराई गई परिसम्पत्तियां अच्छी किस्म की थीं।

(4) लगभग 37 प्रतिशत लाभार्थियों की ओर कोई अतिदेय राशि नहीं थी तथा 29 प्रतिशत लाभार्थियों की तरफ 1000 रुपए से कम राशि अतिदेय थी इस तरह, लगभग 66 प्रतिशत लाभार्थियों की तरफ 1000 रुपए तक की अतिदेय राशि थी। यह कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (1985) के निष्कर्षों, जिनके अनुसार ऋणों की वापिसी-अदायगी 69 प्रतिशत आंकी गई है, से काफी मेल खाता है।

(5) राष्ट्रीय स्तर पर, 94 प्रतिशत लाभार्थियों ने परिसम्पत्ति हासिल करने के बाद निजी स्रोतों से किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं लिया था।

(6) 42 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियों द्वारा 2000 रुपए से अधिक, (रख-रखाव की लागत तथा ऋण की वापिसी-अदायगी) 18 प्रतिशत मामलों में 1001 तथा 2000 रुपए के बीच तथा 9 प्रतिशत मामलों में 501 तथा 1000 रुपए के बीच अतिरिक्त आय सृजित की गई थी।

(7) राष्ट्रीय स्तर पर पुराने लाभार्थियों ने 81 प्रतिशत मामलों में 3500 रुपए की गरीबी की रेखा पार कर ली थी तथा 28 प्रतिशत मामलों में 6400 रुपए की संशोधित गरीबी की रेखा को पार कर लिया था।

(8) राष्ट्रीय स्तर पर 16 प्रतिशत मामलों में अपात्र परिवारों को सहायता दी गई।

(9) 82 प्रतिशत मामलों में सरकारी रिकार्डों के अनुसार परिसम्पत्ति की लागत तथा लाभार्थियों की राय में परिसम्पत्ति के मूल्य में कोई अन्तर नहीं था। तथापि, शेष 18 प्रतिशत मामलों में कुछ अन्तर पाये गए थे। इनमें से 9 प्रतिशत मामलों में 500 रुपये से अधिक का उल्लेखनीय अन्तर था। यह कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ भ्रष्टाचार और कमियों को दर्शाता है।

(10) 62 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों को कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता थी जिनमें से 20 प्रतिशत मामलों में कार्यकारी पूंजी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(11) 71 प्रतिशत मामलों में बाद की देखभाल और सरकारी मदद की आवश्यकता थी लेकिन 53 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों को ऐसी मदद उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(12) राष्ट्रीय स्तर पर 76 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों को सामूहिक जीवन बीमा योजना की जानकारी नहीं थी।

(ग) इन निष्कर्षों को कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं —

(1) 1.4.1990 से कुल सहायता किए जाने वाले परिवारों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों कवरेज के लक्ष्य को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है और महिला लाभार्थियों की कवरेज के लक्ष्य को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) 1991-92 से शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सबसिडी की सीमा को 5000 रुपए की वित्तीय सीमा के आधार पर कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

(3) 1991-92 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत लक्ष्य को बढ़ाकर 4.25 लाख कर दिया गया है।

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.4.1991 से भूमि की खरीद को एक स्वीकार्य गतिविधि बना दिया गया है।

(5) 1.4.1988 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सभी लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा उपायों के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के तहत कवर किया गया है।

(6) प्रति व्यक्ति निवेश में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

राजस्थान में उद्योग

*397. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थापित किए गए लघु, मध्यम तथा भारी उद्योगों की संख्या क्या क्या है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर आवश्यक विद्युत तथा धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) लघु क्षेत्र में एककों का पंजीकरण जिला स्तर पर किया जाता है। तथापि पिछले तीन वर्षों 1987-88, 88-89 तथा 89-90 के दौरान राजस्थान में डी० आई० सी० कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित लघु एककों की संख्या क्रमशः 3463, 5851 और 5444 है। इन आंकड़ों में ना केवल लघु क्षेत्र के एकक शामिल हैं बल्कि वी० एस० आई० के अन्य एककों के साथ-साथ गैर-सीडो एकक भी शामिल हैं। जहाँ तक संगठित क्षेत्र के एककों का संबंध है, पिछले 3 वर्षों के दौरान राजस्थान में औद्योगिक एककों की स्थापना के वास्ते जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	राजस्थान में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1989	12
1990	6
1991 (अक्तूबर तक)	6

(ख) और (ग) बिजली की शुल्क दर राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा निर्धारित की जाती है जो राज्य सरकारों के अधीन स्वायतशासी निकाय हैं। अन्य प्रोत्साहन भी उद्योगों को राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

रेअर अर्थ सेन्ड्स पर आधारित उद्योग

*398. श्री एन० डेनिस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का विचार तमिलनाडु में "रेअर अर्थ सेन्ड्स" पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) इन्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से तमिलनाडु के चिदम्बरम जिले के एक गांव में कुदिराय मोझी नामक स्थान पर खनन और खनिज पृथक्करण परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि उस क्षेत्र की पुलिन बालू में पाये जाने वाले भारी खनिजों को निकाला जा सके।

इस कार्य पर लगने वाला समय आवश्यकता पर, तथा देश में टाइटेनियम-आक्साइड का उत्पादन करने वाली अन्य फैक्टरियों में आगे और संसाधन के लिए आवश्यक मात्रा पर निर्भर करेगा।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

[हिन्दी]

कैंसर की दवा

*399. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री रामशरण यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार कैंसर की किन-किन दवाओं का आयात कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन दवाओं पर सीमा शुल्क की छूट होने के बावजूद इन्हें अधिक दामों पर बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने कैन्सर-रोधी किसी औषधि का आयात नहीं किया है। फिर भी डी०जी०एस० एण्ड डी० ने आयातित कैंसर-रोधी औषध अर्थात् ब्लियोसिन के लिए सितम्बर, 1990 में एक भारतीय कम्पनी के साथ अनुबन्ध किया था।

(ख) और (ग) लगातार सभी कैन्सर-रोधी औषधें मूल्य नियन्त्रण से बाहर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कैन्सर-रोधी औषधें महंगी हैं, लेकिन इन औषधों को अनुचित रूप से अधिक मूल्यों पर बेचे जाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

[अनुवाद]

हुडको-79 योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन

*400. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हुडको-79 के अन्तर्गत श्रेणीवार फ्लैटों के आवंटन की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) शेष आवेदकों को फ्लैट कब तक आवंटित किए जाएंगे ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार न्यू पैटर्न स्कीम 1979 के अन्तर्गत अब तक किए गए श्रेणीवार आबंटनों का विवरण इस प्रकार है :—

क्र० सं०	श्रेणी	1-12-1991 तक किए गए आबंटन
1.	मध्यम आय वर्ग	20,272
2.	निम्न आय वर्ग	38,174
3.	जनता	47,919
	कुल :	1,06,669 (304 बेदखल किए गए लोगों सहित)

(ख) भूमि और मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता के अध्यधीन इस योजना के अंतर्गत पिछले बकाये के 1994-95 तक निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ठोस योजनाएं तैयार की हैं।

'सिने वर्कर्स वेल्फेयर फण्ड"

*401. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा कामगारों के लिए कोई कल्याण कोष बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कोष में प्रतिवर्ष कितना अंशदान प्राप्त हो रहा है तथा यह अंशदान किन-किन स्रोतों से प्राप्त होता है; और

(ग) "सिने वर्कर्स वेल्फेयर फण्ड" से फिल्म उद्योग के कामगारों को प्राप्त हो रहे लाभों का ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि का गठन किया गया है।

(ख) इस निधि का वित्तपोषण केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास प्रमाणन के लिए भेजी गयी प्रति फिल्म पर 1000 रु० की दर से उपकर लगाकर किया जाता है। किसी अन्य स्रोत से अंशदान प्राप्त नहीं किया जाता है। गत तीन वर्षों में सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि में जमा उपकर-राशि इस प्रकार है :—

1988-89	—	15.35 लाख रु०
1989-90	—	5.18 लाख रु०
1990-91	—	8.26 लाख रु०

(ग) (i) कक्षा-5 से स्नातकोत्तर और मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में उच्च शिक्षा अध्ययन रत सिनेमा कर्मकारों के बच्चों को प्रतिवर्ष 180 रु० से 2400 रु० की छात्रवृत्ति राशि दी जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	छात्र वृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या	दी गई राशि
1988-89	307	1.42 लाख रु०
1989-90	350	1.63 लाख रु०
1990-91	307	1.47 लाख रु०

(ii) टी० वी० सीरियल "टीपू सुल्तान की तलवार" के सेट पर मैसूर में 8.2.1989 को हुई आगजनी से पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 17 पीड़ित व्यक्तियों को 5000 रु० की दर से 85,000 रु० की राशि का भुगतान किया गया है।

गरीबों के लिए कम लागत वाले मकान

*402. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के उत्तर और दक्षिण कैरोलिना में बसे भारतीयों ने गरीबों के लिए कम लागत वाली गृह निर्माण योजनाओं के लिए 1.20 करोड़ रुपए की राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अन्य आदिवासी भारतीयों से अब तक कुल कितनी धनराशि जुटाई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई ठोस योजनाएं तैयार की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

सेन्ट्रल साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स आरगेनाइजेशन

*403. श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स आरगेनाइजेशन ने देश में ही मेडिकल लीनियर एक्सीलरेटर मशीन का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक स्तर पर इस मशीन का उत्पादन करने हेतु सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम आगे आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सैन्ट्रल साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स आरगेनाइजेशन ने हाल के वर्षों में कौन से महत्वपूर्ण एग्रो-इलैक्ट्रोनिक उपकरण विकसित किए हैं;

(ङ) क्या पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने सेन्ट्रल साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स आरगेनाइजेशन द्वारा विकसित किए गए ड्राइवर रिफलैक्सेज टेस्टिंग सिस्टम का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो कब से ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी० एस० आई० ओ०) ने इलैक्ट्रोनिकी विभाग (डी०आई०) द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत सोसायटी फॉर एप्लाईड माइक्रो इलेक्ट्रोनिक इन्जीनियरिंग रिसर्च, बम्बई तथा पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट (पी० जी० आई०) चण्डीगढ़ के

सहयोग से मेडिकल लीनियर एक्सीलेटर मशीन का विकास किया। इसकी तकनीकी जानकारी को इलेक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा पांच पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के संकाय द्वारा संयुक्त वाणिज्यीकरण के लिए लाइसेन्स प्रदान किया गया। ये निम्नांकित हैं :—

1. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड (बी० एच ई० एल०) हरिद्वार
2. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बी० ई० एल०) गाजियाबाद
3. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ई०सी०आई०एल०) हैदराबाद
4. इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और
5. एन्ड्रयूले एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

(घ) हाल ही के वर्षों में सी०एस०आइ०ओ० द्वारा विकसित एग्रो-इलेक्ट्रोनिक उपकरण इस प्रकार हैं :—

— पोर्टेबल डिजिटल सॉयल सैलिनिटी टैस्टर

— फील्ड पी०एच० मीटर

— इन्सटेन्ट डिजिटल सैलिनिटी टैस्टर

— स्पेसिफिक ऑयन एनालाइजर (माइक्रोप्रोसेसर आधारित)

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मकान

*404. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में "हुडको" एवं अन्य एजेंसियों ने कितने मकान बनाये हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए "अन्तोदय" और "इन्दिरा आवास योजना" के अतिरिक्त कोई अन्य आवास योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण में हुडको सीधे अन्तर्ग्रस्त नहीं है। तथापि, विशेषकर भूमिहीन निर्धनों की आवश्यकताओं पर बल देते हुए ग्रामीण जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए मकानों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए यह सार्वजनिक आवास अभिकरणों तथा अन्य पात्र संस्थानों को ऋण सहायता देता है। हुडको ने विभिन्न राज्यों से 671297 रिहायशी एककों के निर्माणार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण स्वीकृत किए हैं और इन्दिरा आवास योजना की केन्द्रीय योजना जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित

जनजातियों के लिए मकानों के निर्माणार्थ राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है, पिछले तीन वर्षों में 490482 मकान निर्मित किए गए थे। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों द्वारा 22.55 लाख परिवारों को निर्माण सहायता दी गई थी।

(ख) और (ग) ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन

*405. श्री सुधीर सावन्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी औद्योगिक आन्दोलन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार ने हमेशा औद्योगिक क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया है इस लगातार प्रोत्साहन से औद्योगिक सहकारी समितियां कृषि उत्पाद जैसे—गन्ना, कपास, दूध, फल सब्जियां आदि के प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सरकार परम्परागत दस्तकारी और उद्योग जैसे हैंडलूम, हस्त-शिल्प, खादी और अन्य ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु सहकारी समितियों को बढ़ावा देती है। कृषि प्रसंस्करण में सहकारी समितियों के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने ही 838.09 करोड़ रुपये की धनराशि दी है। वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने हैंडलूम सरकारी समितियों को 324 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है। के० वी० आई० सी० ने भी 25000 से ज्यादा सरकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) इस विभाग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार अनेक कारणों से जिसमें से रोजगार के अवसर पैदा करना भी शामिल है के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। इस ओर कुछ अध्ययन भी किया गया है। हालांकि भाग (ख) में उद्धृत विशेष अध्ययन को कराना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मकानों का गैर कानूनी निर्माण और अनधिकृत निर्माण

4292. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले छह महीनों के दौरान कितने गैर कानूनी और अनधिकृत रूप से निर्मित मकानों को गिराया गया है;

(ख) इन मकानों के निर्मित होने का ब्यौरा क्या है तथा प्रारम्भ में ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या इसमें दोषी अधिकारियों को सजा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) दिल्ली में शेष अनधिकृत मकानों की समस्या से निबटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले छः महीनों के दौरान अनधिकृत रूप से निर्मित क्रमशः 273 और 103 मकानों (संलग्न विवरण के अनुसार) को ढहाया गया था। जहां लापरवाही और चश्मापोशी का मामला ध्यान में आया है, संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध इन अभिकरणों द्वारा आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जाती है। अनधिकृत निर्माण के सभी मामलों से दृढ़ता से निपटने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले छः महीनों और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1-3-90 से 30 9-91 के दौरान गिराए गए अनधिकृत तौर पर निर्मित मकानों के ब्यौरे।

दिल्ली नगर निगम	
सिटी जोन	4
सिविल लाइन्स जोन	7
शाहदरा जोन	8
सदर पहाड़गंज जोन	5
करोलबाग जोन	4
साउथ जोन	18
नजफगढ़ जोन	2
नरेला जोन	26
रोहिणी जोन	29
दिल्ली विकास प्राधिकरण	
सेन्ट्रल जोन	3
वेस्ट जोन	35
रोहिणी जोन	113
नार्थ जोन	12
ईस्ट जोन	88
साउथ वेस्ट जोन	22

"भेल" द्वारा किया गया निर्माण कार्य

4293. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना, लालपनिया जिला बोकारो में 'भेल" द्वारा घटिया किस्म का निर्माण कार्य किए जाने के कारण (1) सीमेंट शेड (2) सी० डब्ल्यू० डक्ट (3) एम० सी० सी० रूम (4) चार दीवारों तथा कारडिनेट 15+6/18 ख+50 फेल हो गई तथा बीमा कम्पनी से मुआवजे के लिए दावा किया गया है;

(ख) टी० बी० एन० एल० के महाप्रबन्धक द्वारा "भेल" से की गई विभिन्न शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में दिए गए जांच आदेशों का ब्यौरा क्या है तथा जांच निष्कर्ष क्या है; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) कार्य की घटिया क्वालिटी के कारण कोई ढांचा फेल नहीं हुआ । तथापि, निम्नलिखित ढांचों के सम्बन्ध में बीमा के दावे किए गए हैं जो नीचे दिए गए कारणों से फेल हो गए :—

सीमेंट स्टोरेज शेड

निर्माणाधीन अस्थाई सीमेंट स्टोरेज शेड की एक कोने की गेबल दीवारें, स्थल पर चक्रवात आने के कारण ढह गई ।

सी० डब्ल्यू० डक्ट

चूंकि सी० डब्ल्यू० डक्ट का निर्माण भरे क्षेत्र में हुआ था अतः भारी वर्षा से भूमि धंसने का केवल एक ही मामला है ।

मोटर कन्ट्रोल सेन्टर (एम० सी० सी०)

असमतल भूमि के कारण इस भवन में कुछ दरारें पैदा हो गई ।

चारदिवारी

पानी के बहाव के कारण चारदिवारी का एक भाग ढह गया ।

चारदीवारी के ढहने के संबंध में टी० बी० एन० एल० के महाप्रबन्धक से एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

बी० एच० ई० एल० और टी० बी० एन० एल० के इन्जीनियरों द्वारा संयुक्त रूप से मामले की जांच की गई थी । यह निष्कर्ष निकला कि निपात पानी के जोर से हुआ न कि कार्य की घटिया क्वालिटी के कारण ।

उपरोक्त को देखते हुए कोई अनुशासनिक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ।

अनधिकृत निर्माण के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम को भेजी गई भूखण्डों की सूची

4294 श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली नगर निगम को ऐसे भू-खण्डों की सूची भेजी है; जिन पर अनधिकृत निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगा लिया गया है और उनके विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निर्माता, क्रेता रिहायशी क्षेत्रों को वाणिज्यिक परिसरों में बदल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे परिसरों को गिराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से चितरंजन पार्क की 28 सम्पत्तियों की एक सूची प्राप्त हुई थी। अनधिकृत निर्माण में अन्तर्ग्रस्त इन संपत्तियों के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम द्वारा पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कुछ भवन निर्माता अनधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन करके रिहायशी भवनों को वाणिज्यिक परिसरों में परिवर्तित कर रहे हैं। तथापि, दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अनधिकृत निर्माण करने के लिए, पता लगते ही भवन निर्माताओं के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

रैन बसेरा

4295. श्री जीवन शर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 सितम्बर, 1991 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार शीर्षक "सी० ए० जी० एक्सेस डी० डी० ए० टू बिल्ड इनफ नाइट शेल्टरस" से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इतने कम रैन बसेरे निर्मित करने और इस हेतु धन को अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च करने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1991 के दौरान निर्मित रैन बसेरों की संख्या कितनी है और इसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने सूचित किया है कि उसने 25 यूनिटों के के आरम्भिक लक्ष्य की तुलना में रैन बसेरों के 20 यूनिटों का निर्माण किया है न कि 15 यूनिटों का जैसा कि लेखा परीक्षा की रिपोर्ट मे उल्लेख किया गया है। भूमि धारक एजेंसियों तथा आस-पास की आबादियों के प्रतिरोध के कारण शेष यूनिटों का निर्माण नहीं किया जा सका। निधियों को अन्य कामों में लगाए जाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान एक रैन बसेरे को पूरा करने तथा रैन बसेरों के दो भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ करने की कारवाई के लक्ष्य के मुकाबले में स्लम विंग ने सूचित किया है कि जामा मस्जिद के निकट एक रैन बसेरे का निर्माण कार्य काफी हद तक प्रगति पर है और पूर्व तथा पश्चिम दिल्ली में चार रैन बसेरों के भवनों के लिए जमीन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित रेशमी कपड़े

4296. **श्री राम नाईक :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अक्तूबर, 1991 के "टाइम्स आफ इण्डिया", बम्बई में "के०वी० आई०सी० प्रोग्राम्स टू बी मार्किट ओरिएन्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें वित्तीय रूप से अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए निगमित क्षेत्र से सहायता मांगी गई है;

(ग) ऐसे छह स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर रेशम उत्पादन फार्मों की स्थापना हेतु भारी धनराशि व्यय की गई है और उनमें से प्रत्येक फार्म पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) इन फार्मों द्वारा प्रारम्भ करने से पहले खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार की गई रेशमी परिधानों के उत्पादन और विपणन की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान इन फार्मों द्वारा दिए गए लाभों और उठाये गए घाटों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन घाटों के क्या कारण हैं तथा उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी किसी विशिष्ट परियोजना के लिए के. वी. आई. सी. द्वारा निगमित क्षेत्र से कोई सहायता नहीं मांगी गई है। फिर भी, के. वी. आई. सी. ने विभिन्न औद्योगिक घरानों से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अभिकल्पना तथा तकनीकी सहायता, विपणन संबंधी तकनीकों में सुधार करने और आधारभूत सुविधाओं को आधुनिक बनाने में उनसे सम्पर्क किया है। इसने ग्रामोद्योग उत्पादों को खरीदने और उत्पादन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए भी इन घरानों से सम्पर्क किया है।

(ग) के. वी. आई. सी. ने अब तक रेशम उत्पादक फर्मों की स्थापना में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। वास्तव में रेशम कार्यक्रम के अधीन रेशम कीट पालन संबंधी कार्यकलाप का विकास राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(घ) वर्ष 1990 91, 1991-92 (अनुमानित) के दौरान के. वी. आई. सी. के अन्तर्गत रेशमी खादी (परिधानों सहित) की बिक्री तथा उत्पादन और वर्ष 1992-93 हेतु लक्ष्य इस प्रकार है :—

	उत्पादन (रु० करोड़ में)	बिक्री (रु० करोड़ में)
1990-91 (वास्तविक)	51.62	36.46
1991-92 (अनुमानित)	55.00	45.00
1992-93 (लक्ष्य)	60.00	50.00

रेशमी और खादी परिधानों का अंश अत्यन्त नगण्य रहा है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त "घ" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद महानगर वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड

4297. श्री के० प्रधानी राव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद महानगर वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड को पानी की सप्लाई और जल निकास प्रणाली के लिए कोई विदेशी सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह सहायता किन शर्तों पर दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) हैदराबाद मेट्रो जल-आपूर्ति एवं मल-निर्यास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैदराबाद जल आपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता प्रदान कर रहा है। 140.06 मिलियन अमेरिकी डालर (257.06 करोड़ रु०) की कुल परियोजना लागत में से सहायता की कुल मात्रा 89.9 अमेरिकी डालर है भारत सरकार के विकास की सहायता के मानक प्रबन्धों के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। परियोजना घटकों में हैदराबाद और सिकन्दराबाद के युगम शहरों को 300 एम. एल. डी. की अतिरिक्त जल-आपूर्ति विद्यमान जल-आपूर्ति और मल-निर्यास वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, कम लागत की स्वच्छता, पुनर्वास, पुनर्वास कार्यक्रम और संस्थानिक सुदृढ़ीकरण शामिल है।

गोविन्दपुरी के झुग्गी निवासियों का पुनर्वास

4298. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गोविन्दपुरी के झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के संबंध में दिनांक 17-23 नवम्बर, 1991 के "संडे आबजर्वर" नई दिल्ली में "बार्कस मूव इन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस आग के लगने से गोविन्दपुरी, नई दिल्ली में सैकड़ों झुग्गियों के राख हो जाने का अनुचित लाभ स्थानीय संपदा एजेंन्टों द्वारा झुग्गी निवासियों की भूमि खरीदकर उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऊंचे दामों पर भूमि बेचकर धन बटोरने वाले सम्पदा एजेन्टों को रोकने और इन झुग्गी निवासियों का पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में है। यह सूचित किया गया है कि पात्र झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के पश्चात् भूमि पुन: ग्रहण की जाएगी। चूंकि, इस भूमि पर झुग्गी निवासियों का कोई स्वामित्व अथवा अधिकार नहीं है, अत: भूमि के लेन-देन का कोई प्रश्न नहीं उठता। अतिक्रमण को हटाने के लिए भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार झुग्गी निवासियों को पुन: बसाया जाता है ताकि मास्टर प्लान के अनुसार परियोजनाओं की व्यवस्था के लिए परिणामिक भूमि का उपयोग किया जा सके।

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रति व्यक्ति योजना निवेश

4299. डा० जयन्त रंगपी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम के स्वायत्तशासी पर्वतीय जिलों में प्रति व्यक्ति कितना योजना निवेश किया गया ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजना 1991-92 प्रति व्यक्ति राज्य योजना परिव्यय उत्तर पूर्वी राज्य

राज्यों के नाम	प्रति व्यक्ति परिव्यय (रुपए में)
(1) सिक्किम	3038
(2) मेघालय	1572
(3) नागालैंड	2194
(4) अरुणाचल प्रदेश	3718
(5) असम के स्वायत्त पहाड़ी जिले	1540*

नोट :—1. प्रति व्यक्ति आंकड़े 1981 की जनगणना पर आधारित हैं।

2. * पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है।

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा 1991 में बैठे उम्मीदवारों की संख्या

4300. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1991 में विषयवार कितने उम्मीदवार बैठे हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक विषय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा अन्य विषयों की तुलना में ऊंचे अंकों पर चयन करने के कारण उम्मीदवारों को हुई क्षति की भरपाई करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सूचना एक विवरण में अनुबंध कर दी गई है ।

(ग) किसी एक विषय में कोई अलग से अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं । उम्मीदवारों को प्रारम्भिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा, 1991 में बैठने वाले तथा सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की विषय-वार सूची

क्र० सं०	विषय	उम्मीदवारों की संख्या	
		परीक्षा देने वाले	सफल
1	2	3	4
1.	कृषि	2165	246
2.	वनस्पति विज्ञान	3201	304
3.	रसायन विज्ञान	2596	242
4.	सिविल इंजीनियरिंग	3566	439
5.	वाणिज्य	5969	448
6.	अर्थशास्त्र	5256	555
7.	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	2236	256
8.	भूगोल	3770	526
9.	भूविज्ञान	976	115
10.	भारतीय इतिहास	32164	3779

1	2	3	4
11.	विधि	3558	303
12.	गणित	2597	186
13.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	2383	272
14.	दर्शन शास्त्र	677	56
15.	राजनीतिक विज्ञान	8729	935
16.	भौतिक विज्ञान	4183	609
17.	मनोविज्ञान	1388	167
18.	समाज शास्त्र	5981	744
19.	प्राणि विज्ञान	3669	379
20.	सांख्यिकी	573	49
21.	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा	375	34
22.	लोक प्रशासन	4780	611

आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट कारखाने

4301. **श्री धर्मभिक्षम :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत सीमेंट कारखानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कारखानों की स्थापना हेतु सीमेंट के नए कितने आवेदन केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) आन्ध्र प्रदेश में कार्य कर रहे बड़े सीमेंट कारखानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, 16 लघु सीमेंट संयंत्र, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 9.50 लाख मी. टन है, भी उत्पादन की सूचना दे रहे हैं ।

(ख) सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है । इसलिए नए सीमेंट कारखाने शुरू करने के लिए इस समय केन्द्र सरकार से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

विवरण

(बड़े सीमेंट संयंत्र)

क्र० सं०	सीमेंट कारखाने का नाम	जिला	वार्षिक क्षमता (मी० टन लाख में)
1	2 3	4	5
1.	ए. सी. सी. लि०, मंचेरियल	अदीलाबाद	3.35
	सी सी. आई. लि०		
2.	अदीलाबाद	अदीलाबाद	4.00

1	2	3	4
3.	तंदूर	रंगरेड्डी	10.00
4.	येरागुंतला	कुड्डापाह	4.00
	आंध्र सीमेंट कम्पनी लि०		
5.	दुर्गा सीमेंट वर्क्स	गुंटूर	5.00
6.	श्री कनक दुर्गा सीमेंट वर्क्स	विजयवाड़ा	2.40
7.	श्री विशाखा सीमेंट वर्क्स	विशाखापतनम	5.00
8.	इंडिया सीमेंट्स लि०, चिलमकुर	कुड्डापाह	10.00
9.	मद्रास सीमेंट्स लि०, जयन्तीपुरम	कृष्णा	7.50
10.	एच. एम. पी. सीमेंट्स लि०, किस्तना	कृष्णा	2.50
11.	केशोराम सीमेंट बसंतनगर	करीमनगर	9.00
12.	के. सी. पी. लि० (रामाकृष्णा सीमेंट्स, मचेरला)	गुंटूर	4.00
13.	पानयम सीमेंट्स एण्ड मिन. इन्ड लि०,	कुरनूल	5.31
14.	प्रियदर्शिनी सीमेंट लि०, रामापुरम	नालगोंडा	6.00
15.	ओरिएंट सीमेंट, देवपुर	अदीलाबाद	9.00
16.	रासी सीमेंट लि०, विष्णुपुरम	नालगोंडा	11.00
17.	श्री विष्णु सीमेंट लि०, सीतापुरम	नालगोंडा	5.00
18.	टैक्समैको लि०, येरागुंटला	कुड्डापाह	5.00
		कुल :	107.70

आशय पत्र का जारी करना

4302. श्री के० प्रधानी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पारादीप में इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड के पक्ष में आशय-पत्र जारी करने के प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है; और

(ग) यदि हां, तो जहां तक आशय-पत्र जारी करने का प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में इस परियोजना के बारे में अब तक क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्यापार लाइसेंस जारी किया जाना

4303. श्री ललित उरांव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्योग लगाने के लिए अरुणाचल प्रदेश चकमा लोगों को जारी किए गए लाइसेंस की संख्या राज्य के अन्य लोगों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या की तुलना में बहुत ही कम है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के चकमा लोगों को कितने व्यापार लाइसेंस जारी किए गए ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) देश में कहीं भी लघु उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

4304. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन सदस्यीय समिति जिसने 1988 के दौरान हैजा महामारी के कारणों की जांच की थी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या अनेक दोषी अधिकारियों को उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही के बावजूद पदोन्नति दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

व्यापारिक गतिविधियों के लिए स्थानीय स्तर पर मंजूरी

4305. श्री के० वी० तंगकाबालू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई औद्योगिक नीति के अनुसार व्यापारिक गतिविधियों के लिए स्थानीय स्तर पर मंजूरी दिए जाने की अनुमति दे रखी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए मार्गनिदेशों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के अधीन मुख्यतः निर्यात कार्यकलापों में संलग्न व्यापारिक कम्पनियों में 51% तक विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जाएगी। जबकि जोर निर्यात कार्यकलापों पर होगा किन्तु ऐसे व्यापारिक घराने आयात-निर्यात नीति के अनुसार घरेलू व्यापारिक और निर्यात घरानों के समकक्ष होगें।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया में घाटा

4306. **श्री पीयूष तीरकी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कॉरपोरेशन आफ इण्डिया पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में हुए नुकसान का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) यह घाटा होने के क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों मे हुए लाभ का ब्योरा क्या है; और

(ङ) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा प्रस्तावित नई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई हानियों के वर्ष-वार ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निवल लाभ/ (हानि)	नकद लाभ/ (हानि)
1988-89	(46.63)	(22.22)
1989-90	(62.88)	(33.74)
1990-91	(29.33)	12.14

(ग) और (घ) हानियां मुख्य रूप से, अपर्याप्त आधार संरचनात्मक सुविधाओं की लागत में पर्याप्त वृद्धि, न्यून क्षमता उपयोग आदि के कारण हुई।

(ङ) कम्पनी ने संशोधित आठवीं योजना प्रस्तावों में निम्नलिखित नई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है :—

(1) बोकाजन विस्तार परियोजना।

(2) राजबन विस्तार परियोजना।

(3) मांढर विस्तार-सम्परिवर्तन सहित।

(4) नई 1 मिलियन टन परियोजना।

उत्पाद प्रधान उद्योग

4307. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बदलते हुए औद्योगिक माहौल के पश्चात निजी क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्रों दोनों के लिए आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले कुछ उत्पाद-प्रधान उद्योगों का पता लगा लिया है;

(ख) क्या सरकार ने कतिपय औद्योगिक क्षेत्रों की गतिविधियों और विकास के कार्यक्रमों में विदेशी सहयोग का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है;

(ग) क्या क्षेत्रीय असन्तुलन को हटाने हेतु उन स्थानों का पता लगाने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) 24-7-91 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के लिए आठ विशिष्ट उद्योग आरक्षित किए गए हैं। 18 उद्योगों की एक छोटी सी सूची को छोड़कर शेष सभी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए औद्योगिक परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेन्स लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। चूंकि लाइसेन्स लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, अतः अब यह उद्यमी पर निर्भर करता है कि वह अपने एककों के स्थापना स्थल का निर्णय तकनीकी-आर्थिक बातों के आधार पर करे। वक्तव्य के अनुबन्ध III में ऐसे प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची दी गई है जो इक्विटी के 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन पाने के पात्र हैं।

लीज होल्ड अधिकार को फ्री होल्ड में परिवर्तित करना

5308. प्रो० के० वी० थामस :

श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि तथा विकास कार्यालय कब तक दिल्ली में लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड भूमि में बदलने के बारे में विस्तृत अनुदेश जारी कर देगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : 500 वर्ग मीटर आकार तक के प्लाटों, दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर सामूहिक आवास समिति के द्वारा निर्मित फ्लैटों को लीज होल्ड अधिकार से फ्री होल्ड अधिकार में बदलने के आदेशों के अनुसरण में, अधिकार क्षेत्र लाभार्जन तथा इन आदेशों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत रूपात्मकताओं सहित कतिपय मामले उत्पन्न हुए हैं। मामला सरकार के विचाराधीन है।

असम में गैस क्रैकर उद्योग

4309. श्री उद्धव बर्मन :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य सरकार ने असम में एक गैस क्रैकर उद्योग स्थापित करने के लिए योजना आयोग को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भेजा गया है;

(ग) क्या प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है; और

(घ) इस उद्योग के सह-प्रवर्तकों के नाम क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) एक गैस क्रैकर काम्प्लैक्स के लिए असम राज्य औद्योगिक विकास निगम को पहले ही आशय पत्र स्वीकृत किया जा चुका है।

(घ) असम की राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सहप्रवंतकों का अभी तक पता नहीं लग सका है।

रुग्ण औद्योगिक एकक

4110 **श्री हाराधन राय :**

श्री उद्धव बर्मन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने रुग्ण औद्योगिक एकक हैं;

(ख) उनमें से कितने एकक बन्द कर दिए गए हैं;

(ग) इन रुग्ण एककों में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(घ) रुग्ण एककों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ङ) नियुक्त श्रमिकों की संख्या के अनुसार लघु, मध्यम अथवा बड़ी मे से आकार-वार रुग्ण एककों की श्रेणी क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक एकत्र करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों (सितम्बर, 1989 के अन्त में) के अनुसार, देश में लघु क्षेत्र में 1,86,441 औद्योगिक एकक तथा गैर-लघु क्षेत्र में 1,419 औद्योगिक एकक रुग्ण थे। लघु क्षेत्र तथा गैर लघु क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

रुग्ण एककों में कामगारों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर-लघु रुग्ण एककों की संख्या	लघु औद्योगिक रुग्ण एककों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	8	5506
2.	मेघालय	1	56
3.	बिहार	42	5250

1	2	3	4
4.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	21
5.	अरुणाचल प्रदेश	—	26
6.	पश्चिमी बंगाल	182	25,649
7.	नागालैण्ड	—	33
8.	मणिपुर	—	1,220
9.	उड़ीसा	21	4,486
10.	सिक्किम	—	70
11.	त्रिपुरा	—	423
12.	उत्तर प्रदेश	82	24,431
13.	दिल्ली	27	4,260
14.	पंजाब	29	4,467
15.	हरियाणा	46	2,179
16.	चंडीगढ़	22	276
17.	जम्मू और कश्मीर	1	1,805
18.	हिमाचल प्रदेश	12	952
19.	राजस्थान	44	11,925
20.	गुजरात	154	6,302
21.	महाराष्ट्र	321	14,497
22.	गोवा	15	853
23.	दमन और दीव	1	5
24.	दादर और नगर हवेली	1	8
25.	मध्य प्रदेश	47	14,675
26.	आंध्र प्रदेश	121	21,461
27.	कर्नाटक	77	8,518
28.	तमिलनाडु	130	10,105
29.	केरल	31	17,021
30.	पांडिचेरी	3	121
		1419	1,86,441

उद्योगों की स्थापना पर व्यय

4311. श्री वी० देवराजन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान मध्यम एवं बृहद उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में लघु ग्राम उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) योजना आयोग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ब्लाक ऋणों के रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा उनकी वार्षिक योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए अनुदान देता है जिसमें उद्योगों हेतु आवंटन भी शामिल है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1991-92 में उद्योग क्षेत्र के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण-I

उद्योग (ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के अतिरिक्त)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वार्षिक योजना 1991-92 स्वीकृत परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1843.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	220.00
3.	असम	4295.00
4.	बिहार	66415.00
5.	गोवा	500.00
6.	गुजरात	2716.00
7.	हरियाणा	778.00
8.	हिमाचल प्रदेश	450.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1278.00
10.	कर्नाटक	3926.00
11.	केरल	5100.00
12.	मध्य प्रदेश	3630.00
13.	महाराष्ट्र	5089.00
14.	मणिपुर	374.00

1	2	3
15.	मेघालय	407.00
16.	मिजोरम	85.00
17.	नागालैण्ड	400.00
18.	उड़ीसा	2872.00
19.	पंजाब	2976.00
20.	राजस्थान	3150.00
21.	सिक्किम	225.00
22.	तमिलनाडु	5832.00
23.	त्रिपुरा	743.00
24.	उत्तर प्रदेश	6450.00
25.	पश्चिम बंगाल	16260.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00
27.	चंडीगढ़	4.00
28.	दादरा और नगर हवेली	100.00
29.	दमन और द्वीव	126.00
30.	दिल्ली	110.00
31.	लक्षद्वीप	0.00
32.	पांडिचेरी	595.00

विवरण-II

ग्रामीण तथा लघु उद्योग

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परिव्यय 1991-92
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2011.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	265.00
3.	असम	2040.00
4.	बिहार	3000.00
5.	गोवा	400.00
6.	गुजरात	8021.00

1	2	3
7.	हरियाणा	1191.00
8.	हिमाचल प्रदेश	709.00
9.	जम्मू और कश्मीर	2073.00
10.	कर्नाटक	5671.00
11.	केरल	3315.00
12.	मध्य प्रदेश	5322.00
13.	महाराष्ट्र	3850.00
14.	मणिपुर	512.00
15.	मेघालय	236.00
16.	मिजोरम	740.00
17.	नागालैंड	3058.00
18.	उड़ीसा	1853.00
19.	पंजाब	3424.00
20.	राजस्थान	2460.00
21.	सिक्किम	175.00
22.	तमिलनाडु	4714.00
23.	त्रिपुरा	700.00
24.	उत्तर प्रदेश	4436.09
25.	पश्चिमी बंगाल	3255.00
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	138.00
27.	चंडीगढ़	67.00
28.	दादरा और नागर हवेली	41.00
29.	दमन और द्वीव	9.00
30.	दिल्ली	890.00
31.	लक्षद्वीप	48.00
32.	पांडिचेरी	458.00

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

4312. **श्री परस राम भारद्वाज :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थित भारत सरकार के उपक्रमों में मार्च, 1991 तक कितना निवेश किया गया;

(ख) इन उपक्रमों में वार्षिक उत्पादन, लाभ/हानि, तथा वहां कार्यरत कर्मचारियों संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्रीय सरकार का विचार नये निवेश करने का है अथवा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के क्या नाम है तथा इनके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) :(क) और (ख) 31.3.1990 तक केवल जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल 12,580.48 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश किया गया था। इन उद्यमों की लाभकारिता, उत्पादन आदि का ब्यौरा इस प्रकार है,

		वर्ष 1989-90
(1) लाभ (+)/हानि (-) (लाख रुपयों में)	(—)	5566
(2) उत्पादन मूल्य (सेवाप्रदायी उद्यमों के मामले में कुल बिक्री का मूल्य) (लाख रुपये में)		200023
(3) कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)		1.45

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मुख्य स्वचालित एक्सचेंज का निर्माण

4313. **श्री अर्जुन चरण सेठी** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने मुख्य स्वचालित एक्सचेंज के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से औद्योगिक अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) मुख्य स्वचालित एक्सचेंज के विनिर्माण हेतु उड़ीसा राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम से अक्तूबर, 1989 में एक आवेदन प्राप्त हुआ था। तथापि, उचित विचार के बाद दिसम्बर, 1989 में यह आवेदन रद्द कर दिया गया था। 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, इस मद के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है।

खाद्यान्नों के कोटे की पुनरीक्षा

4315. **प्रो० राम कापसे** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री से खाद्यान्नों के वर्तमान कोटे तथा इसके वितरण की पुनरीक्षा करने का सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्वतीय, पिछड़े तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में खाद्यान्नों के उचित वितरण हेतु क्या विशेष कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्यान्न का आबंटन केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक, विभिन्न राज्यों की पारस्परिक मांगों, मौसमजन्य कारणों आदि जैसी बातों पर विचार करते हुए मासिक आधार पर किए जाते है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्यान्नों (चावल तथा गेहूं) का आबंटन समग्र रूप मे करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुव्यस्थित करने के प्रश्न पर प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री समिति की हुई 13वीं बैठक में तथा अक्तूबर, 91 में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। इस संबंध में क्षेत्र विशेष संबंधी दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया गया था, ताकि विभिन्न विकास कार्यक्रमों, अर्थात मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कुछ निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों तथा समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के तहत आने वाले इलाकों मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच में सुधार लाया जा सके। इन क्षेत्रों को राज्य सरकारों के परामर्श से चुना गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुएं कारगर रूप में पहुंचे तथा उपलब्ध हों।

सार्वजनिक परिसरों में अग्नि सुरक्षा उपायों का उपयोग

4316. श्री एच० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक परिसरों में विभिन्न अग्नि सुरक्षा उपायों के उपयोग पर केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की से रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने विदेशों तथा भारत में बने दरवाजों तथा खिड़कियों पर भी अग्नि सुरक्षा के विभिन्न उपयोग किए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को विभिन्न अग्नि सुरक्षा दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए नहीं कहा गया है क्योंकि भारतीय उत्पाद त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं;

(घ) क्या पश्चिमी देशों के निर्माताओं से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि, लोक परिसरों में विभिन्न अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में केन्द्रीग भवन अनुसंधान संस्थान में व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने अपने सामान्य क्रियाकलापों के भाग के रूप में स्वयं भारतीय तथा विदेशी मूल के दरवाजों पर अग्नि प्रतिरोध जांचों पर अनुसंधान तथा विकास कार्य किए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के उत्पादों का निर्यात

4317. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० अनेक देशों को अपने उत्पाद का निर्यात कर रही है :

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसका निर्यात-निष्पादन क्या रहा है;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० का वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान कुछ अन्य देशों में अपना निर्यात बढ़ाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दो वर्षों के दौरान उत्पादों को निर्यात करने से लगभग कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान (वास्तविक और माने गए) निर्यात के कारण बी०एच०ई० एल० का कारोबार नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

	1988-89	1989-90	1990-91
कारोबार	276	381	490

(ग) जी, हां।

(घ) बी०एच०ई०एल० की वर्ष 1991-92 और 1992 93 के दौरान, साइप्रस, माल्टा, मलेशिया और मध्य पूर्वी देशों को अपने उत्पादों के निर्यात की योजना है।

(ङ) बी० एच० ई० एल० को वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान (वास्तविक और माने गए) निर्यात से क्रमश: 600 करोड़ रुपए और 700 करोड़ रुपए अर्जित करने की सम्भावना है।

रोजगार कार्यालय, दरियागंज, दिल्ली में पंजीकृत टेलीफोन आपरेटर्स

4318. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालय, दरियागंज, दिल्ली में पंजीकृत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से प्रशिक्षण प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पी० बी० एक्स० आपरेटरों की गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, क्या संख्या रही;

(ख) इस पेशे में उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला;

(ग) क्या इन श्रेणियों के अनेक उम्मीदवारों के नाम अभी तक कहीं नहीं भेजे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 1988-90 के दौरान, रोजगार कार्यालय, दरियागंज, दिल्ली में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एम. टी एन. एल,, पी. बी. एक्स. आपरेटरों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1988	...	61
1989		101
1990		116

(ख) 1988-90 की अवधि के दौरान 97 अधिसूचित रिक्तियों के प्रति उक्त वर्ग के 368 उम्मीदवारों को प्रायोजित किया गया था, परन्तु केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में सूचना दी गई है।

(ग) और (घ) इस अवधि के दौरान केवल 18 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों, जो वरीयता मानदण्ड में शामिल नहीं किए गए हैं, को प्रायोजित नहीं किया जा सका। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उम्मीदवारों की उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर उनकी वरीयता और उपयुक्तता के अनुसार प्रायोजित किया जाता है।

इंजीनियरी उद्योग का निजीकरण

4319. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरी उद्योग में, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में सत्तर प्रतिशत से भी अधिक निर्माण लागत सामग्री की लागत में चली जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन्जीनियरी उद्योगों का निजीकरण करने से पहले महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कोल इण्डिया, राज्य विद्युत बोर्डों इत्यादि का निजीकरण करने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार की सरकारी क्षेत्र के उद्यम का निजीकरण करने की फिलहाल कोई नीति नहीं है।

स्पेन की सहायता से केरल में जल सप्लाई योजना

4320. **श्री टी० जे० अंजलोज :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेन की सरकार की सहायता से केरल के चेरुस्थलता तालुक में जल सप्लाई योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4321. **श्री कुन्जीलाल :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान में फल तथा सब्जी पर आधारित उद्योगों को सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दी गई सहायता का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास राजस्थान के सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर तथा अलवर जिलों में फल और सब्जी पर आधारित उद्योग के कुछ प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लंबित पड़े हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास अनेक योजना स्कीमें है जिनके अंतर्गत राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश निगम लिमिटेड से राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर की दशा पर अध्ययन करने के लिए सहायता देने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निगम को अपना प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजने की सलाह दी गई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर और अलवर जिलों में फल एवं सब्जियों पर आधारित उद्योगों के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा संबंधी मानदण्ड

4322. **श्री वी० कृष्ण राव :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि भारत में अपने औद्योगिक

कार्यकलाप शुरू करने के लिए अनुमति प्राप्त विदेशी कम्पनियां तत्संबंधी देशों में निर्धारित पर्यावरण सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय एवं विदेशी सभी कम्पनियों से भारतीय कानून के अनुसार पर्यावरण संबंधी सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

स्व-रोजगार उत्पादन एकक को दिया गया ऋण

4323. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या प्रधान मन्त्री 7 सितम्बर, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विभाग ने मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में क्रमश: 13-14 फरवरी तथा 15-16 फरवरी को उद्यमिता शिविर आयोजित किए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को उक्त कैम्प आयोजित करने के पहले तथा बाद में स्व-रोजगार उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए ऋण तथा अनुदान दिया गया है; और

(ग) 10 हजार से अधिक आबादी वाले मधुबनी और दरभंगा नगरों में कितने स्वरोजगार उद्योगपतियों को ऋण और अनुदान स्वीकृत किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना सहज उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र किया जा रहा है।

दिल्ली नगर निगम के विकलांग कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

4324. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम में कितने विकलांग कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने कर्मचारियों की ओर से उन्हें सरकारी आवास के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) विकलांग कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन्हें सरकारी आवास कब तक आवंटित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण के सम्बन्ध में औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई. टी. आर. सी.) तथा केन्द्रीय खाद्य तथा विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी. आर.आई.) द्वारा अध्ययन

4325. डा० (श्रीमती) पद्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई. टी. आर. सी.) तथा केन्द्रीय खाद्य तथा विष-विज्ञान अनुसंधान संस्थान (सी. एफ. टी. आर. आई.) द्वारा खाद्य अपमिश्रण के संबंध में कोई क्षेत्रीय अध्ययन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन अध्ययनों के संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई. सी. ए. आर.) तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई सी. एम. आर.) भी अलग-अलग एक जैसी परियोजनाओं पर कार्य कर रही हैं;

(घ) क्या इन क्षेत्रों में अन्तर-संस्थागत समन्वय करने का कभी कोई प्रयास किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विभिन्न संस्थाओं की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए सीमित सुविधाओं के संरक्षण तथा व्यापक भागीदारी तथा अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आइ. टी. आर. सी.) द्वारा घोषित पर्यावरणीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संबंध में ऐसा समन्वय करने का विचार और है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी हां। औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई. टी. आर. सी) ने पिछले दो दशकों में खाद्य रंग उपयोग पर दो सर्वेक्षण किए हैं। दस वर्षीय अवधि वाले प्रथम सर्वेक्षण से रंगीन खाद्य पदार्थों के 70% में गैर-अनुज्ञात रंग का अंधाधुन्ध प्रयोग पाया गया। द्वितीय सर्वेक्षण से पता चला कि उनका उपयोग लगभग 50 प्रतिशत कम हो गया। गैर-अनुज्ञात रंगों का अधिकतर उपयोग ग्रामीण बाजारों मे पाया गया है। इन जांच परिणामों को खाद्य अपमिश्रण निरोधक समिति (प्रीवेन्स ऑफ फूड एडल्टरेशन कमेटी) के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया गया है।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (सी. एफ टी. आर. आइ) भी अपीलीय खाद्य नमूनों का विश्लेषण करता है जिसके परिणामो को आवश्यक कारंवाई के लिए डी.जी. एच. एस. को भेजा जाता है।

(ग) जी नहीं। आइ. सी. ए. आर.-आइ. सी. एम. आर. पैनल क्रिया-कलापों के क्षेत्रों से संबंधित चर्चा करने के लिए समय-समय पर बैठकें करके सहयोग से कार्य कर रहे हैं। आइ. सी. ए. आर. के वैज्ञानिक कृषि पहलुओं को देखते हैं जबकि आइ.सी. एम. आर. के वैज्ञानिकों द्वारा स्वास्थ्य पहलुओं की जांच की जाती है।

(घ) जी हां। आइ. सी. एम. आर.-आइ. सी. ए. आर. पैनल के अतिरिक्त "मॉनिटरिंग एण्ड सर्वेलेन्स ऑफ फूड इन इण्डिया" विषय पर आइ. सी. एम. आर. टास्क फोर्स में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, भागलपुर विश्वविद्यालय, आई. टी. आर. सी., लखनऊ, सी. एफ. टी. आर. आइ., मैसूर, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एन. आइ. एन.) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ आक्यूपेशनल हैल्थ (एन. आई. ओ एच) तथा कलकत्ता और पुणे की केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

(ङ) और (च) आइ. टी. आर. सी. ने दिल्ली के संबंध में ईको-हैल्थ सर्वे (पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण) शुरू किया, जिसकी घोषणा 26.11.91 को की गई। आइ. टी. आर. सी. द्वारा घोषित ईको-हैल्थ सर्वे प्रयोगशाला स्तरीय कार्यक्रम था। वर्तमान में, आइ. टी. आर. सी. के पास ईको-हैल्थ सर्वे के लिए सहयोगात्मक व्यवस्था (सैटअप) सृजित करने की कोई योजना नहीं है।

होटलों और पर्यटन में विदेशी निवेश

4326. श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटलों और पर्यटन से संबंधित उद्योग 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी तक सीधे विदेशी निवेश की मंजूरी पाने के पात्र होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) होटल तथा पर्यटन से सम्बन्धित उद्योग की सूची, 24 जुलाई, 1991 को सदन के दोनों पटलों पर रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुबन्ध-3 में दी गई है। इस प्रकार, यह 51% इक्विटी तक सीधे विदेशी निवेश की मंजूरी पाने का पात्र है बशर्ते विदेशी इक्विटी में पूंजीगत माल के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की अपेक्षाएं शामिल हो। इस स्वीकृति में यह शर्त भी होगी कि लाभांश के भुगतान के कारण बाहर जाने वाली मुद्रा का संतुलन समय अवधि में विदेशी मुद्रा आय द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

4327. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितनी चीनी मिलें हैं और उनमें से कितनी इस समय कार्य कर रही हैं;

(ख) राज्य में इस समय कितनी रुग्ण चीनी मिल हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने वार्षिक राजस्व की हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार इन मिलों की स्थिति सुधारने हेतु कदम उठाने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा और कब तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कितनी चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) 30.9.91 तक उत्तर प्रदेश राज्य में 105 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां थीं। नवीनतम सूचना के अनुसार चालू पेराई मौसम 1991-92 के दौरान इनमें से 100 चीनी फैक्ट्रियों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ख) इन्डस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (बी. आई. एफ. आर) को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 19.5 के उपबंधों के तहत उत्तर प्रदेश राज्य से अब तक लक्ष्मी जी चीनी मिल के बारे में केवल एक मामला प्राप्त हुआ है। बी. आई. एफ. आर. के अनुसार मिल को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। उपरोक्त अधिनियम औद्योगिक कम्पनियों पर लागू होता है।

सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण फैक्ट्रियों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) क्योंकि मिल द्वारा पेराई का कार्य जारी है, इसलिए राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) इन्डस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है।

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में संस्थापित की जाने वाली चीनी मिलों की संख्या विभिन्न कारकों जैसे जारी किए गए व जारी किए जाने वाले आशय पत्रों/लाइसेंसों, वित्त की उपलब्धता तथा मशीनरी आदि पर निर्भर करती है।

कर्मचारियों की छंटनी

4328. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और सरकारी उपक्रमों में कम्प्यूटरों के अधिक उपयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निजीकरण पर बल देने के कारण कितने कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है;

(ख) क्या सरकार फालतू कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों, संस्थानों और रुग्ण उद्योगों से फालतू कर्मचारियों की छंटनी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न संस्थानों से कितने कर्मचारियों की छंटनी होने की सम्भावना है और उन संस्थानों के नाम क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) सरकार की नीति सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों में कम्प्यूटर लगाने के कारण कर्मचारियों की छंटनी करने की नहीं है। न ही नई औद्योगिक नीति के कारण सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार के नियंत्रण में कमी हो आएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में पुनालुर के लिए "हुडको" योजना

4329. श्री कहोडी कुन्नील सुरेश :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पुनालुर नगरपालिका के लिए "हुडको" की कोई योजनाएं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हुडको द्वारा ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खेतों पर उर्वरक संयंत्रों का प्रभाव

4330. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी उर्वरक परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट मिली है जो "खतरनाक उद्योगों" के अंतर्गत आती हैं और जिनसे सल्फर डायोक्साइड युक्त धुआं और सल्फ्यूरिक एसिड युक्त धुन्ध फैलने से धान के खेतों और वन क्षेत्र पर बुरा असर पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अविवाहित व्यक्तियों के लिए एक कमरे का आवास

4331. **श्री सी० एम० सी० बालयोगी** :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के मुख्य शहरों/कस्बों में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले अविवाहित व्यक्तियों के लिए एक कमरे/होस्टल प्रकार के आवास का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पिंजरापोल स्थित सहकारी समूह आवास समितियां

4332. **श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया** :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिंजरापोल में जिन नौ सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि का आवंटन किया गया था, उन्होंने भवन निर्माण-कार्य शुरू करने से पूर्व कोई विकास कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का विकास किया गया है और प्रत्येक समिति द्वारा इस पर कितनी धन राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या इन समितियों ने अपने फ्लैटों की "ले-आउट" और भवन योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण से स्वीकृत करा लिया था; और

(घ) यदि हां, तो कब इन "ले-आउट" और भवन योजना को स्वीकृति के लिए दिया गया और कब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसकी स्वीकृति दी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भुवालका जनकल्याण न्यास, कलकत्ता से कार्यालय का हटाया जाना

4333. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में भुवालका जनकल्याण न्यास का भवन किराए पर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने साल्ट लेक, कलकत्ता में अपना भवन बनाया है;

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यालय भुवालका जनकल्याण न्यास के भवन में स्थित है;

(घ) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सरकारी भवन में अपना कार्यालय ले जाने के लिए कहा गया है; और

(ङ) भुवालका जनकल्याण न्यास का भवन कब तक खाली कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) उक्त न्यास का भवन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय "नेशनल एटलस एण्ड थेमेटिक मैपिंग आर्गेनाईजेशन" के कब्जे में है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भुवालका जनकल्याण न्यास, कलकत्ता का भवन भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित संगठन द्वारा दो माह के पश्चात खाली किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में पेयजल की कमी

4334 **श्री तेजनारायण सिंह** :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इन्द्रपुरी, लक्ष्मी गार्डन, राजीव गार्डन, जवाहर नगर, लोनी रोड और शाहदरा में पेय जल की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कालोनियों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नई दिल्ली नगर पालिका के क्वाटरों में अनधिकृत कब्जा

4335. श्री भेरू लाल मीणा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के अनेक क्वाटरों में इस समय उसके सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पिछले तीन वर्षों से प्राधिकृत अवधि से अधिक समय तक अनधिकृत कब्जा किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इन क्वाटरों को शीघ्र खाली करवाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका के अनुसार निम्नलिखित मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारी प्राधिकृत अवधि से 3 वर्ष अधिक समय से रह रहे हैं :—

टाइप-I	19
टाइप-II	7
ट इप-III	1
टाइप-IV	1

(ग) बेदखली के लिए ये मामले सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में पहले ही भेजे जा चुके हैं, सम्पदा अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध टाइप I और II, प्रत्येक में दो दखलकार तथा टाइप IV में 1 दखलकार ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में आवेदन किया है। एक मामला हाल ही में सम्पदा अधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका को वापस भेजा गया है और 4 मामलों में स्थगनादेश है।

घाटे में चल रहे रसायन और उर्वरक उत्पादक उपक्रम

4336. श्री रवि मल्लू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन और उर्वरक का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रम और सहकारी उपक्रम भारी घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के नाम क्या है तथा विगत तीन वर्षों में वर्ष-वार इन एककों का घाटा क्या रहा है और क्या अब तक कोई सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं; और

(ग) क्या घाटे को पूरा करने के लिए प्रबंध में परिवर्तन और/अथवा निश्चित उत्पादों के पृथकीकरण का प्रयास किया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) रसायन और उर्वरक बनाने वाले उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम नीचे दिए गए हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटा हुआ (सहकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को घाटा नहीं हुआ)

(रु० करोड़ों में)

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लाभ (+)/हानि (—)		
		1988-89	1 89-90	1990-91
1.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०	(+) 0.36	(—) 1.51	(—) 9.39
2.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया	( ) 168.90	(—) 163.90	(—) 167.89
3.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि०	(—) 156.38	(—) 169.79	(-) 231.45
4.	पारादीप फास्फेट्स लि०	(+) 12.02	(—) 37.29	(-) 47.07

टिप्पणी : उपरोक्त 1 और 4 उपक्रमों ने 1988-89 के दौरान लाभ कमाया।

निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं :—

1. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि०

(1) तेल प्रज्वलित बायलर का प्रावधान और संयंत्र एवं उपस्कर का नवीकरण।

(2) कृषि रसायनों में विविधता।

(3) कच्चे मालों की समय पर व्यवस्था।

(4) विद्युत आपूर्ति में सुधार।

2. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० और पारादीप फास्फेट्स लि०

(1) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के सभी एककों तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के तालचर एकक में कैपटिव पावर संयंत्रों की स्थापना।

(2) आवश्यक निवेशों की व्यवस्था में सहायता।

(3) उपस्करों का प्रतिस्थापन/नवीकरण।

(4) प्रतिबन्धात्मक तथा भविष्य सूचक (रख रखाव) द्वारा सतत निगरानी; और

(5) आपरेटरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण।

(ग) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० बुटाक्लोर और मोनोक्रोटोफोस संयंत्रों की स्थापना करके कृषि रसायनों के उत्पादन में विविधता लायी है। इन उर्वरक एककों के मामले में विविधता को

बहुत कम मुकदमा है। हानियां मुख्यत: तकनीकी कारणों से हुई हैं।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में संशोधन

4337. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रवासी कर्मकारों के दावों संबंधी मामलों को उनके मूल राज्यों के प्रतिकर आयुक्त को अन्तरित करने और अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माने में वृद्धि करने के लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 21 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 21 की उपधारा (2) के संशोधन का प्रस्ताव है। किन्तु अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 में इस अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

ट्रेडमार्क का उपयोग

4338. श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक, सम्पत्ति अधिकारों की रक्षा करने के अपने तरीके को बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपना ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा, भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने और तेजी से औद्योगिक विकास के लिए 24 जुलाई, 1991 को घोषित उदारीकरण की विभिन्न योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ब्रांड नाम/ट्रेड मार्क के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया, चाहे ही वह विदेशी अथवा भारतीय स्वामित्व में हों बशर्ते कि इनसे इस देश के किसी विधान, नियमों अथवा विनियमनों का उल्लंघन न होता हो।

(घ) जब तक मामला विदेशी स्वामित्व के ट्रेड मार्क का ना हो, इसमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विचार न करना हो, अथवा जहां किसी औद्योगिक का विदेशी सहयोग अनुमोदन में सरकार

द्वारा विदेशी स्वामित्व के ट्रेड मार्क के इस्तेमाल पर प्रतिबंध न लगाया हो, ट्रेड मार्क के इस्तेमाल के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। भारत में कई विदेशी स्वामित्व वाले ट्रेड मार्कों का इन श्रेणियों के अन्तर्गत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ऐसा विवरण देना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा

4339. श्री खरे लाल जाटव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितनी मात्रा में मुख्य वस्तुएं आवंटित की गई;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान जारी की गई प्रत्येक वस्तु की वास्तविक मात्रा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक मात्रा क्या है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए मध्य प्रदेश को आवंटित मात्रा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मध्य प्रदेश सरकार को चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का किया गया आवंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा निम्नवत है :—

(हजार मी० टन में)

वस्तु	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1. चावल	278.0	172.0
2. गेहूं	410.0	290.2
3. लेवी चीनी	307.91	*
4. आयातित खाद्य तेल	36.50	19.76
5. मिट्टी का तेल	381.03	377.56

*लेवी चीनी की लगभग शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

(घ) वर्ष 1991-92 (अप्रैल-दिसम्बर, 1991) में चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का आवंटन निम्नवत है :

(हजार मी० टन में)

वस्तु	आवंटित की गई मात्रा
1. चावल	247.0
2. गेहूं	341.5
3. लेवी चीनी	239.08
4. आयातित खाद्य तेल	2.40
5. मिट्टी का तेल	280.15

[अनुवाद]

तमिलनाडु को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

4 40. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु को इस वर्ष अक्तूबर, 1991 तक चावल, गेहूं, दालें आदि खाद्यान्नों, चीनी तथा मिट्टी के तेल की कुल कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की जाती है;

(ख) क्या ये वस्तुएं प्रतिमाह नियमित रूप से सप्लाई की जाती हैं अथवा त्रैमासिक आधार पर सप्लाई की जाती है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में आए समुद्री तूफान के कारण इस राज्य को सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जनवरी, 1991 से अक्तूबर 1991 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु तमिलनाडु सरकार को किए गए चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल के आवंटन तथा उनकी उठाई गई कुल मात्रा नीचे दी गई है :

वस्तु	कुल मात्रा (जनवरी, 1991 से अक्तूबर 1991 तक) (हजार मी० टन में)	
	आवंटन	उठाई गई मात्रा
चावल	772.5	745.7
गेहूं	300.0	174.5
लेवी चीनी	232.2	*
आयातित खाद्य तेल	5.1	5.1
मिट्टी का तेल	536.8	322.2**

*लेवी चीनी की लगभग शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

**मिट्टी के तेल की उठाई गई मात्रा जून, 1991 तक की है।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दालों का आवंटन नहीं करती है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं का आवंटन राज्यों की मांग, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध भंडार की मात्रा, राज्यों की परस्पर आवश्यकता इत्यादि जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1991 माह के लिए, चावल, गेहूं आयातित खाद्य तेल और लेवी चीनी के आवंटन लगभग अक्तूबर, 1991 में किए गए आवंटनों के स्तरों पर बनाए रखे गए थे।

केन्द्रीय सरकार ने अन्य बातों के अलावा हाल के तूफान के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु को दिसम्बर, 1991 के 65,000 मी० टन के मासिक आबंटन के अतिरिक्त दिसम्बर, 1991 के लिए 26,000 मी० टन चावल का अग्रिम आबंटन किया है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रशासनिक सेवा में ग्रामीण लोगों के लिए पदों का आरक्षण

4341. श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासनिक सेवा में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए 15% पदों का आरक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षेत्र के आधार पर ऐसा आरक्षण सांविधानिक रूप से वैध नहीं होगा।

[अनुवाद]

सी० बी० आई० अधिकारियों की विदेश यात्रा

4342. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पंजीकृत किए गए मामलों की छानबीन करने के लिए सी० बी० आई० के कितने अधिकारियों ने वर्ष 1989, 1990 के दौरान तथा नवम्बर, 1991 तक विदेशों की यात्राएं की;

(ख) कितने मामलों की छानबीन की गई तथा कितने मामलों में दोषसिद्धि की गई थी; और

(ग) उनकी यात्राओं पर वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारत में दायर किए गए मामलों की जांच करने के लिए 1989, 1990 तथा नवम्बर, 1991 तक के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के क्रमश: 14, 25 तथा 18 अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वर्ष 1989, 1990 तथा नवम्बर, 1991 तक के दौरान विदेशी मुद्रा में किया गया खर्च क्रमश: 8423, 18932 तथा 11219 अमरीकी डालर था।

रिफैम्पिसिन का आयात और उत्पादन

4343. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 67 को दिए गए जवाब के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रिफैम्पिसिन के उत्पादन की स्थापित क्षमता तथा उसकी अनुमानित मांग क्या है;

(ख) देश में रिफैम्पिसिन उत्पादकों का विवरण क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में वर्ष-वार आयातित रिफैम्पिसिन की मात्रा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वास्तव में उत्पादित रिफैम्पिसिन की मात्रा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1989, 1990 और 1991 को 1 अप्रैल तक रिफैम्पिसिन का खुदरा मूल्य क्या था ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) संगठित क्षेत्र में रिफैम्पिसिन की स्थापित क्षमता 175 मीट्रिक टन है और 1991-92 के दौरान अनुमानित मांग 205 मीट्रिक टन है ।

(ख) रिफैम्पिसिन विनिर्माता (i) मे० लुपिन लैब्स लि०, (ii) बायोकेम सिनेरजी लि० और (iii) थेमिस केमिकल्स लि० है ।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1988-89 के दौरान 11.43 मी० टन रिफैम्पिसिन का आयात किया गया था ।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित रिफैम्पिसिन की मात्रा नीचे दी गई है :—

1. 1988-89	—	73.66 मी० टन
2. 1989-90	—	40.13 मी० टन
3. 1990-91	—	87.49 मी० टन

(ङ) 1 अप्रैल, 1989, 1990 और 1991 को रिफैम्पिसिन की कीमत क्रमशः 250 रु०/किग्रा०, 3500 रु०/किग्रा० और 850 रु०/किग्रा० थी ।

आन्ध्र प्रदेश में उपभोक्ता सहकारी समितियां

4344. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कितनी सहकारी समितियां स्थापित की गयीं और 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं;

(ख) क्या मुख्य एजेंसी एन० सी० डी० सी० ने उक्त सहकारी समितियों को मार्जिन धन-राशि प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सहकारिता का विषय राज्यों के अन्तर्गत आता है। आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना मंगाई गई है और जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण उपभोक्ता योजना के तहत 20-25 लिंक सोसायटियों वाली लीड सोसायटी को मार्जिन धनराशि सहायता के रूप में परियोजना आधार पर सहायता दे रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में सहकारिताओं को दी गई मार्जिन धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण उपभोक्ता योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई निधि का ब्यौरा

(लाख रु में)

I. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता के वितरण का कार्य करने वाली ग्रामीण सोसायटियों को मार्जिन धनराशि सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।	मार्जिन धनराशि के रूप में दी गई राशि
1	2
(क) (1) अनन्तपुर कोआपरेटिव सेंट्रल स्टोर्स लि० (लीड सोसायटी) जिला अनंतपुर से सम्बद्ध 18 ग्रामीण सोसायटियां।	2.40*
(2) अंगोल कोआपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स लि० (लीड सोसायटी) जिला प्रकासम से सम्बद्ध 11 ग्रामीण सोसायटियां।	[illegible].40
(3) विजय कृष्णा सुपर बाजार (लीड सोसायटी), जिला कृष्णा से सम्बद्ध 12 ग्रामीण सोसायटियां	2 00
(4) रंगारेड्डी डी सी. एम. एस. (लीड सोसायटी) से सम्बद्ध 11 ग्रामीण सोसायटियां	1.10
(5) आदिलाबाद डी सी. एम. एस. (लीड सोसायटी) से सम्बद्ध 32 ग्रामीण सोसायटियां	3.20
(6) श्रीकाकुलम डी. सी. एम. एस. (लीड सोसायटी) से सम्बद्ध 11 ग्रामीण सोसायटियां	1.10
(7) कुडप्पा डी० सी० एम० एस० (लीड सोसायटी) से सम्बद्ध 3 ग्रामीण सोसायटियां	0.30

1	2
(8) नेल्लोर डी. सी. एम. एस. (लीड सोसायटी) से सम्बद्ध 8 ग्रामीण सोसायटियां	0.80
(9) कृष्णा डी. सी. एम. एस. (लीड सोसायटी) से सम्बद्ध 118 ग्रामीण सोसायटियां	11.80
	25.10

*मंजूरशुदा

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रायोजित योजना	दी गई राशि
(1) अनन्तपुर कोआपरेटिव सेंट्रल स्टोर्स लि० (लीड सोसायटी) जिला अनन्तपुर से सम्बद्ध 18 ग्रामीण सोसायटियों को फर्नीचर और जुड़नार के लिए सहायता।	0.90*
(2) विशाखापत्तनम कोआपरेटिव सेंट्रल स्टोर्स लि० (लीड सोसायटी) जिला विशाखापत्तनम को। परिवहन वाहन।	1.50
(3) अनन्तपुर कोआपरेटिव सेंटल स्टोर्स लि० (लीड सोसायटी) जिला अनन्तपुर को मार्जिन धनराशि सहायता।	1.50*
	3.90

*मंजूरशुदा

[हिन्दी]

बन्धुआ मजदूरों सम्बन्धी आयोग

4345. श्री मृत्युञ्जय नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बन्धुआ मजदूरों संबंधी एक आयोग गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सरकार मामले की जांच कर रही है और ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

स्कूलों के लिए भूमि

4346. श्री केसरी लाल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोर्ट हाऊस बिल्डिंग सोसायटी, पीतमपुरा, दिल्ली में एक हायर सेकेण्डरी तथा तीन निम्न दर्जे के स्कूल स्थापित करने के लिए चार भूमि के प्लाटों का नियतन किया गया था;

(ख) क्या भूमि के आवंटन के 12 वर्षों के पश्चात् भी इनमें से कोई भी स्कूल सोसायटी की भूमि पर बनाया नहीं गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए आबंटित की गई भूमि को आवास के लिए आबंटित किया रहा है जो कि सोसायटी की प्रतीक्षा सूची में है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। विद्यालय के लिए भूमि के चार टुकड़े उद्दिष्ट किए थे।

(ख) और (ग) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन को फरवरी, 1984 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए एक स्थल आबंटित किया गया था और भवन के निर्माण के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डी० डी० ए० पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप

4347. श्री तारा चंद खण्डेलवाल :

श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण पर गत तीन वर्षों के दौरान लगाए गए/प्रकाश में लाए गए भ्रष्टाचार के आरोप का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार डी०डी० ए० के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाने के लिए एक समिति का गठन करने का है; और

(ग) यह जांच समिति कब तक गठित कर दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी। समिति गठित करने के प्रश्न पर सूचना एकत्र होने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है।

कृषकों को प्लाटों का आवंटन

4348. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन किसानों को, जिनकी भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अधिगृहित कर ली थी, क्षतिपूर्ति के साथ-साथ आरक्षित मूल्य पर वैकल्पिक प्लाट दिए हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ किसानों ने शालीमार बाग, पीतमपुरा और प्रशांत विहार जैसी आलीशान कालोनियों में झूठे आधारों पर जमीन अन्तरित करा ली है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे किसानों की संख्या कितनी है और इस अन्तरण के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे प्लाटों के आवंटन के सम्बन्ध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) व्यक्तियों और उन किसानों, जिनकी भूमि 1.1.1961 के पश्चात दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए अधिगृहित की जाती है, को पूर्व-निर्धारित दरों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक प्लाट का आवंटन किया जाता है।

(ख) से (ङ) संदिग्ध अनियमितताओं के 7 मामले ध्यान में आए है जिन्हें जांच के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शहरों का विकास

4349. **श्री संतोष कुमार गंगवार** :

क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजधानी योजना के अन्तर्गत विभिन्न चुनिंदा शहरों के विकास हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(ख) इन शहरों के विकास हेतु सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव विचार-विमर्शाधीन हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नगरों के विकास के लिए सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अभी तक लगभग 71.70 करोड़ रुपए की कुल राशि की व्यवस्था की गई है।

"अम्बेडकर आवास योजना का अर्ध सत्य" शीर्षक समाचार

4350. **श्री राम सागर** :

क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1991 के जनसत्ता में "अम्बेडकर आवास योजना का अर्ध सत्य" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार।

विवरण

समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में संसद सदस्यों के 6 मार्च, 91 तथा 5 अगस्त, 91 को भिन्न-भिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। यह आरोप असत्य है तथा सही स्थिति निम्नानुसार है :—

अम्बेडकर आवास योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 20,000 व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणी के फ्लैट, दो प्रकार की लाटरी द्वारा अर्थात् प्रथम लाटरी सफल पंजीकृतों को प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए तथा द्वितीय लाटरी फ्लैटों के आबंटन के लिए निकालकर, आबंटित करने की परिकल्पना की गई है। निम्न आय वर्ग श्रेणी तथा जनता श्रेणी के लिए क्रमशः 10,000 तथा 3000 पंजीकृतों हेतु प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए लाटरी निकाली जा चुकी है। मध्यम आय वर्ग श्रेणी के 7000 सफल पंजीकृतों के प्राथमिकता नम्बर निर्धारित करने के लिए लाटरी अभी निकाली जानी है।

दिनांक 6 मार्च, 1991 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि कुल 32,900 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इन आवेदकों से 23 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। यह आंकड़े निर्धारित तिथि तक प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक सामयिक पड़ताल पर आधारित थे। तथापि, अनेक व्यक्तियों ने अभ्यावेदन किया कि यद्यपि उन्होंने आवेदन पत्र समय पर भेजे हैं किन्तु बैंकों, जो कि प्राप्तकर्ता एजेन्ट थे, द्वारा ये विलम्ब से अग्रेषित किए गए हैं। तदुपरांत पात्र/अपात्र आवेदकों की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए प्राप्त हुए सभी आवेदनपत्रों की विस्तृत जांच-पड़ताल की गई थी। इस जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप, प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या 38,018 बैठी। 38,018 आवेदनपत्रों न कि पंजीकृतों का यह आंकड़ा दिनांक 5 अगस्त, 91 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 296 के उत्तर में सूचित किया गया था।

[अनुवाद]

गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना

4351. **श्री बो० शोभनाद्रीश्वर राव** :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय चीनी मिलों द्वारा शीरा, एल्कोहल, बायो-गैस जैसे उप-उत्पादों के उपयोग से पैदा की गई आमदनी पर भी विचार किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मिलों को उप-उत्पादों से होने वाले अतिरिक्त लाभ के कुछ भाग को हस्तांतरित करने के संबंध में अध्ययन करने और इस सम्बन्ध में सरकार को सिफारिश करने हेतु एक समिति नियुक्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी समिति का गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) कृषि लागत और मूल्य आयोग गन्ने के केवल सांविधिक न्यूनतम मूल्य की सिफारिश करता है और शीरा, खोई आदि जैसे सह-उत्पादों से प्राप्त आय को हिसाब में नहीं लेता है।

(ख) चीनी के उत्पादन की अधिसूचित लागत का निर्धारण करते समय सह-उत्पादों की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त आय को हिसाब में लिया जाता है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5-क में किए गए प्रावधान के अनुसार उपर्युक्त उत्पादन लागत के आधार पर चीनी फैक्ट्रियों द्वारा प्राप्त की गई अतिरिक्त राशि को गन्ना उत्पादकों और चीनी फैक्ट्रियों के बीच बांटा जाना अपेक्षित होता है। इस पहलू के बारे में आगे अध्ययन करने के लिए किसी समिति को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जम्बो रोलस में हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस का एकाधिकार

4352. **डा० जी० एल० कनोजिया** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस एक ऐसी संस्था है जिसका फिल्म उद्योग के लिए जम्बो रोल्स के रेखा छिद्रीकरण (स्लिटिंग) और छिद्रण (परफोरेशन) में एकाधिकार है :

(ख) यदि हां जो क्या सरकार इस क्षेत्र में नए अथवा सुस्थापित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (एच० पी० एफ०) आयातित जम्बो रोलों से फोटो संवेदी सामग्री की छंटाई और मिश्रण का काम भी कर रही है। इस कार्य को करने के लिए अब औद्योगिक लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है।

बेंगलोर जल आपूर्ति तथा मल व्ययन बोर्ड को हुडको द्वारा सहायता देना

4353. **श्री जी० मादेगौडा** :

क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेंगलोर जल आपूर्ति तथा मल व्ययन बोर्ड ने 100 वर्ष पुरानी पाईपों को बदलने के लिए हुडको से 5 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या हुडको ने सहायता मंजूर कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूर किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) बंगलौर जल आपूर्ति तथा मल-जल निर्यास बोर्ड ने 5 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से बंगलौर नगर में 60/70 वर्ष पुराने सी० आई० पाइपों को बदलने के लिए एक प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट प्रतिपादित की है और हुडको से 3.5 करोड़ रु० की ऋण सहायता मांगी है।

(ख) कुछ टीका-टिप्पणियों और सुझावों के साथ हुडको द्वारा प्रस्ताव को तकनीकी रूप से मंजूरी दे दी गई है। बंगलौर जल आपूर्ति तथा मल-जल निर्यास बोर्ड द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना तथा उपर्युक्त को शामिल करने के पश्चात् उसे हुडको को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(ग) इस समय कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

'दिल्ली 2001"

4354. **श्री अन्नारासु इरा :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अक्तूबर, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार-पत्र में "दिल्ली 2001-प्रोनिंग हाउस ए डिस्टेंट ड्रीम फार मैनी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए कोई विस्तृत योजनायें बनाई गई हैं और उन्हें क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख)और(ग) दिल्ली संदर्भ 2001 के लिए मास्टर प्लान में सन् 2001 तक 12.2 मिलियन की कुल परिकल्पित शहरी आबादी के लिए 16.2 लाख मकानों की आवश्यकता को प्रक्षेपित किया गया है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न एजेंसियों तथा निजी क्षेत्र द्वारा 7.50 लाख मकानों का निर्माण किए जाने की सम्भावना है।

मोरी गेट क्षेत्र में मकानों की मरम्मत

4355. **डा० के० वी० आर० चौधरी :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मोरी गेट क्षेत्र और कश्मीरी गेट में कुछ पुराने मकान बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिससे ऐसे मकानों की मरम्मत न किए जाने से इन घरों में रहने वाले लोगों के जीवन को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मकानों के मरम्मत का उत्तरदायित्व इनके मालिकों पर है अथवा इन मकानों में रहने वालों पर;

(ग) क्या इन मकानों की मरम्मत के लिए पुलिस अथवा दिल्ली नगर निगम की अनुमति आवश्यक है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

4356. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में नियमित कर्मचारियों (अधिकारी और कर्मचारी पृथक-पृथक) की कुल कितनी संख्या है;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कुल कितने नैमित्तिक मजदूर लगे हुए हैं;

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार उक्त सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कितना लाभ/हानि हुई;

(घ) उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जो गत 5 वर्षों के दौरान घाटे में चल रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजकोष को आगे होने वाले घाटे को रोकने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों का प्रबन्धन बदलने का है जो लगातार घाटे में चल रहे हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) 31 मार्च, 1980 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कर्मचारियों की कुल संख्या (अधिकारी एवं कर्मचारी पृथक-पृथक) के सम्बन्ध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तु-समूह के अन्तर्गत आने वाले उद्यमों के समस्त कर्मचारियों का प्रबंधकीय कर्मचारी, कर्मचारी एवं अनियत कामगार आदि वर्गों में ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1979-90 के खण्ड-I की पृष्ठ संख्या 337 (अंग्रेजी रूपांतर) पर उपलब्ध है। 31.3.1991 तक की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त विषयक सूचना संकलित की जा रही है तथा संसद के अगले बजट अधिवेशन में प्रस्तुत की जानी है।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के निवल लाभ का ब्यौरा उपरिवर्णित लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-I के पृष्ठ संख्या 43 से 47 (अंग्रेजी रूपांतर) तक पर उपलब्ध है। वर्ष 1990-91 की उपरोक्त विषयक सूचना संसद के अगले बजट अधिवेशन में प्रस्तुत की जानी है।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985

के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित कर सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपने का निर्णय किया है ताकि उनके नवीकरण/पुनर्स्थापित के सम्बन्ध में योजनाएं बनाई जा सके। इन योजनाओं के निर्माण के एक भाग के रूप में मण्डल, अन्य बातों के साथ-साथ, इन उद्यमों के प्रबन्धन में परिवर्तन करने पर विचार कर सकता है।

विवरण

1. इन्डियन आयरन एंड स्टील कं० लि०
2. भारतीय उर्वरक निगम लि०
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०
4. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि०
5. बंगाल इम्युनिटी लि०
6. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
7. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि०
8. महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
9. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
10. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इन्जी० लि०
11. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०
12. वेबर्ड (इन्डिया) लि०
13. भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लि०
14. टीको लॉरी लि०
15. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
16. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०
17. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०
18. कोचीन शिपयार्ड लि०
19. भारतीय साइकिल निगम लि०
20. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
21. हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजी० लि०
22. मझगांव डॉक लि०
23. भारतीय राष्ट्रीय बाईसाइकिल निगम लि०
24. स्कूटर्स इन्डिया लि०
25. भारत ऑप्थैलिमक ग्लास लि०
26. भारतीय सीमेंट निगम लि०
27. हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०
28. हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लि०
29. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०
30. नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कम्पनी लि०
31. नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपो० लि०
32. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
33. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० आफ इंडिया लि०
34. भारतीय टायर निगम लि०
35. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०
36. कानपुर टैक्सटाईल लि०
37. एल्गिन मिल्स कंपनी लि०
38. नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०
39. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०
40. नेटेका (गुजरात) लि०
41. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०
42. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०
43. नेटेका (महाराष्ट्र साउथ) लि०
44. नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०
45. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०
46. भारत लेदर कारपो० लि०
47. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०

48. दिल्ली परिवहन निगम

49. वायुदूत

50. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०

51. भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०

52. इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लि०

53. भारतीय होटल निगम लि०

54. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफेक्चरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया

एन० सी० सी० बी० एम० फरीदाबाद के वैज्ञानिक

4357. **श्री यशवन्त राव पाटील :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वैज्ञानिकों ने नेशनल काउन्सिल फोर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल, फरीदाबाद से नौकरी छोड़ दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फरीदाबाद में इस परिषद के वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) नेशनल काउंसिल फोर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटीरियल से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1991 से इन्जीनियरों तथा वैज्ञानिकों की श्रेणी के 19 अधिकारियों ने संगठन को छोड़ दिया है।

(ख) एन०सी०बी०एम० के रजिस्टरों पर वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को मिलाकर लगभग 350 अधिकारी हैं। 19 अधिकारियों का संस्थान को छोड़ जाना कर्मचारियों की संख्या का लगभग 5.2 प्रतिशत होता है। अर्हक कार्मिकों के लिए उद्योग में उपलब्ध रोजगार अवसरों को देखते हुए यह संख्या असामान्य नहीं है।

(ग) और (घ) एन०सी०बी० एम० के प्रबन्धकों के विरुद्ध एक कर्मचारी से शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच करने पर यह निर्णय किया गया कि सरकार को इस शिकायत पर आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यता नहीं है।

ग्रामीण बेरोजगारी

4358. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ चुने हुए सूखा प्रवण अंचलों में जहां ग्रामीण बेरोजगारी की भीषण समस्या है, कृषि मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने के लिए इस बीच कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में भूमिहीन किसान

4359. **श्री विलासराव नागनाथ राव गुंडेवार** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अनुमानतः कितने भूमिहीन किसान हैं;

(ख) क्या सरकार की इन किसानों को भूमि प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक भूमि प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) महाराष्ट्र के भूमिहीन किसानों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्र नहीं की गई है। तथापि, 1991 की जनगणना के अनन्तिम परिणामों के अनुसार महाराष्ट्र में कृषि मजदूरों की संख्या 8, 311, 402 है।

(ख) से (घ) राज्यों में भूमि सुधार उपायों के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को भूमि वितरित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्षित वर्ग के भूमिहीन परिवारों को भूमि खरीदने तथा उसके वितरण की गतिविधि अब समर्थित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अनुमेय कार्यकलाप है। 4 व 5 अक्तूबर, 1991 को हुए मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि जिसे राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, को 31 मार्च, 1992 तक पात्र ग्रामीण गरीबों में वितरित कर दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

कृषि विपणन बोर्ड अधिनियम

4360. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में किसानों का शोषण समाप्त करने के लिए एक अखिल भारतीय कृषि विपणन बोर्ड अधिनियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(ग) इससे देश के गरीब किसानों की कितनी मदद मिलेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) राज्य

सरकारों को इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है और अधिकांश राज्यों ने कानून बना लिए हैं। केन्द्रीय सरकार का कोई केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है लेकिन यह राज्य सरकारों को, जहां ऐसे कानून पहले से विद्यमान हैं वहां अधिनियमों के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा जहां ऐसे कानून नहीं हैं, वहां ऐसे कानून बनाने के लिए राजी कर रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के लिए विशेष सहायता

4361. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार को भूमि सुधार के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी तथा कब प्रदान की जाएगी?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित तीन योजनायें कार्यान्वित की जा रही है। चालू वर्ष के दौरान दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता की स्थिति भी नीचे दर्शायी गई है :—

(1) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों, भूदान और सरकारी बंजर भूमि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबंटितियों और उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों, जिनकी अधिग्रहित भूमि उन्हें वापस दिला दी गई है, को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना :—

इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में 24.37 लाख रुपए की वित्तीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है।

(2) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना : —

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से चालू वर्ष के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया गया है। तथापि राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) भूमि अध्ययनों और भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु संस्थाओं को अनुदान सहायता देने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना :—

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 1989-90 के दौरान देवरिया जिले में भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 25 लाख रुपए दिए गए थे। चालू वर्ष के दौरान इस समय उत्तर प्रदेश सरकार को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

टायरों का निर्यात

4362. श्री पी० सी० थामस :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर वाहनों के टायरों के निर्माण में टायर उद्योग द्वारा किन-किन संघटकों को प्रयोग में लाया जाता है; और

(ख) क्या टायरों का निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो किन-किन देशों को ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) टायर उद्योग द्वारा मोटर गाड़ियों के टायर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले घटक/कच्चे माल इस प्रकार हैं :—

(1) प्राकृतिक/सिंथेटिक रबड़

(2) कार्बन ब्लैक

(3) रेयन/टायर यार्न/नायलॉन/कार्ड/वार्प शीट

(5) बीड वायर

(5) पिगमेंट रसायन

(6) जिंक आक्साइड

(ख) जी, हां। जिन मुख्य देशों को टायरों का निर्यात किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं—

(1) अफगानिस्तान

(2) अमेरिका (यू. एस. ए.)

(3) सोवियत रूस (यू. एस. एस. आर.)

(4) बंगला देश

(') मध्य पूर्व तथा अफ्रिकाई देश तथा कुछ यूरोपीय देश भी।

सरकारी कार्यालयों में कार्य के घंटों का सख्ती से पालन करना

4363. श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि उसके सभी कार्यालयों में कार्य के घंटों का सख्ती से पालन किया जाए ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : कार्यालय में समय पर तथा नियमित रूप में उपस्थित होने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। पर्यवेक्षी अधिकारियों को इस बात के लिए अनिवार्य रूप में जिम्मेदार बनाया गया है कि वे हाजिरी रजिस्टरों की जांच पड़ताल और कर्मचारियों की अचानक जांच करें। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें कार्यालय में निश्चित समय पर हाजिर होने की आदत नहीं है, उन्हें कर्त्तव्य निष्ठा के अभाव में दण्ड दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

बिहार को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता

4364. श्री रामदेव राम :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेश के लिए कितनी वार्षिक प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को दी जा रही वार्षिक प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता का औसत सबसे कम है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान प्रदान की गई वार्षिक प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण-I तथा II में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। गैर विशेष श्रेणी राज्यों में जिनके लिए सहायता का आबंटन मानदंड आधारित होता है, बिहार राज्य को आबंटित प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता नौ राज्यों से अधिक है, लेकिन चार राज्यों अर्थात गोआ, केरल, उड़ीसा तथा राजस्थान से कम है। लेकिन इन राज्यों की 1990-91 के आबंटनों की तुलना में वर्तमान वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार राज्य को 141 करोड़ रु० की सर्वाधिक वृद्धि मिली है। यह संलग्न विवरण-III में देखा जा सकता है। बिहार सहित राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आबंटन फार्मूला के आधार पर किया जाता है जो पिछड़े राज्यों (बिहार सहित) के पक्ष में राष्ट्रीय विकास परिषद "सर्वसम्मत" फार्मूले में कुल में से कुल 95 प्रतिशत अधिभार सहित, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय तथा विशेष विकास समस्याओं के मानदण्ड को शामिल करते हुए अत्यधिक अधिभारित होता है। पूर्व संशोधित गाडगिल फार्मूले में यह कुल 90 प्रतिशत था। फार्मूले में किसी प्रकार का परिवर्तन केवल राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन से ही किया जा सकता है, जिसके सदस्य मुख्यमन्त्री होते हैं।

विवरण-I

1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राज्यों को प्रति व्यक्ति सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन

(रुपयों में)

राज्य	1990-91*	1991-92*
1	2	3
क · विशेष श्रेणी राज्य		
1. अरुणाचल प्रदेश	3519	5021
2. असम	430	514

1	2	3
3. हिमाचल प्रदेश	637	746
4. जम्मू और कश्मीर	1212	1550
5. मणिपुर	1454	1819
6. मेघालय	1465	1759
7. मिजोरम	3160	4578
8. नागालैंड	2425	3202
9. सिक्किम	3243	4210
10. त्रिपुरा	1053	1257
ख—गैर-विशेष श्रेणी राज्य		
1. आन्ध्र प्रदेश	103	125
2. बिहार	114	139
3. गोआ	1258	560
4. गुजरात	76	88
5. हरियाणा	103	118
6. कर्नाटक	80	92
7. केरल	124	141
8. मध्य प्रदेश	104	124
9. महाराष्ट्र	70	85
10. उड़ीसा	129	156
11. पंजाब	85	129
12. राजस्थान	134	149
13. तमिलनाडु	98	109
14. उत्तर प्रदेश	118	124
15. पश्चिमी बंगाल	71	86

* संशोधित गाडगिल फार्मूले पर आधारित

** राष्ट्रीय विकास परिषद के सर्वसम्मत फार्मूले पर आधारित

टिप्पणी : 1. 1971 की जनसंख्या पर आधारित प्रति व्यक्ति आवंटन।

2. अतिरिक्त आवंटनों में आदर्श गांवों तथा सहकारिता समितियों के लिए एक्विटी सहायता शामिल है।

3. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के आवंटित केन्द्रीय सहायता शामिल नहीं।

विवरण-II

संघ राज्य क्षेत्रों को 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान सामान्य सहायता का प्रति व्यक्ति आवंटन

(रुपयों में)

संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92
1. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	:697	5889
2. चंडीगढ़	866	1012
3. दादरा व नगर हवेली	975	1614
4. दमन और द्वीव	1320	1698
5 दिल्ली	955	1098
6. लक्षद्वीप	4519	4716
7. पांडिचेरी	949	1153

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति आवंटन केन्द्रीय सहायता के बजट-अनुमानों तथा 1971 की जनसंख्या पर आधारित है।

विवरण-III

1990-91 की तुलना में 19>1-92 में सामान्य केन्द्रीय सहायता (सकल) में वृद्धि

राज्य	करोड़ रुपए में
1	2
क.-- विशेष श्रेणी राज्य	
1. अरुणाचल प्रदेश	70.31
2. असम	122.17
3. हिमाचल प्रदेश	37.75
4. जम्मू और कश्मीर	155.98
5. मणिपुर	39.12
6. मेघालय	29.83
7. मिजोरम	47.08
8. नागालैंड	40.08
9. सिक्किम	20.30
10. त्रिपुरा	31.79
जोड़ : क	594.41

1	2
ख—गैर विशेष श्रेणी राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	98.16
2. बिहार	141.07
3. गोआ	55.50
4. गुजरात	32.26
5. हरियाणा	15.09
6. कर्नाटक	35.12
7. केरल	37.05
8. मध्य प्रदेश	85.80
9. महाराष्ट्र	77.60
10. उड़ीसा	59.15
11. पंजाब	58.90
12. राजस्थान	38.44
13. तमिलनाडु	45.47
14. उत्तर प्रदेश	46.84
15. पश्चिम बंगाल	68.77
जोड़ : ख	784.22
कुल योग : (क+ख)	1378.63

[अनुवाद]

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्यकरण की पुनरीक्षा

4355. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण में कोई खामियां होने के कारण वहां मामलों के निपटाने में विलम्ब होने और बड़ी संख्या में मामले इकट्ठे हो जाने की जानकारी मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) हालांकि अभी तक सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के कार्यकरण की

कोई औपचारिक पुनरीक्षा नहीं की है, फिर भी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मामलों को दायर करने, उनका निपटान करने तथा उनके लम्बन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मामलों के निपटान में विलम्ब के मुख्य कारण सदस्यों की अपर्याप्त संख्या तथा विभिन्न न्यायपीठों में रिक्तियों का न भरा जाना है। अतः चुनिन्दा स्थानों पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कुछ और न्यायपीठें स्थापित करने तथा उपाध्यक्ष और सदस्यों की सभी रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भरने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर

4366. **श्री दाऊ दयाल जोशी :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने निजी क्षेत्र मे शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाने के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया ग ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार का रोजगार लक्ष्य अगले दस वर्षों के दौरान देश में समग्र रूप में औसतन प्रति वर्ष एक करोड़ नए काम सृजन करने का है। आठवीं पंचवर्षीय योजना इस लक्ष्य को परिलक्षित करने का प्रयास करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यनीति के ब्यौरे योजना दस्तावेज में शामिल किए जाएंगें। तथापि योजना आयोग ने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को अतिरिक्त काम के अवसर तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निजी क्षेत्रक के लिए इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है।

(ग) और (घ) शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा सात मंत्री शामिल हैं। समिति शिक्षित युवकों के लिए रोजगार सृजन करने के प्रस्तावों की जांच करेगी तथा उन मुद्दों पर भी विचार जारी रखेगी जिन पर रोजगार के अवसर बढ़ने के लिए जनवरी, 1981 में गठित पूर्व समिति ने विचार किया था परन्तु अपने कार्यकाल में अन्तिम रूप नहीं दे सकी थी।

[अनुवाद]

फसल की कटाई के बाद होने वाली हानि

4367. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :**

क्या **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फसल की कटाई के बाद विभिन्न स्तरों पर कितने प्रतिशत हानि होती है; और

(ख) खाद्यान्नों के नुकसान को बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध आधुनिक प्रौद्यो-गिकी और उपकरणों के लिए सरकार ने क्या नीति/कार्य योजना तैयार की है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) सरकार द्वारा अतीत में स्थापित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न अवस्थाओं में खाद्यान्नों की हानियों का निम्नानुसार अनुमान लगाया था :—

गहाई के दौरान	—	1.68%
विधायन के दौरान	—	0.92%
परिवहन के दौरान	—	0.15%
चूहों से	—	2.50%
पक्षियों से	—	0 85%
कीटाणुओं से	—	2.·5%
नमी के कारण	—	0 68%
	जोड़	9.33%

(ख) खाद्यान्नों की हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तकनीकों का विकास किया गया है और उनका अन्न सुरक्षा अभियान के जरिए प्रचार किया गया है :—

(1) धात्विक बिनों और गैर-धात्विक भंडारण ढांचों के कई डिजाइनों का विकास;

(2) कीड़ नियंत्रण के लिए प्रधूमक मिश्रण अर्थात ई०डी०बी० प्लस का विकास;

(3) एल्यूमीनियम फास्फाइड, इथोलीन, डिब्रोमाइड, मालाथियन और डी० डी० वी० पी० जैसी कीटनाशक दवाओं की खुराक का मानकीकरण;

(4) चूहामार दवाइयों के कई एक घोलों की खुराकों का परीक्षण और मानकीकरण;

(5) खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए विधियों की कई संहिताओं का विकास;

(6) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण करने के लिए किसानों, ग्राम स्तरीय कामगारों आदि का प्रशिक्षण; और

(7) रेडियो वार्ताओं, टी० वी० कार्यक्रमों, प्रैस रिपोर्टों, प्रदर्शनियों, फिल्म/स्लाइड शो आदि के जरिए सूचना का प्रचार और प्रसार।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पड़े आरक्षित पद

4368. **श्री राम विलास पासवान :**

डा० असीम बाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार के लिए आरक्षित लगभग दो लाख पद विभिन्न संवर्गों में रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या विशेष अभियान चलाया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं। 31-3-1991 को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में, बकाया रिक्तियों सहित, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित केवल 12,149 रिक्तियां भरी जानी बाकी थीं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए 1989 तथा 1990 में विशेष भर्ती अभियान चलाए गए थे। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए चालू वर्ष के दौरान एक और विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। सूचित की गई 12,149 रिक्तियों में से 1,542 रिक्तियां अब तक भरी जा चुकी है।

पोलियो के टीके के लिए संयुक्त परियोजना

4369. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग आई० पी० सी० एल० और पेस्च्यूर पेरियुक्स आफ फ्रांस के सहयोग से पोलियो के टीके बनाने की कोई संयुक्त परियोजना प्रारम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस उत्पाद को अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसी परियोजना के उत्पाद को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

पोलियो टीका (निष्कृत) सहित विषाणुक टीकों के विनिर्माण के लिए संयुक्त क्षेत्रीय परियोजना भारत सरकार द्वारा मार्च, 1989 में अनुमोदित की गई थी। यह संयुक्त उद्यम बायोटेक्नोलॉजी विभाग (भारत सरकार) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदा तथा पाश्चर मेरियू सीरम्स एण्ड वैक्सीन्स लिओन, फ्रांस द्वारा प्रवर्तित किया गया है।

(ख) "इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड (इवकॉल)" नामक संयुक्त क्षेत्रीय कम्पनी को कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित किया है। इस परियोजना के लिए हरियाणा के गुड़गांव जिला स्थित मनेसर गांव में भूमि अधिग्रहीत की गई है। संयंत्र तथा सुविधाओं के सिविल निर्माण कार्य में भारी प्रगति हुई है। कार्मिकों की भर्ती तथा प्रशिक्षण और उपस्करों एवं मशीनों की खरीद भी शुरू हो गई है।

(ग) जी हां।

केन्द्रीय सरकार ने इस कम्पनी के उत्पाद मिश्र को अनुमोदित कर दिया है। किन्तु, यह अनिवार्य है कि देश में इस्तेमाल करने से पहले कम्पनी के स्वदेशी उत्पादों को औषधि नियंत्रण प्राधि-

करण द्वारा परीक्षण तथा प्रमाणन किया जाना चाहिए।

(घ) इबकॉल निम्नलिखित टीकों का उत्पादन करेगी : —

निष्कृत पोलियो टीका	100 लाख
खसरा टीका	20 लाख
रैबीज टीका	20 लाख
*डी० पी० टी० पी० (क्वाड्रपल)	400 लाख

इबकॉल द्वारा विनिर्मित किया जाने वाला खसरा टीका एक अनुमोदित उत्पाद है तथा औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य किस्म प्रमाणन के बाद उसे प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शुरू किया जाएगा। प्रतिरक्षण कार्यक्रम में आई०पी०वी० तथा डी०पी०टी०पी० को शुरू करने का निश्चय चालू व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययनों के परिणामों के आधार पर किया जाएगा। चूंकि रैबीज राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम का अंग नहीं है, अतः कार्यक्रम में इबकॉल द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले बेहतर ऊतक संवर्धन रैबीज टीके को प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(*इबकॉल द्वारा विनिर्मित आई० पी० वी० का उपयोग करते हुए केवल संरूपणों के रूप में तथा भारत में अन्य विनिर्माताओं से खरीदा गया डी० पी० टी०)

दिल्ली में रिज क्षेत्र का विकास

4370. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्रथम मास्टर-प्लान में दिल्ली में स्थित रिज क्षेत्र को न्यूयार्क में स्थित सैन्ट्रल पार्क की तरह विकसित करने की बड़ी योजना थी;

(ख) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का रिज को एक प्राकृतिक जंगल के रूप में उचित महत्व देने तथा इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या रिज का लगभग 40% से 50% तक ह्रास हो चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली बृहत्त योजना ने यह सिफारिश की है कि रिज के बड़े हिस्से को अपने प्राकृतिक स्थिति में ही रखा जाना चाहिए। योजना में इस प्रकार की सिफारिश की।

इनमें से अत्यन्त महत्वपूर्ण ऊपरी रिज है जिसे क्षेत्रीय पार्क के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसे छोटे अवांछित उपयोगों के द्वारा नष्ट किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अपितु इसे शनै-शनै, लन्दन के हाइड पार्क, पेरिस के बोइसडे बोलोग्ने या न्यूयार्क के सैन्ट्रल पार्क की तुलना में, दिल्ली के एक केन्द्रीय सार्वजनिक पार्क के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। फिलहाल इसके छोटे हिस्सों का बुद्ध स्मारक पार्क के समान विकास किया जाना चाहिए और इसके शेष भाग

को, झाड़-झंखाड़ को साफ करवाकर सैर-सपाटे की सुविधा के लिए इसके प्राकृतिक स्थिति में ही बने रहने देना चाहिए ।

(ख) और (ग) दिल्ली 2001 संदर्श बृहत योजना रिज को इसके प्राकृतिक रूप में संरक्षण प्रदान करने पर विचार करती है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

बिना पारी के फ्लैटों का आवंटन

4371. श्री शिव शरण शर्मा :

डा० कृपासिंधु भोई :

श्री हरपाल सिंह पवार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन द्वारा बिना पारी के मकान आवंटित करने के लिए जनवरी, 1991 से मई, 1991 तक जारी किए गए आदेशों का अब तक अनुपालन नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कुछ मामलों में आवंटन/नियतन अभी किए जाने हैं । यह सूचित किया जाता है कि अनुमोदित श्रेणी के अन्तर्गत आवंटन/नियतन हेतु फ्लैट उपलब्ध होते ही ये मामले समाविष्ट किए जायेंगे ।

[अनुवाद]

उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4372. कुमारी फ्रिडा तोपनो :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राज्य में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इनमें कोई एकक लगाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में 13 आवेदन बीयर बनाने के और 7 आवेदन पेय अल्कोहल बनाने के प्राप्त हुए हैं;

(घ) और (ङ) यह मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूप से संसाधन उद्योगों की स्थापना नहीं करता है। लेकिन इस क्षेत्र में मन्त्रालय द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1990-91 में उड़ीसा को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(1) मशरूम के संसाधन और आंतरिक संरचना विकास के लिए—2.41 लाख रु०

(2) मशरूम का निर्जलन डिब्बाबंदी, आचार के लिए—21.1494 लाख

(3) संसाधन इकाईयों को कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु—18.50 लाख रु०

(4) मशरूम के प्रचार और विज्ञापन के खर्चों के लिए –0.47 लाख रुपए

घड़ियों के अतिरिक्त कल पुर्जों की कथित तस्करी

4373. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स घड़ियों की फैक्टरी से घड़ियों के अतिरिक्त कल-पुर्जों की तस्करी से संबंधित एक घोटाले का पर्दाफाश किया गया;

(ख) यदि हां, जो इसमें कितने लोगों का हाथ था;

(ग) कितने मूल्य के अतिरिक्त कल-पुर्जों की तस्करी की गई;

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) लगभग दो माह पूर्व पुलिस ने एच. एम. टी. घड़ी के विभिन्न एककों से सम्बन्धित घड़ियों के कलपुर्जों की चोरी का पता लगाया जिसमें तीन व्यक्ति शामिल थे।

(ग) घड़ियों के चुराए गए कल-पुर्जों की अनुमानित लागत 60,000 रुपए थी।

(घ) और (ङ) कम्पनी के दिहाड़ी के एक कामगार को जो इस चोरी में शामिल था, हटा दिया गया है और एच. एम. टी. द्वारा कड़े सतर्कता उपाय किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले शहरों का विकास

4374. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के छोटे और मझोले नगरों के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष छोटे और मझोले नगरों के विकास पर जिलावार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान हुई छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना, एक चालू योजना है। राज्य सरकारों से योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के साथ प्राथमिकता प्राप्त नगरों की प्राप्त सूची के आधार पर और इस प्रयोजन के लिए भारत के पास बजट नियतनों पर निर्भर करते हुए इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए नगरों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य को एल. सी. एस. सहित गत तीन वर्षों के दौरान कुल 497.55 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी। तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक नगर को जिलेवार रिलीज की गई राशि अनुबंध विवरण-1 में दी गई है।

विवरण-1

आंध्र प्रदेश में छोटे और मध्य वर्ग के कस्बों की स्वीकृत विकास योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए प्रत्येक कस्बे में जिला-वार पिछले 3 वर्षों के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता

केन्द्र द्वारा रिलीज की गई सहायता
(रुपए लाखों में)

क्र॰ सं॰	कस्बे का नाम	जिले का नाम	1988-89	1989-90	1990-91	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	1.00	—	—	1.00
2.	कोटा	कोटा	—	—	—	—
3.	खजुराहो	छतरपुर	—	16.73	—	16.73
4.	छतरपुर	छतरपुर	—	24.00	—	24.00
5.	देवास	देवास	—	—	—	—
6.	इटारसी	होसंगाबाद	1.00	—	—	1.00
7.	हरदा	—वही—	2.00	—	—	2.00
8.	होसंगाबाद	—वही—	—	24.00	—	24.00
9.	पंचमढी	—वही—	—	—	—	—
10.	रेवा	रेवा	1.00	—	—	1.00
11.	कटनी	जबलपुर	15 00	—	—	15.00

1	2	3	4	5	6	7
12.	बरहानपुर	पूर्वीनीमर	1.00	—	—	1.00
13.	मोरेना	मोरेना	16.00	—	—	16.00
14.	तोमर गढ़	राजेन्द्र गांव	5.00	—	—	5.00
15.	राजेन्द्र गांव	—वही—	7.00	—	—	7.00
16.	बालाघाट	बालाघाट	2.00	—	—	2.00
17.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	3.50	—	—	3.50
18.	गूना	गूना	25 00	—	—	25.00
19.	सिधी	सिधी	8.00	—	—	8.00
20.	वैधन	—वही—	2.00	—	—	2.00
21.	गदरवाड़ा	नरसीमपुर	—	23.00	—	23 00
22.	सहडोल	सहडोल	—	25.00	—	25.00
23.	अमर कंटक	—वही—	15.00	—	—	15.00
24.	भनदेर	ग्वालियर	—	—	—	—
25.	महू	इन्दौर	—	—	—	—
26.	जगदलपुर	बस्तर	25.82	—	—	25.82
27.	रतलाम	रतलाम	—	10.00	—	10.00
28.	भिलाई दुर्ग	दुर्ग	—	29.75	—	29.75
29.	सतना	सतना	—	29.75	—	29.75
30.	बेतूल	बेतूल	—	—	15.00	15.00
31.	रायसेन	उबेदूल्ला गंज	—	—	25.00	25.00
32.	निम्मच	मंदसौर	—	—	27.50	27.50
33.	भिन्ड	भिन्ड	—	—	27.50	27.50
34.	दमोह	दमोह	—	—	27.50	27.50
35.	सिहोर	सिहोर	—	—	25.00	25.00
36.	विदीशा	विदीशा	—	—	10.00	10.00
37.	पन्ना	पन्ना	—	—	27.50	27.50
		योग	130.23	182.23	185.00	497.55

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में चीनी मिलें

4375. **श्री ए० प्रताप राव :**

श्री रामकृष्ण कोंतला :

श्री धर्मभिक्षम :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितनी चीनी मिलें हैं और उनमें से कितनी रुग्णावस्था में हैं;

(ख) रुग्ण चीनी मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके पुनरुद्धार के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक वर्ष इनमें से कितनों को निपटाया गया है; और

(घ) चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उपरोक्त अवधि में आंध्र प्रदेश में गन्ने के विकास के लिए प्रत्येक मिल को कितनी धनराशि दी गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में 30-9-1991 तक 34 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां थीं।

इन्डस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत अभी तक दो मामले प्राप्त हुए हैं। इन मामलों में बी. आई. एफ. आर. ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित कार्रवाई की है। उक्त अधिनियम औद्योगिक कंपनियों पर लागू होता है।

सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में रुग्ण चीनी मिलों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि से गन्ना विकास योजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश की विभिन्न फैक्ट्रियों को मंजूर की गई तथा बांटी गई ऋण सहायता का विवरण उपबंध पर है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों को गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से मंजूर की गई तथा बांटी गई ऋण सहायता (15 दिसम्बर, 1991 को स्थिति)

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	मंजूर की गई राशि (रु० लाख में)	बांटी गई राशि (रु० लाख में)
1	2	3	4
		1988-89	
1.	श्री वेंकटेश्वर को० सुगर्स लि० तिरुपति, जिला चित्तूर	173.93	172.26
2.	एट्टीकोप्पका को० एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लि०,	61.20	36.68
3.	कोवूर को० चीनी फैक्ट्री लि० नैल्लूर	55.76	55.76
4.	चन्डावा को० सुगर्स लि० पयाकरावपेटा, जिला विशाखापट्टनम	69.12	34.56

1	2	3	4
5.	आन्ध्रा शुगर्स लि०, तनुकु जिला पश्चिम गोदावरी	222.16	74.66
6.	आमदलवलसा को० शुगर्स लि०, श्रीकाकुलम	147.46	42.68
		729.63	416.60
		1989-90	
7.	दक्कन शुगर्स, डिविजन आफ नव भारत फैरो एलॉयस लि०, शुगर डिविजन, समालकोट, जिला पूर्वी गोदावरी	48.50	21.57
8.	श्री विजयरामा गजपति को० शुगर्स लि० भीमसिंगी, विजयनगरम्	97.61	4.93
9.	गोदावरम् को० शुगर्स लि०, गोवाडा, जिला विशाखापट्टनम्	63.86	9.95
10.	जेपोर शुगर के० लि०, (ओ० पी० एस० शुगर्स) चागल्लु, जिला पश्चिम गोदावरी	81.54	27.54
11.	सरवास्वा शुगर्स लि०, चेल्लूरू रामचन्द्रम मण्डल, जि० पूर्वी गोदावरी	180.00	118.61
12.	किरलामपुडी शुगर मिल्स लि०, किरलमपुडी, जिला पूर्वी गोदावरी	65.45	28.63
		536.99	211.23
		1990-91	
13.	नागार्जुन को० शुगर फैक्ट्री लि०, गुरजाला, जिला गुन्टूर	44.93	—
14.	के० सी० पी० लि०, लक्ष्मीपुरम्, जिला कृष्णा	89.55	—
		134.48	—

[हिन्दी]

फूलपुर में भारी उद्योग

4376. श्री राम पूजन पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फूलपुर में भारी उद्योग स्थापित करने के लिए शीघ्र से शीघ्र वहां सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो वहां उक्त उद्योग कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) भारी उद्योग लगाने के लिए फूलपुर में सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरेली जिले का विकास

4377. श्री राजवीर सिंह :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली जिले को एक सर्वसुविधायुक्त शहर के रूप में विकसित करने के लिए कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना—200 के एक भाग के रूप में एक काउण्टर-मैगनेट नगर के तौर पर बरेली कस्बे के विकास के लिए परियोजना का प्रतिपादन किया गया है।

(ख) बरेली काउण्टर-मैगनेट क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना में शामिल, मुख्य मदें इस प्रकार हैं :—

(1) आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थानिक और परिवहन प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण तथा विकास;

(2) नेशनल हाई वे बाई पास का निर्माण;

(3) रेलवे ओवर ब्रिज;

(4) दूर संचार सुविधाओं का विकास; तथा

(5) स्थानीय प्राकृतिक अवसंरचना जैसे सड़कों का सुधार, मलिन बस्तियों का सुधार, यातायात नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट व्यवस्था, मलजल-निर्यास, नालियां तथा जलापूर्ति।

[अनुवाद]

भवन निर्माताओं के विरुद्ध शिकायतें

4378. श्री राजगोपाल नायडू रामासामी :

श्री कृष्णम बोल्लाह :

श्री भजन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ भवन निर्माताओं द्वारा अनधिकृत निर्माण, फ्लैट, खरीददारों से धोखाधड़ी और भवन नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कारंवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि स्कीपर भवन, 22, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली के निर्माता के विरुद्ध स्कीपर भवन फ्लैट बायर्स एसोसियेशन (पंजीकृत) से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें नियमों और विनियमनों तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका ने पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने का उसका अनुरोध रद्द कर दिया है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में यद्यपि कोई अलग ब्यौरे नहीं रखे जाते किन्तु जब भी अनधिकृत निर्माण/भवन उपनियमों के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त होती है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के उपबंधों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

उन वाणिज्यिक भूखण्डों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिनके संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जहां कहीं यह पाया गया कि नीलामी क्रेता/क्रेता/भवन निर्माता ने भवन-उपनियमों का उल्लंघन किया है, अतिक्रमणों को हटाने/विचलनों के समंजन के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था। त्रुटियों को समाप्त/दूर करने में उनके विफल रहने पर आवंटन पट्टा निरस्त कर दिया गया था। भवन निर्माताओं द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें उपयुक्त कार्यवाही हेतु दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को भेजी गई थी।

दिनांक 18-12-91 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4378 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उन मामलों की सूची जिसमें पट्टा/आवंटन निरस्त किया गया है

क्र० सं०	प्लाट नं०/स्कीम	पट्टाधारियों के नाम
1	2	3
1.	16, प्रीत विहार, सी. सी.	मैसर्स जैना प्रोपर्टिस (प्रा०) लि०
2.	17, प्रीत विहार, सी. सी.	—वही—
3.	18, प्रीत विहार, सी. सी.	—वही—
4.	ए-22, सी. सी. पश्चिम विहार	—वही—
5.	ए-23, —वही—	—वही—
6.	ए-32, —वही—	—वही—
7.	ए-33, —वही—	—वही—
8.	ए-14, —वही—	—वही—

1	2	3
9.	ए-15, —वही—	—वही—
10.	ए-16, —वही—	—वही—
11.	ए-17, —वही—	—वही—
12.	ए-18, —वही—	—वही—
13.	ए-19, —वही—	—वही—
14.	ए-20, —वही—	—वही—
15.	29, सी. सी. वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स राज सुधा टावरस प्राईवेट लि॰
16.	30, —वही—	—वही—
17.	जी-2 कालका जी विपणन केन्द्र	मैसर्स राजेन्द्रा
18.	3 एल. एस. सी. दिलशाद गार्डन	—वही—
19.	11 सी. सी. यूसुफ सराय	मैसर्स आर. पी. अपार्टमेंट्स(प्रा.) लि॰
20.	29 सी. सी. वजीर पुर (औद्योगिक क्षेत्र)	मैसर्स राजसुधा टावर्स (प्रा॰) लि॰
21.	30 सी. सी. वजीर पुर (—वही—)	—वही—
22.	3 एल. एस. सी. दिलशाद गार्डन	मैसर्स जैना प्रोपर्टीस प्रा॰ लि॰
23.	16 सी. सी. प्रीत विहार	—वही—
24.	17, सी. सी. प्रीत विहार	—वही—
25.	18, सी. सी. प्रीत विहार	—वही—

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा

4379. **श्री सुधीर गिरि :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य आयोग और जिला मंचों की कार्यकरण की समीक्षा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य आयोग के कार्यकरण के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है; और

(घ) आने वाले वर्षों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबन्ध को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद अपनी प्रत्येक बैठक में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है।

(ख) और (ग) सरकार को कुछ राज्य आयोगों और जिला मंचों के असंतोषजनक ढंग से कार्य करने के संबंध में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, अतः उनसे इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

(घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 27 राज्य आयोगों और 351 जिला मंचों ने काम करना आरम्भ कर दिया है। शेष 4 राज्य आयोगों और 58 जिला मंचों को भी अधिसूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का उत्पादन-लक्ष्य

4380. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का क्या उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किया गया, और क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया; और

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की कुल परिसम्पत्तियां एवं देयताओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) बी. एच. ई. एल. के भोपाल संयंत्र में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

	1988-89	1989-90	1990-91
लक्ष्य	520	610	673

यह लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1990-91 के अन्त तक बी. एच. ई. एल. की प्रत्येक कुल परिसम्पत्तियां और देयताएं 4625 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

[अनुवाद]

बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू न करना

4381. **कुमारी दीपिका चिखलिया** :

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 नवम्बर, 1991 के "इकानामिक टाइम्स" में "1200 बछावत रिकुमेंडेशन डिफाल्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों का सभी समाचार पत्र प्रबंधनों द्वारा लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार 1670 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से 1065 ने बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है।

(ग) बछावत सिफारिशों के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों पर सिफारिशों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए जोर देती रहती है।

[हिन्दी]

जे० के० पेट्रोकेमिकल्स, उत्तर प्रदेश

4382. **डा० लाल बहादुर रावल** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथरस, उत्तर प्रदेश में जे० के० पेट्रोकेमिकल्स परियोजना की स्थापना से संबंधित कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) कंपनी के अनुसार भूमि के अधिग्रहण, मृदा परीक्षण, जल, बिजली की व्यवस्था, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने, वित्त और प्रौद्योगिकी के सहयोग आदि के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उपस्करों आदि के आयात के लिए पार्टी से अभी प्रस्ताव आना है।

[अनुवाद]

औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण ब्यूरो को सौंपे जाने वाले सरकारी क्षेत्र के रुग्ण यूनिट

4383. **श्री शरद दिघे** :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण ब्यूरो को सौंपने के लिए सरकारी क्षेत्र की चिरकाल से रुग्ण यूनिटों का पता लगा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन यूनिटों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन के आधार पर तथा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में दी गई रुग्णता की परिभाषा के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 50 उद्यमों को लम्बे समय से रुग्ण माना जा सकता है तथा इसके पुनरुद्धार अथवा पुनर्स्थापन के लिए उक्त अधिनियम के मौजूदा उपबन्धों में संशोधन करने के बाद औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को भेजा जा सकता है। एक विवरण संलग्न है जिसमें ऐसे उद्यमों के नाम दिए गए हैं।

विवरण

क्र॰ सं॰ सजातीय समूह/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम

इस्पात

1. इण्डियन आॅयरन एण्ड स्टील कंपनी लि॰

खनिज एवं धातु

2. भारत गोल्ड माइन्स लि॰

उर्वरक

3. भारतीय उर्वरक लि॰

4. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो॰ लि॰

रसायन एवं भेषज

5. बंगाल केमिकल्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स लि॰

6. बंगाल इम्युनिटी लि॰

7. हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि॰

8. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰

9. महाराष्ट्र एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰

10. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि॰

11. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰

12. सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो॰ लि॰

भारी इन्जीनियरी

13. भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि॰

14. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि॰

15. बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि॰

16. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि॰

17. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि॰

18. वेबर्ड (इंडिया) लि॰

क्र०सं० सजातीय समूह/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम

मध्यम तथा हल्की इन्जीनियरी

19. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०
20. भारत पम्प्स एण्ड कंप्रैशर्स लि०
21. बीको लारी लि०
22. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
23. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०
24. त्रिवेणी इंडस्ट्रीज लि०

परिवहन उपस्कर

25. कोचीन शिपयार्ड लि०
26. भारतीय साइकिल निगम लि०
27. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
28. हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि०
29. भारतीय राष्ट्रीय बाइसिकल निगम लि०
30. स्कूटर्स इण्डिया लि०

उपभोक्ता सामान

31. भारत ऑपथाल्मिक ग्लास लि०
32. बर्ड्स, जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि०
33. हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि०
34. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०
35. नागालैंड पल्प एंड पेपर मिल्स लि०
36. नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लि०
37. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
38. टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
39. टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

कपड़ा

40. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०
41. कानपुर टेक्सटाइल्स लि०
42. एलगिन मिल्स कंपनी लि०
43. ने. टे. का. (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एण्ड माहे) लि०
44. ने. टे. का. (दिल्ली, पंजाब एण्ड राजस्थान) लि०

क्र०सं० सजातीय समूह/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम

45. ने. टे. का. (गुजरात) लि०

46. ने. टे. का. (मध्य प्रदेश) लि०

47. ने. टे. का. (महाराष्ट्र नार्थ) लि०

48. ने. टे. का. (साउथ महाराष्ट्र) लि०

49. ने. टे. का. (उत्तर प्रदेश) लि०

50. ने. टे. का. (पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार एण्ड उड़ीसा) लि०

गुजरात को खाद्य तेल

4384. **डा० खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में खाद्य तेलों की आपूर्ति की गई;

(ख) गुजरात में खाद्य तेलों के उत्पादन में चालू वर्ष के दौरान कितनी कमी रही है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात को खाद्य तेलों की कितनी आपूर्ति की जाएगी ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पिछले तीन तेल वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गुजरात को आवंटित की गई आयातित खाद्य तेल की मात्रा तथा उसके प्रति उनके द्वारा उठाई गई मात्रा निम्नवत है :—

तेल वर्ष	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1988-89	36,700 मी० टन	28,404 मी० टन
1989-90	78,450 मी० टन	66,443 मी० टन
1990-91	15,800 मी० टन	18,797 मी० टन

(ख) गुजरात सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, चालू खरीफ मौसम के दौरान उक्त राज्य में मूंगफली का उत्पादन 13 से 15 लाख मी० टन के औसत उत्पादन की तुलना में 6 5 लाख मी० टन होगा।

(ग) गुजरात को किए जाने वाले खाद्य तेल के आवंटन की मात्रा केन्द्र के पास आयातित भंडार की उपलभ्यता पर निर्भर करेगी। तथापि राज्य सरकार को "सोडा ऐश" के निर्यात के बदले 30,000 मी० टन पामोलीन की मात्रा सीधे आयात करने की भी अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

बेर पौधे का संरक्षण

4385. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक उद्योग द्वारा छोड़े जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाने वाला "चेर" नामक पौधा लुप्त होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इसके संरक्षण के लिए क्या उपाय कर रही है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची

4386. **श्री लोक नाथ चौधरी** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या को कम करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तमिलनाडु में औद्योगिक विकास

4387. **श्री के० तुलसिय्या वाण्डायार** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में औद्योगिक विकास की गति बहुत मन्द है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने वहां पर औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए राज्य सरकार का क्या स्रोत उपलब्ध कराए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन का राज्यवार मासिक सूचकांक संकलित नहीं करता। उद्योग मन्त्रालय के बारे में राज्यवार सूचना नहीं रखता है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार अप्रैल-अगस्त, 1991 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की कुल विकास दर (—) 1.0 प्रतिशत थी जबकि अप्रैल-अगस्त, 1990 में यह 12.4 प्रतिशत थी।

विकास दर में गिरावट के कई कारण थे। कई क्षेत्रों में यह कच्चे माल, विशेष कर आयातित कच्चे माल की कमी के कारण हुई क्योंकि विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयां थी। कुछ अन्य क्षेत्रों में

विकास दर की कमी का कारण यह कहा जा सकता है कि पिछले वर्षों में तो विकास की दर काफी ऊंची थी लेकिन उसके बाद मांग अचानक बहुत कम हो गई। भुगतान संतुलन की स्थिति को देखते हुए कुछ विशिष्ट आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में विकास की दर कम हो गई। कुछ अन्य क्षेत्र बिजली और कोयले जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से प्रभावित हुए जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक संबंधों की समस्या का प्रभाव पड़ा।

(ग) योजना आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक योजना 1990-91 के अनुसार 1990-91 में तमिलनाडु राज्य के लिए "उद्योग और खनिजों" के लिए 4984 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है जबकि 1989-90 में 4506 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों से लिया गया लाइसेंस शुल्क

4388. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं लोक सभा के भंग होने की तिथि से लेकर नई लोक सभा के चुनाव परिणामों के अधिसूचित होने तक संसद सदस्यों से आठवीं लोक सभा के अन्त तक आवास के लिए लाइसेंस शुल्क किस दर से लिया गया;

(ख) क्या यह दर निम्नलिखित पर समान रूप से लागू होती है—

(1) जो संसद सदस्य आगामी चुनाव लड़ते है और जीत जाते हैं (2) जो संसद सदस्य चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं (3) जो संसद सदस्य आगामी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं होते हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत लोक सभा के संसद सदस्यों की उपरोक्त श्रेणियों में किस नीति का पालन किया गया;

(घ) क्या यह नीति पहले अपनाई गई नीति से भिन्न है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जायेंगे कि समान नीति का अनुपालन हो ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नियमों के अनुसार लोक सभा के भंग होने पर इसके सदस्य सरकारी आवास को एक महीने की अवधि के लिए अपने पास रखने के हकदार होते हैं, उसके बाद उनसे बाजार दर पर लाइसेंस फीस प्रभारित की जाती है। तथापि, छठी लोक सभा के संसद सदस्यों के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि जो संसद सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं उनको सातवीं लोक सभा के गठन तक सरकारी आवास अपने पास रखे रहने की अनुमति दे दी जाए। जिन सदस्यों ने सातवीं लोक सभा में चुनाव नहीं लड़ा उन्हें नई लोक सभा के लिए नामांकन भरने की तारीख तक सरकारी आवास में बने रहने की अनुमति दी गई थी। किसी राज्य विशेष में लोक सभा चुनावों के स्थगित होने की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए अथवा किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के प्रत्यादेशन के कारण इस प्रकार के राज्यों/निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों को उन निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव

होने तक सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर आवास को अपने पास रखे रहने की अनुमति दी जाती है।

(ग) से (ङ) पिछली लोक सभा के संसद सदस्यों के कब्जे में सरकारी आवास को नई लोक सभा के गठन 20.6.91 तक रखे रहने की अनुमति सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है चाहे उन्होंने 10वीं लोक सभा में चुनाव लड़ा हो अथवा नहीं।

रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकरण

4389. श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने पंजीकृत व्यक्तियों को अब तक भूखंड आवंटित नहीं किए गए हैं; और

(ग) क्या प्रतीक्षा सूची में पड़े हुए पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित करने की कोई योजना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) यह उल्लेख किया जाता है कि रोहिणी आवास योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में 82,384 व्यक्ति पंजीकृत हैं।

(ख) 40,116 पंजीकृतों को अभी भूखंड आवंटित किए जाने हैं।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी आवास समितियां

4390. श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी आवास समितियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन सभी समितियों को भूमि का आवंटन कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन समितियों को भूमि का आवंटन कब तक करने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) हालांकि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सहकारी समितियां, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अधीन पंजीकृत की जाती है, उनका कार्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तक ही सीमित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत सहभागी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में सहकारी समितियों के पंजीकरण का विषय सम्बन्धित राज्यों का है। हालांकि इन तीन राज्यों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली सहकारी समितियों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है, किन्तु संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कुल मिलाकर 2027 सहकारी सामूहिक आवास समितियां पंजीकृत

की गई है जिनमें से 518 समितियों को भूमि आवंटित कर दी गई है। अन्य 260 समितियों को द्वारका फेज 1 में भूमि आबंटन न्याय निर्णयाधीन है। शेष समितियों को भूमि का आवंटन, इस प्रयोजनार्थ और भूमि अधिग्रहित करने पर किया जाएगा।

[अनुवाद]

बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना

4391. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 और 1991 (अब तक) के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लाभान्वित युवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु कि इस योजना के अन्तर्गत केवल निर्धन/जरूरतमंद लोगों को ही सहायता दी जाए, क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जैसा कि राज्य सरकारों ने बताया है आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों में स्वरोजगार योजना (एस०ई०ई०यू० वाई०) के अंतर्गत 1989-90 और 1990-91 के दौरान लाभान्वित शिक्षित बेरोजगार युवाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

राज्य : आंध्र प्रदेश

क्र०सं०	वर्ष	लक्ष्य	मामलों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)
1.	1989-90	8650	7404	1679.47
2.	1990-91	9500	8040	1875.45
			राज्य : राजस्थान	
1.	1989-90	5150	5127	842. 7
2.	1990-91	5300	5330	1159.04

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत पात्रता के लिए प्रत्येक परिवार हेतु 10,000 रुपए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा निश्चित की गई है ताकि इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः गरीब/जरूरत मंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

राजस्थान में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत पंजीकृत उद्योग

439?. श्री अयूब खां :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पंजीकृत उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से कितने उद्योग झुनझुनु जिले में पंजीकृत हुए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) आज की स्थिति के अनुसार नयी औद्योगिक नीति के तहत राजस्थान राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 234 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2 एकक राजस्थान के झुनझुनु जिले के लिए हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की क्षमता का उपयोग

4393. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची की स्थापना से लेकर अब तक कुल कार्यकारी क्षमता का 45 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसकी पूरी अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन का कार्यशील क्षमता उपयोग विभिन्न वर्षों में क्रयादेश स्थिति और डिलीवरी कार्यक्रम के अनुसार घटता बढ़ता रहा है। एच०ई०सी० के तीन निर्माणकारी संयंत्रों में पिछले पांच वर्षों में कार्यशील क्षमता उपयोग नीचे दिया गया है :—

संयंत्र	एच०एम०बी०पी०	एफ०एफ०पी०	एच०एम०टी०पी०
	(उपयोगिता-प्रतिशत में)		
1986-87	59.6	45.0	72.2
1987-88	55.7	38.7	70.8
1988-89	64 7	48.7	70.8
1989-90	52 8	44.7	69.5
1990-91	24.4	36.6	69.8

हाल ही में सरकार के हस्तक्षेप से और कम्पनी के प्रयासों से एच०ई०सी० क्रयादेश स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

उत्तर प्रदेश में केंद्रीय निवेश

4394. **श्री गया प्रसाद कोरी :**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक केन्द्र/संघ शासित क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में केन्द्रीय निवेश का क्या प्रतिशत रहा है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में किया गया निवेश वहां की जनसंख्या के अनुपात में कम है तथा वहां पर संसाधनों की उपलब्धता कितनी है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय निवेश बढ़ाने के लिए क्या योजनायें बनायी जा रही हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) केन्द्रीय योजना निवेश राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है और इसलिए सही ब्यौरे देना संभव नहीं है। फिर भी, केन्द्रीय योजना व्यय के राज्यवार अनुमानित आकलनों के ब्यौरे और सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों जैसे 1985 86 (वास्तविक), 1986-87 (संशोधित अनुमान) और 1987-88 (बजट अनुमान) से संबंधित उनकी प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह अनेक परिकल्पनाओं पर आधारित है और इस प्रकार यथा संकलित आंकड़े ज्यादा से ज्यादा स्थिति का केवल एक आयामी मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय योजना निवेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समूचे देश के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय निवेश कार्यक्रम/परियोजनाओं में मुख्यत: उन क्षेत्रों में हैं, जहां आवश्यक आर्थिक कारक अनुकूल रूप से उपलब्ध हैं। अधिकांश मामलों में ये कार्यक्रम परियोजनाएं राज्य सीमाओं से परे होती हैं (उदाहरणार्थ रेल लाइनें, राजमार्ग आदि)।

विवरण

केन्द्रीय योजना व्यय का राज्यवार ब्यौरा

सातवीं पंचवर्षीय योजना : 1985-86 से 1987-88

(रु० करोड़ों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वास्तविक व्यय 1985-86	संशोधित अनुमान 1986-87	बजट अनुमान 1987-88	तीन वर्षों का योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2105.90	2156.22	2321.37	8583.49
		(13.07)	(11.23)	(11.44)	(11.84)
2.	अरुणाचल प्रदेश	15 97	28·62	54.49	99.08
		(0.10)	(0 15)	(0.27)	(0.18)
3.	असम	713.69	621.80	730.50	2065.99
		(4.43)	(3.24)	(3.60)	(3.72)
4.	बिहार	1133.68	1384.45	1393.82	3911.95
		(7.04)	(7.21)	(6.87)	(7.04)
5.	गुजरात	1109.99	1573.98	1585.63	4269.60
		(6.89)	(8.20)	(7.81)	(7.68)

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	253.14 (1.57)	249.46 (1.30)	329.64 (1.62)	832.24 (1.50)
7.	हिमाचल प्रदेश	200.71 (1.57)	298.54 (1.56)	325.79 (1.61)	825.04 (1.48)
8.	जम्मू व कश्मीर	197.11 (1.22)	167.02 (0.87)	230.64 (1.14)	594.77 (1.07)
9.	कर्नाटक	558.13 (3.47)	687.32 (3.58)	809.89 (3.99)	2055.34 (3.70)
10.	केरल	441.61 (2.74)	529.34 (2.76)	531.66 (2.62)	1502.61 (2.70)
11.	मध्य प्रदेश	1976.29 (12.27)	2508.83 (13.07)	1895.79 (9.34)	6380.91 (11.48)
12.	महाराष्ट्र	1302.28 (8.09)	1522.80 (7.93)	2020.66 (9.95)	4845.74 (8.72)
13.	मणिपुर	34.33 (0.21)	50.21 (0.26)	69.04 (0.34)	153.58 (0.28)
14.	मेघालय	24.50 (0.15)	26.49 (0.14)	34.36 (0.17)	85.35 (0.15)
15.	मिजोरम	13.38 (0.08)	22.13 (0.12)	16.45 (0.08)	51.96 (0.09)
16.	नागालैंड	27.60 (0.17)	30.08 (0.16)	55.46 (0.27)	113.14 (0.20)
17.	उड़ीसा	1176.75 (7.31)	951.76 (4.96)	1126.29 (5.55)	3254.80 (5.85)
18.	पंजाब	254.87 (1.58)	326.03 (1.70)	473.79 (2.33)	1054.89 (1.90)
19.	राजस्थान	532.23 (3.30)	648.12 (3.38)	773.42 (3.81)	1953.77 (3.51)
20.	सिक्किम	7.16 (0.04)	7.62 (0.04)	34.56 (0.17)	49.34 (0.09)
21.	तमिलनाडु	827.80 (5.14)	964.75 (5.03)	1089.64 (5.27)	2862.19 (5.15)
22.	त्रिपुरा	56.82 (0.35)	54.75 (0.29)	58.23 (0.29)	169.80 (0.31)

1	2	3	4	5	6
23.	उत्तर प्रदेश	1702.30 (10.57)	2568.40 (13.38)	2452.45 (12.08)	6723.15 (12.09)
24.	पश्चिम बंगाल	974.70 (6.05)	1234.13 (6.43)	1288.73 (6.35)	3497.56 (6.29)
	सभी राज्य	15640.94	18612.85	19682.30	53936.09
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	16.62 (0.10)	63.62 (0.33)	18.63 (0.09)	98.87 (0.18)
26.	चंडीगढ़	13.50 (0.08)	12.19 (0.06)	11.58 (0.06)	37.27 (0.07)
27.	दादर व नगर हवेली	1.79 (0.01)	2.10 (0.01)	1.70 (0.01)	5.59 (0.01)
28.	दिल्ली	366.14 (2.27)	442.38 (2.30)	528.19 (2.60)	1336.71 (2.40)
29.	गोवा, दमन व द्वीप	56.58 (0.35)	53.10 (0.28)	39.42 (0.19)	149.10 (0.27)
30.	लक्षद्वीप	1.69 (0.01)	2.43 (0.01)	9.29 (0.05)	13.41 (0.02)
31.	पांडिचेरी	7.64 (0.05)	9.74 (0.05)	7.00 (0.03)	24.38 (0.04)
	जोड़ संघ शासित क्षेत्र	463.96	585.56	615.81	1665.33
	जोड़ आवंटित	16104.90	19198.41	20298.11	55601.42
	अनावंटित राशि	3003.58	4467.82	4977.43	12448.83
	कुल जोड़	19108.48*	(23666.23)	(25275.54)	(68050.25)

कुल आवंटनीय राशि में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता भागों को दर्शाते हैं।

(*) "ग्रामीण विकास" के मामले में वास्तविक व्यय (1985-86) के आंकड़े भुगतान तथा लेखा कार्यालय द्वारा दिए गए थे।

(**) जोड़ों में ये शामिल हैं : (1) "संचार प्रणाली" के लिए वास्तविक व्यय, 1986-87 तथा (2) "ग्रामीण विकास" पर केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के संशोधित अनुमान, 1986-87।

(***) जोड़ों में ये शामिल है : (1) "संचार प्रणाली" के लिए संशोधित अनुमान 1987-88 (2) "ग्रामीण विकास" पर केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के बजट अनुमान, 1987-88।

टिप्पणी—

चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश राज्यवार आयोजित या आंकलित नहीं किया जाता है, इस लिए ऐसे ब्योरे देने में कुछ कल्पनाएं की गयी है जबकि इस प्रकार के कार्य के आधार के रूप में वे सर्वोत्तम सम्भव कल्पनाएं प्रतीत होती है, उनकी प्रमाणिकता निश्चित रूप से सीमित स्वरूप की है। कुछ उदाहरणों को नीचे दिया गया है :—

(1) रेलवे के मामले में जहां रोलिंग स्टाक किसी वर्ष के परिव्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वहां वितरण का अनुमान किसी विशेष राज्य से गुजरने वाले ट्रक के रूट/कि०मी० के आधार पर लगाया जाता है।

(2) इसी प्रकार विमानन के मामले में जहां विमानों के कारण अधिकांश परिव्यय होता है, वितरण विशेष राज्य के क्षेत्र में लैंडिंग्स की संख्या के अनुमान के आधार पर किया जाता है।

(3) डाक सेवाओं में व्यय के ब्योरे क्षेत्रवार अनुमानित किए जाते हैं।

चूंकि परियोजना में केन्द्रीय निवेश अधिकांशतः उन क्षेत्रों में हैं जहां आवश्यक आर्थिक कारक इष्टतम रूप में उपलब्ध है, ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संतुलन के उद्देश्य का केवल सीमित औचित्य हो सकता है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की अधिष्ठापित क्षमता

4395. श्री रामनिहोर राय :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गन्ने की पिराई की अधिष्ठापित क्षमता राज्य में गन्ना उत्पादन की क्षमता की तुलना में पर्याप्त नहीं है जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में 30-9-91 तक वार्षिक चीनी उत्पादन की संस्थापित क्षमता 24.493 लाख टन थी जबकि 1990-91 के दौरान गन्ने का उत्पादन 99.00 मिलियन टन (अनुमानित) हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य में लाइसेंस शुदा और संस्थापित क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जो 1980-81 में 77.09 लाख टन तथा 63.37 लाख टन थी वह बढ़कर 1989-90 में क्रमशः 162.229 लाख तथा 93.413 लाख टन हो गई है। तदनुसार, चीनी फैक्ट्रियों द्वारा पेराई किए गए गन्ने का प्रतिशत भी 1980-81 के 20.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 34.2 प्रतिशत हो गया है।

सिक्किम को पामोलिन का कोटा

4396. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम को पामोलिन/रेपसीड तेल का कोटा काफी कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; तथा यह कितनी अवधि के लिए की गई है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि खाद्य तेलों की दूसरी किस्में आम आदमी की पहुंच के बाहर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार खाद्य तेलों को निश्चित मूल्य की नियंत्रित वस्तुओं की सूची में लाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी नहीं। सिक्किम को किए जाने वाले खाद्य तेल के मासिक आवंटन की मात्रा में कमी नहीं की गई। तथापि, जून 91 से सितम्बर, 91 तक किसी भी राज्य को खाद्य तेल का आवंटन नहीं किया गया, क्योंकि न तो सरकार के पास खाद्य तेल का कोई भंडार था और न ही उस समय उसका आयात किया जा रहा था।

(ग) चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में बाजार में देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और सरकार इससे अवगत है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिलचर में भारतीय खाद्य निगम का क्षेत्रीय कार्यालय

4397. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां भारतीय खाद्य निगम का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त क्षेत्रीय कार्यालय कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख राज्यों के मुख्यालयों में स्थित हैं। चूंकि गुवाहाटी में पहले से ही एक क्षेत्रीय कार्यालय है, इसलिए सिल्चर में एक अतिरिक्त कार्यालय खोलने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि पर आधारित उद्योग

4398. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र के शोलापुर क्षेत्र में कृषि पर आधारित बड़े अथवा मध्यम दर्जे के उद्योग की स्थापना करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान इन उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र में अधिकारियों का एक दल भेजने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन):(क) और (ख) महाराष्ट्र के सोलापुर क्षेत्र में चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए नौ आवेदन सरकार के पास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। नीतिगत मामला होने के कारण, जब तक इनका अन्तिम रूप से निपटान नहीं हो जाता है इनके ब्यौरे बताना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रामगुंडम उर्वरक एकक को घाटा

4399. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम का राम गुंडम एकक भारी घाटे में चल रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार इसमें कितना घाटा हुआ और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) एफ० सी० आई० के रामागुण्डम एकक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उठाई गई हानियां निम्न प्रकार है :—

वर्ष	हानियां (रु० लाख)
1988-89	2680
1989-90	3994
1990-91	4619

एफ० सी० आई० के रामागुण्डम एकक की हानियों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) **डिजाइनों की कमी** : यह कोयले पर आधारित प्रथम सीढ़ी संयंत्र है जो 1980 में

चालू किया गया। शुरूआत से ही यह डिजाइन कमी तथा उपस्कर असंतुलन से ग्रस्त है जिससे उत्पादन तथा वित्तीय रूप से भारी हानियां हुई।

(2) इसके अतिरिक्त, पावर की उपलब्धि की चिरकालिक समस्या है। आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा रामागुण्डम एकक में 100 प्रतिशत पावर कटौती लगायी है जिससे संयंत्र को एक वर्ष में 4 से 7 महीने बन्द करना पड़ा।

(ग) एफ० सी० आई० ने एक पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें 60 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता प्राप्त करने के लिए 171.94 करोड़ रुपए की लागत पर रामागुण्डम संयंत्र के लिए 40 मेगावाट कैप्टिव पावर संयंत्र भी शामिल है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा कच्चे माल का आयात

4400. श्री मोहन सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपनी आई०आर०एम०ए०सी० योजना के अन्तर्गत लघु क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार का कच्चा माल आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा वर्तमान तथा प्रस्तावित इकाइयों को प्रदान की गई आयातित एवं देशी कच्चा माल सहायता योजना तथा प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सामान्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत अनेक प्रकार का कच्चा माल आयात कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात लघु उद्योग इकाइयों के लिए सरकारी उद्यमों से कच्चा माल खरीदने हेतु कोई समझौता कर रहा है अथवा गम्भीर प्रयास कर रहा है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से लघु क्षेत्र को कुछ कच्चा माल भेजा गया, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अनुसार आई० आर० एम० ए० सी० योजना के अधीन लाइसेंसों से प्रीसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स का आयात किया है।

(ग) निगम अपनी कच्चा माल सहायता योजना के अधीन लघु उद्योग को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए आयातित और स्वदेशी दोनों प्रकार का कच्चा माल देती है। सहायता का उपयोग करने वाले एककों को 20 से 30 प्रतिशत के बीच सीमांत धन राशि के रूप में जमा करनी होती है। इस राशि पर प्रचलित बैंक दर के अनुसार ब्याज लिया जाता है। निगम की सेवा शुल्क 1 से 3 प्रतिशत के बीच है जो सहायता की मात्रा पर निर्भर करता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत एककों की आवश्यकताओं के अनुसार आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में इलैक्ट्रोनिक उपकरण, पी०वी० सी०/ओलियोपीन रेजिन, एक्रैलिक स्क्रैप, सी० आर० जी० ओ० शीटें, कच्चा लोहा इत्यादि शामिल हैं।

(च) जी, हां। निगम पोलीमर और जिंक इत्यादि प्राप्त करने के लिए आई० पी० सी० एल० बड़ोदा, हिन्दुस्तान जिंक लि० के साथ समझौता वार्ता कर रही है।

(छ) जी नहीं।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

4401. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृति तथा कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण सरकारी क्षेत्र की 330 परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, इन परियोजनाओं की मूल लागत और बढ़ी हुई लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने तथा कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। 1 जुलाई, 1991 को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार प्रत्येक 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली 308 केन्द्रीय परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इनमें से, केवल 152 परियोजनाओं ने अपनी स्वीकृत लागत के संदर्भ में लागत वृद्धि दर्शायी है। यह लागत वृद्धि केवल स्वीकृति और कार्यान्वयन म विलम्ब के कारण नहीं कही जा सकती हैं।

(ख) उपर्युक्त 152 परियोजनाओं के नाम जिनमें लागत वृद्धि हुई है, उनकी मूल लागत और बढ़ी हुई लागत वृद्धि संलग्न विवरण में दी गई।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग प्रत्येक 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली चालू सभी केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन करता है। सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उचित और सामयिक कारंवाई करने के लिए समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाता है। परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में आने वाली अन्तर मंत्रालयी प्रकृति की समस्याओं को सुलझाने में विभाग भी कार्यवाही करता है।

विवरण

20 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली प्रत्येक केन्द्रीय परियोजनाओं की क्षेत्र-वार सूची जिसमें अद्यतन स्वीकृति के संदर्भ में लागत वृद्धि दी हुई है।

1 जुलाई, 1991 के अनुसार

क्र०सं०	परियोजना	अभिकरण	लागत	
			मूल (करोड़ रुपए)	वृद्धि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
परमाणु ऊर्जा				
1.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	एन.पी.सी.	209.89	745.00
2.	ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना	,,	382.52	1078.00
3.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 और 4	,,	711.56	1000.00
4.	कैगा परमाणु विद्युत परियोजना	,,	730.72	1000.00
नागर विमानन				
5.	12 एयर बसों ए 32 का अधिग्रहण	आई.ए.सी.	958.78	1070.30
कोयला				
6.	भारकोरा यू. जी.	बी.सी.सी.एल.	46.22	127.00
7.	झरिया ब्लाक-II ओ. सी.	,,	112.75	173.82
8.	कटरास यू. जी.	,,	26.04	91.81
9.	कैप्टीव विद्युत संयंत्र	,,	49.20	61.53
10.	मधुबंद वासरी	,,	71.90	163.00
11.	अम्लो धोरी पश्चिम ओ. सी.	सी.सी.एल.	33.30	74.92
12.	न्यू कल्याणी/सेल धोरी ओ. सी	,,	24.38	53.13
13.	के.डी. हसलंग विस्तार ओ. सी.	,,	37.56	52.01
14.	कथला वासरी	,,	32.27	94.03
15.	झांझरा यू. जी.	ई.सी.एल.	184.55	573.89
16.	राजमहल ओ. सी.	,,	562.70	886.30
17.	सोनपुर बाजारी "ए" ओ. सी.	,,	192.96	442.41
18.	कैप्टीव विद्युत संयंत्र	,,	49.20	53.57
19.	दुधीचुआ ओ. सी.	एन.सी.एल.	289.68	357.91

1	2	3	4	5
20.	खादिया ओ.सी.	,,	400.00	588.76
21.	केन्द्रीय कर्मशाला सिगंरेली	,,	30.38	68.72
22.	निगाही ओ. सी.	,,	462.39	580 00
23.	अम्लाई ओ. सी.	एस.ई.सी.एल.	30.82	47.34
24.	बंगवार यू. जी.	,,	25.14	38.23
25.	बालगी यू. जी.	,,	28.00	30.50
26.	बेलपहार ओ. सी	,,	57.38	126.27
28.	चुर्चा पश्चिम यू. जी.	,,	32.64	59.59
28.	धनपूरी ओ. सी.	,,	24.10	54.70
29.	दीपका ओ. सी.	,,	56.05	85.92
30.	पद्मपुर ओ. सी.	डब्ल्यू.सी.एल.	50.74	68.88
31.	सिलेवारा विस्तार-II यू. जी.	,,	38.06	5 .91
32.	टांडसी यू. जी.	,,	51.58	70.00
33.	केन्द्रीय कर्मशाला चंद्रपुर	,,	23.87	34.80
34.	नवेली एस. टी. पी.एस. स्तर-II इकाई-0	एन.एल.सी.	474.53	500.92
35.	दूसरा टी. पी. एस. स्तर-II	,,	638.95	1363.74
36.	गोदावरीखानी 10 ए आई. एन. सी लाईन	एस.सी.सी.एल.	27.31	85.69
37.	मनुगरू II ओ. सी.	,,	132.00	199.94
38.	गमागुंडम-2 ओ. सी	,,	147.16	512.02
39.	रवीन्द्रखानी I—ए. आई. एन. सी.	,,	29.78	46.02
40.	रामागुंडम-III ओ. सी.	,,	256.94	258.76
उर्वरक				
41.	हल्दिया उर्वरक परियोजना	एच.एफ.सी.	88.03	624.00
सूचना और प्रसारण				
43.	4 × 500 कि. वा. एस. डब्ल्यू. संचरण	ए.आई.आर.	46.18	62.20
42.	डी. डी. भवन, दिल्ली-आई.सी./सी.बी. पकवन	डी.डी.	34.15	162.54
44.	सिमला टी.वी. स्टुडियो 1 के. वा. संचरण	,,	13.32	22.14

1	2	3	4	5
खान				
45.	रामपुरा अगुंचा कम्बेरियन लिड जिंक परियोजना	एच.जेड.एल.	585.33	705.42
इस्पात				
46.	विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना	आर.आई.एन.एल.	2256.00	8130.28
47.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण	एस.ए.आई.एल.	1357.00	3121.28
48.	भिलाई इस्पात संयंत्र : 6 बालमर पी. और बी. स्टेशन	,,	32.10	32.61
49.	सलेम : विस्तार-पी. एच.-II	,,	69.37	72.27
50.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कोक ओवन बेटरी नं. I का पुनर्निर्माण	,,	33.06	45.13
रसायन और पेट्रो रसायन				
51.	स्पेनडेक्स यार्न परियोजना	पी.सी.एल.	34.85	7[illegible].00
पेट्रो और प्राकृतिक रसायन				
52.	सी.पी.पी.-विकास	एच.पी.सी.एल.	42.90	58.08
53.	अतिरिक्त सुरक्षा संसाधन सुविधा	आई.ओ.सी.	635.00	757.24
54.	गैस स्वीटनिंग संयंत्र-2	ओ.एन.जी.सी.	204.65	260.27
55.	बी-131 विकास	,,	52.14	59.80
56.	बी. एच.-25 विकास	,,	74.96	79.31
विद्युत				
57.	शार्ट सर्किट जांच स्टेशन	सी.पी.आर.आई.	22.26	97.44
58.	बोकारो बी-2 टी. पी. पी	डी.वी.सी.	186.93	356.25
59.	मेजिया टी. पी. पी.	,,	566.00	1134.00
60.	पंचहेत हिल एच. ई. पी.	,,	16.03	54.35
61.	दोयांग एच. ई. पी.	एन.ई.ई.पी.सी.ओ.	96.31	251.01
62.	कत्थलगुरी जी.बी.सी.सी.पी.पी.	,	203.17	989.03
63.	रंगनदी एच. ई. पी.	,,	312.78	516.49
64.	रंगनदी संचरण लाईन	,,	47.34	71.04
65.	दोयांग संचरण लाईन	,,	40.87	69.66
66.	कत्थलगुरी जी. पी. पी. संचरण लाईन	,,	301.38	565.41
67.	चामेरा एच. ई. पी	एन.एच.पी. सी.	809.29	1725.50

1	2	3	4	5
68.	कोल कारो एच. ई. पी.	"	439.91	1249.36
69.	टनकपुर एच. ई. पी.	"	178.75	359.08
70.	ऊरी एच. ई. पी.	"	1718.72	2072.00
71.	दुलहस्ती संचरण लाईन	"	166.57	772.83
72.	नथप्पा आकरी एच. ई. पी.	एन. जे. पी. सी.	1678.02	2140.00
73.	फरक्का एस. टी. पी. एम. टी.-II	एन. टी. पी. सी.	868.48	1331.31
74.	कहलगांव एस.टी.पी.पी.एस.टी.-I	"	884.15	1552.38
75.	तलचर एस.टी.पी.पी. चरण-I	"	1404.04	1721.19
76.	एन.सी.आर.टी.पी.पी.दादरी	"	1063.57	1364.10
77.	कवास जी.पी.पी.	"	373.98	877.25
78.	केन्द्रीय संचरण लाईन	"	354.85	453.00
79.	फरक्का संचरण लाईन-II	"	134.91	199.06
80.	कहलगांव संचरण लाईन-I	"	174.48	217.45
81.	औरैया जी.पी. पी. संचरण लाईन	"	100.61	110.66
82.	अतिरिक्त विंध्याचल संचरण लाईन-I	"	339.69	424.36
	कागज सीमेंट और आटो			
83.	सदूरतटीय परियोजना	बी.एस.एल.	38.44	45.06
84.	येरागुंतला विस्तार	सी.सी.आई.	75.72	240.68
85.	टायर निगम का आधुनिकीकरण	टी.सी.आई.एल.	66.71	79.12
	रेलवे			
86.	कुमदपुर-न्यू जलपाईगुरी-I दोहरी	रेलवे	42.92	80.29
87.	रोहतक-जाखल-I दोहरी	"	14.38	60.55
88.	तेंदूर मालखंड रोड़ दोहरी	"	23.00	36.01
89.	क्यूलपुर-जमालपुर-भागलपुर दोहरी	"	16.80	32.20
90.	साहिबगंज-लिंक कैबिन-मालदा दोहरी	"	29.81	38.70
91.	मेरहवा आर. डी. सोननगर-II, दोहरी	"	48.89	51.02
92.	लखनऊ-कानपुर दोहरी,	"	49.05	96.80
93.	सिकाराबाद-तंदूर दोहरी,	"	41.37	53.59
94.	फिरनरोद-बारचथा, मोलाई ओकड़िया दोहरी	"	22.02	73.56
95.	रायपुर-विजय-नगरम दोहरी	"	62.60	67.57

1	2	3	4	5
96.	कीरतगढ़-काला-अम्बर और मेतपंजरा-भारावाड़ा दोहरी	,,	57.96	69.42
97.	कायनकुलम-कुईलोन दोहरी	,,	34.11	45.76
98.	कुईलोन-त्रिवेन्द्रम दोहरी	,,	45.76	76.41
99.	मनमद-पारली-बैजनाथ गेज कोनव्यू	,,	78.00	99.95
100.	मैसूर बंगलोर, गेज कोनव्यू	,,	14.00	78.86
101.	कलकत्ता भूमिगत मैट्रो	,,	140.30	1330.84
102.	मद्रास बीच-लुज आर. टी. एस. लाइन मैट्रो परियोजना	,,	53.46	153.27
103.	मनखुर्द-बेलपुर विस्तार मैट्रो परियोजना	,,	120.00	287.11
104.	अतिरिक्त लाइन अंधेरी-बांद्रा परियोजना	,,	46.61	75.00
105.	जम्मू तवी-उधमपुर नई लाईन	,,	50.00	130.00
106.	जोगीघोपा-गोहाटी नई लाईन	,,	117.30	444.22
107.	कवड़ी नगल-सूती कोरीन नई लाईन	,,	46.63	205.71
108.	कोटा-चित्तौरगढ़-नीमुच नई लाईन	,,	41.09	167.00
109.	मथुरा-अलवर नई लाईन	,,	34.75	70.50
110.	नंगलडेम-तलवार नई लाईन	,,	37.68	137.68
111.	रामपुर-नई हल्दवानी नई लाईन	,,	1 .98	56.00
112.	तलचर-संभलपुर नई लाईन	,,	46.39	160.00
113.	अलप्पी-कायमकुलम नई लाईन	,,	11.10	39.07
114.	तमलूक डीगा नई लाईन	,,	43.72	77.13
115.	चितरा दुर्ग-राय दुर्ग नई लाईन	,,	16.92	53.24
116.	गुना-इटावा नई लाईन	,,	158.77	253.08
117.	लक्ष्मीकांतपुर-नमखाना नई लाईन	,,	40.90	41.13
118.	सतना-रेवा, नई लाईन	,,	30.00	30.00
119.	बग्गा-चितौनी नई लाईन	,,	6.74	99.95
120.	कोंकण नई लाईन	,,	968.00	1043.00
121.	इटारसी-भुसावल विद्युतिकरण रेलवे	,,	48.23	87.37
122.	नागपुर-दुर्ग विद्युतिकरण रेलवे	,,	74.38	124.88
123.	जोलार-पेट्टी-बंगलोर विद्युतिकृत रेलवे	,,	32.01	50.00
124.	सोननगर-पत्तरातु विद्युतिकृत रेलवे	,,	110.50	112.45

1	2	3	4	5
125.	विजाग-रेल यातायात सुविधा	,,	31.44	59.89
126.	इस्पात संयंत्र के लिए विजाग पैरी-फायरल यार्ड	,,	27.18	41.38
127.	कुरला चौथा यात्री टर्मिनल रेलवे यातायात सुविधा	,,	24.38	24.95
128.	गोदावरी पर नया सेतु	,,	26.37	48.50
129.	वर्द्धमान यार्ड यातायात सुविधा को दोबारा तैयार करना	,,	20.00	24.59
130.	हावड़ा-बुन्देल मुख्य लाईन की वृद्धि	,,	18.26	59.56
131.	यार्ड चरण-1, स्तर-II का वर्द्धमान आधुनिकीकरण	,,	26.92	31.35
132.	अजमेर कर्मशाला का आधुनिकीकरण	,,	26.05	33.64
133.	डीजल संघटक कर्मशाला (डी. सी. डब्ल्यू) पटि.	,,	133.84	235.78
134.	इन्टेगरल कोच फैक्टरी आधुनिकीकरण पैराम्बूर	,,	37.00	79.75
135.	पोनम्लाई कर्मशाला का आधुनिकीकरण	,,	21.00	28.48
135.	जगाधरी कर्मशाला का आधुनिकीकरण	,,	19.02	37.82
भूतल परिवहन				
137.	जलयानों का अधिग्रहण, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल यातायात निगम (सी. आई. डब्ल्यू. टी. सी.)	आई. डब्ल्यू. टी.	63.80	68.80
138.	कलकत्ता-पत्तन ड्राफ्ट सुधार	पत्तन	40.50	62.00
139.	कलकत्ता-पत्तन-कनटेनर हैंडलिंग सहूलियतें	,,	10.36	57.00
140.	तूतीकोरीन पत्तन-बगल की 4 बर्थ का निर्माण	,,	21.76	97.00
141.	कोचीन पत्तन-एक ड्रेडजरी की प्राप्ति	,,	21..9	80 00
142.	कोचीन कनटेनर सहूलियतें, चरण-II	,,	53.11	83.50
143.	न्हवा शीवा पत्तन परियोजना	,,	506.00	1056.00
144.	कांडला पत्तन-7वीं जनरल कारगो बर्थ का निर्माण	,,	29.80	69.70

1	2	3	4	5
145.	अहमदाबाद-बड़ोदरा ऐक्सप्रेसवे	जी. पी. डब्ल्यू. डी.	137.20	207.00
146.	हुगली पुल	एच. आर. बी. सी.	57.00	340.00
147.	4 लेन-अंकापल्ली-विशाखापत्तनम का विस्तार	सड़क तथा पुल	51.99	64.42
148.	3 एल. आर.-II टैंकरों का अधिग्रहण	एस. सी. आई.	111.30	138.41
149.	डी2 बल्क कैरियरों का अधिग्रहण	,,	46.57	52.06
150.	3 बल्क कैरियरों का अधिग्रहण	,,	22.51	24.56
151.	3 पैसेंजर कम कारगो जलयानों का अधिग्रहण	,,	50.00	80.00
दूर संचार				
152.	इलैक्ट्रानिक स्वीच प्रणाली	आई. टी. आई.	149.19	219.36

संकेत

यू. जी.—भूमिगत

ओ. सी.—ओपन कास्ट

डी. डी.—दूरदर्शन

टी. पी. पी.—थर्मल विद्युत परियोजना

ट्रान्समिशन लाइन—संचरण लाइन

एच. ई. पी.—हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना

एस. टी.—स्तर

मोड—आधुनिकीकरण

डबल—डब्लींग (दोहरा)

सी. पी. पी.—केन्द्रीय पावर परियोजना

ऐक्सटेंशन—विस्तार

रोड—सड़क

कोन—कनवंशन (परिवर्तन)

एडल – ऐडीशनल (अतिरिक्त)

[हिन्दी]

बिहार की पेय जल योजना

4402. श्री सूरज मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बिहार के गोड्डा, दुमका, देवघर, भागलपुर और मुंगेर जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई;

(ख) उन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई और इससे कितने गांवों को लाभ मिला;

(ग) क्या "जलधारा" योजना के अंतर्गत कुएं खोदने के लिए इन क्षेत्रों के लघु और पिछड़ी श्रेणी के किसानों को धन दिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) से (घ) बिहार राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नए चीनी कारखाने

4403 श्री मुकुल वासनिक :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में चीनी उद्योग की सृजन की जाने वाली क्षमता का कोई आंकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आठवीं योजना के दौरान चीनी के नए कारखाने स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए जायेंगे ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में चीनी उद्योग की लाइसेंस शुदा क्षमता तथा संस्थापित क्षमता का लक्ष्य क्रमश: 155.66 लाख टन तथा 198.67 लाख टन निर्धारित किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 198.67 लाख टन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक बांड जारी करने की महाराष्ट्र की योजना

4404. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 750 करोड़ रुपये और नौवीं पंचवर्षीय योजना में 1500 करोड़ रु० के सार्वजनिक बांड जारी करके धन जुटाने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव में यह बताया गया है कि महाराष्ट्र का अन्तिम लक्ष्य सिंचाई के अन्तर्गत लगभग 70.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाए जाने का है। 1962 में अनुमानित इस सिंचाई क्षमता का लगभग 50% सातवीं योजना के अन्त तक लगभग 4260 करोड़ रु० के निवेश द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। 4800 रु० की शेष लागत में से महाराष्ट्र सरकार प्रतिवर्ष 300-350 करोड़ रु० का परिव्यय प्रदान करती है। प्रस्ताव के अनुसार सरकारी ऋणों जैसे वैकल्पिक तरीकों के जरिए संसाधनों को जुटाना आवश्यक हो गया है। महाराष्ट्र सरकार समझती है कि कम से कम 750 करोड़ रुपए की राशि आठवीं योजना के दौरान जुटाई जानी होगी तथा आगे नौवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ अन्य 1500 करोड़ रु० या इतनी राशि जुटाने के लिए प्रयास तेज किए जा सकते हैं।

(ग) चूंकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों के लिए बाजार ऋण कार्यक्रमों के लिए कुल निवेश योग्य संसाधन सीमित है इसलिए वर्तमान में बांड का प्रस्ताव अनुकूल नहीं समझा गया है तथा पहले से अनुमोदित ऋण कार्यक्रम के अलावा महाराष्ट्र सरकार को किसी अन्य आवंटन की मंजूरी की कोई गुंजाइश नहीं है।

दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में सरकारी उपक्रमों की स्थापना

4405. **श्री बलराज पासी :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में कुछ सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे तथा तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र का कोई नया उपक्रम स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार और गुजरात में औद्योगिक रुग्णता

4406. **श्री राम लखन सिंह यादव :**

श्री हरिन पाठक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और गुजरात में बड़े पैमाने की औद्योगिक रुग्णता है;

(ख) तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा रुग्णता दूर किए जाने के लिए राज्य सरकार को क्या मार्ग निर्देश जारी किए जा रहे हैं और प्रदान किए गए साधनों/सहायता का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रूग्ण औद्योगिक एककों के संबंध में आंकड़े एकत्र करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, सितम्बर, 1989 के अन्त तक बिहार और गुजरात राज्यों में रुग्ण औद्योगिक एककों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

राज्य का नाम	लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की संख्या	गैर लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की संख्या
बिहार	5, 250	42
गुजरात	6, 302	154

बाह्य तथा आंतरिक दोनों कई कारण औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रमुख कारण विपणन, वित्त, श्रम एव उत्पादन संबंधी समस्याएं, प्रबंध में कमियां, बिजली की कमी, मांग में कमी तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित है।

(ग) जहां तक गैर लघु उद्योग क्षेत्र में रोगी एककों का संबंध है, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई धन नहीं दिया जाता। सीमान्त धन योजना के अधीन, लघु उद्योग क्षेत्र में रोगी एककों को पुन: चालू करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराती है। छोटे एककों को फिर से चालू करने के लिए सीमांत धन योजना के अधीन मार्च 1991 के अन्त तक केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को कुल 23 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। इस योजना के अधीन धन दिए जाने के वास्ते गुजरात के संबंध में उद्योग मंत्रालय को गुजरात सरकार की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4407. **श्री राम बदन** :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के मऊ और आजमगढ़ जिलों में फल एवं सब्जियों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने उद्योग कार्यरत हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें दी गई सहायता का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे उद्योगों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश में फल उत्पाद आदेश के अधीन लाइसेंस दिए गए 335 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी गई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सभी उत्पादों के मानकों का दर्जा बढ़ाना

4408. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी घरेलू औद्योगिक और कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने के लिए नीतियां तथा मार्ग निर्देश तैयार करने हेतु भारतीय मानक संस्थान, एग्मार्क, कूलमार्क, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एकीकरण करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) इस संबंध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

डी० डी० ए० में कथित अनियमितताएं

4409. **श्री नवल लाल कुटाना :**

श्री ओंकार शर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "डी० डी० ए० हैज मैनी हाऊसेस बिल्ट आन पेपर ओनली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित प्रमुख बातें क्या हैं तथा वे कहां तक सही पायी गयी हैं;

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या 1990-91 के दौरान कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया था किन्तु 90 करोड़ रुपए विकास कार्य पर तथा 250 करोड़ रुपए निर्माण पर खर्च किए हुए दिखाये गए थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं :—

(1) यद्यपि धन खर्च किया गया है, किन्तु मकानों का निर्माण नहीं किया गया है।

(2) कामगारों की भविष्य निधि से लगभग 30 करोड़ रुपए के व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(3) अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत आबंटन नहीं किए गए हैं और जिनको आबंटन नहीं किया गया है उनको पंजीकरण राशि नहीं लौटाई गई है।

(4) पदोन्नति के अवसरों को प्रभावित करते हुए सहायक निदेशक के स्तर तक बाहर से सीधी भर्ती के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है।

(5) "गबन" के मामले की सी० बी० आई० जांच कराई जाए।

समाचार में उल्लिखित मुद्दों की जांच की जा रही है।

फर्श साफ करने वाली मशीन

4410. डा० राजगोपालन श्रीधरण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी बाजारों के लिए देश में ही फर्श साफ करने वाली मशीनों का उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों का उत्पादन करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं; तथा

(ग) इन वस्तुओं की विदेशी बाजार में क्या मांग है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) वैक्यूम क्लीनरों का निर्माण किया जा रहा है, परन्तु फ्लोर स्क्रबिंग मशीनों का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) मै० यूरेका फोर्बीज लि०, भीमताल और मै० फेसिट एशिया, मद्रास वैक्यूम क्लीनरों का निर्माण कर रहे हैं।

(ग) पड़ोसी देशों को वैक्यूम क्लीनरों के निर्यात की कोई संभावना नही है।

भविष्य निधि पर ब्याज की दर में वृद्धि

4411. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिकों के भविष्य निधि योगदान पर ब्याज की दर में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के खातों में जमा करने के लिए आवधिक रूप से ब्याज की दर की घोषणा करती है। इस समय ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण हित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान ब्याज दर पर्याप्त है।

एच० एफ० सी० की दुर्गापुर इकाई का बन्द किया जाना

4412. डा० असीम बाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की दुर्गापुर इकाई को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो, क्या सरकार इस इकाई को पुनः चालू करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) 1988 में परामर्शदाताओं ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के क्रियाशील एककों (नामरूप III को छोड़कर) के पुनर्वास/पुनरुद्धार की सिफारिश की थी। दुर्गापुर एकक के लिए अंतर्ग्रस्त लागत 171.30 करोड़ रुपये थी जो फरवरी की स्थिति के अनुसार 213 51 करोड़ रुपये हो गई है। चूंकि इसमें अति बृहत निवेश अंतर्ग्रस्त थे इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया गया।

प्लूटोनियम के पुनः प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी

4413. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु अपशिष्ट से प्लूटोनियम अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया पर भारी लागत आती है;

(ख) क्या इस पुनःसंसाधित प्रौद्योगिकी को शेष विश्व से गुप्त नहीं रखा जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस समय विश्व में किन-किन देशों के पास यह सुविधा उपलब्ध है;

(घ) क्या ईरान के पास भी ऐसी प्रौद्योगिकी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भारत द्वारा ईरान को 10 मेगावाट का रिएक्टर सप्लाई न करने के क्या कारण हैं, जिसके फलस्वरूप वह उक्त प्रौद्योगिकी निर्यात में शामिल हो जाता ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) किसी भी ऐसे अनुप्रयोग के लिए जिसमें प्लूटोनियम का उपयोग करना आवश्यक हो, न्यूक्लियर रिएक्टरों से निकलने वाले भुक्तशेष ईंधन को पुनःसंसाधित करना एक पूर्व-अपेक्षा है। ईंधन को पुनःसंसाधित करने के मामले में भारत का अनुभव यह दर्शाता है कि भारत में इसकी लागत उन विकासशील देशों में ईंधन के पुनर्संसाधन पर आई लागत से काफी कम है जो इस प्रौद्योगिकी के बारे में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

(ख) यद्यपि रसायन को संसाधित करने संबंधी मूल प्रक्रम चित्र की जानकारी सबको है,

प्लूटोनियम के बारे में प्रसार संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्संसाधन की यह तकनीक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

(ग) विश्व में बहुत कम देश इस रूप में जाने जाते हैं जिनके पास बड़े वाणिज्यिक स्तर पर पुनर्संसाधन करने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। भारत के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ गणराज्य, जर्मनी, जापान, बेल्जियम और इटली के पास इस प्रौद्योगिकी के उपलब्ध होने की जानकारी है। हालांकि वे सभी इस प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं।

(घ) ईरान के इस प्रौद्योगिकी में सक्षम होने के बारे में कोई प्रकट जानकारी नहीं है।

(ङ) ईरान को अनुसंधान रिएक्टर की आपूर्ति करने संबंधी कार्रवाई अन्वेषणात्मक चरण पर है और इसका संबंध पुनर्संसाधन संबंधी प्रौद्योगिकी से नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को फ्लैटों/प्लाटों का आवंटन

4414. **श्री जगबीर सिंह :**

प्रो० प्रेम धूमल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्ववित्त पोषण योजना के फ्लैटों सहित प्लाटों और फ्लैटों के आवंटन से संबंधित सभी योजनाओं में 2 प्रतिशत कोटे के आरक्षण में बकाया चला आ रहा है, यदि हां, तो इसका अलग-अलग श्रेणी-वार, ब्योरा क्या है तथा इसमें कितने लोगों ने पंजीकरण कराए हैं;

(ख) रोहिणी आवासीय योजना और स्ववित्त पोषण योजना के फ्लैटों इत्यादि सहित आवासीय प्लाटों, फ्लैटों के आवंटन में कुल कितना बकाया चला आ रहा है तथा इसका अलग-अलग, योजना-वार और श्रेणी-वार, ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आवासीय प्लाटों, फ्लैटों और अन्य स्ववित्त पोषण योजना के फ्लैटों इत्यादि के संबंध में बकाया आवंटन को पूरा करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस अनुदेशों का अनुपालन किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार इन अनुदेशों को कब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण से कार्यान्वित करा पाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (च) सरकार ने अप्रैल, 89 में निर्णय लिया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सूचित किया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को फ्लैटों और भूखण्डों के आवंटनार्थ ऐसी योजनाओं के संबंध में, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से ही आवेदन आमंत्रित करने

चाहिए जिनमें इन श्रेणियों से सम्बन्धित पंजीकृतों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण पूर्ण आरक्षित कोटा का उपयोग नहीं किया गया है। सरकार का यह निर्णय आवास योजनाओं की सभी श्रेणियों अर्थात जनता, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, तथा स्व.वित्त पोषित योजना पर लागू होना था।

(ङ) और (च) न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पिछले बकाया को निपटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अम्बेडकर आवास योजना नामक एक स्कीम के अन्तर्गत जनता, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग श्रेणी के 20,000 फ्लैटों के आबंटनार्थ मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से नवम्बर-दिसम्बर, 89 में आवेदन आमंत्रित किये थे। अन्य आवास योजनाओं के अन्तर्गत पिछले बकाया को न निपटाए जाने के कारणों का दिल्ली विकास प्राधिकरण से पता लगाया जा रहा है और वे यथा समय सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को बंद किया जाना

4415. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के सात यूनिटों को बंद करने अथवा उन्हें अन्यत्र सौंपने का विचार कर रही है;

(ख) क्या इन यूनिटों को प्राइवेट एजेन्सियों को बेचने का विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में राज्य सरकार अथवा कामगारों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श का आयोजन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

नमक के उपकर का उपयोग

4416. डा० महावीर सिंह हरिसिंहजी गोहिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने नमक पर लगने वाले उपकर के संबंध में कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कब और गुजरात में नमक पर लगने वाले उपकर से कितनी आमदनी हुई है;

(ग) आमदनी की कितनी राशि जमा की गई और गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से उपकर की कुल कितनी राशि को राज्य योजनाओं में निवेश किया है;

(घ) क्या नमक के उपकर से राज्य के हिस्से के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का नमक पर किए जाने वाले उपकर की राशि को राज्य और केन्द्र के बीच समान रूप से वितरित करने हेतु मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (च) गुजरात सरकार राज्य में विकास श्रमिक कल्याण और समुदाय विकास कार्य करने के लिए नियमित रूप से नमक उपकर आय से सहायता की मांग करती रही है। गुजरात से लगभग 1,46,83,735/-रुपये औसत वार्षिक नमक उपकर इकट्ठा होता है।

उपकर आय का केन्द्र और राज्यों के बीच बंटवारा नहीं किया जाता और न ही ऐसे बंटवारे की अपेक्षा है। किन्तु केन्द्रीय और क्षेत्रीय नमक सलाहकार बोर्डों की सिफारिशों के आधार पर नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 4 (क) और (ख) तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा बनाई गई नियम संहिताओं के अधीन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकारों को उपकर आय से वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

4417. **श्री मोहन रावले** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से विस्थापित हुए सभी व्यक्तियों को तारापुर महाराष्ट्र में नियंत्रित रोजगार उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) तारापुर में विस्थापितों को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तारापुर में तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र और परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य परियोजनाओं की स्थापना के कारण परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी गई है और उन व्यक्तियों को पदों की उपलब्धता तथा अर्हता और अनुभव संबंधी न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करने के आधार पर नौकरी दी गई है।

(ख) तथा (ग) परियोजना से प्रभावित कुल 451 व्यक्तियों को तारापुर स्थित तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 और तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4 सहित परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न संस्थापनाओं में नौकरी दी गई है।

(घ) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट 3 तथा 4 के संबंध में भूमि का अधिग्रहण करने तथा पुनर्वास संबंधी कार्रवाई प्रारम्भिक चरणों में है और अभी पूरी नहीं हुई है। तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट 3 तथा 4 को स्थापित करने की वजह से प्रभावित हुए व्यक्तियों को रोजगार देने के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते कि पद उपलब्ध हों और वे व्यक्ति अर्हता

तथा अनुभव संबंधी मानदण्डों को पूरा करते हों। परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर स्थित अन्य संयंत्रों तथा परियोजनाओं के बारे में भूमि का अधिग्रहण करने तथा पुनर्वास संबंधी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और इसलिए और व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के शहरी मार्गों एवं शहरों का विकास

4418. **श्री भीम सिंह पटेल :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 1990-91 और 1991-92 के दौरान शहरी सड़कों के विकास के लिए किसी वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का शहरों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास योजना (आई० डी० एस० एम० टी०) की चालू योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार अर्द्धसंरचनात्मक विकास, जिसमें यातायात तथा परिवहन/सड़क विकास शामिल हैं, के लिए आसान शर्तों पर समान आधार पर राज्य सरकारों के लिए प्रतिवर्ष ऋण (अधिकतम 46 लाख रुपये) की व्यवस्था करती है। राज्य सरकारों से विस्तृत परियोजना रिपोर्टों सहित वर्ष के दौरान उन नगरों की प्राथमिकता सूची, जिनको सहायता दी जानी है, की प्राप्ति के आधार पर नगरों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है। चयनित नगरों की संख्या सरकार के पास इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वार्षिक बजट प्रावधानों पर निर्भर करती है। वर्ष 1990-91 के दौरान आई० डी० एस० टी० के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में निम्नलिखित नगरों को सहायता प्रदान की गई थी :—

(रुपए लाखों में)

	नगर का नाम	कुल अनुमोदित निवेश	यातायात तथा परिवहन संघटक	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता
1.	बेतूल	96	53	15
2.	अबदुल्ला गंज	63.8	14.40	25
3.	नीमच	114 07	46.2	27.5
4.	भिन्ड	87 96	शून्य	27.5
5.	दमोह	124.15	83.46	27.5
6.	सेहोर	85.79	27.35	25.0
7.	विदिशा	90.08	20	10
8.	पन्ना	101.33	11.04	27.5
	कुल :	763.18	255.45	185

चालू वर्ष के लिए नगरों के चयन का निर्णय अभी किया जाना है।

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक

4419. डा० कृपासिंधु भोई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मारुति उद्योग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले के सम्बन्ध में 2 दिसम्बर, 1991 के "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क)से(घ) दिनांक 2-12-91 के "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचारों में विहित शिकायतें सरकार को पहले प्राप्त हुई थीं और उनकी जांच की गई थी। उनमें से कुछ पर कार्रवाई चल रही है।

मधुमक्खी के छत्तों में रोग

4420. श्री के० मुरलीधरन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "यूरोपियन फाउल ब्रूड" नामक भयंकर बीमारी के कारण मधुमक्खी पालकों के बक्स खाली ही रहते हैं; और

(ख) इसके उपशयन के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) "यूरोपियन फाउल ब्रूड" नामक बीमारी का सबसे पहले 1970 में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पता लगा था और फिर यह कर्नाटक राज्य में कासलरॉक में फैल गई। हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि केरल के कुछ भाग उक्त बीमारी से प्रभावित हुए हैं।

(ख) चीनी घोल में टेरामाइसीन का इस्तेमाल करके इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए यह औषधि अत्यधिक प्रभावशाली पायी गई। इस बीमारी को निम्न लिखित उपायों से भी रोका जा सकता है :—

(1) कमजोर कालोनियों को संवर्धक शक्ति से जोड़ना।

(2) अकाल के समय उचित देखभाल करना जैसे कालोनियों को कृत्रिम चीनी घोल देना अथवा कालोनियों को समृद्ध क्षेत्रों में ले जाना इत्यादि।

(3) कुछ दिनों के लिए रानी मक्खी को कालोनी से बाहर निकाल देना और फिर स्वस्थ रानी मक्खी को कालोनी में छोड़ देना जिसमें मधुमक्खियों को यह मौका दिया जा सके कि वह इन कालोनियों को स्वच्छ कर सकें।

(4) प्रभावित कालोनियों को अलग-अलग करना।

(5) छत्तों अथवा उपकरणों की अदला-बदली पर प्रतिबन्ध लगाना।

(6) मधुमक्खियों को कच्ची शहद नहीं खिलाई जानी चाहिए अथवा कच्ची शहद पर नहीं छोड़ना चाहिए।

(7) बीमार कालोनियों की मधुमक्खियों को शहद खिलाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे 90 डिग्री सेलसियस वाले पानी में कम से कम तीस मिनट तक उचित रूप से गर्म किया जाना चाहिए।

(8) फार्मलीन अथवा कार्बोलिक एसिड (फिनोल) का इस्तेमाल करके उपकरणों को उबालना और इसका प्रयोग करने से पहले इन्हें सुखा लेना।

(9) प्रभावित क्षेत्रों से अन्य भागों में कालोनियों का एक साथ शिफ्ट करने पर प्रतिबन्ध लगाना।

(10) कालोनियों का ठीक प्रकार से छितराव करके और उन्हें समय पर तथा ठीक प्रकार से भोजन देकर रोबिंग, ड्रिफ्टिंग इत्यादि को नियंत्रित करना।

भारी इन्जीनियरी निगम को बन्द करने का विलय करना

4421. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम को बन्द करने अथवा इसका भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में विचार-विमर्श

4422. श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना की नीति और कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान अपने देश में आर्थिक, उद्योग और विकास के क्षेत्र में कार्यरत कुछ विशेषता प्राप्त संगठनों और संस्थाओं के सुझाव भी मांगे गए हैं;

(ग) क्या योजना आयोग आठवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को अधिक प्राथमिकता देने तथा अधिक वित्त नियतन करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) योजना की तैयारी की प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों के साथ पारस्परिक संबंध है। आठवीं योजना के उद्देश्यों, महत्व तथा बृहत आर्थिक आयामों पर 23 और 24 दिसम्बर, 1991 को आयोजित की गई राष्ट्रीय विकास परिषद (एन. डी. सी.) की बैठक में विचार किया जाएगा और उसके निदेशों को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना तैयार की जाएगी।

(ग) तथा (घ) योजना आयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए प्राथमिकता प्रदान करता है। जहां तक वित्तीय आवंटनों का संबंध है, आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के असम और गुजरात विषयक प्रकाशन

4421. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के असम और गुजरात राज्यों विषयक प्रकाशनों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल में भा त के साथ-साथ असम और गुजरात राज्यों के राजनीतिक मानचित्रों के संशोधित संस्करण प्रकाशित किए गए हैं, यदि हां, तो कब और उनका, उनके मूल्यों, मिलन के स्थानों सहित ब्योरा क्या है;

(ग) भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित असम और गुजरात राज्यों के विभिन्न शहरों/नगरों के नगर/पर्यटन संबंधी मानचित्रों का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार असम के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर डिब्रूगढ़ का नगर मानचित्र प्रकाशित करने का है, यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रकाशनों की एक सूची संलग्न विवरण-I मे दी गई है।

(ख) मानचित्रों के संशोधित संस्करण अनुबंध-I में दिए अनुसार हां हैं। प्रत्येक मानचित्र का विक्रय मूल्य उसके सामने लिखा हुआ है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र महत्वपूर्ण नगरों और कस्बों के अधिकृत मानचित्र विक्रय एजेन्टों के पास बिक्री के लिए उपलब्ध है तथा ये संलग्न विवरण-II उल्लिखित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालयों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ग) भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा असम और गुजरात राज्यों के विभिन्न नगरों/कस्बों पर प्रकाशित किए गए राज्य/पर्यटक मानचित्र के ब्योरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) फिलहाल, संसाधनों की कमी के कारण सरकार का नगर मानचित्रों को, उदाहरण के तौर पर डिब्रूगढ़ के मानचित्र को, प्रकाशित करने का विचार नहीं है।

विवरण-I

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के असम और गुजरात राज्य विषयक प्रकाशनों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

1. भारत का राजनीतिक मानचित्र 1:4 मिलियन स्केल अंग्रेजी (तृतीय संस्करण)-1988, हिन्दी (प्रथम संस्करण)-1989, गुजराती (प्रथम संस्करण)-1990, मूल्य-8.00 रु० असमी में भारत का राजनीतिक मानचित्र मुद्रण के अन्तिम चरण में है।
2. चार भागों में भारत और सीमावर्ती देश 1:2.5 मिलियन स्केल-अंग्रेजी (1.8 एम० × 1.7 एम०) द्वितीय संस्करण—1990, मूल्य 38.00 रु० ।
3. भारत और सीमावर्ती देश, 1:12 मिलियन स्केल हिन्दी (प्रथम संस्करण)-1976 और अंग्रेजी (पांचवां संस्करण)-1990 (0.5 एम० × 0.5 एम०), मूल्य क्रमश: 1.75/5.00 रु० ।
4. भारत और सीमावर्ती देश, 1:16 मिलियन स्केल हिन्दी (चतुर्थ संस्करण)-1988 और अंग्रेजी (सातवां संस्करण)-1988 प्रत्येक (0.4 एम० × 0.4 एम०), मूल्य 2.00 रु० ।
5. भारत और सीमावर्ती देश, 1:8 मिलियन स्केल हिन्दी (द्वितीय संस्करण)-1988 और अंग्रेजो (द्वितीय संस्करण)-1989 (0.7 एम० × 0 6 एम०), मूल्य-600 रु० ।
6. भारत भौतिक 1:15 मिलियन स्केल अंग्रेजी (0.3 एम० × 0.4 एम०), मूल्य-100 रु० (प्रतियां अभी उपलब्ध नहीं हैं ।)
7. भारत राजनीतिक, 1:15 मिलियन स्केल अंग्रेजी (0.3 एम० × 1.4 एम०) मूल्य-1.60 रु० (प्रतियां अभी उपलब्ध नहीं है ।)
8. भारत का भौतिक मानचित्र, 1:4.5 मिलियन स्केल हिन्दी (प्रथम संस्करण)-1977 और अंग्रेजी (प्रथम संस्करण)-1979 प्रत्येक (0.9 एम० × 0.9 एम०), मूल्य-4.00 रु० (प्रतियां अभी उपलब्ध नहीं हैं ।)
9. भारत का रेलवे मानचित्र 1:3.5 मिलियन स्केल हिन्दी (तेरहवां संस्करण)-1989 और अंग्रेजी (चौदहवां संस्करण)-1989, प्रत्येक (0.9 एम० × 1.2 एम०), मूल्य-10/- रु० ।
10. 2 भागों में भारत का सड़क मानचित्र, 1:2.5 मिलियन स्केल पर अंग्रेजी (सातवां संस्करण)-1988 (1.2 एम० × 1.5 एम०), मूल्य-15.00 रु० ।
11. प्लास्टिक रिलीफ मैप—भारत भौतिक, 1:15 मिलियन स्केल, मूल्य-20.00 रु० ।
12. प्लास्टिक रिलीफ मैप—भारत राजनीतिक, 1:15 मिलियन स्केल, मूल्य 20.00 रु० ।
13. डिस्कवर इण्डिया सिरीज के अन्तर्गत पर्वतीय श्रृंखला और नदियां, 1:5 मिलियन स्केल — मूल्य 12.00 रु० ।
14. डिस्कवर इण्डिया सिरीज के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, 1:5 मिलियन स्केल—मूल्य 12.00 रु. ।
15. भारत भौतिक (समुद्री गहराई दर्शाता) 1:15 मिलियन स्केल—मूल्य 22.00 रु० ।

16. समस्त असम और गुजरात, 1:1 मिलियन आई. एम. डब्ल्यू. श्रृंखला मानचित्र। मूल्य 10.00 से 20.00 रुपए।

17. समस्त गुजरात 1:1 मिलियन डब्ल्यू. ए.सी. (आई. सी. ए. ओ.) श्रृंखला मानचित्र। मूल्य 10.00 से 20.00 रु०।

18. समस्त असम और गुजरात 1:250,000 स्केल स्थलाकृतिक मानचित्र। मूल्य 10.00 रु.

19. समस्त असम और गुजरात, 1:50,000 स्केल स्थलाकृतिक मानचित्र। मूल्य 10.00 रु.

राज्य मानचित्र

1. दादरा और नागर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र (अंग्रेजी) प्रथम संस्करण 1977 (1.5 एम० × 1.2 एम०) मूल्य 8.00 रु०।

2. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा (अंग्रेजी), दूसरा संस्करण 1984 (0.8 एम० × 1.0 एम०) मूल्य 4.00 रु०।

राज्य मानचित्र श्रृंखला

3. गुजरात (अंग्रेजी) प्रथम संस्करण, 1990। मूल्य 12.00 रु०।

1:50,000 पैमाने पर पर्यटन मानचित्र श्रृंखला

4. अहमदाबाद, प्रथम संस्करण, 1990, मूल्य 12.00 रु०।

मार्ग दर्शक मानचित्र

5. नवगांव, प्रथम संस्करण 1980। मूल्य 11.00 रु०।

विवरण-II

1. प्रभारी अधिकारी, मानचित्र अभिलेख और निकासन कार्यालय, मानचित्र प्रकाशन निदेशालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हाथी बड़कला एस्टेट, न्यू कैंट रोड, देहरादून-248001 (मानचित्र के मुख्य सप्लायर)

2. कार्यालय अधीक्षक, मानचित्र विक्रय कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जनपथ बैरक "ए" प्रथम तल, नई दिल्ली-110001

3. प्रभारी, मानचित्र विक्रय कार्यालय, दक्षिणी सर्किल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 81, रिचमंड रोड, बंगलौर-560025

4. निदेशक, पूर्वी सर्किल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 13, वुड स्ट्रीट, कलकत्ता-700016

5. प्रभारी, मानचित्र विक्रय कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग "बी" ब्लाक, हुडा परिसर, तरनाका, हैदराबाद-500007

6. प्रभारी, मानचित्र विक्रय कार्यालय, द्वारा 76 (पी) पार्टी (दक्षिण-पूर्वी सर्किल) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ल्यूज रोड, भुवनेश्वर-751014

7. प्रभारी, मानचित्र विक्रय कार्यालय, द्वारा 89 (पी) पार्टी (मध्य सर्किल), भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ई-6/1 अरेरा कॉलोनी, भोपाल-468014

8. प्रभारी, मानचित्र विक्रय कार्यालय, द्वारा 91 पार्टी (उत्तरी सर्किल), पोस्ट बाक्स सं० 328, 4/बी पराग नारायण रोड, लखनऊ-226001

9. प्रभारी, मानचित्र विक्रय कार्यालय, द्वारा 9 डी. ओ. (उत्तर-पश्चिमी सर्किल), भारतीय सर्वेक्षण विभाग, एस.सी.ओ. सं. 48, सेक्टर-26, चंडीगढ़-160026

10. प्रभारी, मानचित्र विक्रय कार्यालय, द्वारा डी. सी. सं. 83, पार्टी (पश्चिमी सर्किल), भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 34 मुक्तानंद नगर, गोपाल पुरा, बाई पास, जयपुर-302015

11. प्रभारी अधिकारी, 21 पार्टी (दक्षिणी सर्किल), भारतीय सर्वेक्षण विभाग, नं. टी. सी./31506, वल्लाक, कादावू, डाकघर — त्रिवेन्द्रम-695008

12. प्रभारी, मानचित्र विक्रय कार्यालय, द्वारा निदेशक, उत्तर-पूर्वी सर्किल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पो. बा. 89, शिलांग-793001

13. प्रभारी, मानचित्र विक्रय कार्यालय, द्वारा ओ. सी. सं. 31 पार्टी (दक्षिण मध्य सर्किल) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, फुल्ले नगर, अलंदि रोड, पुणे-411006

14. प्रभारी, ओ. सी. सं. 94 (ए.एम.) पार्टी (सर्वेक्षण हवाई), "ए" ब्लाक, दूसरा तल, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली-110062

15. मैसर्स बाल गोविंद कुबेर दास एण्ड कम्पनी, सेल्स डिवीजन, 273, गांधी रोड, अहमदाबाद-3:0001

16. न्यू आर्डर बुक कम्पनी, एलिसे ब्रिज, अहमदाबाद।

विवरण-III

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा असम और गुजरात राज्यों में विभिन्न शहरों/कस्बों पर प्रकाशित किए गए राज्य/पर्यटन मानचित्र का ब्योरा।

राज्य मानचित्र

(1) दादरा और नागर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र (अंग्रेजी) प्रथम संस्करण, 1977 (1.5 × 1.2 एम) मूल्य 8 रुपए।

(2) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा (अंग्रेजी), दूसरा संस्करण, 1984, (0.8 एम० × 1.0 एम०) मूल्य 4.00 रुपए।

राज्य मानचित्र माला

(3) गुजरात (अंग्रेजी), प्रथम संस्करण 1990 मूल्य 12.00 रुपए।

पर्यटन मानचित्र माला स्केल 1:50,000

(4) अहमदाबाद, प्रथम संस्करण 1990। मूल्य 12.00 रुपए।

मार्गदर्शक मानचित्र

(5) नवगांव, प्रथम संस्करण, 1980। मूल्य 11.00 रुपए।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

4424. श्री मोती लाल सिंह :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) आवंटित फ्लैटों को रद्द करने की क्या प्रकिया है;

(ग) स्वयं वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान कितने आवंटित फ्लैटों को रद्द किया गया और पुन: आवंटित किया गया; और

(घ) इन शिकायतों को दूर करने और आवंटन में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) स्वयं वित्त पोषित योजना के अंतर्गत फ्लैटों का आबंटन, प्रत्येक योजना में पात्र पंजीकृत व्यक्तियों की वरीयता को ध्यान में रखते हुए और स्वयं वित पोषित फ्लैटों के नियतन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्रों मे दर्शाई गई इलाके की पसन्द के आधार पर फ्लैटों की प्रत्येक अलग-अलग रिलीज के लिए लाटरी के माध्यम से किया जाता है।

भुगतान करने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सफल पंजीकृत व्यक्तियों को मांग एवं नियतन पत्र जारी किए जाते हैं। फ्लैटों के पूरा हो जाने के पश्चात् उन आवंटितियों के मामलों पर, जिन्होंने भुगतान तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, फ्लैटों के विशिष्ट आबंटन लिए विचार किया जाता है।

(ख) आबंटियों द्वारा समय पर किश्तों का भुगतान न करने तथा विनिर्दिष्ट प्रावधानों/औपचारिकताओं का अनुपालन न करने पर आबंटन रद्द कर दिए जाते हैं। प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटन की बहाली पर विचार किया जाता है।

तथापि, सामान्य अवस्था में, यदि आबंटी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पांचवीं तथा अन्तिम किश्त का भुगतान करने में असफल रहता है तो बहाली नहीं की जा सकती है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डी० डी० ए० और दिल्ली नगर निगम के आवासीय उप नियमों में संशोधन

4425. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के आवासीय उप-नियमों में संशोधन कर दिया गया गया है ताकि अधिक आच्छादित क्षेत्र की अनुमति दी जा सके और गृह

स्वामियों की छोटी-छोटी चूकों को अनदेखा किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने दिनांक 13 दिसम्बर, 1990 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ-8/2/90-एम० एस० ओ० के तहत भवन उपनियमों के परिशिष्ट "घ" में संशोधन किया है, जिसके अनुसार आयुक्त द्वारा निर्धारित किए जाने वाले शुल्क के भुगतान पर माफ किए जाने वाले प्रति तल 20% तक अधिक अच्छादन (अधिकतम 450 वर्ग फीट तक) तथा अधिकतम 2 फीट तक आवर्तन के अतिलंघन की अनुमति दी है। तथापि, दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए संशोधनों पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

भारतीय उपग्रह "इनसेट" पर आधारित विनाश चेतावनी प्रणाली

4426. **श्री राधिका रंजन प्रामाणिक** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तूफान-प्रवण तटीय क्षेत्रों में "इनसेट" पर आधारित विनाश चेतावनी प्रणाली रिसीवर स्थापित किए है/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितने रिसीवर स्थापित किए जा चुके हैं और ये कहां-कहां स्थापित किए गए है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 1992 के मध्य तक पश्चिम बंगाल में 5 और उड़ीसा में 5 विनाश चेतावनी प्रणाली रिसीवर स्थापित करने की योजना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पश्चिम बंगाल में 25 और उड़ीसा में 25 विनाश चेतावनी प्रणाली रिसीवर स्थापित करने का भी विचार है।

स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति

4427. **श्री रमेश चेन्नितला** :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विभिन्न मंत्रालयों के पास स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जल भूतल परिवहन, वाणिज्य, जल संसाधन इत्यादि जैसे मंत्रालयों ने परियोजनाओं

को स्वीकृति प्रदान करने के लिए पहले से ही एक प्रक्रिया अपनाई हुई है।

जल भूतल मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की शक्तियां प्रत्यायोजित की हुई है, जिन्होंने विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 करोड़ रु० तक की राशि के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए पत्तनों को अधिकार दिए गए हैं। सड़क क्षेत्रक में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त किए बिना, वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए भी एक प्रक्रिया अपनाई गई हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने एक ही स्थान पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए कार्यदल प्रक्रिया की शुरुआत की है। जल संसाधन मंत्रालय ने फरवरी, 1990 में सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण, अनुमोदन और स्वीकृति के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। ये सभी उपाय सम्बद्ध मंत्रालयों में विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति की गति तेज करने के लिए किए जा रहे हैं।

बिहार में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस

4428. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने के लिए श्रेणी-वार जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल जैसे वित्तीय संस्थानों ने इन मिलों को स्थापित करने के लिए ऋण देने से यह कहकर मना कर दिया है कि न तो यह व्यवहारिक है और न ही सम्भव;

(ग) यदि हां, तो क्या इन मिलों को लाइसेंस दिए जाने के कारणों की कोई जांच करने के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) बिहार में सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्क औषधियों की कीमतें

4429 **श्री राम प्रकाश चौधरी :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बल्क औषधियों के मूल्यों के बारे में कोई अधिसूचना जारी करती है;

(ख) क्या हाल ही में बल्क औषधियों के अधिसूचित मूल्यों में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन परिवर्तनों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये; और

(घ) कितनी अवधि के बाद औषध निर्माण तदनुरूप परिवर्तन प्रभारी होते हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) डी पी.सी.ओ. 1987 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों का संशोधन/निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है, और ये बी. आई. सी. पी. की सिफारिशों पर और उनके परामर्श से किए जाते हैं। इन्हें समय-समय पर उचित जांच के बाद अधिसूचित/निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4430. **श्री राम टहल चौधरी** :

श्री ललित उरांव :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार में नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बिहार में फल उत्पाद आदेश के अधीन लाइसेंस दिये गये 29 फल एवं सब्जी संस्करण यूनिट और 10 मृदु वातित जल यूनिट हैं। बिहार में 41 रोलर आटा मिलें, आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलों, हलर्स, शेलर्स, हलर-कम-शेलर्स सहित 4872 चावल मिलें हैं। बिहार के रांची नामक स्थान में एक बड़ा ब्रेड निर्माता एकक और एक सूअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र (नमकीन सूअर मांस फैक्टरी) कार्यरत हैं। दूसरे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) वनजातीय ग्रामीणों द्वारा खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु सहायता के एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र में खाद्य, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के विकास के लिए सहायता के दूसरे प्रस्ताव की जांच की जा रही है। माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड बिहार में पोषाहार/उर्जादायक आहार संयंत्र की स्थापना के एक प्रस्ताव की जांच कर रही है। इस मन्त्रालय ने रांची स्थित नमकीन सूअर मांस फैक्टरी में एक अतिरिक्त सूअर मांस प्रसंस्करण लाइन स्थापित करने के लिए बिहार सरकार को सुझाव भी दिया है।

उड़ीसा में उद्योग लगाने की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र

4431. **श्री श्रीकांत जेना** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उद्योग लगाने हेतु केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हुये;

(ग) इन आवेदन पत्रों के काफी लम्बे समय से लम्बित पड़े रहने के क्या कारण है; और

(घ) औद्योगिक स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) 1988 से 1991 (30 नवम्बर तक) की अवधि के दौरान, उड़ीसा में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए आशय पत्र लेने हेतु कुल 180 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 45 आवेदनों का अनुमोदन कर दिया गया है और 93 आवेदन नामंजूर/अन्यथा निपटा दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 24 जुलाई, 1991 को घोषित नयी औद्योगिक नीति के अधीन सामरिक, सुरक्षात्मक तथा सामाजिक कारणों के आधार पर उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर शेष उद्योगों के लिये औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। जिन मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक है उनके बारे में सरकार को प्राप्त हुये सभी प्रस्तावों के निपटान के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमायें निर्धारित की गयी हैं।

[अनुवाद]

गोदामों में ठेके जारी रखना

4432. **डा० वसन्त पवार** :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराए पर लिए गए गोदामों के बारे में विभिन्न पार्टियों के साथ किये गए मौजूदा करारों को जारी रखने की सम्भावना है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा इस समय उपयोग में लाए जा रहे प्राइवेट गोदामों के बारे में किराया भार आदि की मौजूदा शर्तों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) दो प्रमुख केन्द्रीय एजेन्सियों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा गोदामों को किराए पर लेना और खाली करना एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसका निर्धारण अमुक अवस्था में भण्डारण क्षमता की आवश्यकताओं और पहले से उपलब्ध क्षमता के आधार पर किया जाता है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम का किराये पर लिए गए गोदामों के संबंध में वर्तमान करारों की अवधि के दौरान किराया प्रभारों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी भुमि पर अनधिकृत कब्जा

4433. **प्रो० रासा सिंह रावत** :

श्री मोहन सिंह :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डी० डी० ब्लाक मार्केट, हरी नगर, जी० डी० एरिया, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को भी इस अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) अप्रैल, 1991 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान इसने इन अतिक्रमणों का पता लगाया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अतिक्रमणों को हटाने के लिए आवंटितियों/पट्टाधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा यदि अतिक्रमण जारी रहता है तो आवंटन/पट्टा रद्द कर दिया जाएगा।

खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डार

4434. **श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के सुरक्षित भण्डार में 1.9 मिलियन टन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो यह सुरक्षित भण्डार सम्बन्धी सरकार की नीति के निर्धारित स्तर से कितना कम है; और

(ग) विभिन्न खाद्यान्न के भण्डारों में आई कमी को पूरा करने के लिए तथा उन्हें नीति द्वारा निर्धारित स्तर तक लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) सरकार द्वारा अपनाई गई बफर स्टाक रखने की नीति के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा रखे जाने वाले स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है।

(मिलियन मीटरी टन में)

तारीख	चावल	गेहूं	जोड़
पहली अक्तूबर	6.0	10.6	16.6

पहली अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास 15.6 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था जिसमें 7.00 मिलियन मीटरी टन चावल और 8.6 मीटरी टन गेहूं था।

(ग) यद्यपि गेहूं और चावल के वर्तमान स्टाक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है लेकिन राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय पूल के लिए अधिकतम वसूली करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

4435. **श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शुरू किए गए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की अच्छी वर्षा के वर्षों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और पर्याप्त वर्षा न होने की स्थिति में फसलों को हुई हानि और विज्ञान पर आधारित मिट्टी और नमी के संरक्षण से कम खर्चीले उपायों की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपरोक्त कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा और यदि हां, तो कार्यक्रम शुरू करने से अब तक राज्यों को कितनी वित्तीय और तकनीकी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को राज्यों को हस्तान्तरित करने की सिफारिश करने वाली राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। कार्यक्रम के आरम्भ होने से लेकर मार्च, 1991 तक सम्बन्धित राज्यों को 619.21 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

जल दरें निर्धारित करने सम्बन्धी मानदण्डों की सिफारिश करने हेतु विशेष समिति का गठन

4436. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सिंचाई जल दरों को तर्कसंगत बनाने हेतु जल दरें निर्धारित करने संबंधी मानदंडों की सिफारिश करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा अपना अन्तरिम प्रतिवेदन कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ग) समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे और इसके निदेश पद क्या होंगे ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) :(क) जी, हां। योजना आयोग ने सिंचाई जल संबंधी एक मूल्य निर्धारण समिति का गठन 23.10.91 को किया है।

(ख) यह समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट-अधिसूचना की तारीख से चार महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

(ग) समिति का गठन और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सिंचाई जल सम्बन्धी मूल्य निर्धारण समिति का गठन

1. डा. ए. वैद्यनाथन, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, मद्रास 79. दूसरी मेन रोड़, गांधी नगर, आडियार मद्रास-600020 ... सदस्य

2. श्री रामास्वामी आर. अय्यर, विजिटिंग प्रोफेसर
नीति अनुसंधान केन्द्र, धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली-110021 ... सदस्य

3. श्री बी बी. पटेल,
भूतपूर्व अध्यक्ष,
सी. डब्ल्यू. सी.-II, चन्द्र मौली सोसायटी
नवा वड़ाज, अहमदाबाद-380013 ... सदस्य

4. श्री आर. एल. प्रदीप,
अपर सचिव,
जल संसाधन मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ... सदस्य

5. श्री. बी. एन. नवलावाला,
सलाहकार (आई. एंड सी. ए. डी)
योजना आयोग, नई दिल्ली ... सदस्य

6. श्री एम. एस. रेड्डी,
सदस्य (डब्ल्यू. पी.)
सी. डब्ल्यू सी., सेवा भवन
आर. के. पुरम, नई दिल्ली ... सदस्य

7. कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
(संयुक्त सचिव के स्तर के से कम नहीं) ... सदस्य

8. श्री धर्मवीर, महानिदेशक,
केन्द्रीय राजस्व (आई),
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली 110002 ... सदस्य

9. सचिव, सिंचाई विभाग,
आंध्र प्रदेश सरकार
हैदराबाद। ... सदस्य

10. सचिव, सिंचाई विभाग,
असम सरकार, गुवाहाटी-781001 ... सदस्य

11. सचिव, सिंचाई
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ ... सदस्य

12. सचिव, सिंचाई
महाराष्ट्र सरकार
मंत्रालय,
बम्बई-400001 ... सदस्य

13. सचिव, सिंचाई तथा जलमार्ग विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार
राइटर्स बिल्डिंग,
कलकत्ता-700001 ... सदस्य

14. डा. बी. जे. पटेल, जोवराज पटेल
कृषि-वानिकी केन्द्र, सुरेन्द्र बाग,
कारदेज-364061
जिला भावनगर (गुजरात)
(एक किसान प्रतिनिधि) ... सदस्य

15. श्री एम. एल. लाथ,
मुख्य अभियंता (डब्ल्यू. एम.)
जल संसाधन मंत्रालय,
लोक नायक भवन, नई दिल्ली ... सदस्य-सचिव

समिति के विचारार्थ विषय

1. सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रक सिंचाई परियोजनाओं में मौजूदा जल दर ढांचे तथा इमदाद की सीमा की समीक्षा करना।

2. निम्न के लिए सुझाव देना :

(क) जल दरें निर्धारित करने के लिए मानदंड;

(ख) किफायती जल दरों के ओ० एंड एम० कम्पोनेंट में लागत वृद्धि के लिए मानदण्ड;

(ग) विभिन्न कृषि-जलवायवीय क्षेत्रों के लिए फसलवार/क्षेत्रवार जल दरों की आयतनी आपूर्ति के परिवर्तन के लिए मानदंड;

(घ) किफायती जल दरों की सफल वसूली के लिये क्रियाविधि सहित संगठनात्मक उपाय; तथा

(ङ) राज्यों द्वारा उपयुक्त सिंचाई जल दरों की उगाही सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन नियंत्रण।

3. संयुक्त प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सतही और भूमिगत जल, दोनों के लिए एक युक्तियुक्त जल दर ढांचा विकसित करना।

4. विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव के वर्तमान स्तर की समीक्षा करना।

5. पूर्ववर्ती समितियों तथा विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किए गए रखरखाव के मानदण्डों की समीक्षा करना।

6. विभिन्न राज्यों में विविध सिंचाई प्रणालियों के लिए कर्मचारी स्थापना सम्बन्धी व्यय के लिए कमांड की प्रति हैक्टेयर ऊपरी सीमा नियत करने सहित रखरखाव प्रभार निर्धारित करने के लिए मानदंड सुझाना।

चीनी परियोजनाओं के लिए समिति

4437. श्री. आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने महाराष्ट्र में चीनी की नई सहकारिता परियोजनाओं की समस्याओं की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 1989 में 36 परियोजनाओं के लिए आशय पत्र स्वीकृत किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या वे छब्बीस एकक जो 100 करोड़ रुपयों का निवेश कर चुके हैं अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आवधि ऋण देने वाली संस्थाओं ने उन्हें ऋण देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(घ) क्या इस संबंध में समिति ने कोई सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो समिति ने चीनी सहकारिता परियोजनाओं की समस्याओं को दूर करने के लिये किस हद तक कदम उठाने की सिफारिश की है।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिये 36 आशय पत्र जारी किये है, इनमें से 20 आशय पत्र 1989 के दौरान जारी किये गये थे।

(ग) इस समय वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिये महाराष्ट्र राज्य के 27 आवेदन पत्र वित्तीय संस्थाओं के पास लंबित हैं। वित्तीय संस्थाओं ने मुख्यत: परियोजना लागत में हुई तीव्र वृद्धि के कारण चीनी फैक्ट्री की व्यवहार्यता पर संदेह व्यक्त किया है। अतः वे कुछ नई परियोजनाओं को ऋण देने में समर्थ नहीं हो पाई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिकाओं को वित्तीय अधिकार

4438. श्री धर्मभिक्षम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नगरपालिकाओं को और अधिक वित्तीय अधिकार देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) स्थानीय सरकारों के विषय अर्थात उनके संविधान तथा शक्तियां आदि राज्य की सूची के अन्तर्गत आते हैं। अतः यह राज्य सरकारों के लिए है कि वे अपने स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थानों को अधिक शक्तियां प्रदान करें। तथापि शहरी स्थानीय निकायों को बल प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 16.9.1991 को लोकसभा में पेश किया गया संविधान (73वां संशोधन) विधेयक, 1991 इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य का विधान मण्डल कानून द्वारा—

(क) किसी नगरपालिका को इस प्रकार की प्रक्रिया तथा सीमा के अधीन कर लगाने तथा इस प्रकार के उपयुक्त कर, शुल्क, महसूल तथा फीस वसूल करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;

(ख) किसी नगरपालिका को इस प्रकार की शर्तों और सीमाओं के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाये गये तथा वसूल किये गये इस प्रकार के कर, शुल्क, महसूल तथा फीस वसूल करने का काम सौंपा जा सकता है;

(ग) नगरपालिका को राज्य की संचित निधि से इस प्रकार की सहायता अनुदान देने की व्यवस्था कर सकता है; और

(घ) नगरपालिका द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त किये गये सारे धन को जमा करने के लिए इस प्रकार की निधियों के संघटन और उसमें से कानून में यथाविनिर्दिष्ट तरीके से ऐसे धन को निकालने की भी व्यवस्था कर सकता है।

विधेयक, संविधान (73वां संशोधन)· अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ होने के एक वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग के गठन और उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर नगर पालिकाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा तथा निम्नलिखित सिद्धांतों की सिफारिश करने की भी व्यवस्था करता है :—

(I) राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर, शुल्क, महसूल तथा फीस की शुद्ध आय का राज्य तथा नगरपालिकाओं के बीच वितरण जिसे इस मामले के अन्तर्गत उसमें बांटा जा सकता है और ऐसी आय का नगरपालिकाओं के बीच उनके सम्बन्धित अंशों सभी स्तरों पर नियतन;

(II) कर, शुल्क, महसूल तथा फीस का निर्धारण जिसे नगरपालिकाओं को सौंपा जा सकता है अथवा उनके द्वारा विनियोजित किया जा सकता है।

(III) राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान;

(IV) नगरपालिकाओं की सुदृढ़ वित्त के हितों में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को सौंपा गया कोई भी अन्य मामला।

हैदराबाद में जल निकास प्रणाली हेतु विश्व बैंक से सहायता

4439. **श्री धर्मभिक्षम :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जल निकास प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक की सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं। तथापि, चालू विश्व बैंक सहायता प्राप्त हैदराबाद जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना के अन्तर्गत मौजूदा मल-जल निर्यात पद्धति को पुन: स्थापित तथा समृद्ध करने हेतु 66.68 करोड़ रुपये की लागत के एक घटक का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार को गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत आवंटन

4410. **श्री आर्कर्स फर्नान्डीज :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत राज्यों हेतु किये गये योजना आवंटन के परिणामस्वरूप बिहार में प्रतिव्यक्ति निम्नतम निवेश किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, नहीं। संशोधित गाडगिल फार्मूला तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के 'सर्वसम्मत फार्मूला' के तहत बिहार सहित पिछड़े राज्यों के साथ अनुकूल व्यवहार किया गया था क्योंकि इस फार्मूले में जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय तथा विशेष समस्याओं के मापदंड को शामिल किया गया था जिन सबके लिये कुल का 90 से 95 प्रतिशत तक अधिभार दिया जाता है। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के बीच बिहार को 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान आवंटित की गई प्रति व्यक्ति सहायता 15 राज्यों में से 9 राज्यों की तुलना में अधिक थी जैसाकि संलग्न विवरण-1 में देखा जा सकता है। इसके अलावा गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में बिहार ने 1990-91 के आवंटनों की तुलना में 1991-92 के दौरान 141 करोड़ रु० की सबसे अधिक वृद्धि प्राप्त की जैसाकि संलग्न विवरण-2 से स्पष्ट होता है।

2. दिनांक 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में केन्द्रीय निवेश योग्य निधियों (सकल ब्लॉक) का आवंटन कुल केन्द्रीय निवेश का 8.50 प्रतिशत था। कुल मिलाकर आवंटित धनराशि 9637.74 करोड़ रु० थी जिससे केवल सातवीं योजनावधि के दौरान 3804 करोड़ रु० की वृद्धि का पता चला है। सकल पूंजी निवेश के राज्यवार वितरण में बिहार का (ऊपर से) चतुर्थ स्थान है। जैसा कि अन्य राज्यों/क्षेत्रों के लिये ये आवंटन मुख्यत: परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक उपादेयता के आधार पर किये जाते हैं। लेकिन, इनमें राज्यों के क्षेत्रीय पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाता है।

विवरण-I

1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राज्यों को मानदंड आधारित सामान्य सहायता का प्रति व्यक्ति आवंटन

(रुपयों में)

राज्य	1990-91*	1991-92*
1	2	3
क -- विशेष श्रेणी राज्य		
1. अरुणाचल प्रदेश	3519	5021
2. असम	430	514
3. हिमाचल प्रदेश	637	746

1	2	3
4. जम्मू और कश्मीर	1212	1550
5. मणिपुर	1454	1819
6. मेघालय	1465	1759
7. मिजोरम	3160	4578
8. नागालैंड	2425	3202
9. सिक्किम	3243	4210
10. त्रिपुरा	1053	1257
ख—गैर-विशेष श्रेणी राज्य		
1. आन्ध्र प्रदेश	103	125
2. बिहार	114	139
3. गोआ	1258	560
4. गुजरात	76	88
5. हरियाणा	103	118
6. कर्नाटक	80	92
7. केरल	124	141
8. मध्य प्रदेश	104	124
9. महाराष्ट्र	70	85
10. उड़ीसा	129	156
11. पंजाब	85	129
12. राजस्थान	134	149
13. तमिलनाडु	98	109
14. उत्तर प्रदेश	118	124
15. पश्चिमी बंगाल	71	86

* संशोधित गाडगिल फार्मूले पर आधारित।

** राष्ट्रीय विकास परिषद के "सर्वसम्मति" फार्मूले पर आधारित।

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति आबंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है।

विवरण-II

1990-91 की तुलना में 1991-92 में सामान्य केन्द्रीय सहायता (सकल) में वृद्धि

राज्य	करोड़ रुपए में
1	2
क.—विशेष श्रेणी राज्य	
1. अरुणाचल प्रदेश	70.31
2. असम	122.17
3. हिमाचल प्रदेश	37.75
4. जम्मू और कश्मीर	155.98
5. मणिपुर	39.12
6. मेघालय	29.83
7. मिजोरम	47.08
8. नागालैंड	40.08
9. सिक्किम	20.30
10. त्रिपुरा	31.79
जोड़ : क	594.41
ख.—गैर विशेष श्रेणी राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	98.16
2. बिहार	141.07
3. गोआ	55.50
4. गुजरात	32.26
5. हरियाणा	15.09
6. कर्नाटक	35.12
7. केरल	37.05
8. मध्य प्रदेश	85.80
9. महाराष्ट्र	77.60
10. उड़ीसा	59.15
11. पंजाब	58.90

1	2
12. राजस्थान	38.44
13. तमिलनाडु	45.47
14. उत्तर प्रदेश	46.84
15. पश्चिम बंगाल	68.77
जोड़ : ख	784.22
कुल योग : (क+ख)	1378.63

"हुडको" द्वारा उत्तरकाशी के भूकम्प पीड़ितों को राहत सहायता

4441. **श्री आर्स्कर फर्नान्डीज :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हुडको" ने उत्तरकाशी के भूकम्प पीड़ितों को उनके नष्ट हुए मकानों के पुनर्निर्माण के लिए कोई राहत दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) गढ़वाल क्षेत्र (उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली तथा देहरादून जिले) में भूकम्प के कारण पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए 20000 मकानों के पुनर्निर्माण के लिए हुडको ने लगभग 30 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। लाभ-ग्राहियों को सहायता का संवितरण उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा। राज्य अभिकरण को 14.25 करोड़ रुपए के ऋण की प्रथम किस्त पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अन्त-ण, कारीगरों के कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण और भूकम्प रोधी मकानों के पुनर्निर्माण के लिए भवन निर्माण संघटक तथा अन्य घटक उपलब्ध कराने के लिए हुडको ने इस क्षेत्र में 43 निर्मिति केन्द्रों और 6 उप केन्द्रों की स्थापनार्थ तकनीकी सहायता प्रदान की है। हुडको द्वारा राज्य सरकारों को भूकम्प रोधी मकानों के लिए उपयुक्त डिजाइन भी उपलब्ध किए गए हैं।

अण्डमान निकोबार के लिए परिवहन राज-सहायता

4442 **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से 31 अक्तूबर, 1991 तक परिवहन राज-सहायता प्रदान करने सम्बन्धी कुछ दावे प्राप्त हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में धनराशि कब तक रिलीज कर दी जाएगी तथा यह धनराशि कितनी होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने 2,04,83,318 रुपये की परिवहन राज-सहायता का दावा भेजा था। यह दावा कुछ संशोधन करने के लिए प्रशासन को वापस कर दिया गया है। पात्र दावों की अदायगी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर कर दी जायेगी।

असम के स्वशासी जिला परिषद के लिए आठवीं योजना का प्रारूप

4443. **डा० जयन्त रंगपी :**

क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा की स्वशासी जिला परिषद को अपने क्षेत्र के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या असम की कार्बी अंगलौंग तथा उत्तर कचार पर्वतीय स्वशासी जिला परिषद को भी अपने क्षेत्र के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने की अनुमति देकर इसी प्रकार की कार्यवाही की गई थी;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार असम की स्वशासी जिला परिषदों को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए आठवीं योजना के प्रारूप तैयार करने की अनुमति देने का है ?

योजना अरो कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग को भेजी गई उनकी योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में पहले ही शामिल है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में वी० सी० आर०/वी० सी० पी० परियोजना

4444. **श्री के० प्रधानी :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को, कोणार्क टी० वी० और उड़ीसा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से वी० सी० आर०/वी० सी० पी० परियोजना स्थापित करने के विचार हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारगरेट अल्वा) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार ने अपने दिनांक 23 जनवरी, 1989 के पत्र के जरिए इलैक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) (इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) द्वारा उड़ीसा में वी०सी०आर०/वी०सी०पी० के विनिर्माण की परियोजना

स्थापित करने के संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। बी० सी० आर०/बी० सी० पी० के विनिर्माण की परियोजना स्थापित करने के संबंध में ई० टी० एण्ड टी० का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

चावल, चीनी इत्यादि में मिलावट

4445. **श्री के० चोक्का राव :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल, चीनी, धान तथा मसालों में मिलावट के लिए वैधानिक स्वीकृति मिली हुई है; यदि हां, तो उसका प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या इसका लाभ उठा कर व्यापारी खाद्य पदार्थों में कंकड़ तथा ऐसे ही पदार्थों की मिलावट कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार जानबूझकर मिलावट को अपराध घोषित करके मिलावट पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत चावल, चीनी, धान तथा मसालों के मामलों में बाहरी वस्तुओं, जिनमें कंकड़-पत्थर तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्री शामिल हैं, को मिलावट की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। यह इस प्रकार है :—

(1) चावल—वजन के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और उसमें से अकार्बनिक सामग्री जैसे कंकड़-पत्थर तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्री का भार 1.0% से अधिक नहीं होगा।

(2) चीनी—वजन के अनुसार 0.1% से अधिक न हो।

(3) धान—वजन के अनुसार 6 0% से अधिक न हो, और उसमें से अकार्बनिक सामग्री कंकड़-पत्थर तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्री का भार 1.0% से अधिक नहीं होगा।

(4) मसाले प्रत्येक मसाले के स्वरूप पर निर्भर करते हुए मिलावट की अधिकतम सीमा भार के अनुसार 2.0% से 8.0% के बीच है।

(ख) और (ग) निर्धारित सीमा से अधिक मिलावट वाली खाद्य वस्तुओं की बिक्री, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 954 के उपबन्धों के तहत दण्डनीय अपराध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य/स्वास्थ्य प्राधिकारियों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे विनिर्माताओं/थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं के स्तरों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के बारे में कड़ी निगरानी रखें।

सीरा के मूल्य

4446. **श्री के० चोक्का राव :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरा के विनियमित मूल्य और बाजार मूल्य में बहुत अधिक अन्तर है;

(ख) क्या अधिकतर सहकारी चीनी फैक्टरियां इस वजह से नुकसान में जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन चीनी फैक्टरियों को अपनी मर्जी से खुले बाजार में सीरा बेचने की अनुमति देने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) सीरा के मूल्य सीरा नियन्त्रण आदेश, 1961 द्वारा विनियमित किए जाते हैं। नियन्त्रण आदेश के उपबन्धों के उल्लंघन का कोई मामला हाल में सरकार की नजर में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों में लघु उद्योग

4447. **कुमारी विमला वर्मा** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में चालू वर्ष और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मझोले और बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कुल कितनी धनराशि निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान राज्य में लघु ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) योजना आयोग राज्यों को ब्लाक ऋणों के रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा उनकी वार्षिक योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए अनुदान देता है जिसमें उद्योगों हेतु आवटन भी शामिल है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि योजना आयोग ने मध्य प्रदेश की 1991-92 की वार्षिक योजना के लिए मध्यम तथा बड़े उद्योगों हेतु 3630.00 लाख रुपए के परिव्यय और ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के वास्ते 5322.00 लाख रु० के परिव्यय की स्वीकृति दी है।

[हिन्दी]

सिविल सेवा अधिकारियों के विरुद्ध मामले

*4448. **श्री ललित उरांव** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतर्कता विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार सिविल सेवा अधिकारियों के विरुद्ध पकड़े गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए राज्यों को निदेश

4449. श्री ललित उरांव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित उक्त पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां, राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे मामले को राज्य सरकारों के सामने रखें और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए यथाशीघ्र उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

[अनुवाद]

कर्नाटक में प्रति औद्योगिक लाइसेंस निवेश

44 0. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 में कर्नाटक में कितने औद्योगिक लाइसेंसों को स्वीकृति दी गई;

(ख) उन औद्योगिक लाइसेंसों में कुल निवेश कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में प्रति औद्योगिक लाइसेंस औसत निवेश कितना है; और

(घ) इस अवधि के दौरान कर्नाटक में कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) कर्नाटक में उद्योगों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1990 के दौरान 30 औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी दी गई है।

(ख) तथा (ग) उद्योगों में किए गए वास्तविक निवेश संबंधी आंकड़े उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(घ) औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति की निगरानी सम्बद्ध राज्य सरकार तथा प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। इसलिए, स्थापित किए गए उद्योगों की वास्तविक संख्या सम्बन्धी सूचना, केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

दिल्ली में बेरोजगार युवकों का शोषण

4451. श्री अर्जुन सिंह यादव

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निजी कम्पनियां/व्यापार गृह बेरोजगार युवाओं को कम वेतन पर नियुक्त

करके और बिना किसी अतिरिक्त मुआवजे के उनसे एक दिन में आठ घंटे से अधिक कार्य लेकर उनका शोषण कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का लाभ उठाने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। तथापि, कर्मकारों/यूनियनों से समय-समय पर ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनमें आरोप लगाया जाता है कि कुछ नियोजक दिल्ली प्रशासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई दरों से कम भुगतान कर रहे हैं तथा किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक की अदायगी किए बिना, उनसे एक दिन में आठ घंटे से भी अधिक कार्य करवा रहे हैं।

(ख) जब भी कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो दिल्ली प्रशासन द्वारा तहकीकात की जाती है और नियोजकों से कमियों में सुधार करने के लिए कहा जाता है। फिर भी यदि प्रबन्धतन्त्र समझाने-बुझाने के बाद भी उस कमी में सुधार नहीं करता तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के संगत उपबन्धों के अधीन चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ अभियोजन चलाए जाते हैं।

अशोक पेपर मिल का खोला जाना

4452. **श्री उद्धव बर्मन**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम समझौते के अनुसार असम जोगिघोपा स्थित अशोक पेपर मिल के पुनः खोले जाने के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि प्रदान की जा चुकी है;

(ग) उक्त धनराशि किस प्रयोजन के लिए जारी की गई है; और

(घ) शेष राशि कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) अशोक पेपर मिल्स, जोगीघोपा के पुनः चालू करने के लिए बनाए गए पुनर्स्थापना पैकेज के अधीन भारत सरकार द्वारा 67.08 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

(ख) और (ग) जैसी कि पुनर्स्थापना पैकेज में व्यवस्था है, प्रबन्धकों के अंशदान तथा मजदूरियों आदि के कारण कुल बकाया कानूनी भुगतानों (2.10 करोड़ रुपए जमा 8.39 करोड़ रुपए) के रूप में 50% देनदारियों के लिए आंशिक भुगतान के तौर पर असम सरकार को 10.69 करोड़ की राशि दे दी गई है।

(घ) शेष राशि का भुगतान वास्तविक वितरण एवं जरूरत पर निर्भर करेगा।

असम में उद्योगविहीन जिले

4453. **श्री उद्धव बर्मन** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में ऐसे जिलों के क्या नाम हैं जिन्हें 'उद्योगविहीन जिलों' की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या उन जिलों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो कब तक इन औद्योगिक एककों की स्थापना की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) असम में लखीमपुर और उत्तरी कछार पहाड़ियां उद्योग रहित जिले हैं।

(ख) से (घ) किसी विशिष्ट जिले/क्षेत्र का औद्योगीकरण करना मुख्यतया सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में यथा सम्भव मदद करती है।

लघु औद्योगिक एककों के पंजीकरण के लिए मानदंड

4455. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लघु औद्योगिक एककों के पंजीकरण के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शान्ति और भोजन पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसंधान दल के निष्कर्ष

4456. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्ति और भोजन पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसंधान दल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी के लिए रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन की प्राप्ति के लिए 2000 ईसवी तक असंगठित क्षेत्र में कम से कम 10 करोड़ नए रोजगार अवसरों की आवश्यकता होगी, जैसाकि 19 नवम्बर, 1991 के 'इकानॉमिक टाइम्स' में सूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल के अन्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) जी, हां। शांति तथा खाद्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जिसके अध्यक्ष डा० एम० एस० स्वामीनाथन हैं। उक्त रिपोर्ट डा० वी०

कुरियन, अध्यक्ष, ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान (आई० आर० एम०) आनन्द द्वारा नवम्बर, 1991 में आयोजित सेमीनार में प्रस्तुत की गई है। दल के निष्कर्ष एक कार्यनीति विवरण के रूप में है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अब तक शामिल न किए गए क्षेत्रों में सिंचाई तथा हरित क्रांति का विस्तार, परती भूमि विकास तथा उद्यान कृषि, जल-कृषि, रेशम उत्पादन, कृषि प्रसंस्करण आदि जैसी अन्य उत्पादक गतिविधियों में कृषि के विविधीकरण के माध्यम से उच्च उत्पादकता आय तथा रोजगार सृजन पर जोर से रोजगार अवसर बढ़ने की सम्भावना है। आठवीं योजना, जो निर्माणाधीन है, के दौरान कृषि हेतु महत्व के क्षेत्रों में उपर्युक्त पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए धनराशि

4457. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र को कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं प्रदान कर पायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है कि किसी सरकारी क्षेत्र का विस्तार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं होगा;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र से यह कहा गया है कि वे लाभ कमायें;

(ङ) क्या सरकार घाटा उठाने वाले सरकारी उपक्रमों को रुग्ण मानने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां तो अब कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने लाभ दिखाया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं। सरकार ने यह निर्णय नहीं किया है कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अतिरिक्त निधि की व्यवस्था कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार रुग्णता को 'रुग्ण औद्योगिक कम्पनी' के रूप में पारिभाषित किया गया है जिसका अर्थ एक ऐसे उद्योग (कम-से-कम सात वर्ष के लिए पंजीकृत कंपनी हो) से है जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में अपने समस्त निवल मूल्य के बराबर या उससे अधिक संचयी घाटा उठाया हो तथा उस वित्तीय वर्ष में और उस वित्तीय वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा भी उठाया हो। उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार सिर्फ वही उद्यम रुग्ण माने जायेंगे जो उपरोक्त परिभाषा के दायरे में आते हैं।

(च) वर्ष 1989-90, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, के दौरान सरकारी क्षेत्र के 131 उद्यमों ने लाभ अर्जित किया है।

संघर्ष समिति, मुंबई की मांगें

4458. श्री राम नाईक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा वेतन (ग्रेच्युटी) संघर्ष समिति, मुम्बी (मुंबई) की मांगों की जांच कर ली है। जो उन्हें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 1 अगस्त, 1991 को अग्रेषित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो संघर्ष समिति द्वारा की गई मांगें क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवर) : (क) सेवा वेतन (ग्रैच्युटी) संघर्ष समिति, मुम्बई (बम्बई) की मांगों से सम्बन्धित कोई अभ्यावेदन श्रम मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

औषध नीति की पुनरीक्षा

4459. श्री राम नाईक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध नीति की पुनरीक्षा के लिए एक सचिवों की समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 की समीक्षा से संबंधित सभी विषयों और अनुसूचीबद्ध श्रेणियों में औषधों को शामिल करने/अलग करने सहित डी. पी. सी. ओ. 1987 से संबंधित विभिन्न नीति विषयक मामलों पर दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक स्थाई समिति गठित की थी। समिति में अध्यक्ष के रूप में सचिव, (रसायन और पेट्रो-रसायन) और सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी. जी. एच. एस. और डी. जी. टी. डी., बी. आई. सी. पी., सी. एस. आई. आर. के वरिष्ठ अधिकारी, निदेशक, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ आदि शामिल थे। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

जैव प्रौद्योगिकी की संभावना

4460. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए जैव प्रौद्योगिकी की प्रबल संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और उसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) कृषि उत्पादकता बढ़ाने में जैव प्रौद्योगिकी को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है ।

(ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने फसल जैव प्रौद्योगिकी में मार्च, 1989 से अनेक संकेन्द्रित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) इन कार्यक्रमों के साथ पूर्णत: सम्बद्ध रही है । इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मौजूदा पादप प्रजनन प्रयासों में तेजी लाने के लिए, पादप प्रजनन सहायक साधन तथा पूर्व प्रजनन आनुवंशिक स्टाक तैयार करना है । विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(1) पीड़क जन्तु तथा रोग प्रतिरोधी अधिक पैदावार वाली किस्में तैयार करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की चार फसलों—चावल, सरसों, सफेद चना तथा गेहूं पर आनुवंशिकीय तथा जैव प्रौद्योगिकीय पद्धतियां लागू की जा रही हैं ।

(2) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षमता तथा प्रशिक्षित जन शक्ति पैदा करने के लिए देश भर की मौजूदा संस्थाओं में मार्च, 1990 से छ: पादप आण्विक जीव विज्ञान केन्द्र (सी. पी. एम. बी.) स्थापित किए गए हैं प्रत्येक सी. पी. एम. बी. को समस्योन्मुखी आधारभूत तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम वाली कुछ फसलों का कार्य सौंपा गया है ।

(3) बायोटेक्नालाजी विभाग ने एकीकृत पीड़क जन्तु प्रबन्ध के अन्तर्गत पीड़क जन्तुओं एवं रोगों के जैव वैज्ञानिक नियंत्रण संबंधी नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया है ।

(4) बायोटेक्नालाजी विभाग ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजना शुरू की है । इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रत्येक राज्य में लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचित स्थिति के अन्तर्गत तेलताड़ कृषि की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है ।

(5) विभाग द्वारा ऊतक संवर्धन इलायची उत्पाद प्रदर्शन परियोजना 1989 में शुरू की गई थी ।

(6) बायोटेक्नोलाजी विभाग ने जैव उर्वरकों के प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन के संबंध में में प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है ।

(7) अनेक परियोजनाओं के क्षेत्रीय कार्यकलापों एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों में अच्छी प्रगति हुई है और इसके परिणाम आठवीं योजनावधि के दौरान देखे जा सकते हैं ।

औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

4461. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं;

(ख) आठवीं योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या आगामी वर्षों में औद्योगिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सुधार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सी. एस. ओ. से प्राप्त औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान विकास की औसत दर 8.6% थी। यह सातवीं योजना के औसत विकास 8.5% तथा छठी योजना के औसत विकास 6.5% से कुछ अधिक थी।

(ख) से (घ) नई औद्योगिक तथा व्यापारिक नीतियों के प्रावधानों का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस नीति संबंधी प्रणाली में आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं।

"भेल" द्वारा एम० सी० सी० भवन का निर्माण

4462. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भेल" द्वारा तेनुघाट ताप-विद्युत परियोजना, लालफनिया जिला बोकारो में निर्मित प्रोट्रीटमेंट प्लांट के एम० सी० सी० भवन में मिट्टी धंस जाने के कारण अनेक स्थानों पर दरार पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो भूतल की भारवहन क्षमता की जांच न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(घ) क्या पूरे ढांचे को नामंजूर किया जाना चाहिए था;

(ङ) क्या ऐसा नहीं किया गया और ठेकेदार को दोषपूर्ण निर्माण किये जाने पर भी भुगतान कर दिया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) ठोस मिट्टी की भारवहन क्षमता का अभिकल्प में विचार किया गया था और निर्माण शुरू करने से पूर्व ठोसता परीक्षण किये गए थे।

(ग) ठेकेदार से संशोधन कार्य करने के लिए कहा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) ठेकेदार को भुगतान भवन के निर्माण के बाद किया गया। निर्माण के लगभग आठ महीनों के बाद कुछ दरारें देखी गयीं। ठेकेदार ने संशोधन कार्य करना स्वीकार कर लिया है। अतः कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा किया गया "एश बांध" निर्माण कार्य

4463. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि॰ द्वारा तेनुघाट बिजली परियोजना पर बनाए गए "एश बांध" में प्रयोग की गई घटिया सामग्री और किए गए घटिया कार्य के संबंध में शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) क्या "एश" बांध की संरचना नमूने के अनुसार की गई थी और संरचना के लिए पर्याप्त मशीनरी प्रयोग की गई थी;

(ग) क्या "एश बांध" में प्रयोग की गई घटिया और बढ़िया मिट्टी नमूने के अनुसार थी;

(घ) क्या एश बांध में प्रयोग की गई फिल्टर सामग्री नमूने और अपेक्षित मोटाई के अनुसार है;

(ङ) क्या इस प्रकार कोई रद्दकरण नहीं किया गया और ठेकेदार को घटिया कार्य के लिए भुगतान किया गया; और

(च) इन सामग्रियों, जिनसे घटिया किस्म का कार्य हुआ है, को पास करने के दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) जी, हां।

(ङ) कार्य विनिर्देशों के अनुसार पूरा किया जा रहा है। दोषपूर्ण कार्य के लिए ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भेल द्वारा निर्मित ढांचों में मधुमक्खी के छत्ते

4464. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भेल" लिमिटेड द्वारा निर्मित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन के कैंटीन भवन की छत में मधुमक्खी के छत्ते लग गए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत दर्ज की गई है;

(ग) क्या 1978 के आई॰ एस॰ 456 के खंड संख्या 15.7 के अनुसार सम्पूर्ण ढांचे को अस्वीकार कर दिया गया है;

(घ) क्या इस प्रकार का कोई कार्य अस्वीकार नहीं हुआ था और ठेकेदार को दोषपूर्ण कार्य के लिए भुगतान कर दिया गया था; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) कैंटीन भवन के एक ब्लाक में मधुमक्खी के छत्ते लग गए हैं जिनका सिविल ढांचों में होना असामान्य नहीं है।

(ख) ठेकेदार को अपनी लागत से इस खराबी को दूर करने के लिए कहा गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि जिस ब्लाक में मधु मक्खी के छत्ते लगे थे उसे ठेकेदार द्वारा खराबियों को दूर करवाए जाने के पश्चात् स्वीकार्य पाया गया था, इसलिए ठेकेदार को भुगतान किया गया था। ठेकेदार को दोषपूर्ण कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"भेल द्वारा निर्मित बंकर बीम में खामियां

4465. श्री गोबिन्द चन्द्र मुंडा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के सी० एम० डी० ने "भेल" द्वारा निर्मित बंकर बीम में खामियों तथा आर०एच०-4 में कार्य की घटिया क्वालिटी के बारे में 16 अगस्त, 1991 को "भेल" अधिकारियों को शिकायत की थी जिनके परिणामस्वरूप आर० एच०-3 और आर० एच० में भारी सीलन आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के सी० एम० जे० द्वारा "भेल" को की गई विभिन्न शिकायतों का ब्योरा क्या है;

(ग) इस मामले में दिए गए जांच आदेशों और उनके परिणामों का ब्योरा क्या है; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) तेनुघाट विद्युत निगम लि० (टी०वी०एन०एल०) के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक ने आर० एच०-3 और आर०एच०-4 के बंकर बीम और सिविल कार्यों के संरचनात्मक कार्य के "फिनिश" पर कुछ टिप्पणियां कीं। इस मामले की स्वतन्त्र गुणता नियन्त्रण एजेन्सी मैसर्स राइट्स इण्डिया लिमिटेड और टी०वी०एन० एल० द्वारा जांच की गई। इन दोषों को दूर करने के लिए उपचारी कार्रवाई की गई और इसकी सूचना टी० वी० एन० एल० को दे दी गई थी।

चूंकि दोष ठीक कर लिए गए थे अतः किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण दिल्ली में कथित अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण

4466. श्री जीवन शर्मा :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च-न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम से विगत में दक्षिण दिल्ली में अवैध निर्माण की अतिक्रमण की जांच करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली नगर निगम द्वारा संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उन भवनों की संख्या कितनी है जो स्वीकृत योजना से अधिक निर्मित है और ऐसे भवनों की संख्या कितनी है, जिनका वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(घ) क्या नियमों के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्रों में वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण की अनुमति दे दी गई है; यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) कैलाश कालोनी, डिफेंस कालोनी तथा चितरन्जन पार्क के विभिन्न रेजिडेंट्स एसोसिएशनों द्वारा दायर किए गए मामलों के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कतिपय संपत्तियों के निरीक्षण तथा इन सम्पत्तियों में अनधिकृत निर्माण/किए गए परिवर्तनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे । उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध सम्पत्तियां इस प्रकार हैं :—

डिफेन्स कालोनी	—	27
चितरन्जन पार्क	—	30
कैलाश कालोनी	—	7

दिल्ली नगर निगम ने इस बात के होने की सूचना दी है कि 54 सम्पत्तियों में अतिरिक्त विस्तार किया गया है और 11 सम्पत्तियों का उपयोग अवैध तरीके से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है । दिल्ली वृहत्त योजना/2001 दिल्ली वृहत्त योजना के उपबन्धों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक परिसरों की अनुमति नहीं दी गई है । तथापि, कुछ आवासीय/क्षेत्रों/पॉकिटों में अनधिकृत वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण किया जाता है । जिन पर दिल्ली नगर निगम को इस प्रकार के उल्लंघनों की जानकारी मिलते हो दिल्ली नगर निगम अधिनियम उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाती है ।

सरकारी कर्मचारियों को पात्रता से एक श्रेणी ऊपर के सरकारी आवास का आबंटन

4467. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी कर्मचारियों को पात्रता से एक श्रेणी ऊपर का सरकारी आवास सामान्य किराए पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत में ऐसे व्यक्तियों से तिगुना किराया वसूल करने के आदेश जारी किए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या इन आदेशों का पालन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे सरकारी कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों और संसद सदस्यों से, जिन्हें ऐसे आवास आबंटित किए गए हैं, तिगुना किराया वसूल करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों को पात्रता से एक टाइप उच्च वास के कुछ आबंटन किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(घ) जी, हां। लेकिन कुछ अपवादों के साथ जैसे मंत्रियों के निजी स्टाफ।

(ङ) संसद सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के अलावा व्यक्तियों पर उपर्युक्त उल्लिखित आदेश लागू नहीं है क्योंकि वे पृथक नियमों द्वारा शासित हैं।

गहन समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालर बेड़ा

4468. **श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्ज एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड काकीनाड़ा, ए॰ पी॰; एस॰ डी॰ एफ॰ सी॰/एस॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ से ट्रालरों की लागत का लगभग 80% (10 करोड़ रुपए) ले लेने के बावजूद भी 1986 से 17 इण्डियन फिशिंग कम्पनियों के लिए गहन समुद्र में मछली पकड़ने वाले 20 ट्रालर देने में असफल रही है;

(ख) क्या मैसर्ज ई॰ सी॰ बी॰ बी॰ ई॰ ने इस तथ्य के बावजूद भी कि यह एक निर्धारित दर ठेका है, कीमत बढ़ने के लिए विवाचक धारा के अंतर्गत न्यायालय के माध्यम से इसे विधिमान्य बना दिया है; और

(ग) 18 ट्रालरों की सप्लाई करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। न दिए गए 20 जलयानों के लिए मैसर्स ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्ज एण्ड इंजीनियर्स (ई॰सी॰बी॰बी॰ई॰) को 1986 से 3,36,00,919/-रुपये की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा एस. डी. एफ. सी./एस. सी. आई. सी. आई द्वारा उपर्युक्त जलयानों के संबंध में 17 मात्स्यिकी कम्पनियों को स्वीकृत ऋण में से मैसर्स ई. सी. बी. बी. आई. को 6,09,79,769.25 रुपये भी रिलीज किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। जहां तक कीमत बढ़ाने का प्रश्न है मैसर्स ई. सी. बी. बी. ई. ने विवाचन के लिए मुकदमा दायर किया है। मैसर्स ई. सी. बी. बी. आई. ने एस. सी. आई. सी. आई., मात्स्यिकी कम्पनियों और भारत सरकार के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है और मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है।

डी॰ डी॰ ए॰ में अनियमिततायें

4469. **प्रो॰ राम कापसे :**

डा॰ जी॰ एल॰ कनोजिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अगस्त, 1991 के टाइम्स आफ इण्डिया में "डी० डी० एज०" रूपीज 50 करोड़ गोज डाउन दी ड्रेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और डी० डी० ए० द्वारा की गई अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। इस समाचार का सम्बन्ध मुख्य रूप से झंडेवालान, लक्ष्मीनगर तथा भीखाजी कामा प्लेस वाणिज्यिक केन्द्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कुछ प्लाटों की नीलामी से है। मामले की छानबीन की गई है और यह पाया गया है कि नेहरू प्लेस, झंडेवालान तथा भीखाजी कामा प्लेस में प्लाटों की नीलामी के संबंध में. नीलामी क्रेता, नीलामी की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहे हैं और वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध अदालत में भी गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन मामलों पर न्यायालय में सफाई पेश की जाती है तथा मामला न्याय-निर्णयाधीन है। लक्ष्मीनगर के प्लाटों के सम्बन्ध में नीलामी के समय, प्लाट विकसित नहीं थे और नीलामी क्रेताओं ने बोली की धनराशि का भुगतान करने में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की थी। मामले पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सांसदों को डी० डी० ए० से प्लाटों/फ्लैटों का आवंटन

4470. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों में सांसदों को प्राथमिकता के आधार पर डी०डी०ए० के फ्लैट या प्लाट आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे आवंटनों के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फर्जी चालानों पर फ्लैटों का आवंटन

4471. **श्री गुरुदास कामत** :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में फर्जी चालानों पर बड़ी संख्या में फ्लैट आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, ऐसे कितने फ्लैटों का आवंटन किया गया है; और

(घ) दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में 6 ऐसे मामले आए हैं जिनमें जाली बैंक चालानों के आधार पर कब्जे-पत्र जारी किए गए थे। दो अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। मामलों को और आगे जांच के लिए पुलिस को भेज दिया गया है।

ग्रामीण सड़कों का निर्माण

4472. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण सड़कों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा कितनी राशि का वास्तव में उपयोग हुआ;

(ख) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पक्की सड़कों द्वारा जोड़े गए गांवों की जिलावार संख्या क्या है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान राज्यों को इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी; और

(घ) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में इस अवधि के दौरान कितने गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ दिए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण सड़कों सहित सड़कों का निर्माण-कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य का विषय है और इसके लिए निधियां राज्य योजना/बजट में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ख) चूंकि सड़कों का निर्माण करना राज्य का विषय है, अतः केन्द्र सरकार जिला स्तर पर सड़कों के निर्माण के बारे में कोई आंकड़े नहीं रख रही है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी बनाई जा रही है और इसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्यमियों द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य

4473. **श्री पवन कुमार बंसल** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्यमियों के अनुसंधान और विकास कार्य को भी प्रोत्साहन देने के लिए नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें इस प्रयोजनार्थ क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चण्डीगढ़ प्रशासन ने छोटे, युवा और गतिशील उद्यमियों द्वारा अपने औद्योगिक शेडों के निर्माण में छोटे-छोटे परिवर्तन करने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकार लघु उद्यमियों सहित उद्योग में अनुसंधान और विकास क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित करती रही है। इस दिशा में उद्योग को दिए गए प्रोत्साहनों में निम्नांकित सम्मिलित हैं : उद्योग को घरेलू अनुसंधान व विकास यूनिटों को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना; ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत अनुसंधान और विकास के लिए आरम्भिक संयंत्र सहित उपस्कर और कच्ची सामग्री का आयात; वैज्ञानिक उपस्कर और पूंजीगत परिसंपत्तियों पर किए गए निवेश तथा वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए खर्च पर कर रियायत; उल्लेखनीय उपलब्धियों पर औद्योगिक अनुसंधान व विकास यूनिटों को पुरस्कार; स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रतिस्थापित संयंत्र और मशीनरी पर वर्धित त्वरित अवमूल्यन।

(ग) से (ङ) औद्योगिक शेडों के निर्माण में परिवर्तन हेतु अनुमति या तद्विषयक अस्वीकृत दिया जाना चण्डीगढ़ प्रशासन के आबंटन तथा भवन उपविधि की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

स्कूटर निर्माता कम्पनियों द्वारा बुकिंग राशि के रूप में प्राप्त धन-राशि की वापसी

4474. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्कूटर निर्माता कम्पनियों के आर्डरों की बुकिंग के साथ जमा-राशि स्वीकार की है; और

(ख) यह जमा-राशि ब्याज सहित जमाकर्ताओं की मांग पर समय पर वापस दिलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) बुकिंग के विरुद्ध अग्रिम धनराशि स्वीकार करने को ग्राहकों और कम्पनी के बीच कानूनी दायित्व समझा जाता है। किन्तु ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार ने आटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा बुकिंग के विरुद्ध अग्रिम धन राशि स्वीकार करने और इस राशि का इस्तेमाल करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

4475. प्रो० राम कापसे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना के कई वर्ष बाद भी विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन मुद्रा के अन्तर्गमन से कई गुना ज्यादा है और मात्रा के हिसाब से निर्यात भी कुल उत्पादन मात्रा का केवल 6 प्रतिशत ही हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा का अन्तर्गमन तथा बहिर्गमन हुआ ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड (एम०यू०एल०) ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात वाहनों सहित उपकरणों के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की है, जिसके आंकड़े क्रमश: 101.12 करोड़ रुपए और 122.78 करोड़ रुपए हैं। उसी अवधि के दौरान 62,000 वाहनों का उत्पादन तथा 10,729 वाहनों का निर्यात किया गया था, जो लगभग 17% है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा तथा उपकरणों के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा के बारे में ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आयातित उपकरणों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपये में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपये में)
1988-89	162.59	13.78
1989-90	171.99	39.89
1990-91	171.14	72.91
1991-92* (30-9-91 तक)	101.12	122.78

* अनंतिम

तमिलनाडु में वन पर आधारित उद्योग

4476 श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में वनों पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) पिछले कुछ समय में उद्योग मंत्रालय में तमिलनाडु में पूरी तरह और अथवा आंशिक रूप से लकड़ी पर आधारित परियोजनायें स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :—

क्र० सं०	पार्टी का नाम और आवेदन की तारीख	निर्माण की मद	टिप्पणी
1.	मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लि० (तारीख 18.10.89)	अखबारी कागज और लिखाई/छपाई कागज	कम्पनी को 6.11.90 को एक आशय पत्र मंजूर किया गया है।
2.	मैसर्स विजय प्लाइवुड प्रा० लि० (तारीख 16.7.90)	प्लाइवुड ब्लैक-बोर्ड कन्टरीवुड फ्लशडोर	कच्चे माल की बाधा के कारण नामंजूर
3.	मैसर्स तमिलनाडु न्यूज-प्रिंट एंड पेपर्स लि० (तारीख 12.1.91)	अखबारी कागज और लिखाई/छपाई कागज बनाने के लिए क्षमता का पर्याप्त विस्तार	कंपनी को 16.9.91 को औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई क्योंकि इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है।
4.	मैसर्स एम. के. बी. के. प्लाइवुड प्रा० लि० (तारीख 23.9.91)	प्लाइवुड आफ रबड़ सैन्डविच्ड बाई. टी. डब्ल्यू. वीनीर शीट्स, प्लाइवुड पार्टिकल बोर्ड और इसी प्रकार के वुड बोर्ड वीनीर्ड पैनल्स, ब्लाकों में डैंसीफाइड वुड और ब्लाक बोर्ड्स।	कच्चे माल की बाधा के कारण नामंजूर

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भवन निर्माताओं पर बकाया धनराशि

4477. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माताओं से करोड़ों रुपए एकत्र किए जाने है;

(ख) यदि हां, तो उनका विस्तृत ब्योरा क्या है;

(ग) यह धनराशि कब से बाकी है और इन्हें नहीं दिए जाने का कारण क्या हैं;

(घ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय में दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(च) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'कोर्ट टेल्स प्रन्सलस टू पे 15 करोड़ डी०डी०ए०' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो वे मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन पर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है और इस निर्णय के कार्यान्वयन सम्बन्धी क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (छ) नेहरू प्लेस में नीलामी किए गये प्लाटों के एक मामले में उच्च न्यायालय ने देखा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण याचिका कर्त्ताओं के प्रति नितान्त कृपालु रहा था। न्यायालय का यह निर्णय 1 नवम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था, इसी प्रकार के एक झण्डेवालान टावर प्लाट से सम्बन्धित दूसरे मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राइवेट निर्माताओं से बकाये राशि की वसूली से सम्बन्धित कुछ टिप्पणियां की थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर निर्माताओं से 8 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। आगे की कार्रवाई करने से पहले ही प्रभावित पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है और मामला जनवरी 1992 में न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध किया जाना है।

'आई० आर० डी० पी०' के अंतर्गत कुओं का निर्माण

4478. श्री बी० देवराजन :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य वार, कितने कुओं का निर्माण किया गया;

(ख) राज्य-वार कुओं का वर्गीकरण क्या है और उन पर कितनी राशि खर्च की गयी;

(ग) अब तक कितने कुएं समाप्त हो चुके हैं अथवा बेकार हो गए हैं;

(घ) पहले से बनाए गये कुओं की कार्य-निष्पादन रिपोर्ट क्या है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने कुएं खोदने का प्रस्ताव है और इसमें कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण विकास मन्त्रालय समन्वित ग्रामीण विकास कार्य म के अन्तर्गत बनाए गए कुओं के बारे में वर्षवार तथा राज्य वार सूचना एकत्र नहीं करता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई औद्योगिक नीति को उदार बनाना

4479. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी औद्योगिक नीति को उदार बनाने के प्रभाव के बारे में देश के विभिन्न ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ बातचीत की है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान उद्योगों पर परिवर्तित नीति के ठोस प्रभावों के बारे में तथा सरकार के रोजगार के अवसर पैदा करने सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ 17.8.1991 को एक बैठक की थी जिसमें नयी औद्योगिक नीति पर विचार विमर्श किया गया था। सरकार ने श्रमिकों को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर नयी औद्योगिक नीति के असर और अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करने तथा उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए हाल में श्रम मन्त्रालय में केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों नियोक्ता संगठनों तथा केन्द्र सरकार के विभागों के प्रतिनिधियों की एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

नयी चीनी मिलें

4480. श्री काशीराम राणा :

श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को नई चीनी मिलों की स्थापना करने तथा वर्तमान चीनी मिलों का विस्तार करने के लिए पृथक-पृथक रूप से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में निर्धारित किए गए नए मानदंडों के अनुसार इन आवेदन पत्रों को कब तक मंजूर किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार के पास नई चीनी मिलों की स्थापना तथा वर्तमान मिलों का विस्तार करने के लिए गुजरात के कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) खाद्य मन्त्रालय में 30.9.91 तक नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए 642 आवेदन पत्र तथा वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों की क्षमता में विस्तार के लिए 53 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) लम्बित आवेदन पत्रों की समीक्षा करने के लिए जांच समिति अपनी बैठक समय-समय पर बुलाएगी।

(ग) 30.9.91 तक गुजरात राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु 10 आवेदन पत्र तथा मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए 2 आवेदन पत्र लंबित थे।

[अनुवाद]

कीटनाशकों की कमी

4481. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कीटनाशकों की काफी समय से कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्वदेशी उत्पादन बढ़ाकर कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) पैस्टीसाइडस के उत्पादन और उपलब्धता को सरकार निरन्तर मॉनीटर कर रही है और पैस्टिसाइडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लाइसेंस देने, कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता, आदि जैसे कदम उठा रही है। पेस्टिसाइड की समय पर और उचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ बैठकें बुलाता है। किसी पेस्टिसाइड की कम सप्लाई की हालत में समस्या पर काबू पाने के लिए सम्बन्धित राज्यों को इन मदों की सप्लाई सुनिश्चित करने की सम्बन्धित विनिर्माताओं को सलाह दी जाती है।

(घ) और (ङ) देश में पेट्रो-रसायन एकक स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है और तकनीकी आर्थिक बातों के आधार पर ऐसे प्रस्तावों की सिफारिश की जाती है। नई औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत अनेक पेट्रो रसायन मदें अब लाइसेंस के उपबंधों से मुक्त हैं। ऐसे मामलों में उद्यमियों के लिए सरकार के पास केवल एक समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

महाराष्ट्र में पेट्रो-रसायन उद्योग

4482. श्री विलास राव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर सरकारी और निजी क्षेत्रों में पेट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विभिन्न चरणों में लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव किन-किन चरणों में विचाराधीन हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को शीघ्रातिशीघ्र मंजूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं सहित विभिन्न पेट्रोकेमिकल्स के विनिर्माण हेतु जिनके लिए अभी भी लाइसेंस आवश्यक है, औद्योगिक लाइसेंस के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं। वर्तमान नीतियों के अनुसार इनकी जांच की जाती है और तकनीकी-आर्थिक आधार पर निर्णय लिए जाते हैं जो एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

अरहर के मूल्य में वृद्धि

4483. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरहर के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार का इसका मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) अरहर के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतया इस तथ्य के कारण हुई है कि स्वदेश में अरहर का उत्पादन देश में इसकी मांग के अनुरूप नहीं हुआ है। देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। चूंकि दालों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन किया जाता है इसलिए आयात द्वारा भी दालों की उपलब्धता में वृद्धि की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र की यूनिटों के लिए निधियों का आबंटन

4484. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विकासशील उद्योगों के लिए और अधिक निधियां आबंटित करने पर रोक लगा दी है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र की कुछ ऐसी यूनिटों ने कर्मचारियों की छंटाई करने अथवा अपने कार्यकलापों के क्षेत्र को गैरसरकारी क्षेत्र के कुछ विख्यात समूहों को सौंपने का निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन):(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में विकास केन्द्र

4483. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के पास विकास केंद्रों की परियोजना रिपोर्टें भेज दी हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के पास जिन विकास केंद्रों के प्रस्ताव भेजे हैं उनका ब्योरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और बिहार को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) : (क) अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं।

(ख) से (घ) नई विकास केन्द्र योजना के अधीन उत्तर प्रदेश तथा बिहार को क्रमशः 8 और 6 विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं। अंतिम चयन राज्य सरकारों के परामर्श से किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 13 प्रस्ताव भेजे थे जो आगरा, अलीगढ़, बाराबंकी, बुलन्दशहर, बस्ती, इटावा, गोरखपुर, झांसी, जौनपुर, कानपुर देहात, मुरादाबाद, पौड़ी गढ़वाल और शाहजहांपुर के बारे में थे। इनमें से बुलन्दशहर, इटावा, गोरखपुर, झांसी, जौनपुर, मुरादाबाद, पौड़ी गढ़वाल और शाहजहांपुर जिलों को चुना गया है।

बिहार की राज्य सरकार ने 14 प्रस्ताव भेजे थे जो आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, बिहार शरीफ, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, हजारीबाग, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के लिए थे। राज्य सरकार से व्यापक चर्चा के बाद इनमें से औरंगाबाद, भागलपुर, हजारीबाग मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जिलों को चुना गया है। बिहार में छठें विकास केन्द्र के स्थापना स्थल हेतु राज्य सरकार ने अभी अपना अन्तिम प्रस्ताव भेजना है।

गोरखपुर और जौनपुर में स्थापित किए जाने वाले विकास केन्द्रों के लिए 1990-91 में केन्द्र सरकार ने प्रति विकास केन्द्र 50 लाख रुपए दिए थे, इनकी परियोजना रिपोर्ट 31 मार्च, 1991 से पूर्व प्राप्त हो गई थीं। चुने हुए विकास केन्द्रों के लिए बिहार राज्य सरकार ने परियोजना रिपोर्ट नहीं भेजी हैं।

संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार के मामले

4486. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) यह भ्रष्टाचार किस प्रकार के है;

(ग) कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) प्रभावित प्रत्याशियों को क्या राहत दी गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग दोनों में भ्रष्टाचार के एक-एक मामले का पता चला है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) चूंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दोनों मामलों में जांच पूरी नहीं की है अतः किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कर्मचारी चयन आयोग

वर्ष, 1990 के दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि आयकर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि, निरीक्षक, परीक्षा 1988 के आधार पर लिए गए कुछ उम्मीदवारों ने आयोग में कार्यरत कुछ कर्मचारियों की मिली-भगत से अनुचित साधनों का प्रयोग किया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया है तथा इसकी जांच की जा रही है।

संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अप्रैल, 1991 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में परिसम्पत्तियां रखने के लिए एक डेस्क अधिकारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

अमेरिकी मछली उद्योग द्वारा भारत में मछली पकड़ने का कार्य शुरू करना

4487. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अमेरिकी मछली उद्योग को भारत में अपना कुछ व्यापार शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गई है;

(ग) क्या ये शर्तें अमेरिकी मछली उद्योग को स्वीकार्य है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अमेरिकी मछली उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नारियल के छिलके के लिए तीन सूत्रीय लेवी पद्धति

4488. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने नारियल के छिलके के लिए एक तीन सूत्रीय लेवी पद्धति लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस नई लेवी पद्धति का सुझाव नारियल जटा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु नियुक्त किए गए विशेष कृतक बल द्वारा दिया गया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) श्री अशीम चटर्जी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, तीन सूत्रीय लेवी पद्धति की वैधता जो 30 सितंबर 1990 को समाप्त हो गई थी, को 31 अक्तूबर 1992 तक जारी रखने की अनुमति दे दी गई हैं। यह संशोधित तीन सूत्रीय लेवी पद्धति त्रिचूर, मालापुरम, पलक्कड़, कोंजीकोड़, वायानाड, कन्नूर, तथा कसारगोडा जिलों के अतिरिक्त केरल में कार्यान्वित की जाएगी। तीन सूत्रीय लेवी पद्धति को जारी रखने के प्रश्न की जांच करते समय श्री अशीम चटर्जी समिति को केरल सरकार द्वारा गठित 'कृतक बल को रिपोर्ट' भी भेजी गई है।

अरण्डी तेल की मांग और उत्पादन

4489. श्री यशवन्त राव पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अरण्डी के तेल की बहुत मांग है;

(ख) क्या देश में अरण्डी के तेल का अधिकतम उत्पादन होने के बावजूद भी भारत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ा हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हमारा देश अरण्ड के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पीछे नहीं है, क्योंकि कुल विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा 65% है। तथापि, हमें ब्राजील, चीन तथा थाईलैंड से लगातार प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।

(घ) एरण्ड के तेल के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है :—

(1) विलायक निष्कर्षित तेल, खाद्य चूर्ण नियन्त्रण आदेश, 1967 के तहत पंजीकृत प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (औद्योगिक) जारी किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एरण्ड के तेल का उपयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जाए।

(2) राज्यों को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के जरिए अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन तथा वितरण, पौध संरक्षण उपायों, जिनमें पौध संरक्षण रसायनों की आपूर्ति शामिल है, तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के आयोजन हेतु उपकरणों की आपूर्ति के लिए सहायता दी जा रही है।

(3) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनुसंधान प्रयासों को तेज करना।

(4) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक संसाधन तथा बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना।

(5) एरण्ड की खली के निराविषीकरण से संबंधित अनुसंधान व विकास योजनाओं के लिए संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

संयुक्त क्षेत्र में तेल निकालने के एकक

4490. **श्री सुधीर सावन्त :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त क्षेत्र में तेल निकालने का एकक स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार संयुक्त क्षेत्र में तेल निष्कर्षण एकक लगाने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्लूटोनियम तकनीक

4491. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान ऊर्जा संकट का सही विकल्प प्लूटोनियम तकनीक है;

(ख) यदि हां, तो रिएक्टर में प्लूटोनियम के उत्पादन और इसके विलगन और विद्युत रिएक्टरों में ईन्धन के रूप में इसका प्रयोग करने के लिए इस तकनीक का विकास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) प्लूटोनियम को ईन्धन के रूप में प्रयोग करने की भावी क्या योजना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। भविष्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के अन्तर्गत प्लूटोनियम का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे परमाणु बिजली कार्यक्रम का पहला चरण दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टरों पर आधारित है जो प्लूटोनियम का उत्पादन करेंगे। इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में किया जाएगा जिसके बारे में इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपाक्कम में अनुसंधान-कार्य किया जा रहा है।

(ख) और (ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा तारापुर में दो प्लूटोनियम संयंत्र स्थापित किए गए हैं जो भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में लगे हमारे अनुसंधान रिएक्टरों से निकलने वाले और तारापुर तथा राजस्थान में लगे विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले भुक्तशेष ईन्धन का पुनर्संसाधन करते हैं। इस समय मद्रास परमाणु बिजलीघर तथा कलपाक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर से निकलने वाले भुक्तशेष ईन्धन को संसाधित करने के लिए कलपाक्कम में तीसरा प्लूटोनियम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में काम में लाने के लिए प्लूटोनियम पर आधारित न्यूक्लियर ईन्धन, जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित मोनोकारबाइड, तैयार करने के संबंध में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में काफी अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है। प्लुटोनियम को उपयोग में लाकर मिश्रित-ऑक्साइड ईन्धन का उत्पादन करने के लिए तारापुर में एक प्रगत ईन्धन संविरचन सुविधा स्थापित की जा रही है। पूर्णिमा-I नामक अनुसंधान रिएक्टर, जो सन् 1972 में क्रांतिक हुआ था, प्लूटोनियम को ईन्धन के रूप में काम में लाने वाला पहला भारतीय रिएक्टर था। कलपाक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए प्लूटोनियम एक अत्यन्त उपयोगी ईन्धन पाया गया है। प्लूटोनियम को काम में लाने वाले अगली पीढ़ी के फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की स्थापना अगली शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में किए जाने की संभावना है जिसमें प्रारम्भ में 500 मेगावाट क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाया जाएगा।

इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार पर सम्मेलन

4492. **श्री गुरुदास कामत :**

डा० सी० सिलवेरा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारत में 2000 ईसवी में इलेक्ट्रानिकी तथा दूर संचार" विषय पर हाल ही में नई दिल्ली में किसी सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के आयोजन के उद्देश्य क्या थे;

(ग) क्या इस सम्मेलन में इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार की क्षमता के संबंध में कुछ सन्देह व्यक्त किए गए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या भविष्य में इन क्षेत्रों में सहज विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार इन सन्देहों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी हां, कैपिटल फाउण्डेशन सोसायटी (पंजीकृत) नामक एक निजी संगठन ने नवम्बर, 1991 में भारत में दूरसंचार-2000 विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया था। इलेक्ट्रानिकी विभाग को सम्बोधित आयोजनकर्ता के पत्र के अनुसार इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करना, प्रतिभागियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना और नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना था।

(ग) से (छ) यह विचार व्यक्त किया गया कि इलेक्ट्रानिकी और दूरसंचार उद्योग को अपेक्षित प्रोत्साहन देने के लिए सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के ढांचे में भारी परिवर्तन करना जरूरी है।

सरकार विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार उद्योग शामिल है और सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् विभिन्न वस्तुओं की शुल्क सूची में भी समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

केरल में विटामिन "ए" का मूल्य

4493. प्रो० के० वी० थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में निर्मित विटामिन "ए" का मूल्य बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केरल स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स, एलेप्पी में विटामिन "ए" के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल पर आयात शुल्क वापस लेने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। केरल सरकार से इस प्रकार के अनुरोध इस मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोलियो के टीके

4494. श्री के० प्रधानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियो के टीके का उत्पादन देश में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की मांग की पूर्ति हेतु ये टीके पर्याप्त मात्रा में है;

(ग) यदि नहीं, तो देश में पोलियो के टीके के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) देश में पोलियो वैक्सीन का स्वदेशी उत्पादन अभी तक उतना नहीं है, जो देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। किन्तु, देश में बड़ी मात्रा में आयात से ओरल पोलियो वैक्सीन के मिश्रण की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) ओरल पोलियो वैक्सीन (ओ० पी० वी०) के स्वदेशी विनिर्माण की एक परियोजना भारत सरकार द्वारा 1987 में आरम्भ की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (बिबकॉल) नामक कम्पनी को कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित किया गया है। यह कम्पनी ओ० पी० वी० की 1000 लाख खुराकों का उत्पादन करने के लिए बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में एक विनिर्माण एवं अनुसंधान तथा विकास एकक की स्थापना कर रही है। संयंत्र तथा सहायक सुविधाओं का सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इस एकक द्वारा स्वदेशी उत्पादन 1992 के दौरान आरम्भ हो जायेगा।

ओ० पी० वी० के स्वदेशी उत्पादन के लिए हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई में भी सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। इस एकक की वार्षिक क्षमता 300-500 लाख खुराक होगी।

औषधियों का बिना स्वीकृति के विपणन

4395. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बहुत बड़ी संख्या में औषधियों और फार्मुलेशन तैयार किए जा रहे हैं और उनका बिना वैध स्वीकृति के विपणन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1991 के दौरान अब तक दोषी पाई गई औषध कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) औषध निर्माताओं द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का ऐसा उल्लंघन विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्नाटक में आटा चक्की

4496. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितनी आटा चक्की हैं;

(ख) इन आटा चक्कियों में प्रति महीने कितने गेहूं की आवश्यकता होती है;

(ग) जनवरी, 1991 से अक्तूबर, 1991 के अंत तक प्रत्येक आटा चक्की को कितना गेहूं आवंटित किया गया;

(घ) क्या इन आटा चक्कियों को गेहूं की आपूर्ति में कटौती की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार इन आटा चक्कियों को अपेक्षित मात्रा में गेहूं आवंटित करने का है ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) रोलर फ्लोर मीलिंग उद्योग को 1986 में लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया था। अत: उसके बाद स्थापित की गई नई मिलों अथवा बन्द कर दी गई मिलों के बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (च) चूंकि रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग से नियन्त्रण हटा लिया गया है और उसे लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है इसलिए रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं की आपूर्ति करने के बारे में केन्द्रीय सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अत: रोलर फ्लोर मिलों के पक्ष में आवंटन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

मिलों को खुले बाजार से गेहूं की खरीददारी करने के लिए स्वयं प्रबंध करने होते हैं और वे अपने पदार्थों को बाजार में चल रहे मूल्यों पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, यदि भारतीय खाद्य निगम के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं के अतिरिक्त गेहूं का स्टाक होता है तो वे खुले बाजार में, जिसमें रोलर फ्लोर मिलें भी शामिल होती हैं, कभी-कभी कुछ मात्रा में गेहूं बेचता है ताकि खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों पर स्वस्थ प्रभाव डाला जा सके।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केन्द्र

4497. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए औद्योगिक विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में खंड स्तर पर औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) विकास केन्द्र योजना के तहत मध्य प्रदेश को छ: विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं, जिनका चयन व घोषणा पहले ही कर दी गई है। ये केन्द्र दुर्ग, गुना, भिंड, धार, रायसेन और रायपुर जिलों में हैं। इसमें दुर्ग, धार और रायपुर जिले आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। चुने गए प्रत्येक विकास केन्द्र को 25-30 करोड़ रु० की लागत पर बिजली, पानी, दूरसंचार, सड़कें, बैंक आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जायेगी।

मध्य प्रदेश की औद्योगिक परियोजनाएं

4498. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कितनी औद्योगिक परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए कुल 198 आवेदन प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। नीतिगत मामला होने के कारण जब तक अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता आवेदनों के ब्यौरे प्रकट नहीं किए जाते ।

(ख) नई औद्योगिक नीति के अधीन जिन 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, उनकी एक छोटी सूची को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। औद्योगिक अनुमोदनों की मंजूरी के लिए आवेदनों को निपटाने के लिए निर्धारित समय सीमा है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं कि आवेदनों को समय सीमा के भीतर निपटाया जाए ।

[अनुवाद]

राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन

4499. श्री काशीराम राणा :

श्री हरिन पाठक :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों को उनकी मांग के अनुसार चावल और गेहूं आबंटित करने का है;

(ख) उन्हें जनवरी, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक किए गए आबंटन और उनकी मांग का तुलनात्मक, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उन्हें कोई कम सप्लाई की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ग) अन्य वस्तुओं के अलावा आवंटन केन्द्रीय पूल के लिए वसूली द्वारा सीमित होते हैं, जोकि देश में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का केवल लगभग 12 से 18 प्रतिशत होते हैं। अत: आवंटन आवश्यक रूप से अनुपूरक स्वरूप के होते हैं, और राज्य सरकारों की समस्त मांग को पूरा करना व्यवहार्य नहीं होता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई हैं ।

विवरण

जनवरी, 1991 से अक्तूबर, 1991 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की मांग और आवंटन को बताने वाला विवरण ।

(हजार मीटरी टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल		गेहूं	
	मांग	आवंटन	मांग	आवंटन
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	2098.0	2088.0	380.0	300.0
2. अरुणाचल प्रदेश	88.4	93.9	10.0	8.8
3. असम	630.0	380.0	427.0	285.0
4. बिहार	210.0	101.0	1050.0	472.0
5. गोआ	51.0	46.0	45.5	38.0
6. गुजरात	310.0	265.0	975.0	817.0
7. हरियाणा	32.0	33.0	260.0	200.0
8. हिमाचल प्रदेश	65.0	66.95	100.0	108.0
9. जम्मू और कश्मीर	365.0	380.5	200.0	200.0
10. कर्नाटक	750.0	501.0	500.0	420.0
11. केरल	1600.0	1460.0	300.0	285.0
12. मध्य प्रदेश	1200.0	253.0	1430.0	415.0
13. महाराष्ट्र	604.0	472.0	1335.0	1161.0
14. मणिपुर	92.1	79.5	30.0	30.0
15. मेघालय	150.0	109.5	25.0	25.0
16. मिजोरम	84.0	89.5	12.5	12.50
17. नागालैंड	129.25	119.5	84.75	64.25
18. उड़ीसा	345.0	283.5	350.0	280.0
19. पंजाब	15.0	16.5	160.0	140.0
20. राजस्थान	45.0	35.0	1080.0	815.0
21. सिक्किम	47.5	48.0	6.6	6.0
22. तमिलनाडु	875.0	772.48	290.0	300.0
23. त्रिपुरा	138.5	148.5	25.0	25.0

1	2	3	4	5
24. उत्तर प्रदेश	360.0	295.0	910.0	665.9
25. पश्चिमी बंगाल	1400.0	709.0	1256.0	940.0
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.0	18.0	8.4	8.4
27. चंडीगढ़	5.0	8.8	29.5	22.8
28. दादर तथा नगर हवेली	5.0	6.5	2.0	2.0
29. दमन और द्वीव	6.0	6.15	2.0	1.50
30. दिल्ली	350.0	221.0	750.0	732.0
31. लक्षद्वीप	6.3	6.3	0.2	0.2
32. पांडिचेरी	30.0	23.0	8.0	7.50
जोड़	12105.05	9136.08	12042.45	8787.85

[हिन्दी]

पॉलियेस्टर यार्न तथा नाईलॉन धागे के कारखाने

4500. श्री कालीराम राया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पॉलियस्टर यार्न तथा नाइलॉन धागे के कितने कारखाने पंजीकृत हुए;

(ख) इन कारखानों की स्थापित क्षमता कितनी है तथा वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) कारखाने के मालिकों का एकाधिकार समाप्त करने तथा बुनकरों को उचित मूल्य पर धागे उपलब्ध कराने के लिए सरकार के क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

'कार" ईस्टर्न ब्यूरो हास्टल

4501. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 1991 के स्टेट्समैन में "वर्किंग गर्ल्स हास्टल सैन्स सेफ्टी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित फार ईस्टर्न ब्यूरो कामकाजी महिला हास्टल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और सुरक्षित नहीं हैं;

(ग) क्या इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सारे सुरक्षा जोखिम को समाप्त करने के लिए ऊंची बाउण्डरी दीवार बनाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) हास्टल की सामान्य स्थिति सुधारने के लिए तथा अन्य कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या हास्टल के परिसर में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाया गया है जिससे बाहरी लोगों को हास्टल में घुसने का बहाना मिल जाता है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) जी, हां। अस्थाई ढांचे के विनिदेशन सहित युद्धकालीन वास के रूप में भवन का निर्माण वर्ष 1943-44 के दौरान किया गया था। तथापि, 1984-85 के दौरान ब्लाकों को मजबूत किया गया था तथा संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हैं और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे नियमित रख-रखाव के कारण फिलहाल उपयुक्त वास योग्य स्थिति में हैं। जहां तक सुरक्षा का संबंध है, बेहतर सुरक्षा के लिए कैंपस के चारों ओर अहाता दिवार के हिस्सों को ऊपर उठाने के लिए एक प्रस्ताव है।

(च) तथा (छ) जी, हां। हास्टल के अन्दर लगाया गया सार्वजनिक टेलीफोन हास्टल के दखलकारों के वास्तविक उपयोग के लिए है तथा किसी बाहरी व्यक्ति/यात्री को सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती है।

आठवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश

4502. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के लिए निर्धारित निवेश परिव्यय में कितनी कमी किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय की धनराशि को सातवीं योजना में दी गई धनराशि से कम करने की योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी इक्विटी

4503. श्री रवि राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों के मामले में विदेशी इक्विटी में वृद्धि करने, तरजीही शेयर आवंटित करने तथा शेयरों के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया का ब्यौरा तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के पैरा 39 ख में दिए गए निर्णय के अनुसरण में, सरकार ने उद्योग मंत्रालय के तारीख 19 नवम्बर, 1991 के प्रैस नोट सं० 17 (1991 शृंखला) इक्विटी रखने वाली मौजूदा कम्पनियों में 51% तक विदेशी इक्विटी बढ़ाने, वरीयता के आधार पर शेयर आवंटन की जरूरत तथा शेयरों के निर्गम और शेयर मूल्यांकन के लिए कार्यावधि निर्धारित की गई है । प्रैस नोट की प्रतियां संसद पुस्तकालय को उपलब्ध करा दी गई हैं ।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश

4504. श्री रवि राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने उनके राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ अप्रवासी भारतीयों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें विदेशी निवेशकों की वित्तीय साझेदारी कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का भी इन उद्यमों में वित्तीय साझेदारी करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) एन. आर. आई. की भागीदारी से संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किसी राज्य सरकार से विशेष अनुमोदन समिति (एन. आर. आई.) द्वारा विचार हेतु उद्योग मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है ।

चण्डीगढ़ में पट्टा प्रणाली को मुक्त प्रणाली में बदलना

4505. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या शहरी विकास मंत्री 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में भी पट्टा प्रणाली को मुक्त प्रणाली में बदलने के आदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चण्डीगढ़ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद

4506. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्या हैं;

(ग) पिछले एक वर्ष में इसकी कितनी बैठकें हुई हैं और उनमें कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गईं;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(ङ) क्या परिषद में पंजाब विश्वविद्यालय का कोई प्रतिनिधि लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के बारे में चंडीगढ़ प्रशासन को सलाह देना।

(ग) पिछले एक वर्ष में दो बैठकें आयोजित की गई जिनमें निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गई थी :—

— चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वित्तपोषित किए जाने के लिए सात अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

— चंडीगढ़ में एक तारघर और एक विज्ञान पार्क का निर्माण।

— विज्ञान को लोकप्रिय बनाने संबंधी अन्य कार्यकलापों को लागू करना।

(घ) परिषद द्वारा सिफारिश की गई सात अनुसंधान परियोजनाओं को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन की आठवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अन्तर्गत एक तारघर और एक विज्ञान पार्क के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को शामिल कर लिया गया है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने संबंधी अन्य कार्यकलापों को, अर्थात विज्ञान प्रश्नोत्तरी, पुरस्कार, प्रदर्शनियां, विज्ञान क्लब आदि को 8वीं योजना के दौरान शुरू करना तय कर लिया गया है।

(ङ) और (च) जी नहीं। किए जाने वाले विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यकलापों तथा बैठकों में सहभागिता के स्तर को देखते हुए परिषद की संरचना में परिवर्तन होता रहता है। तथापि, पंजाब विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि को परिषद की उप समिति में सम्मिलित कर लिया गया है जो परिषद द्वारा विचार किए जाने के लिए अनुसंधान प्रस्तावों को तैयार करती है।

चंडीगढ़ में सरकारी क्वार्टरों का रखरखाव

4507. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में सरकारी क्वार्टरों के रखरखाव के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या अनेक क्वार्टरों में पलस्तर उतर रहा है, छतें रिसती हैं और सफेदी वर्षों से नहीं की गई है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के क्वार्टरों/मकानों के रखरखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 21.9.1983 को निर्धारित किए गए क्वार्टरों के वार्षिक अनुरक्षण के मानदण्ड जो अक्तूबर, 1979 में प्रचलित लागत सूचकांक पर आधारित थे, इस प्रकार है :—

सिविल अनुरक्षण		
सेवा प्रभार	—	2.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर
वार्षिक मरम्मत	—	2.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर
विशेष मरम्मत	—	
आयु 0—20 वर्ष	—	1.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर
,, 20—40 वर्ष	—	2.90 रुपये प्रति वर्ग मीटर
,, 40—60 वर्ष	—	4.05 रुपये प्रति वर्ग मीटर
विद्युत अनुरक्षण		
वार्षिक मरम्मत :—		
सकेन्द्रीकृत समूह	—	2.80 रुपये प्रति वर्ग मीटर
छितराव समूह	—	3.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर
विशेष मरम्मत	—	अलग अनुमान तैयार किए जाते हैं।

अनुमान तैयार करते समय प्रचलित लागत सूचकांक की तुलना में इन दरों को बढ़ाया जाना है। पम्पों को चलाने के लिए निधियां अलग से दी जाती हैं।

(ख) इन कुछ क्वार्टरों, जो लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्मित हुए थे, में प्लास्टर के निकलने एवं छतों का रिसना ध्यान में आया था, इन कमियों को सुधार दिया गया था। योंही, क्वार्टरों के

निरीक्षण के पश्चात् निवारक मरम्मत की जा रही है।

निधियों की कमी के कारण इन क्वार्टरों की सफेदी पिछले 2-3 वर्षों से नहीं की जा सकी। इस कार्य को चालू वर्ष में पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 70% क्वार्टरों में यह पूर्ण हो गया है।

(ग) अनुरक्षण पर व्यय टाइपवार दर्ज नहीं किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मरम्मत पर किया गया व्यय इस प्रकार है :—

सिविल	—	19,96,420 रुपये
विद्युत	—	13,48,913 रुपये

[हिन्दी]

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4508. प्रो० राणा सिंह रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम में हुए लाभ तथा घाटे का ब्यौरा क्या है तथा घाटे के कारण बन्द होने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या क्या है;

(ग) उनकी रुग्णता के मुख्य कारण क्या है तथा उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा क्या श्रमिकों/कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी; और

(घ) राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में नये उपक्रमों की स्थापना करने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 6 उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य में स्थित हैं। गत तीन वर्ष 1989-90 तक केवल जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध है, इन उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ और उठाई गई हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार का केन्द्रीय सरकार के किसी उद्यम को बन्द करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) इन उद्यमों की लाभकारिता में कमी होने के कारण हैं—काम में आने वाली लागत में वृद्धि होना, क्षमता का कम उपयोग किया जाना, अप्रचलित संयंत्र तथा मशीनरी का प्रयोग, बिजली की कमी होना, आवश्यकता से अधिक जनशक्ति का होना, मांग में कमी-बेशी होना आदि। उद्यम-विशेष के बारे में सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है। वित्तीय, प्रबन्धकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन करना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, आधुनिकीकरण, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना जैसे कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। ऐसे सरकारी उद्यमों, जिनका पुनरुद्धार संभव नहीं है, नई औद्योगिक नीति में पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन योजनाएं बनाने, इन्हें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन मण्डल अथवा इस प्रयोजन के लिए बनाये गए इसी प्रकार के उच्च स्तरीय संस्थानों के पास भेजने की, परिकल्पना की गई है। पुनर्स्थापन संबंधी

इन कार्यक्रमों से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तन्त्र का सृजन किया जायेगा। चालू वर्ष की शेष अवधि में राजस्थान में सरकारी क्षेत्र का कोई नया उपक्रम स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

उद्यम का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	(—)0.45	(—)0 54	(—)0.18
हिन्दुस्तान जिंक लि०	2.59	29.99	70.49
इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	2.63	1.95	0.43
राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	0.33	0.09	—
राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लि०	0.42	0.50	0.48
सांभर साल्ट्स लि०	(—)0.21	(—)0.28	0.07

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाएं

4509. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई विभिन्न परीक्षाओं में गत वर्ष कितने उम्मीदवार शामिल हुए; और

(ख) उन्होंने परीक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को चुना, किस परीक्षा में शामिल हुए और प्रत्येक माध्यम कितने-कितने उम्मीदवारों ने चुना ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) 3,24,117

(ख) केवल सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 1990 तथा अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ग्रेड "ख"/ग्रेड-I सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1990 के मामले में उम्मीदवारों को परीक्षा का माध्यम चुनने का विकल्प उपलब्ध है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में, या तो प्रश्न पत्र वस्तुपरक प्रकार के होते हैं अथवा उनका उत्तर केवल अंग्रेजी में देना आवश्यक होता है।

2. सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, भाषा प्रश्नपत्रों को छोड़कर, के उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भाषा में उत्तर देने का विकल्प होता है। जिन उम्मीदवारों को सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिखित भाग के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है. उन्हें या तो अंग्रेजी में अथवा उनके द्वारा लिखित परीक्षा में दिए गए भाषा माध्यम में बातचीत करने की सुविधा प्राप्त होती है।

3. अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ग्रेड "ख"/ग्रेड-I, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के

संबंध में उम्मीदवारों को कतिपय निर्दिष्ट प्रश्नपत्रों के संबंध में अंग्रेजी अथवा हिन्दी को परीक्षा माध्यम के रूप में चुनने का विकल्प होता है। इस परीक्षा में कोई साक्षात्कार नहीं है।

4. उम्मीदवारों द्वारा चुने गए परीक्षा माध्यम तथा सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 1990 (लिखित भाग तथा साक्षात्कार) में उनकी संख्या तथा अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ग्रेड "ख"/ग्रेड-I सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1990 में कतिपय निर्दिष्ट प्रश्नपत्रों में जिन उम्मीदवारों ने हिन्दी अथवा अंग्रेजी चुनी है, उनकी संख्या नीचे दी जाती है :—

विवरण

उम्मीदवारों द्वारा विकल्प में दिया गया भाषा का माध्यम	सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 90 उम्मीदवारों की संख्या		अनुभाग, अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड-ख/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1990
	लिखित भाग	साक्षात्कार	
असमी	03	01	
बंगाली	11	04	
गुजराती	35	12	
हिन्दी	1451	149	72
कन्नड़	16	06	
कश्मीरी	—	—	
मलयालम	05	—	
मराठी	24	07	
उड़िया	01	—	
पंजाबी	04	02	
संस्कृत	—	—	
सिंधी	01	—	
तमिल	27	09	
तेलगु	91	15	
उर्दू	C5	02	
अंग्रेजी	8447	1652	820
कुल :	10,121	1859	900

[अनुवाद]

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड

4510. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

कुमारी दीपिका चिखलिया :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड की लखनऊ इकाई रुग्ण हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त इकाई को शीघ्रातिशीघ्र अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) 31-3-91 को इसका नकारात्मक निवल मूल्य 253.21 करोड़ रुपये का था और यह पिछले दो वर्षों से नकद हानियां उठा रही है (1990-91 में 47 39 करोड़ रुपये और 1989-90 में 41.98 करोड़ रुपये) ।

(ग) इसके भविष्य के सम्बन्ध में विभिन्न विकल्प सरकार के विचाराधीन हैं ।

उत्तर प्रदेश और गुजरात में औद्योगिक एकक

4511. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और गुजरात में, जिला-वार, कितने नए औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1991 के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश और गुजरात को इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में उद्योगों की स्थापना हेतु कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है ।

विवरण

1991 के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में स्थापित किए गए नए लघु औद्योगिक एककों की जिलावार संख्या ।

क्रम सं०	राज्य / जिला	स्थापित किए गए लघु उद्योग एककों की संख्या
1	2	3
I.	गुजरात (जनवरी 91 से नवम्बर 91 तक)	10,199
1.	अहमदाबाद	2,423
2.	गांधी नगर	136

1	2	3
3.	खेड़ा	346
4.	बड़ोदरा	578
5.	भडूच	430
6.	सूरत	1,603
7.	बलसाड़	568
8.	सुरेन्द्र नगर	329
9.	राजकोट	1,050
10.	जाम नगर	370
11.	कच्छ	193
12.	भावनगर	449
13.	अमरेली	153
14.	जूनागढ़	332
15.	मेहसाणा	495
16.	साबरकंठा	285
17.	बनासकंठा	211
18.	पंचमहल	247
19.	डांग	1

II. उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत 1990-91 के दौरान 33,000 लघु एकक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 91 से अक्तूबर 91 के दौरान 24,286 लघु औद्योगिक एककों का पंजीकरण किया है।

शीतल पेय निर्माताओं द्वारा संघटकों का आयात

4512. श्री चेतन पी० एस० चौहान

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीतल पेय निर्माताओं द्वारा, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कम्पनी-वार और वर्ष-वार, कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के विभिन्न संघटकों का आयात किया गया; और

(ख) वर्तमान आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए इनके आयात को न्यूनतम करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवला उत्तर प्रदेश का ग्रामीण पिछड़ापन

4513. **श्री राजवीर सिंह** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवला निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) और (ख) आवला निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली जिलों सहित देश के सभी जिलों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) और जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) जैसे केन्द्रीय प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ-साथ ग्रामीण जल सप्लाई, ग्रामीण सड़कों और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाना

4514. **श्री राजवीर सिंह** :

डा० लाल बहादुर रावत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पशुओं के लिए पेय जल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड पम्प, पम्प सेट इत्यादि लगाने की कोई योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) पशुओं के लिए पेयजल हेतु कोई अलग से योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में मरूभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के शीत मरुस्थली क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 10 लिटर प्रतिव्यक्ति की दर से पेयजल सप्लाई करने की योजनाएं बनाई जाती हैं जिनमें पशुओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30 लिटर प्रतिदिन प्रति पशु पेयजल की सप्लाई शामिल है।

[अनुवाद]

सहकारी आवास समितियों का पंजीकरण

4515. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत कितनी सहकारी आवास समितियां पंजीकृत की गई हैं और इनमें प्रस्तावित निर्माण स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन समितियों के सदस्यों को, समितियों के असंतोषजनक कार्यकरण के कारण, फ्लैटों/प्लाटों का आवंटन लेने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत समितियों को पंजीकृत करते समय क्या शर्तें रखी हैं तथा इस कारण मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करने वाली समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पंजीकरण के लिए कितनी समितियों के आवेदन पत्र सरकार की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली में 2027 पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समितियां बताई गई है जिनमें से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 518 समितियों को भूमि का आवंटन किया है, जिसके क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण का द्वारका चरण-I में 260 समितियों को भूमि का आवंटन करने का प्रस्ताव है। तथापि, इस समय यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है पात्र पाई गई शेष पंजीकृत समितियों को, इस प्रयोजनार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहीत करने व उसे विकसित करते ही आवंटित कर दी जाएगी।

(ख) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र	समितियों की संख्या
1.	रोहिणी	152
2.	पीतमपुरा	57
3.	पश्चिम पुरी	24
4.	रोहतक रोड़	15
5.	बुडेला	46
6.	पटपड़गंज मडावली-फजलपुर	118
7.	कालकाजी	3
8.	मालवीय नगर	1
9.	महरौली	1
10.	ओखला	1
11.	चिल्ला-दल्लू पुरा	48
12.	मयूर बिहार	36
13.	गीता कालोनी	5

क्र०सं०	क्षेत्र	समितियों की संख्या
14.	सी० बी० डी० शाहदरा	5
15.	कड़-कड़ डूमा	1
16.	योजना विहार	2
17.	स्वास्थ्य विहार	1
18.	पंखा रोड़	1
19.	शालीमार बाग	1
	योग :	518

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के लिए सहायता

4516. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों को कौन-कौन सी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इन पर्वतीय जिलों के विकास के लिए कुछ प्रस्ताव योजना आयोग के पास लंबित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र उप-योजना (आठ पहाड़ी जिले शामिल हैं) को 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित की जाती है तथा जिला-वार अथवा स्कीमवार नहीं दी जाती है।

(ख) योजना आयोग में ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के गंदी बस्ती विभाग में अनियमितताएं

4517. **श्री जीवन शर्मा**

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री मदनलाल खुराना

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली प्रशासन की उस विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट से परिचित है जिसमें दिल्ली गंदी बस्ती विकास प्राधिकार की विभाग में गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां तो इस विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) कदाचारों और अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह मामला दिल्ली प्रशासन के जांचाधीन है।

वक्फ सम्पत्ति पर कब्जा करना

4518. **श्री मुमताज अंसारी :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली की वक्फ सम्पत्ति शाहेमर्दा आदि पर कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसी सम्पत्तियों के नामों और स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार ऐसी भूमि भूखंडों का कब्जा उनके मालिकों को कब तक लौटा देने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोई अतिक्रमण नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भविष्य निधि जमा न कराने वाली जूट कम्पनियां

4519. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्री ने भविष्य निधि जमा न कराने वाली कम्पनियों की वर्ष 1986 में एक बैठक बुलाई थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जमा कराने हेतु कर्मचारियों के वेतन के 8 प्रतिशत भाग की कटौती की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो, इस बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भाग (क) में उल्लिखित समझौते का जूट मिल मालिकों द्वारा पालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गयी है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) से (ग) केन्द्रीय श्रम मन्त्री द्वारा 7 जुलाई, 1986 को ली गई बैठक में अन्य वार्ता के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि चूककर्ता जूट मिलें क०भ०नि०/क०रा०बी० की बकाया राशि का भुगतान डी०जी०एस० एण्ड डी० द्वारा उनको भुगतान किए जाने वाले बिलों में से 8 प्रतिशत की कटौती करके करेंगी। चूंकि अधिकांश मिलें इस समझौते को मानने में असफल रहीं अतः इसको वापस ले लिया गया।

(घ) क०भ०नि० और क०रा०बी० प्राधिकारी बकाया राशि वसूलने के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सामान्य दाण्डिक और कानूनी कारंवाई कर रहे हैं।

[अनुवाद]

संजय गांधी परिवहन नगर का विकास

4520. **श्री जीवन शर्मा :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम को संजय गांधी परिवहन नगर का विकास करने में भारी घाटा है जैसा कि मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष को नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या है;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम को होने वाले इस भारी वित्तीय घाटे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिल्ली नगर निगम को हुए घाटों का ब्यौरा क्या है; और

(च) निरन्तर हो रहे इस घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (च) दिल्ली नगर निगम द्वारा 'लाभ-हानि रहित' आधार पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का विकास किया जा रहा है। प्रारम्भिक दौर में चरण-I में 1420 प्लाटों और चरण-II में 526 प्लाटों की आयोजना की गई थी। तथापि, अतिक्रमणों और अधिग्रहण की कार्यवाही के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय से स्थगनादेशों के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण परियोजना के लिए अपेक्षित कुल भूमि को अन्तरित नहीं कर सका। इस प्रकार प्लाटों की संख्या चरण-I में 1205 और चरण-II में 437 ही रह गई। चरण-II के लिए विन्यास योजना संशोधनाधीन है क्योंकि कुछ प्लाटों की पुनः सिफ्टायी की जानी है।

2. निगम ने अपने दिनांक 23.11.87 के संकल्प संख्या 705 के अनुसार आबंटन कीमत को 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की मूल कीमत से 425 रुपए प्रति वर्ग मीटर कम करने का निर्णय लिया था। यह आशा थी कि इसके परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रुपए (लगभग) के घाटे की प्रतिपूर्ति विन्यास नक्शे में बताए गए वाणिज्यिक स्थलों की नीलामी से कर ली जाएगी। सिविल रिट याचिका

संख्या 833/91 में दिल्ली उच्च न्यायालय की अन्तरिम आदेशों के कारण वाणिज्यिक स्थलों की नीलामी नहीं हो सकी।

3. इसी आधार पर (वाणिज्यिक स्थलों की नीलामी से सम्भावित आय से) आबंटितियों से वसूलनीय विद्युतीकरण प्रभारों की दर (425 रुपए प्रति वर्ग मीटर की बिक्री कीमत के अतिरिक्त) को 89 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घटा कर 55 रुपए प्रति वर्गमीटर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लगभग 64 लाख रुपए का अतिरिक्त घाटा हो गया। निगम ने अपने दिनांक 4.10.1990 के निर्णय संख्या 920/जी डब्ल्यू/कारपो० में यह निर्णय लिया था।

4. दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस प्रकार के किसी प्रकार के घाटे लिए कोई भी कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है तथा यह घाटा केवल अस्थायी है जिसे वाणिज्यिक स्थलों की बिक्री से पूरा किया जाना है।

5. पुरानी दिल्ली को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए यह योजना शहरी क्षेत्र तथा अन्य स्थानों के ट्रांसपोर्टरों, कार्यशालाओं आदि के पुनर्वास की है तथा सार्वजनिक हित में आरम्भ की गई इस कल्याणकारी योजना से किसी लाभ की आशा नहीं की जा सकती है।

इण्डियन डेटोनेटर्स लिमिटेड, राउरकेला द्वारा किए गए विस्फोट परीक्षण

4521. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन डेटोनेटर्स लिमिटेड, राउरकेला द्वारा उच्च शक्ति विस्फोट किए जा रहे हैं जिनके लिए कम्पनी के पास लाइसेंस नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विस्फोटों को बन्द करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) मैसर्स आई.डी.एल. कैमिकल्स लि० राउरकेला विस्फोटक सामग्री नियम 1983 के उपबंधों के अधीन विस्फोटक सामग्री विभाग द्वारा मंजूर किए गए लाइसेंस के अधीन स्वीकृत स्थापना स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण और धातु परिधान (क्लैडिंग) के लिए विस्फोट कार्य कर रही है।

सरकारी नौकरियों में पुनर्रोजगार में भूतपूर्व-पेंशन भोगियों को पेंशन का लाभ

4522. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार की नौकरियों में पुनर्रोजगार पाने वाले भूतपूर्व बर्मा-पेंशनभोगियों को राज्य सरकार की पूरी पेंशन के अलावा 375 रुपये की निम्नतम पेंशन का पूरा फायदा दिया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार सेवाओं में पुनर्रोजगार पाने वाले भूतपूर्व बर्मा-पेंशनभोगियों को उपर्युक्त लाभ नहीं दिया गया है और इनकी बर्मा की पेंशन को निम्नतम करने के आदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत भूतपूर्व बर्मा-पेंशनभोगियों से भेदभाव को दूर करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कारवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व बर्मा पेंशनभोगी जो केन्द्रीय सरकार से भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको 375/ रुपए की न्यूनतम अनुग्रह पूर्वक अदायगी तथा मंहगाई राहत के लाभ को वापिस लेने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके मामलों में बर्मा पेंशन वास्तविक पेंशन तक ही सीमित रहेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) मामले पर गौर किया जा रहा है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

4523. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रशिक्षण की दिन प्रति दिन बढ़ती हुई दुकानें अधिक शुल्क लेकर घटिया मूलभूत सुविधाओं के साथ तथा अप्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित स्तर के कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा समान शुल्क व पढ़ाई के पाठ्यक्रमो आदि के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्र में है और वे अपने-अपने मानदन्डों के अनुसार शुल्क लेते हैं।

(ख) भारत सरकार, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिए एक नीति की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत निर्धारित क्वालिटी तथा सेवा के मानकों को पूरा करने वाले निजी क्षेत्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों अर्थात् 'ओ' (आरम्भिक स्तर), 'क' (उन्नत डिप्लोमा), 'ख' (स्नातक स्तर) तथा 'ग' (स्नातकोत्तर स्तर) के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में वनरोपण के लिये धनराशि

4524. **प्रो० प्रेम धूमल** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरुस्थल विकास के लिए निर्धारित धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस धनराशि को अन्य प्रयोजनों पर लगाने और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों को वनरोपण योजनाओं के लिए आबंटित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उसका तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, जो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र की इक्विटी को "म्यूचुअल फण्ड" में बदलना

4525. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की इक्विटी को म्यूचुअल फण्डों और वित्तीय संस्थाओं में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कुल कितनी धनराशि को अन्तरित करने का निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के सामान्य शेयरों को परस्पर निधियों तथा वित्तीय संस्थाओं में बदलने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में "समेकित आदिवासी विकास परियोजना" के अन्तर्गत चुने गए गांव

4525 क. **श्री जीवन शर्मा :**

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में "समेकित आदिवासी विकास परियोजना" के अंतर्गत कितने-कितने गांवों को चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) गत वर्ष इस योजना के अन्तर्गत राशन की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित दो ब्लाकों अर्थात पिलाया और निघासन में 41 गांवों में समन्वित आदिवासी विकास परियोजना लागू की गई है।

(ख) इन गांवों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

समन्वित आदिवासी विकास परियोजना का नाम	जिन ब्लाकों को कवर किया गया गया उनकी संख्या	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र वर्ग हेक्टेयर में	जनसंख्या (1981 जनगणना)			गांवों की संख्या
			कुल	अनुसूचित	प्रतिशतता	
लखीमपुर	(1) पिलाया	9936.77	18165	14444	79.52	36
	(2) निघासन		4266	2536	59.45	5
			22431	16980	75.70	41

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के अधीन आने वाले लाभार्थियों को गेहूं वितरित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 10,000 मीटरी टन गेहूं का उठान किया था।

[अनुवाद]

के० पी० वी० तथा अन्य टीकों का उत्पादन

4525 ख. **के० वी० तंगकाबालू :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने के० पी० वी० तथा अन्य टीकों का उत्पादन करने के लिए किसी परियोजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय परियोजना की क्या स्थिति है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इण्डियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड (इवकॉल) नामक संयुक्त क्षेत्रीय कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत किया गया था। इस कम्पनी को भारत सरकार (बायोटेक्नोलॉजी विभाग) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) बड़ौदा और पाश्चर मेरियू सीरम्स एण्ड वैक्सीन्स (पी. एम. एस. वी.) द्वारा परिवर्तित किया गया था। इवकॉल निम्नलिखित टीकों के स्वदेशी विनिर्माण के लिए गुड़गांव जिला, हरियाणा में एक विनिर्माण एवं अनुसंधान तथा विकास एकक की स्थापना कर रहा है :—

निष्कृत पोलियो वैक्सीन	100 लाख
खसरा	200 लाख
रेबीज	20 लाख
डी. पी. टी. पी.* (क्वाड्रपल)	400 लाख

इस परियोजना के लिए भूमि गुड़गांव जिले के मनेसर गांव में अधिग्रहीत की गई है और संयंत्र और सुविधाओं का सिविल निर्माण चालू है। कार्मिकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण और उपस्कर एवं मशीनों की खरीद भी शुरू की गई है। आशा है कि इसका सिविल निर्माण कार्य 1992 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

*इवकॉल द्वारा विनिर्मित आई. पी. वी. का इस्तेमाल करते हुए केवल संरूपणों के रूप में और भारत में अन्य विनिर्माताओं से खरीदा गया डी. पी. टी. पी.।

खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व सांस्कृतिक क्लब

4525 ग. **कुमारी दीपिका चिखलिया :**

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक स्थापित किए गए ऐसे सामाजिक व सांस्कृतिक क्लबों की संख्या क्या है जिनको केन्द्रीय सरकार ने भूमि का आबंटन कर दिया है;

(ख) क्या इनमें से कुछ क्लब खेलकूद की सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं जिसके लिए इनकी स्थापना की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बारह क्लबों को भूमि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा छ: खेल परिसरों को स्थापित किया गया है तथा खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्टेडियमों को प्रबन्धन किया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार के ध्यान में कोई विशेष शिकायतें नहीं आई हैं। तथापि, जब कभी लीज शर्तों/आवंटन शर्तों के उल्लंघन का कोई मामला ध्यान में आता है, करार का ज्ञापन/लीज के लिए अनुबंध/अविच्छिन्न लीज की शर्तों एवं निबंधनों के तहत इनकी विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए कार्यवाही की जाती हैं।

———

12.00 मध्यान्ह

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, शून्य-काल में मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। आल-इण्डिया-मोमिन-कांफ्रेंस के नेतृत्व में सारे देश के करोड़ों बुनकर आज बोट-क्लब पर, उनके प्रतिनिधि सारे देश से आकर, धरना दे रहे हैं। श्रीमन्, आपको भी, इस सदन को और सरकार को मालूम है कि इस देश में किसानों के बाद सबसे बड़ी संख्या बुनकरों की है, जो गरीब हैं और करोड़ों लोग इस काम में लगे हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों से इनकी हालत अत्यन्त ही दयनीय हो गई है। आंध्र प्रदेश में कई बुनकरों ने आत्म-हत्या कर ली है, खुदकशी कर ली है, इसलिए कि वे अपने बेटे-बेटियों की भूख की ज्वाला को बर्दाश्त नहीं कर सके। सारे देश में उनके सम्मेलन हो रहे हैं। सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांगों को रखा है, लेकिन सरकार का ध्यान उधर गया नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर भी, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हमारी तरफ, बहुत बड़ी संख्या में बुनकर रहते हैं और उनके कारखाने बन्द हो रहे हैं। उनका बना हुआ सामान बिक नहीं रहा है।··· (व्यवधान) · दस मुख्य मांगों को लेकर बुनकरों के प्रतिनिधि आज धरने पर बैठ रहे है। उनमें एक प्रमुख मांग सूत की कीमत से संबंधित है, चाहे वह सिंथेटिक सूत हो, चाहे साधारण सूत हो या चाहे कॉटन हो या सिल्क हो, सबकी कीमत सन् 1989 के बाद मनमाने ढंग से बढ़ी है। वे चाहते हैं कि सूत की कीमत 1989, जुलाई, के स्तर पर लायी जाए। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए तत्काल कदम उठाए, दूसरे, वे जो सामान बनाते हैं, वह बिक नहीं रहा है, सरकार सामान खरीद नहीं रही है, को-आपरेटिव्ज नहीं खरीद रही हैं। उनकी मांग है कि सरकार उनका सामान खरीदे। इन लोगों द्वारा जनता-कपड़ा बनाया जाता था, 600 मिलियन मीटर बनाने की सरकार ने इजाजत दी थी और उस कपड़े को वह खरीदती भी थी, लेकिन सरकार

ने अभी हाल ही में कदम उठाया है कि 600 मिलियन मीटर से घटा कर 450 मिलियन मीटर जनता कपड़ा बनाने की इजाजत दी है। मेरी सरकार से मांग है कि दस मुख्य मांगों को लेकर बुनकर आज धरना दे रहे हैं, उन पर विचार किया जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कृपा से संसदीय-मन्त्री इस बात के ऊपर सहमत हो गए हैं और सारी पार्टियों के नेता इस बात से सहमत थे कि इस सेशन में बुनकरों की गम्भीर समस्या पर विचार करेंगे, लेकिन विचार करने के लिए समय नहीं निकल सका। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, क्या मन्त्री महोदय इस बात का आश्वासन इस सदन के माध्यम से बुनकरों को देंगे कि सरकार उनकी मांगों पर तत्काल कदम उठाएगी, ताकि बुनकरों को भुखमरी से, गरीबी से और बेरोजगारी की समस्या से बचाया जा सके ? यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री चन्द्रजीत यादव, ने जो बात कही है, उसके समर्थन के अन्दर मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आज सारे हिन्दुस्तान के बुनकरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके साथ-साथ गुजरात के अन्दर भी जो वर्षों से बुनकरी का काम करते थे, उन लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उनके द्वारा बनाया हुआ कपड़ा कहीं कोई नहीं लेता है, जब वे बेचने अपने शरीर पर ढो कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ वहां की सरकार ने इसको गैर-रिहैबिलिटेट करार देकर सहकारी बुनकर मंडली के स्त्री, पुरुष और बच्चों को बेकार कर दिया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसको पुनः चालू किया जाए और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार इसकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है और उन्हें जीवित रखने के लिए क्या मदद करेगी ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलमदुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह ही और सदस्य भी आज सुबह यह देखकर चकित रह गए होंगे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यहूदी-वाद को नस्लवाद रूप में मानने वाले संकल्प को वापस लेने के पक्ष में मतदान किया है। महात्मा गांधी द्वारा 1920 एवं 1930 के दशक में फिलीस्तीन समस्या के प्रति निर्धारित विदेश नीति से यह एक बड़ा विचलन है। चूंकि यह मतदान जवाहर लाल नेहरु से लेकर इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी तक अपनाई गई नीति एवं हमारी सारी प्रतिबद्धताओं के विपरीत है, अतः मैं सरकार से इस महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन के कारणों को जानना चाहता हूं।

अतः मुझे विश्वास है कि भारत सरकार ने इतने महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन अकारण ही नहीं किए होंगे। अतः मेरे विचार से नियम 193 के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करने से पहले इसके कारणों को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

अतः क्या मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, जो यहां उपस्थित भी है द्वारा मैं विदेश मन्त्री से, 'यहूदीवाद को नस्लवाद' बताने वाले संकल्प को वापस लेने के पक्ष में मतदान करने के पीछे के कारणों को बताते हुए एक वक्तव्य देने का अनुरोध कर सकता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बी० एन० रेड्डी को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बोलने का उन्हें भी उतना ही अधिकार है जितना आपको है। कृपया उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विदेश मामलों पर हम आज ही चर्चा करने जा रहे हैं। आप उस वक्त इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह एक्सटर्नल अफेयर्स पर डिसकशन हो रहा है, इसलिए आप इस बारे में बोलिए।

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, भारतीय संघ में विलय के लिए निजाम-विरोधी स्वाधीनता संग्राम के स्वतन्त्रता सेनानियों के मामलों की स्वीकृति देने के लिए सुझाव देने हेतु एक राज्य जांच समिति गठित हुई थी। पर वह समिति वर्तमान में काम नहीं कर रही है। उस समिति के एक सदस्य के रूप में मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति को फिर से सक्रिय किया जायेगा, तथा इसकी बैठक फिर से होगी। यदि हां, तो मैं जानना चाहूंगा कि इसकी बैठक दुबारा कब होगी।

स्वाधीनता सेनानियों से सम्बन्धित एक अन्य पक्ष जाली स्वीकृति के मामलों का है। इस मामले में सरकार से मेरा निवेदन है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इसके चलते सच्चे स्वाधीनता सेनानियों को कष्ट न सहना पड़े।

अतः सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि सभा में वह इस मामले में एक स्पष्ट वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व भी सदन में मैं इस मामले को एक बार उठा चुकी हूं, जब त्रिपुरा में अगरतला विधान सभा के उप चुनाव में हमारे प्रत्याशी श्री श्याम शर्मा जी की भीड़ के बीच में, बड़े निर्दय तरीके से, मीटिंग के समय पर हत्या की गई थी। उस समय मैंने यहां सदन में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन किया था कि इस हत्या की जांच के लिए सी० बी० आई० की टीम वहां भेजी जाए, सी० बी० आई० की टीम वहां पर गई किन्तु राज्य की सरकार किसी भी प्रकार से उनको सहयोग नहीं दे रही है और पूरे मामले में लीपा-पोती हो जाए, इस तरह की तैयारी कर रही है। जब सी० बी० आई० की टीम वहां गई और जिन मामलों की मुख्य रूप से जांच होनी चाहिए थी, जैसे कि उनका अंग रक्षक दो दिन पहले क्यों बदला गया, जबकि बार-बार वह कह रहे थे कि मेरी हत्या हो सकती है तो उनके साथ में पुलिस की एक मोबाइल वैन क्यों नहीं लगाई गई जबकि बार-बार इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में लिखा जा रहा था। तो ये जो मामले हैं जिनको आधार बना करके सी० बी० आई० की टीम को जांच करनी चाहिए थी क्योंकि यह एक राजनीतिक हत्या का मामला है और इस हत्या कांड के पीछे बड़े महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं।

इसलिए आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि केन्द्र की सरकार राज्य सरकार को सख्त हिदायत

दे कि जो सी० बी० आई० की टीम यहां से वहां पर जांच के लिए जावे, उसका पूरी तरह से सहयोग करे ।

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम (तिरूचेंगोड़): अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु को अधिकतर बिजली नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन से मिलती है, जोकि भारत सरकार का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। तमिलनाडु की हाल की वर्षा और बाढ़ के कारण नेवेली के क्षेत्र में बाढ़ आ चुकी है । यह विश्वास किया जाता है कि कोयले की खुदाई के लिए उपलब्ध मशीन और उपकरण डूब गए हैं । खानों में से पानी को निकालने का काम धीमी गति से हो रहा है ।

यदि इस पानी की निकासी शीघ्र ही नहीं की गयी तो सारी बहुमूल्य मशीनें और उपकरण क्षतिग्रस्त हो जायेंगे और इससे कारपोरेशन को काफी घाटा होगा ।

यदि नहरों का निर्माण या खानों के चारों ओर बांध बनाने जैसे रोकथाम के उपाय किए जाते तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था ।

मैं सरकार से इस मामले पर अविलम्ब गम्भीरता से विचार करने का अनुरोध करती हूं, नहीं तो भारी घाटे के साथ-साथ तमिलनाडु समेत अन्य पड़ोसी राज्यों में विद्युत आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा । तमिलनाडु में बिजली की कमी इसलिए नहीं है कि इसके पन-बिजली परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र में अच्छी वर्षा हुई है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बिजली उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अविलम्ब कदम उठायें ।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं समान पदों के लिए समान पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि इसके लिए एक समिति बनाई गयी है । अब वे इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं । फिर भी आप इस मामले को उठाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई शहर में एन० टी० सी० मिलों की हड़ताल के बाद मिलें बन्द होने की वजह से हजारों मिल मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार मजदूर कोआपरेटिव बेसिस पर मिलें चलाना चाहते हैं, लेकिन एक करोड़ रोजगार प्रति-वर्ष मुहैया कराने का वादा करने वाली सरकार इस चीज की अनुमति नहीं दे रही है । जो मजदूर रिटायर हुए हैं, उनको प्रावीडेंट फण्ड और ग्रेच्युटी इत्यादि भी नहीं दी गई है । मैं निवेदन करता हूं कि एन० टी० सी० मिलें, जिनके बारे में सरकार कहती है कि लॉस में चल रही हैं, इन मिलों के कपड़े को सरकारी कार्यालयों में कम्पलसरी कर दिया जाए तो इन मिलों का घाटा दूर हो सकता है । इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सेना के कार्यालयों मे तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में इन मिलों का कपड़ा लिया जाए और जो मजदूर कोआपरेटिव बेसिस पर बन्द मिलों को चलाना

चाहते हैं, उनको इसकी अनुमति प्रदान की जाए। अगर इस ओर कार्यवाही नहीं की गई तो इसके नतीजे बुरे होंगे। यह बात मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : इस हाउस में धमकियां नहीं दी जाती हैं।

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : जनाबे सदर-ए-मोहतरम, राजस्थान में अकाल की भयंकर स्थिति है, इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने अभी तक अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किए हैं। अकाल की वजह से राजस्थान में जानवरों के लिए चारा भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारे यहां छानी 80 रुपये मन मिल रही है। राजस्थान का गरीब आदमी पशुधन पर निर्भर है और दूध बेच कर जीवन-यापन करता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजस्थान सरकार को आदेश दें कि जल्दी से जल्दी राहत कार्य शुरू किए जाएं और भारत सरकार से मदद लेकर जानवरों के चारे के वितरण केन्द्र जिलेवार खोले जाएं, ताकि पशुधन की हिफाजत की जा सके।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वर्तमान में 10 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से दिया जा रहा था। जैसाकि अभी मेरे मित्र ने बताया है कि वहां अकाल की स्थिति है और बरसात कम हुई है। इस बारे में वहां के मुख्यमन्त्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कोटा बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोटा कम कर दिया गया है और कोटा इतना कम कर दिया गया है कि वहां पर आज त्राहि-त्राहि मची हुई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : राजस्थान में ही नहीं, अन्य कई राज्यों का भी कोटा कम कर दिया गया है।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसकी वजह से आज राजस्थान की स्थिति बहुत खराब कर दी गई है। मुख्य मन्त्री ने पत्र लिख कर सभी स्थानों पर अकाल राहत कार्य चलाने की व्यवस्था की, लेकिन केन्द्र के सौतेले व्यवहार के कारण और कोटा कम करने के कारण वहां पर स्थिति बहुत भयावह हो गई है। वहां की स्थिति बड़ी भयावह है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले 439 मीट्रिक टन धान दिया जा रहा था, अब उन्होंने बढ़ाने के स्थान पर केवल 7 हजार टन कर दिया है। इसके कारण 10 किलो एक व्यक्ति को एक माह में धान नहीं दिया जा सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से कि यह मानवीय प्रश्न है, इसमें राजनीति न लाएं कि यहां पर कौन सी सरकार है। राजस्थान की चार करोड़ जनता के साथ न्याय किया जाए। 10 किलो की जगह 15 किलो के हिसाब से वहां धान मुहैया करायी जाए, चावल और चारा मुहैया करवाया जाए और पानी के स्रोत खुलवाने का प्रयास किया जाए तथा आर्थिक अनुदान दिया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था तो उसे नहीं कहना चाहिए, औचित्य का प्रश्न है। मां चाहे सगी हो या सौतेली, मां का सम्मान होना चाहिए। यह हमारे सदन में जो प्रयोग किया जाता है कि सौतेली मां जैसा बर्ताव किया जा रहा है, क्या हमेशा के लिए हर सौतेली मां को हमने मिथ्या का अधिकारी बनाने का फैसला कर लिया है? अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था यह है कि आपके मत से मैं सहमत हूं। मां तो मां है वह सौतेली हो या अपनी। उसको उसी ढंग से चलना चाहिए।

ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा) : अध्यक्ष जी, आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टस की देशव्यापी हड़ताल चल रही है। इस बार यह आन्दोलन 9.12.91 को शुरू हुआ है और 16.12.91 से नयी दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में अनिश्चितकालीन आन्दोलन चालू हो गया है। यहां अन्य केन्द्रों के कर्मी भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। देश के आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय तथा राज्य प्रमुख केन्द्रों पर भी एक दिन की हड़ताल की जा रही है। 1990 में नोटीफाई भारतीय प्रसारण सेवा का पुनंगठन किया जाए, उनकी यह मांग है। प्रसारण सेवाओं के पदों को 100 फीसदी पदोन्नति द्वारा भरा जाए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पदों पर नियमित नियुक्ति की जाए तथा सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। इस प्रकार की उनकी जो मांगें चल रही हैं उन पर ध्यान दिया जाए।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारत के भावी नागरिकों के बचपन को संवारने का काम करने वाली आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्तूबर, 1975 से महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए तथा गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण समेकित बाल विकास परियोजना का गठन किया गया था। इसमें 9 श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती हुई थी जिसमें से 7 श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दे दिया गया। लेकिन इस आंगनवाड़ी में, जो बुनियादी कार्य करने वाली आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं उनको केवल 275 और रुपये 110 रुपये का मानदेय दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाते हुए सरकार से यह कहना चाहती हूं कि जो देश के बचपन को संवारने का काम रही है, बच्चों के चरित्र के गठन का काम कर रही है उस तरह की कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा अविकसित क्षेत्र के बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। क्या आप यह कर सकते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता अपने बच्चों को भूखा रख कर दूसरी जगह जाकर दूसरे बच्चों को पोषाहार खिलाए। इस तरह के कार्यकर्ता जिनका काम नागरिकों के बचपन को संवारना है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना है, उनका मानसिक शोषण बन्द करके उनको तुरन्त सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये लोग दो साल से अपनी मांग को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। आज भी ठण्ड के दिनों में लखनऊ में विधान सभा के सामने और दिल्ली में बोट क्लब के सामने ये बराबर धरना दे रहे हैं। इसलिए इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लेकर उनका आर्थिक और मानसिक शोषण बन्द किया जाए और उनको सरकारी कर्मचारियों में शामिल किया जाए ताकि वे ठीक तरह से अपना काम कर सकें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, आपको स्वयं पता होगा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः कृपया करके आप इसे संबंधित मन्त्री के साथ उठायें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी महिला सदस्य इसका समर्थन कर रही हैं।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : चूंकि यह एक बहुत ही जायज मसला है अतः हम सभी इसका समर्थन करते हैं। (व्यवधान)···

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इस मसले का संबंध सारे भारत से है। इसका संबंध देश के बच्चों के कल्याण से है। अतः इस स्थिति में सुधार होना चाहिए। (व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, लेबर लॉ का वायोलेशन हो रहा है और मिनिमम वेजेस एक्ट की बार-बार दुहाई दी जाती है, उसका भी वायोलेशन हो रहा है। जब मैं लेबर मिनिस्टर था तो उस समय मैंने पांच सौ रुपया प्रतिमाह कम से कम उनको वेतन देने के लिए अपने हाथ से आर्डर किया था। यह भी कहा था कि फाइनेंस के मामले में हमारे सामने अर्थ की दिक्कत थी। मैंने यह कहा था कि सरकार इसको और बढ़ाएगी। अफसोस इस बात का है कि दो साल व्यतीत हो गए और जो पांच सौ रुपए का आदेश दिया गया था उसका आज तक इम्पली-मेंटेशन नहीं हुआ। सरकार मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ा सकती है तो पहले से जो बढ़ाया गया था, उसको घटाने का काम क्यों कर रहे हैं, सारे सदन की चिन्ता इस संबंध में है।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं भी···· चाहता हूं'

अध्यक्ष महोदय : आपने खड़े होकर इसका समर्थन कर दिया है। कृपया बैठ जाइये।

डा० के० वी० आर० चौधरी (राजामुन्दरी): अध्यक्ष महोदय, तटीय आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में, विशेष रूप से पूर्वी गोदावरी जिले में अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों को बहुत क्षति हुई है। कम आय वाले किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं ऐसा ही बुनकरों के साथ हुआ है। केन्द्रीय सरकार द्वारा फसलों, सिंचाई टैंकों, सड़कों तथा घरों को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण दल भेजा जाना चाहिए। इन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए राहत कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किए जाने चाहिए।

किसानों को रियायती मूल्यों पर बीज और खाद दी जानी चाहिए। उन्हें बिना ब्याज के कृषि ऋण भी दिये जाने चाहिए। सरकार को 50 से अधिक गांवों को विद्यमान क्षेत्र-वार नुकसान के आधार के स्थान पर गांव-वार आधार पर बीमा दावों को प्राप्त करने में भी सहायता करनी चाहिए।

अत्यधिक वर्षा और बाढ़ तथा पानी के रुक जाने के कारण भी सड़कें बुरी तरह टूट-फूट गई हैं। सरकार को उदारता दिखानी चाहिए तथा 300 करोड़ रुपए तक आवश्यक अनुदान सहायता प्रदान करनी चाहिये।

पूर्वी गोदावरी जिले में रेल सेवाएं सन्तोषजनक नहीं है। हाल ही में कुछ पेसेंजर गाड़ियां बन्द कर दी गई हैं तथा एक्सप्रेस गाड़ियां, जो सीमा पर गड़बड़ के समय बन्द कर दी गई थी, दुबारा शुरू नहीं की गई है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी रेल सेवायें दुबारा शुरू की जानी चाहिये। राजामुन्दरी और द्वारापुदी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पहले एक्सप्रेस गाड़ियां रुकती थी। अब इन स्टेशनों पर यह गाड़ियां नहीं रुकती है। राजामुन्दरी, जो कि दक्षिण मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, पर प्रथम श्रेणी वातानुकूलित और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में आरक्षण के लिए कोई आपात कोटा आरक्षण नहीं है। कोई भी हमारे अनुरोध पर ध्यान नहीं देता यद्यपि हम यहां लोगों का प्रतिनिधित्व करने तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए आते हैं। अधिकारी वर्ग उसी ढंग से कार्य करते हैं जैसा वह चाहते हैं तथा रेल अभिसमय समिति के समक्ष मेरे द्वारा प्रस्तावित किए गए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मामले की जांच करें तथा अनुकूल निर्णय लें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, श्री मोहन बडोला हिन्दुस्तान के माने हुये वरिष्ठ पत्रकार हैं। टाइम्स आफ इण्डिया ग्रुप ने उन्हें लखनऊ में रेजीडेंट एडीटर बनाया। उन्होंने बहुत ही सफलता पूर्वक काम किया है। ···(व्यवधान) एक साल बाद अचानक वहां के एक आदमी ने एफीडेविड पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यहां पर कारखानों के मामले डिसकस किए जायेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह कारखानों के बारे में नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार के बारे है·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह महत्वपूर्ण काम है जिसको यहां पर डिसकस करना चाहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? यह हाउस में नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह चिन्ता का सवाल हो सकता है, सदन में नहीं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। सम्पूर्ण सभा को यह जानकारी है कि डाक्टर जो नवम्बर के प्रारम्भ से ही हड़ताल पर थे, उन्होंने सभी राजनैतिक दलों द्वारा अनुरोध करने के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। हमने स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर उन्हें हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किया कि वह उनकी शिकायत को सहानुभूतिपूर्वक जांच करेंगे। 28 नवम्बर को विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि स्वास्थ्य मन्त्री के कार्यालय में उपस्थित थे। मैं भी वहां उपस्थित था तथा डाक्टर भी वहां आए थे। उन्होंने हमारी अपील को स्वीकार किया तथा केवल इस आधार पर बिना शर्त हड़ताल खत्म कर दी कि माननीय मन्त्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा किया जाएगा। माननीय मन्त्री जी ने कहा था, मैं मन्त्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य में से उद्धृत करता हूं "यह एक व्यवस्था होगी न कि समझौता। मैं स्वयं आपकी शिकायतों की जांच करूंगा तथा हम सहानुभूतिपूर्वक आपकी शिकायतों पर विचार करेंगे।"

दुर्भाग्यवश, 28 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक डाक्टरों और उनके प्रतिनिधियों को अत्यधिक निराशा हुई। उन्होंने यह पाया कि माननीय मंत्री जी की ओर से उनकी समस्याओं का उत्तर देने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया, इस कारण वह हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए। यहां तक कि आसान-सा यह प्रश्न भी छोड़ दिया गया कि हड़ताल की अवधि के समायोजन के बारे में क्या किया जाएगा। कोई एक भी प्रश्न नहीं सुलझाया गया। कल से वह लोग फिर अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर चले गए हैं।

अब वह हमसे यह कहते हैं कि उन्होंने विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा माननीय मंत्री जी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार किया था अतः अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे मामले का निपटारा किया जाए। हमें क्या करना चाहिए? यह हमारी उपस्थिति में किया गया था। मंत्री जी ने नैमित्तिक रूप से उनके साथ बातचीत की थी। आखिरकार, वह भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हमने उनसे अनुरोध किया कि चूंकि यह रोगियों की पीड़ा का मामला

है और क्योंकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों पर विचार करेंगे, इसलिए उन्हें हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया। 28 नवम्बर से 18 दिसम्बर तीन माह का समय बीत गया। अब वह कहते है कि अब वह राजघाट के पास भूख हड़ताल करके हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के अपराध का प्रायश्चित कर रहे हैं।

इसलिए हम मांग करते हैं कि इसका शीघ्र उत्तर दिया जाना चाहिए तथा उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को समाप्त करने के लिए वास्तविक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि समझौता किया जा सके। स्थिति और अधिक बिगड़नी नहीं चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री यहां उपस्थित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि कम से कम वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैंने भी इस बारे में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मेरी बात सुन लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं। परन्तु क्या वह अभी श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण के बाद बोलना चाहेंगे अथवा कुछ अन्य सदस्यों के बाद बोलना चाहेंगे – परन्तु मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि हम कुछ अन्य सदस्यों का भाषण सुनें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, यह ऐसा प्रसंग है जिसके बारे में हमें यह सोचना पड़ रहा है कि इसके बाद कभी भी हम बीच में आयें या न आयें। क्योंकि मैं जानता हूं डाक्टर्स उस समय बार-बार कहते थे कि इस समय एक ही इन्टरेस्ट है कि किसी न किसी प्रकार हड़ताल खत्म हो और हड़ताल खत्म हो जाएगी तो हमारी कुछ नहीं सुनी जाएगी। हमने कहा कि सत्र चल रहा है, सदनों की कार्यवाही चल रही है हम जानते हैं कि आपकी कठिनाइयां जायज हैं, आपकी मांगें जायज है और सदन के विपक्षी सदस्यों ने आपका समर्थन किया है और सरकार की ओर से भी कहा गया है कि हमे थोड़ा समय दिया जाए। हम फिर सरकार के पास आयेंगे। उन्होंने पुराना इतिहास बताया कि एक बार हमने हड़ताल वापस कर ली और ये चुप्पी साधकर बैठ गये और जो अधिकारी कहते रहे वही ये करते रहे। इस बार भी यही होगा। हमने कहा कि डाक्टरों का मामला है, अस्पताल में काम नहीं होगा तो मरीजों को दिक्कत होगी। हमने कहा कि हमारे अनुरोध पर हड़ताल खत्म कर दो तो उन्होंने कर दी और हमने जवाबदारी ली कि आपके प्रति न्याय होगा। पर ऐसा लगता है कि उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई है, किसी प्रकार का काम सरकार ने नहीं किया है। वही स्थिति ज्यों की त्यों बनाए रखी है। आपको याद होगा कि उस समय मैंने आग्रह किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस दिया है, आफिस मेमोरंडम दिया है उसको विदड्रा करो तो हम उसे वापस करने के लिए कहेंगे, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यह आश्वासन देते हैं कि इस पर फिर से विचार करेंगे। इस आश्वासन के आधार पर इन डाक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ली।

वे बहुत सीनियर डाक्टर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको पांच साल की सर्विस बाकी है, उन्होंने रिस्क लेकर यह काम किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का उनके प्रति भारी अन्याय और ऐसा व्यवहार किया गया है और अगर फिर से ऐसी तमाम कार्रवाई नहीं की जाती तो उसके परिणाम गम्भीर होंगे। केवल डाक्टरों की स्ट्राइक के लिए नहीं लेकिन कुल मिलाकर सरकार की विश्वस-

नीयता खत्म हो जाएगी और हमारे लिए सम्भव नहीं होगा कि इस प्रकार की परिस्थिति में कोई हस्तक्षेप हो।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं वहां उपस्थित था और जिस दिन विरोधी दलों के नेताओं के साथ वार्ता हुई थी, उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। राज्य सभा में भी यह बोला गया था। सरकार की विश्वसनीयता तो खत्म हो रही है और खत्म होगी लेकिन हम लोगों की विश्वसनीयता समाप्त न हो, इसकी रक्षा आपको करनी है। उनकी मांगें जायज हैं, इसलिए सरकार मर्यादापूर्ण या अमर्यादापूर्ण उनकी मांगों को मानेंगी, यह सरकार को फैसला करना है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उस समय हम सब चिंतित थे। रोगियों और अस्पताल जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही थी। अतः हमने महसूस किया कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य होगा कि डाक्टर हड़ताल पर न जायें लेकिन वह महसूस करते हैं कि डाक्टरों को सरकार पर विश्वास नहीं है। वह संसद सदस्यों से आश्वासन चाहते हैं। आज, वह अस्पताल से बाहर लोगों को कोई तकलीफ अथवा नुकसान नहीं पहुंचा रहे है। उन्होंने 'सत्याग्रह' का रास्ता अपनाया है, अनिश्चित भूख हड़ताल द्वारा वे अपने आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं। मुझे विशेष रूप से इस बात की चिन्ता नहीं है कि पिछले 40 वर्षों के कारण सरकार को बदनामी सहन करनी पड़ी है अथवा नहीं क्योंकि उन्हें तो बदनामी सहन करने की आदत हो है। लेकिन यह संसदीय संस्थान पर विश्वसनीयता का प्रश्न है। क्योंकि सभा में कुछ वचन दिये गये थे, संसद सदस्यों को इस बात का साक्षी माना गया था कि 15 अथवा 16 दिसम्बर से पहले समझौता हो जाएगा और वह नहीं हुआ। यह प्रश्न केवल संसदीय मामलों के मंत्री से सम्बद्ध नहीं है। महोदय, मैं महसूस करता हूं कि यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि क्या आप उन्हें उन वादों को याद दिलाते हैं या नहीं उन्होंने संसद में और संसद सदस्यों के समक्ष किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों को उद्धरत कीजिए और मुझे बताइए कि किन नियमों के अन्तर्गत मैं उन्हें याद दिला सकता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह परम्परा है। महोदय क्या यह सच नहीं है कि हमेशा नियमों का पालन करते आये हैं, और परम्पराओं पर निर्भर है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, नियमों के बारे में आप जो पूछना चाह रहे हैं उससे पता चलता है कि आप अप्रसन्न है। आप इससे खुश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा अर्थ न लगाइए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सरकार सिर्फ आश्वासन की सरकार बन गयी है और जहां तक आश्वासन की बात है, इस सदन में एक बार नहीं, दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहां जब सरकार फंसती है तो अपोजीशन को साथ लेने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाद सरकार मुकर जाती है और यह भी एक ऐसा मामला है।

मैं श्री कुमारमंगलम् जी से और सरकार से गम्भीरता से कहना चाहूंगा कि सरकार या तो सदन के भीतर या सदन के बाहर जो चीज कहे, सरकार की हैसियत से बोले और यदि आप ऐसी चीज नहीं कर सकते हैं तो आप उसका एश्योरेंस मत दें चीप पॉपलिर्टी के लिए। इस मामले में भी तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग शामिल हैं। उस समय न सिर्फ हमदर्दी जतायी बल्कि सरकार की ओर से कहा गया था कि हम एश्योरेंस देते हैं कि उसका समाधान करेंगे लेकिन अभी तक समाधान करने की बात तो दूर रही, आपने डाक्टरों के साथ सही ढंग से बात तक नहीं की। जो कल हुआ है उससे तो न सिर्फ डाक्टर्स की हैल्थ खराब होती है बल्कि जिसके लिए करते हैं उनकी हैल्थ भी खराब होती है और वे काल के गाल में चले जाते हैं। इसलिए इस संबंध में सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए और सरकार जो वायदा करती है, उसे पूरा करने का काम करना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ऐसा ज्ञात है कि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य स्पष्ट रूप से जानते हैं कि सरकार ने पहले ही निर्णय लिया है तो यह मामला आज क्यों उठाया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं, हम इसके बारे में कैसे जानते हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि लगाए गए कुछ आरोपों में से……

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारा स्नेह उन्हें इस प्रकार की विषैली टिप्पणियों से दोषमुक्ति नहीं दिलाएगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इस सम्बन्ध में कुछ आरोप, जैसे कि केवल हम जिम्मेदार नहीं है, हमारे आश्वासनों को पूरा नहीं किया जा रहा है बहुत जोरदार हैं आरम्भ में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने डाक्टरों के सम्बन्ध में अपने दिए सभी आश्वासनों को पूरा किया है। मुझे डाक्टरों के पक्ष में लिए गए निर्णय दीजिए जो कि और वास्तव में आज सम्भवतः अवश्य बातचीत होगी और हर चीज के लिए समझौता हो जाएगा और मैं इसके लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं।

श्री हरि किशोर सिंह : मुझे समय दीजिए। समस्या क्या है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : समय का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : कल से डाक्टर धरने पर बैठे हैं।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : यह क्या तरीका है, एक को बोलने की अनुमति है, मैं नहीं जानता कि कैसे अपनी बात पूरी करूं।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें अपनी बात पूरी करने दें। अप्रसन्न मत होइए जब वह पक्ष में उत्तर दे रहे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय…

अध्यक्ष महोदय । मुझे पदावनत मत करिए ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, क्षमा करिए । अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि सामान्यत: होता यह है कि जब हम कोई अच्छा समाचार देते हैं तो उसका स्वागत होता है, उसे भी रोका जाता है । मैं कहता हूं कि सरकार ने मामले के पक्ष में निर्णय लिया है । वास्तव में, मामला ऊपर भेजा गया है और ऊपर के स्तर पर इस पर निर्णय लिया गया है और आज मैं डाक्टरों से बात करूंगा और उन्हें सरकार के निर्णय के बारे में बताऊंगा । मुझे विश्वास है कि इससे उन्हें खुशी होगी । वास्तव में निर्णय उनके पक्ष है । मैं इसकी शर्तों को नहीं बताना चाहता, क्योंकि इन शर्तों को स्वास्थ्य मन्त्री बताएंगे । परन्तु मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि निस्सन्देह कल उनकी यह स्थिति नहीं होगी । यह डाक्टरों के पक्ष में जाएगा ।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारी दूसरी बार हड़ताल पर गए हैं । पिछली बार भी लगभग दो महीने पहले वे हड़ताल पर थे । तब यह मामला गृह मंत्री के समक्ष लाया गया और गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई और गृह मंत्री के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त हुई ।

दुर्भाग्यवश उन्हें फिर हड़ताल करनी पड़ी । उनकी मांग है कि वेतनमान में समानता हो । और उन कर्मचारियों को नियमित किया जाए जो मस्टर रोल पर काम कर रहे हैं ।

कल 10,000 से अधिक कर्मचारी काम पर नहीं आए तथा नई दिल्ली नगरपालिका के सभी विभागों में काम ठप्प हो गया । मोती बाग तथा अन्य औषधालयों में नई दिल्ली नगर पालिका के अर्ध-चिकित्सकीय कर्मचारी सिविल अभियांत्रिकी कर्मचारी, बागवानी विभाग के सभी कर्मचारी हड़ताल पर थे और सभी विभागों में काम ठप्प था । मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल कोई कदम उठाएं, ताकि हड़ताली कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस ले सकें । पहले भी कुछ आश्वासन दिए गए थे परन्तु उन्हें पूरा नहीं किया गया । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए तत्काल कोई कदम उठाएं ।

प्रो० उमा रेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : यह आंध्र प्रदेश के प्रकासम जिले के चिनागंजम गांव के भूमिहीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग नमक उत्पादकों के सामाजिक न्याय और लोक महत्व का एक महत्वपूर्ण मामला है । सर्वेक्षण सं० 608 के अनुसार यह 514.24 एकड़ का क्षेत्र है जिसे अब तक उस गांव के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा नमक उत्पादन के लिए उपयोग किया गया है ।

हाल ही में काकीनाड़ा में भारत सरकार के सहायक आयुक्त, नमक ने बड़े किसानों से अपनी निविदा देने के लिए कहा, ताकि इस जमीन को पट्टे पर दिया जाय । ये छोटे तथा सीमान्त किसान अब तक श्रेणी तीन, अर्थात लाइसेंस मुक्त श्रेणी के अन्तर्गत इस जमीन का इस्तेमाल करते थे और इन लोगों को उनके द्वारा उत्पादित नमक पर कोई लेवी या उपकर नहीं देना पड़ता था । अब मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया काकीनाड़ा के सहायक आयुक्त नमक को किसी भी प्रकार की निविदा मांगने से रोकें और इस प्रकार वह छोटे तथा सीमांत किसानों को अपने जीवनयापन के स्रोत से वंचित न होने दें, क्योंकि वे किसान अनेक वर्षों से इस भूमि को जोतते आए हैं और नमक पैदा कर रहे हैं । यह जमीन श्रेणी तीन के अन्तर्गत उन्हें ही पट्टे पर दी जाए ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हम एक

कठिन आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और इसमें सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज आप देश की आर्थिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : एक बड़ा संकट है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें कि आप आज ही देश की आर्थिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं उस पर बोलने नहीं जा रहा··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं बोल रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को बोलने दें। सभा में आपका यही मामला है, फिर भी आप इसे उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यही होता है। और तब आप आपत्ति भी उठाते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह एक गम्भीर समस्या है। इस तरह का स्थानान्तरण देश के लिए समस्या पैदा कर रहा है। आप जानते हैं कि चेयरमैन की नियुक्ति कैसे होती है। वित्त मंत्रालय इसे मंत्रिमंडल समिति को भेजती है और गृह मंत्रालय स्वीकृति देता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गृह मंत्री ने एक नाम का सुझाव दिया और वित्त मंत्री ने इसे अस्वीकार कर दिया।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह की बातों की अनुमति नहीं देता। नियुक्ति और स्थानांतरण की चर्चा सभा में नहीं की जाती है।

श्री हन्नान मोल्लाह : गृह मंत्री और वित्त मंत्री आपस में लड़ रहे हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें कि अधिकारियों के स्थानान्तरण और नियुक्ति के मामले की चर्चा सभा में नहीं की जाती है। कृपया नियमों को समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, 16 दिसम्बर के नवभारत टाइम्स में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, जिसका शीर्षक था-नवभारत टाइम्स इन पार्लियामेंट-उससे पहले इस सदन में नवभारत टाइम्स समूह के संबंध में चर्चा हुई थी, उसके बारे में, मैंने विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव आपके सामने उपस्थित किया था। उसमें मैंने कहा था कि इस प्रकार की एडवरटाइजमेंट देना, इस सदन की गरिमा के विरुद्ध है। उस पर ओब्जर्व करते हुए आपने भी कहा था कि यह बात महत्व

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की है और आप उस पर ध्यान देंगे। मैं मानता हूं कि आपने शायद उनको लिखा होगा, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा होगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और आप बाद में सदन को भी अवगत करेंगे। लेकिन आज उसी संदर्भ में, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर ब्लाक आइटम होकर एक न्यूज फिर आई है, उस न्यूज के आधार पर, फिर से, दोबारा इस सदन के माननीय सदस्यों की गरिमा को समाप्त करने, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। इस कारण मैं आज फिर से विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। उसमें कहा गया है कि 12 जुलाई को जो फोटो छप चुका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उसमें कहा गया है कि 12 जुलाई का जो फोटो पहले प्रकाशित हुआ है, उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि इस समय इस चित्र में कोई भी विपरीत अर्थ पढ़ा जाना असंबद्ध कारकों पर ही आधारित प्रतीत होता है। उसका मतलब है कि हमने जो यहां सवाल उठाया, वह एक्सट्रेनियस रीजन्स पर, अन-रीजनेबल रीजन्स पर आधारित है, इस तरह का आक्षेप उसमें लगाने की कोशिश की गई है।

मैंने 12 जुलाई के नवभारत टाइम्स को देखने का प्रयत्न किया कि वह न्यूज वास्तव में क्या है। उस अखबार में एक मैट्रो का फोटो था। वह फोटो कुछ इस तरीके से आयी है, न्यूज करके आयी है, फोटो के आधार पर, हमारा आक्षेप उसे एडवर्टाइजमेंट के तरीके से उपयोग करने के संबंध में था। इसलिए फिर उन्होंने आज सदन को गुमराह करने की कोशिश की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मुझे पूरा कर लेने दीजिए, सर। मेरा मतलब है कि आज जो कुछ उसमें छपा है, उसके आधार पर सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है—मिसलीडिंग ऑफ द हाउस, ऐसी बात उसमें से निकलती है। इसलिए गलत आक्षेप, मिसलीडिंग करने का सदन को, इसके साथ-साथ इस सदन के माननीय सदस्यों पर एस्पर्शन कास्ट करने की कोशिश, दोनों गम्भीर मामले हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है तो आप यह सारे का सारा मामला प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दीजिए, यही आपसे मेरा निवेदन है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार का मामला तो आप देखेंगे ही, और उस पर उचित कार्यवाही भी करेंगे, लेकिन नवभारत टाइम्स के सारे प्रकरण को मैं व्यापक संदर्भ में, सरकार के सामने रखना चाहूंगा। क्योंकि वहां इन दिनों जो कुछ हो रहा है, या विगत महीनों में होता रहा है, वह एक प्रकार से हिन्दुस्तान में लोकतंत्र का जो सबसे प्रमुख खम्बा है, उसे कमजोर करता है। लोकतंत्र का सबसे प्रमुख खम्बा है—अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारों की आजादी उसका प्रमुख हिस्सा है। पिछले 5-6 महीनों से, लगता है कि योजनाबद्ध रूप से, सम्पादकीय स्वातंत्र्य को खत्म किया जा रहा है। ऐडीटोरियल इंडीपेन्डेंस नाम की कोई चीज न रहे वहां पर।

अखबार जैसे मानो केवल मात्र वाणिज्य का मामला है, कॉमर्स का मामला है, इंडस्ट्री का मामला है। मैं यह मानता हूं कि उसके वित्तीय पहलू हैं। अखबार, पत्रकारिता एक उद्योग भी है, वाणिज्य भी है लेकिन विशुद्ध वाणिज्य नहीं है।

इन दिनों लगातार वहां पर एक के बाद एक संपादकों को और प्रमुख पत्रकारों को अपमानित करके हटाया गया है। दिल्ली के सम्पादक श्री एस० पी० सिंह, दिल्ली के चीफ आफ ब्यूरो··· (व्यवधान) मेरे पास दिल्ली के दो प्रमुख, एक लखनऊ का सम्पादक, एक पटना के सम्पादक··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी चीजें हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यहां पर आज से चार दिन पहले सवाल खड़ा हुआ था तो उम्मीद की गई थी कि सरकार इस बारे में कोई बयान देगी, बताने के लिए आएगी। नहीं आई। सत्र समाप्त हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि इस मामले को लेकर केवल नवभारत टाइम्स या टाइम्स आफ इंडिया ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में पत्रकार बहुत आन्दोलित हैं। इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि मैंने परसों देखा जब गृह मंत्री ने टैरोरिज्म के बारे में जवाब दिया था तो उन्होंने एक वाक्य कहा था जिसमें उन्होंने कहा :—

[अनुवाद]

"हमने प्रेस काउंसिल आफ इंडिया से अपने प्रतिनिधियों को नामजद करके लगाये गए आरोपों की जांच करने के लिए उन्हें जम्मू और कश्मीर भेजने का अनुरोध किया है।"

[हिन्दी]

जिसका अर्थ है कहीं-कहीं पर यदि सरकार किसी मामले को महत्वपूर्ण मानती है तो सरकार भी प्रैस परिषद से अनुरोध करती है कि आप इस मामले में अपने प्रतिनिधि भेजिए, जाकर देखें कि वहां पर मानव अधिकारों का वास्तव में हनन हुआ है, जैसा लोग कहते हैं। फिर वहां से श्री वर्गिस को भेजा गया।

मैं मानता हूं कि नवभारत टाइम्स के प्रकरण में या तो सदन और सरकार तय कर ले कि सदन की एक समिति बनेगी और उसकी पूरी जांच करेगी जो भी हो रहा है क्योंकि यह केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता का सवाल नहीं है, यह भाषाई पत्रकारिता का बहुत अहम सवाल है। भाषाई पत्रों के खिलाफ इस प्रकार का प्रहार होता रहे और हम चुपचाप देखते रहें, यह किसी भी दृष्टि से लोकतन्त्र में निष्ठा रखने वाला स्वीकार नहीं कर सकता है। मेरा सुझाव है या तो सदन की समिति बने या फिर सरकार अपनी ओर से प्रैस परिषद को सलाह दे कि वह स्वयं इसकी पूरी जांच करके प्रैस काऊंसिल को रिपोर्ट दे और उचित कार्यवाही की जाए। यही मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अभी जो हमारे साथी और विरोधी दल के नेता ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक ही बात पर सबको बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : आप या तो ऐलाऊ मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : एक-एक को ऐलाऊ करते हैं। यह इररैगुलर डिस्कशन हो जाता है। अगर सभी मैम्बर बोलेंगे तो कैसे चलेगा।

श्री राम विलास पासवान : मैं पहला आदमी था और आपके चैम्बर में मिला था। मैंने रिक्वैस्ट की थी और आपसे यह भी कहा था कि बार-बार इस चीज को उठाना अच्छा नहीं लगता है। सरकार इस पर जो कहती है उसे गंभीरता से करे। आपने देखा, मंत्री जी ने जवाब दिया। मंत्री जी का जवाब सिवाए मैनेजमैंट को प्रोटैक्शन देने के कुछ नहीं था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चीज अखबार में निकल रही है वह बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रीविलेज का मामला है, प्रीविलेज के बारे में है।

श्री राम विलास पासवान : प्रिवेलेज के मामले को आप जल्दी कीजिए। सारे प्रकरण पर, जो रोज आ रहे हैं, कल श्री वी० पी० सिंह का आया था, आज इन्होंने चिन्ता जाहिर की, तमाम सदन ने चिन्ता जाहिर की है। मैं कहना चाहता हूं कि एक सदन की कमेटी जिसमें सरकार के प्रतिनिधि रहें, जर्नलिस्ट भी रहें, सबको बुलाकर कमेटी का निर्माण करवाइए ताकि वह इसे देखने का काम करे।

श्री दिग्विजय सिंह : पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी को आपत्ति नहीं है। हमारे संविधान मे प्रैस काऊसिल की व्यवस्था है। कोई भी, किसी प्रकार की शिकायत किसी पत्रकार को हो या उससे संबंधित विषय पर हो तो प्रैस काऊंसिल उसका सही फोरम है। वहां पर जाकर उसके बारे में शिकायत करें, उनको सुनने का अधिकार है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : विशेषाधिकार के मामले का क्या हुआ ?

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिन्ता तो है लेकिन इन्दौर में जब पत्रकारों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पत्थर फेंके, उनको काम नहीं करने दिया, उस पर इन्होंने क्या कार्यवाही की। आज तक पत्रकार हड़ताल पर हैं। उनके बारे में बी० जे० पी० की सरकार मध्य प्रदेश में क्या कर रही है।...(व्यवधान) आपकी वहां की सरकार को कहिए जो दुर्व्यवहार पत्रकारों के साथ कर रहे हैं। ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला जो प्रिवलेज मोशन आया था, उसमें कामेंट्स मंगाये हैं। आपका भी है, उसके ऊपर छानबीन करके, उसके अन्दर जो भी न्याय करना उचित होगा, वह किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमें कल भी और आज भी बोलने का मौका मिला है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मंडल जी, इस तरह से चिल्लाना आपको शोभा नहीं देता है। मैंने आपको पहले भी कई बार मौका दिया है। कृपया बैठ जाए। किसी सदस्य को ऐसा व्यवहार शोभा

नहीं देता है। सिर्फ आप ही सदस्य नहीं हैं। मुझे दूसरों को मौका देना है। कृपया बैठ जाए। अब श्री अम्बारासु।

श्री अम्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : सोने के कीमत में बढ़ोत्तरी से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यह वास्तव में दुख की बात है कि प्रति दस ग्राम सोने के भाव में 5020 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। सोने की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी से सोने के बाजार में सोने की आवत घट गई है।

12.52 म० प०

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस मामले में मुझे एक सुझाव देना है। यात्रियों को देश में सोना लाने की अनुमति देनी चाहिए। सरकार को देश में सोने की मात्रा को बढ़ाने और इसकी कीमत को कम करने के लिए सोना या डालर के रूप में कुछ सीमा शुल्क के साथ इसके मुक्त प्रवाह की अनुमति देनी चाहिए। इससे सोने की तस्करी पर भी काफी हद तक रोक लगेगी।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पर्यटकों एवं अन्य आगंतुकों को सोने या डालर के रूप में थोड़ा-सा सीमा शुल्क देने के बाद सोने को लाने की अनुमति चाहिए ताकि देश में सोने का भंडार बढ़े और इसकी कीमत घटे।

अन्ततः मैं कहना चाहता हूं कि शून्य काल के दौरान यहां जो भी मसले उठाए जाते हैं वे अनसुने और अनुत्तरित रह जाते है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह शून्यकाल के दौरान सभा में उठाए जाने वाले मसलों के बारे में संबंधित मंत्री को उत्तर देना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा उठाना चाहता हूं जिसे मेरे विचार से सभा के सभी पक्षों से समर्थन मिलेगा। रेल सुरक्षा बल एसोशिएशन – जिसके सारे भारतीय रेल में 75,000 से भी अधिक सदस्य हैं—जिसको मान्यता प्राप्त थी, उसको उस मान्यता से वंचित रखा जा रहा है। एसोसिएशन द्वारा इस अधिकार को 1987 में एक कानून लागू करके वापस ले लिया गया है जब इस उद्देश्य के लिए सभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था, हमने उस विधेयक का विरोध किया था और हमने उस पर विचार करते समय भी उसका विरोध किया था। लेकिन वह विधेयक पारित कर दिया गया था, और रेल सुरक्षा बल एसोशिएसन के मौलिक अधिकार को वापिस ले लिया गया है।

इस सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने भी स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जब 1979 में अन्य केन्द्रीय पुलिस बलों ने गंभीर आंदोलन का सहारा लिया था तब रेल सुरक्षा बल के कर्मियों ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन का सहारा नहीं लिया था और बहुत ही उच्च अनुशासन और अच्छे स्तर को कायम रखा था। उस समिति ने रेल सुरक्षा बल ऐसोशिएसन की मान्यता को बहाल करने की स्पष्ट रूप में सिफारिश की है। इस सभा में कांग्रेस (इ) के दो सदस्यों ने भी इस संबंध में मांग की है। उनमें से एक – श्री कुमार मंगलम है जो अब मंत्रि परिषद के सदस्य हैं। उन्होने तथा श्री हरीश रावत ने एक प्रदर्शन

किया था तथा धरना दिया था और हम सबने तथा इस सभा के सभी पक्षों ने उसका समर्थन किया था। (व्यवधान) तब तत्कालीन रेल मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र ने इस सभा में कहा था कि आर.पी.एफ. एसोसिएशन की मान्यता को बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका है। महोदय, अब तक निर्णय को लागू नहीं किया गया है। आर.पी.एफ. के कार्मिकों में गंभीर रोष है। जब आई पी. एस. अधिकारी एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन रेल सुरक्षा बल कार्मिकों जोकि रेल कार्मिक हैं न कि सशस्त्र बल, को एसोसिएशन बनाने से क्यों वंचित किया जा रहा है और उनका मौलिक अधिकार 1987 में क्यों छीन लिया गया था? जब आई. पी. एस. अधिकारियों को एसोसिएशन बनाने का अधिकार है तो आर. पी. एफ, कार्मिकों को क्यों नहीं है? (व्यवधान)

महोदय, उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है? यदि उनकी मान्यता को बहाल नहीं किया जाता है, तो··· (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : संसदीय कार्य मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : रेल मंत्री द्वारा इस बात को स्पष्ट तौर पर बताया गया है और निर्णय लिया गया था। (व्यवधान)

इस सरकार द्वारा सरकारी निर्णय को लागू नहीं किया जा रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : संसदीय कार्य मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। उनको यूनियन बनाने की इजाजत दी जानी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : संसदीय कार्य मन्त्री को उत्तर देना चाहिए। यह सारी सभा की भावना है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : हम जानना चाहते हैं कि क्या मामला कैबिनेट के पास गया था या नहीं और क्या निर्णय लिया गया है। (व्यवधान) हमें यह जानने का पूरा हक है कि इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या वे चाहते हैं कि हम दोबारा सभा कूप (अध्यक्ष के सामने खाली स्थान) में बैठ जाएं? केवल दो दिन शेष रह गए हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को उत्तर देना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : हम संसदीय कार्य मंत्री श्री कुमारमंगलम के विवेक से अपील कर रहे हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंगल राम प्रेमी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज शून्यकाल में

अपने निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर में टेलीफोन की खराब व्यवस्था की ओर संचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिजनौर जिले की संचार व्यवस्था इतनी खराब है कि वहां टेलीफोन कभी ठीक नहीं रहते, यहां तक कि मेरा खुद का टेलीफोन आज तक ठीक नहीं हुआ और मैं आज तक उससे कहीं पर भी बात नहीं कर पाया। इस कारण बिजनौर जिले का लगभग सारा व्यापार ठप्प सा पड़ गया है। वहां की जनता बहुत परेशान है और उसमें रोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिजनौर जिले में तुरन्त इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज बनाया जाय ताकि वहां की संचार व्यवस्था ठीक हो सके। इस सम्बन्ध में पहले भी मैं मंत्री महोदय को पत्र लिख चुका हूं। (व्यवधान)

1.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को इस मामले पर, प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कहा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का नाम पुकारा है। आपको मधुर आवाज सुनने का आनन्द प्राप्त होगा। अत: मैं आप सबसे श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य को सुनने का अनुरोध करता हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब इस सभा की कोई माननीय सदस्य बोल रही हो तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। वे अल्पमत में भी है। उनको बोलने का अवसर प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, बहुमत या अल्पमत का प्रश्न नहीं है। सम्पूर्ण सभा ने एकमत होकर इच्छा व्यक्त की थी कि आर. पी. एफ. कार्मिकों को यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए सरकार इस मामले पर टालमटोल कर रही है। हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अपील करते हैं कि वे सभा की भावनाओं से माननीय प्रधान मंत्री को अवगत कराएं। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, हम संसदीय कार्य मंत्री से एक आश्वासन चाहते हैं कि वे हमारी भावनाओं से माननीय प्रधान मंत्री और रेल मंत्री को अवगत कराएं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, क्या मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या वे हमारी भावनाओं को प्रधान मंत्री और रेल मंत्री को पहुंचाएंगे ? (व्यवधान)

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : महोदय, प्रातः जब डाक्टरों का मामला सामने आया था तब संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया था। यह भी एक बहुत गंभीर मामला है और समय-समय पर हम सरकार से कैबिनेट के निर्णय को लागू करने का अनुरोध करते आ रहे हैं; 200 सदस्यों ने

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके सरकार को दिया था। माननीय मंत्री हमारी भावनाएं प्रधान मंत्री को प्रेषित करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीकान्त जेना : संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हैं और उद्योग मंत्री को उत्तर देने के लिए क्यों कह रहे है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सामूहिक उत्तरदायित्व है। अतः कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : उनको अनुकूल उत्तर देना चाहिए।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : महोदय, यह सच है कि यह मामला कुछ समय से माननीय सदस्यों को उकसाने वाला मामला रहा है। हमने देखा है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात उठाई है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि उनकी भावनाओं को माननीय रेल मंत्री तक प्रेषित कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में मानदण्डों से संबंधित एक आवश्यक मामला उठाना चाहती हूं।

विश्वविद्यालय के विभागों में 700 अध्यापकों में से केवल तीन अध्यापक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से हैं। महाविद्यालयों में 5300 अध्यापकों की संख्या में से केवल 15 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। जहां तक गैर-शिक्षक कर्मचारियों का संबंध है, लगभग 2750 कर्मचारियों में से केवल 408 कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं।

वर्ष 1989 में भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण पर रोक लगाने के लिए एक प्रपत्र जारी किया। 1989 से श्रेणी तीन और श्रेणी चार की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों में आरक्षण है लेकिन श्रेणी एक और श्रेणी दो में नहीं। यह कार्यकारी परिषद के 1983 के अपने उस निर्णय का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सभी गैर-शिक्षण पदों के लिए विश्वविद्यालय भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू करेगा।

अब वे इस आधार पर गैर-शिक्षण श्रेणी-एक पदों में आरक्षण को लागू करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षण पदों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाल ही में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार, यह एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्तियों को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया जाएगा क्योंकि यह फैसला किया गया था कि फार्मूले के अनुसार कालेज/विषय विभागों को कार्यान्वयन इकाई माना गया है।

यह कहा गया है कि आने वाले वर्षों में विभाग में की गई प्रत्येक पांच नियुक्तियों में से कम से कम एक नियुक्ति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से की जाएगी। इससे 15 वर्षों की अवधि तक के लिए ऐसी नियुक्तियां स्थगित हो जाएंगी। असल में यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदों की नियुक्ति पर रोक है।

मैं सरकार से मामले में दखल देने का अनुरोध करती हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : उपाध्यक्ष जी, ऐसे नहीं चलेगा, यह बड़ी भारी ज्यादती हुई है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंगकाबालू : हमने मुबह नोटिस दिया था। आपने इसकी इजाजत नहीं दी है··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पत्र रखे जाने हैं। श्रीमती शीला कौल।

————

1.08 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय राष्ट्रीय सरकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण समीक्षा और वार्षिक लेखे

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1048/91]

चीनी (वर्ष 1991-92 के उत्पादन के मूल्य निर्धारण) आदेश 1991 और खाद्यान्नों की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के 20 नवम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धी करने वाला विवरण।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1991-92 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1991 जो 7 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 667 (अ) में प्रकाशित हुआ था, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 1049/91]

(2) खाद्यान्नों की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में श्री के० वी० तंगकाबालू द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के 20 नवम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 1050/91]

डवलपमेंट काउंसल फार मेराइन, मीट एण्ड पोल्ट्री इन्डस्ट्रीज को वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण समीक्षा

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) डवलपमेंट काउंसल फार मेराइन मीट एण्ड पोल्ट्री इन्डस्ट्रीज के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डवलपमेंट काउंसल फार मेराइन मीट एण्ड पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 1051/91]

(3) (एक) डवलपमेंट काउंसल फार मेराइन मीट एण्ड पोल्ट्री इन्डस्ट्रीज के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डवलपमेंट काउंसल फार मेराइन मीट एण्ड पोल्ट्री इन्डस्ट्रीज के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 1052/91]

(4) (एक) डवलपमेंट काउंसल फार सीरियल फूड्स, डेरी प्रोडेक्ट्स एण्ड अदर प्रोसेस्ड फूड्स के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डवलपमेंट काउंसल फार सीरियल फूड्स, डेरी प्रोडेक्ट्स एण्ड अदर प्रोसेस्ड फूड्स के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 1053/91]

(6) (एक) डवलपमेंट काउंसिल फार सीरियल फूड्स, डेरी प्रोडेक्ट्स एण्ड अदर प्रोसेस्ड फूड्स के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डवलपमेंट काउंसिल फार सीरियल फूड्स, डेरी प्रोडेक्ट्स एण्ड अदर प्रोसेस्ड फूड्स के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 1054/91]

(7) (एक) फल, सब्जियां पेय तथा बागान उत्पाद उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) फल, सब्जियां, पेय तथा बागान उत्पाद उद्योग परिषद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 1055/91]

(9) (एक) फल, सब्जियां, पेय तथा बागान उत्पाद उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) फल, सब्जियां, पेय तथा बागान उत्पाद उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 1056/91]

(10) (एक) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु) सोसाइटी, थन्जावुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु) सोसाइटी, थन्जावुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 1057/91]

भारतीय मानक ब्यूरो का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : श्री कमालुद्दीन अहमद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 1058/91]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, इलैक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली सी० एस० सी० लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्रीमती मार्गरेट अल्वा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1991 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1991 जो 26 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 620 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन दूसरा संशोधन नियम, 1991 जो 26 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 620 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1991 जो 26 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 622 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1991 जो 26 अक्तूबर 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 623 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल० टी० सं० 1059/91]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) इलैक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इलैक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 1060/91]

(ख)(एक) सी० एम० सी० लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सी० एम० सी० लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० संख्या 1061/91]

(ग)(एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1990-91 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० संख्या 1062/91]

(3)(एक) इलैक्ट्रानिकी अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, इम्फाल के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रानिकी अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, इम्फाल के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० संख्या 1063/91]

(4)(एक) इलैक्ट्रानिकी अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, एस० ए० एस० नगर के वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रानिकी अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, एस० ए० एस० नगर के वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 1064/91]

(5)(एक) राष्ट्रीय सोफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सोफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 1065/91]

(6) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजन्सी, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए : देखिए एल० टी० संख्या 1066/91]

(7) (एक) इलैक्ट्रानिकी अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, औरंगाबाद के 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रानिकी अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, औरंगाबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1067/91]

(8) (एक) बोस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1068/91]

(9) (एक) बीरबल साहनी जीवाश्म-वनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी जीवाश्म-वनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1069/91]

(10) (एक) इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ जिओमेगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जिओमेगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1070/91]

(11) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1071/91]

(12) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1072/91]

(14) (एक) इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1073/91]

(16) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1074/91]

(17) (एक) सेंटर फार इलेक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नालाजी, श्रीनगर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नालाजी, श्रीनगर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1075/91]

(18)(एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेक्नालाजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेक्नालाजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेक्नालाजी, त्रिवेंद्रम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1076/91]

(20)(एक) इंस्टिट्यूट फार प्लासमा रिसर्च के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार प्लासमा रिसर्च के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 1077/91]

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली प्रोजैक्टस एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल० टी०सं.-1078/91]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए एल० टी० सं०-1079/91]

(ग) (एक) प्रोजेक्ट एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० सं०-1080/91]

(घ) (एक) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए एल० टी० सं०-1081/91]

(ङ) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए एल० टी० संख्या-1082/91]

(च) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल० टी० संख्या-1083/91]

(छ) (एक) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए एल० टी० सं०-1084/91]

(ज) (एक) हिन्दुस्तान ओरगनिक कैमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ओरगनिक कैमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल. टी. संख्या-1085/91]

(झ) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का वर्ष 1990 91 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल. टी सं- 086/91]

(ञ) (एक) स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल टी. सं-1087/91]

(2) (एक, पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड के वर्ष 199C-91 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल. टी सं-1088/91]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, और नेशनल इंस्ट्रूमेन्टस लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल. टी. सं-1089/91]

(ख)(एक) नेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल० टी० सं०-1090/91]

(ग)(एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1091/91]

(घ)(एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1092/91]

(ङ)(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1093/91]

(च)(एक) इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड कोटा का वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1094/91]

(छ)(एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1095/91]

(ज) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1096/91]

(झ) (एक) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1097/91]

(ञ) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल०टी० सं०-1098/91]

(ट) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं/देखिए एल० टी० सं०-1099/91]

(ठ) (एक) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। एल० टी० सं०-1100/91]

(ड) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-

परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1101/91]

(ढ) (एक) मारुति उद्योग लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मारुति उद्योग लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1102/91]

(ण)(एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1103/91]

(त)(एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल०टी०सं०-1104/91]

(थ)(एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1105/91]

(2) (एक) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालघाट के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालघाट के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं०-1106/91]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध, अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1991, जो 7 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 521 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी जमा संपर्क बीमा (संशोधन) योजना, 1991, जो 7 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 5 2 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी परिवार पेंशन (संशोधन) योजना, 1991, जो 7 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 521 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1107/91]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा पद) भर्ती (पहला संशोधन) विनियम, 1991 जो 11 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-12(11)-3/88-डीएम (एचक्यू) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए एल० टी० सं०-1108/91]

वर्ष 1989-90 के लिए हिन्दी के तीव्र गति से प्रसार और विकास कार्यक्रम और क्रियान्वयन के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामलाल राही) : मैं वर्ष 1989-90 के लिए हिन्दी के तीव्र गति से प्रसार और विकास तथा विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिये इसके उत्तरोत्तर उपयोग हेतु कार्यक्रम और इसके क्रियान्वयन संबंधी वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं०एल० टी०-1109/91]

———

1.10 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

1.10½ म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बेल्लाबुल्ली रामय्या (एलुरु) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि बहुत से महत्वपूर्ण मामले जो आप शून्य काल में उठाना चाहते थे, अब नहीं लिए जा सकेंगे। सामान्यत: शून्य काल को 1 बजे खत्म होना होता है। शून्य काल के दौरान कुछ विरोध भी होता रहता है। शून्य काल को एक घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मिल बैठकर बात करने के कारण हमारा बहुत सा बहुमूल्य समय नष्ट हो चुका है। यदि आप अपने आप पर अंकुश लगाएं तो मेरे विचार से कुछ और माननीय सदस्यों को भी बोलने का समय मिल जाएगा।

अब सभा मध्यान्ह के लिए 2.15 म० प० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.12 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याग्ह भोजन के लिए 2.15 म. प तक के लिए स्थगित हुई।

———

2:20 म०प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.20 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) भोपाल-रामगंज मंडी रेल लाइन को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, भोपाल से ब्यावरा होते हुए रामगंज मंडी तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण वर्ष 89-90 के बजट में स्वीकृत किया गया था। किन्तु अभी तक सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि भोपाल-रामगंज मंडी रेलवे लाइन को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये।

(दो) महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का केन्द्रीय सर्वेक्षण करने और प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता।

श्री तेजसिंह राव भोंसले (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए वहां के मुख्य मंत्री ने 29 हजार 553 गांवों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इससे मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी प्रभावित है।

और अधिकांश गांवों में सूखे की भयंकर स्थिति बनी हुई है। आम जनता एवं पशु धन को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध न होने के कारण कई लोग एवं पशु मौत के शिकार हो चुके हैं। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने के कारण खड़ी फसल सूख गई है तथा आगे की फसल बोने के लिए किसान मजबूर है। आम जनता के सामने अकाल की भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। यदि केन्द्र सरकार से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्र ही राहत नहीं पहुंचाई गई तो समस्या काफी विकट हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से निपटने हेतु 460 करोड़ रुपए धन की सहायता मांगी है। अतएव अविलम्ब सहायता प्रदान करें और स्थिति का जायजा लेने हेतु एक समिति का गठन किया जाये तथा अविलम्ब सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जाये ताकि वस्तुस्थिति की सही जानकारी मिल सके और प्रभावित लोगों को उचित समय पर मुआवजा मिल सके।

(तीन) सूखा राहत प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ला (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के विशेषकर पूर्वी जिलों गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया आदि सूखे की चपेट में है। इस वर्ष मानसून विलम्ब से आया और वर्षा भी पर्याप्त नहीं हुई जिसके कारण खरीफ की फसल की बुआई, रोपाई तथा सिंचाई में अत्यन्त ही कठिनाई हुई और फसल पूरी तरह प्रभावित रही। समय से पर्याप्त बारिश न होने के कारण खेतों में नमी नहीं है। फलस्वरूप रबी की फसल की बुआई भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। सूखे के प्रकोप से रबी की फसल भी पूर्णतया प्रभावित है।

अत: पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर तथा देवरिया आदि जिलों को सूखा पीड़ित मानकर सरकार बड़े पैमाने पर राहत कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकाधिक धन आवंटित करे।

(चार) वाराणसी छपरा और मऊ-बलिया शाहगंज रेल लाइन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।

श्री रामबदन (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की रेल योजनाओं के संबंध में माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए 19 4 में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था इस कमेटी ने बताया था कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए काफी हद तक यहां की छोटी रेल लाईन जिम्मेदार है। छोटी लाईन के कारण यह क्षेत्र टापू बना हुआ है और इस क्षेत्र का देश के अन्य हिस्सों के साथ खुला सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। वाराणसी-छपरा और मऊ-बलिया-शाहगंज की योजनाओं का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो सका है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि उक्त दोनों रेल योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार का समुचित विकास हो सके।

(पांच) तेनाली रेलवे स्टेशन का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो० वेंकटेस्वरलु उम्मारेड्डि (तेनाली) : तेनाली रेलवे स्टेशन नई दिल्ली-मद्रास ग्रांड ट्रंक रोड पर विजयवाड़ा डिविजन (एस. सी. आर.) में स्थित हैं। नई दिल्ली, हावड़ा, हैदराबाद, काकीनाडा से प्रारम्भ होकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों को जाने वाली गाड़ियां गुन्टूर जिले के इस महत्त्वपूर्ण जंक्शन से होकर गुजरती हैं। अतः तेनाली जंक्शन दक्षिण राज्यों को जाने वाली सभी गाड़ियों के लिए प्रवेश मार्ग बन गया है, यात्री गाड़ियों, सुपर फास्ट गाड़ियों, मालगाड़ियों आदि के इस भारी आवागमन से तेनाली रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ होने लगी है। इसके कारण आमतौर पर रेपाली, गुन्टूर, विजयवाड़ा को जाने वाली और ग्रांड ट्रंक रोड से होकर जाने वाली गाड़ियों को भी बाहरी स्टेशन पर घंटों रुके रहना पड़ता हैं।

इस समय सम्पूर्ण भीड़-भाड़ वाले इस यातायात के लिए वहां मुश्किल से तीन प्लेटफार्म और चार लाईनें हैं। वर्तमान भीड़ भाड़ की स्थिति तथा उसके कारण जनता को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए तेनाली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या और रेलवे लाईनों की संख्या बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके अलावा बुकिंग कार्यालय भी एक निचले क्षेत्र में है। वर्षा होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है और जनता बुकिंग कार्यालय तक पहुंचने में असमर्थ होती है।

तेनाली स्टेशन पर परिवहन लाइन, सब्जियों, फलों और मछली की उतराई-चढ़ाई के लिए एक पृथक लोडिंग प्लेटफार्म की आवश्यकता है जो कि इस समय वहां उपलब्ध नहीं है।

अतः तेनाली रेलवे स्टेशन का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की शीघ्र आवश्यकता है जिसे कृपया 1992-93 के रेलवे बजट के दौरान किया जाए।

(छः) कालीकट के बेपुर उप-पत्तन को सर्व मौसम पत्तन के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : बेपुर बन्दरगाह कालीकट के 10 कि० मी० दक्षिण में और दो मुख्य बन्दरगाहों कोची और मंगलौर के बीच स्थित कालीकट का एक उप-बन्दरगाह है बेपौर एक नदीमुख बन्दरगाह है और तटीय जहाजों तथा महाद्वीप और लक्षद्वीप के बीच चलने वाले नौवाहनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस बन्दरगाह के विकास के पक्ष में एक विस्तृत पृष्ठभूमि चिरकाल से स्थापित व्यापार संबंध बहुत महत्वपूर्ण कारक है। कालीकट बन्दरगाह की पृष्ठभूमि केरल के कोझीकोड, वायानाड, मालापुरम, पालाकड और थ्रीसूर जिले और तमिलनाडु के कोयम्बतूर और नीलगिरी जिले आते हैं। खाद्यान्न, फर्नेस, ऑयल, उर्वरक, नमक, इमारती लकड़ी, मिट्टी का तेल और मशीनों को आयात की मुख्य वस्तुएं माना जाता था तथा इमारती लकड़ी से बना सामान, नारियल और नारियल उत्पाद, टैपियोका चिप्पस, टाईलें, नारियल जटा, फाईबर, रोप, फरोजन कारगो, हस्त शिल्प और हाथ से बने कपड़े, औद्योगिक सामान, रेयान पल्प, काली मिर्च, चाय, कॉफी आदि को निर्यात की वस्तुएं निर्यात योग्य वस्तुएं है। यदि बेपौर बन्दरगाह को सभी मौसम में कार्य करने वाला बन्दरगाह बना दिया जाता है तो इससे प्रति वर्ष लगभग 6.5 लाख टन का वाणिज्यिक व्यापार किये जाने की आशा की जा सकती है। 1988-89 के दौरान इस बन्दरगाह के माध्यम से लगभग 1,03,000 मी० टन चावल और गेहूं का आयात किया गया था।

कालीकट के बेपोर उप-बन्दरगाह को दो चरणों में सभी मौसम में कार्य करने वाले बन्दरगाह के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण की 15 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना है और दूसरे चरण की लगभग 50 करोड़ रु० की परियोजना है, कुल 72.50 करोड़ रुपए की परियोजना है। राज्य सरकार ने पहले चरण के अनुमोदन का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है। मैं सरकार से मामले पर विचार का आग्रह करता हूं।

(सात) पंजाब से गुजरने वाली गंगा नहर की संपर्क नहर के भाग को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री बीरबल (श्री गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री गंगानगर जिले की गंग केनाल बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा करीब 65 वर्ष से चल रही है। 2750 क्युसेक पानी की क्षमता वाली वह कैनाल पंजाब क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है इसलिए अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं ले पाती है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने इस पानी को पूरा करने के लिए इसके हिस्से का पानी इन्दिरा गांधी कैनाल में डालकर लोहगढ़ के पास आर० डी नं० 491 पर एक लिंक चैनल निकाला जाए जोकि गंग कैनाल के प्रथम हड साधुवाली से जोड़ा जायेगा। राजस्थान सरकार ने तो अपने हिस्से का काम करीब-करीब पूर्ण करवा दिया है मगर इस लिंक का कुछ हिस्सा हरियाणा की जमीन में आता है। इस हिस्से का काम भी करीब-करीब पूरा हो गया है मगर बीच का काम पंजाब सरकार को कराना है। इसके लिए नहर सरहिंद फिड़ में 15 दिन का क्लोजर दिलाने का पंजाब सरकार को आदेश फरमायें कि इस लिंक का काम शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो सके ताकि गंग कैनाल के काश्तकारों को पूरा पानी मिल सके। और जो यह नहर पंजाब के हिस्से में मे बिलकुल चलने लायक नहीं रही है उसकी दोबारा मरम्मत की जाकर के ताकि अपने हिस्से का पानी ले के चल सके।

(आठ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बदरपुर-लुमडिंग पर्वतीय सेक्शन में मिगरेनबिसा और डिटोकटेरा के बीच रेल लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिलचर) : महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

बदरपुर से लुमडिंग के बीच की रेल लाइन असम के दक्षिणी भाग, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम के लिए लाभकारी है। मेघालय को भी इस रेल मार्ग की सुविधा उपलब्ध होती है। यह रेल लाइन देश के पूर्वोत्तर भाग के 50,000 वर्ग कि० मी० की दूरी की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करती है। जिसमें इस देश के पांच राज्य शामिल हैं।

बदरपुर लुमडिंग पर्वतीय सेक्शन पर वर्तमान यात्री गाड़ी सुविधायें इस क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। अत: और अधिक गाड़ियां चलाना बहुत आवश्यक है परन्तु पर्वतीय क्षेत्र की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण कठिनाई आ रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस कठिनाई को दूर करने का तरीका है मिग्रन्डीसा और डिटोकचेटा के बीच एक अतिरिक्त रेल लाइन बिछाना जिसमें बहुत अधिक खर्च होगा।

रेलवे बोर्ड ने भी महसूस किया है कि यह रेल लाइन बिछाना बहुत जरूरी है, परन्तु चूंकि केवल रेलवे द्वारा इसको वित्त पोषित करना संभव नहीं है, उन्होंने सुझाव दिया कि इस परियोजना का 75 प्रतिशत वित्त पोषण पूर्वोत्तर परिषद (एन० ई० सी०) द्वारा किया जाए।

[श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ]

मैं अपील करता हूं कि रेल मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर परिषद (एन० ई० सी०) दोनों पूर्वोत्तर क्षेत्र के पांच राज्यों के हित में इस परियोजना के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए इस परियोजना पर संयुक्त रूप से विचार करें।

श्री ओ० माडे गौडा (माण्डया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय केवल वही सदस्य मामले उठायेंगे जिन्हें नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है।

श्री ओ० माडे गौडा : महोदय, मैंने सूचना दी है, कृपया मुझे केवल एक मिनट बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री ओ० माडे गौडा : मैं कर्नाटक में गन्ना उत्पादकों की स्थिति के संबंध में जो एक आवश्यक मामला उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)*

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : नियमानुसार इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियमों को नजरन्दाज करना होगा। यह नियमों का उल्लंघन है। हमें नियमों का पालन करना होगा।

2.34 म० प०

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक पर और आगे चर्चा शुरू करेगी। श्री मुरली देवरा।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का मूल उद्देश्य किसी भी प्रकार औद्योगिक विकास में रुकावट डालना नहीं था परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए था कि ऐसा विकास लोगों के हितों के लिए प्रणालीबद्ध किया जाएगा और यह आम हितों के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के लिए नहीं था यह इसका मूल उद्देश्य था। यदि हम पिछले 22 वर्षों का रिकार्ड देखें तो हम पायेंगे कि भारत में एक भी व्यक्ति को इस अधिनियम के लागू होने के बाद इसके उद्देश्यों के अनुरूप कोई लाभ नहीं हुआ है।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। पहले सीमा 20 करोड़ रु० की थी। बाद में इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रु० कर दिया। ऐसा प्रस्ताव किया गया था कि इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रु० तक कर दिया जाए। अतः उन्होंने इस पर से धन संबंधी सीमा हटा दी है। उन्हें कुल उत्पादित माल का 25 प्रतिशत बाजार हिस्सा प्राप्त हुआ है। यह सही मानदण्ड है।

दुर्भाग्यवश, मेरे कुछ वामपंथी मित्र यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री चित्त बसु (बसीरहाट) : मैं यहां मौजूद हूं।

श्री मुरली देवरा : यह अच्छा है कि आप यहां पर उपस्थित हैं। मैं केवल आपके लिए इंतजार कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में भी ट्रस्ट-विरोधी कानून हैं। यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप में भी ऐसे कानून हैं जो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। यह सही है कि सरकार अब यह विधेयक लाई है। क्योंकि सरकार ने औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प की धारा 4 में यह वायदा किया था कि वे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक संसद में लाएंगी।

वर्तमान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहारिक व्यवहार विधेयक में क्या गलती हुई है? श्री बसु, मैं मंत्री महोदय को दो छोटे-छोटे उदाहरण देना चाहता हूं। इस्पात मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं।

टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी—जोकि तथाकथित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनी है, तथा भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है, टाटा का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है। टाटा के पास 3 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक नहीं हैं।

वास्तव में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कानून के कारण टिस्को एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है। (व्यवधान)

टाटा एक निजी व्यक्ति हो सकते हैं। इसी प्रकार कल एयर इण्डिया के चेयरमैन एक निजी व्यक्ति हुआ करते थे। आज वह सरकारी व्यक्ति हो गए हैं। आज निजी व्यक्ति अथवा सरकारी व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं है। यदि कल को वह किसी सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान का चेयरमैन हो जाता है तो वह सरकारी व्यक्ति हो जाता है। (व्यवधान)

पिछले 17 वर्षों से हम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कानून के कारण

[श्री मुरली देवरा]

टिस्को को अतिरिक्त 1 अरब टन के विस्तार का लाइसेंस नहीं दे रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम इस्पात का आयात कर रहे थे और हम यह आयात अब भी कर रहे हैं। हम लौह अयस्क का निर्यात कर रहे थे और यह निर्यात हम अब भी कर रहे हैं।

खाद्य तेलों के बारे में इस सभा में कल तथा परसों काफी चर्चा हुई थी।

श्री इन्द्रजीत मैं आपको बताना चाहता हूं। एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री जिनके साथ आप पिछले सप्ताह ठहरे थे—ने मुझे बताया कि 18 वर्ष पहले भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पर विचार किया था कि अण्डमान में पामोलीन के पेड़ उगाए जाएं।

मैं हिन्दुस्तान लीवर की बात कर रहा हूं।

हिन्दुस्तान लीवर अण्डमान में पामोलीन के पेड़ उगाना चाहती थी।

आज यहां खाद्य तेलों की कमी नहीं होती। आज हमें इसका आयात नहीं करना पड़ता। आज हम सारे विश्व में सबसे ज्यादा खाद्य तेलों का आयात करते हैं। क्या हुआ? एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को धन्यवाद देना चाहिए। हमने हिन्दुस्तान लीवर को यहां पर पामोलीन के पेड़ उगाने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने क्या किया? वे क्वालालाम्पुर गये। वे मलेशिया गये। आज उनका अधिकांश खाद्य तेल भारत में आयात किया जाता है। 70-75 प्रतिशत आयातित खाद्य तेल मलेशिया से आता है। हमने हिन्दुस्तान लीवर को यहां इसका उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी थी। परन्तु वही खाद्य तेल उसी हिन्दुस्तान लीवर जिसे वहां पर लीवर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है से आयात कर रहे हैं।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम ने पिछले 21-22 वर्षों में यह किया है।

आप कच्चे तेल की ओर देखें। आज हम 20.5 अरब टन कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं जिस पर 10,500 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं।

भारत के बड़े औद्योगिक घराने चाहे वह टाटा हो या बिरला मुम्बई समुद्र तट तथा अन्य स्थानों पर कच्चे तेल को निकालने का कार्य करना चाहते थे।

परन्तु हमने इस एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कारण इसकी अनुमति नहीं दी थी। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। यद्यपि यह काम जल्दी नहीं हुआ है, परन्तु यह ठीक समय है। हम अंग्रेजी में कहते हैं:

बेटर लेट देन नेवर और हिन्दी में

[हिन्दी]

देर आए दुरुस्त आए।

[अनुवाद]

किसी भी अर्थव्यवस्था अथवा उद्योग के लिए उत्पादन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि उत्पादन का लक्ष्य नहीं होगा तो उत्पादन अधिक नहीं होगा। आप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। यह नया कानून देश में ही बड़ी कम्पनियों को बड़े संयंत्र लगाने में सहायता करेगा। वे अच्छी वस्तु का उचित दामों में उत्पादन कर सकते हैं। अत: वे निर्यात कर पायेंगे। वे हमारे देश के उपभोक्ताओं की जरूरतों को भी पूरा कर पायेंगे।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : मैं आशा करता हूं कि वे प्रतिस्पर्धा में अच्छे निकलेंगे।

श्री मुरली देवरा : उन्हें ऐसा होना होगा। वे प्रतिस्पर्धा इसलिए नहीं कर पाये क्योंकि उन्हें उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी गई। उनके उद्योग प्रतिस्पर्धी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके उत्पादन का स्तर विश्व के अन्य देशों के उद्योगों के उत्पादन का दसवां हिस्सा है।

महोदय, एक बात इस विधेयक के दायरे में पहली बार लाने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसंकुरा) : दवा उद्योगों में क्या हो रहा है। आवश्यक दवाओं की कमी है। हाथी समिति की सिफारिशों का क्या हुआ।

श्री मुरली देवरा : इस पर अलग से चर्चा होगी। (व्यवधान)

मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं जो श्री ज्योति बसु ने कल कही थी। मेरे पास समाचार पत्र है, मैं आपको दिखा सकता हूं और आपके समक्ष पढ़ सकता हूं। सरकारी क्षेत्र और बहिर्गमन नीति के प्रति उनकी क्या वचनबद्धता है? (व्यवधान) मैं समझता हूं कि दो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हैं अर्थात् मा० कम्यु० 'क' यहां पर है तथा मा० कम्यु० 'ख' बंगाल में हैं। (व्यवधान)। सरकारी क्षेत्र के निगमों की हमारे देश में कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वह रेलवे हो या डाक तार विभाग हो या टेलीफोन हो। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। (व्यवधान) उनकी कोई जिम्मेदारी है तथा इस विधेयक से सरकारी क्षेत्र के एककों की उत्पादकता, कार्यकुशलता, उपभोक्ता संरक्षण तथा बिक्री के बाद उपभोक्ताओं का ध्यान रखना इसके क्षेत्राधिकार में आ जायेगा। इसके लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए।

मैं एक मुद्दे पर माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं। अमेरिका में एक हमारे जैसा आयोग है जिसे फेडरल ट्रेड कमीशन के नाम से जाना जाता है। वह ऐसा करते हैं कि ऐसकोन, एस्सो, ए० टी० एण्ड टी० (अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ कम्पनी) जोकि विश्व की बड़ी कम्पनियों में से एक है, जैसी अत्यधिक बड़ी सार्वजनिक निगमों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के उल्लंघन के लिए कार्यवाही करती है। चाहे निजी क्षेत्र हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र सरकार को अब यही करना चाहिए। सरकार को अवश्य ही यह देखना चाहिए कि क्या उनका कार्य संतोषजनक है।

यद्यपि मूल उद्देश्य में संशोधन किया गया है, विधेयक का नाम अभी भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक है। विधेयक का आज वास्तविक उद्देश्य यह देखना है कि अनुचित व्यापार न किए जाएं। माननीय मन्त्री महोदय को मैं पहला सुझाव यह देता

[श्री मुरली देवरा]

हूं कि इस विधेयक का नाम ही बदल डालें। इस विभाग का नाम भी बदल दिया जाना चाहिए। मैं आपको एक राय दूंगा।

अमरीका और यूरोप में, व्यापार व्यवहार प्राधिकरण जैसे संगठन हैं। वहां इस प्रकार के संगठन हैं जो उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रख रहे हैं। यह एक स्वीकारात्मक दृष्टिकोण होगा। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सभी पुराने नामों को बदल डालें। मुझे आश्चर्य है कि एक देश जो निधियों के लिए तरस रहा है, जो पूंजी के स्रोतों को बढ़ाना चाहता है, उसके यहां पूंजी निर्गमन नियन्त्रक नाम का एक विभाग है। इसका नाम पूंजी निर्गमन का प्रवर्धक होना चाहिए। इसलिए, इस विधेयक को भी कुछ इसी प्रकार का नाम दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विधेयक का नाम बदलने के लिए अनुरोध करूंगा। इस समय इस विभाग को अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। और सबसे बड़ा अधिकार जो दिया गया है वह दोषी को दण्ड देने का अधिकार है। इसे दण्ड देने का अधिकार होना चाहिए। जब किसी ने गलत कार्य किया है अथवा किसी ने इस कानून में दी गई शर्तों का उल्लंघन किया है तब यह कुछ नहीं कर सकता। उन्हें सत्रीय न्यायालयों में जाना पड़ता है जिनमें बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए मन्त्री महोदय इस नए गठित विभाग को, दोषी को दण्ड देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

इस समय दिल्ली में केवल एक शाखा (यूनिट) है। मैं सुझाव देता हूं कि मुम्बई मद्रास, कलकत्ता आदि में कुछ और क्षेत्रीय शाखाएं होनी चाहिए। अधिकांश मामले मुम्बई और कलकत्ता के होते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि लोगों को दिल्ली में आना पड़े? अन्य संस्थाओं की तरह वहां क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित की जानी चाहिए।

यहां पर कार्यों की अति व्याप्ति होती है। मन्त्री महोदय, आज हुए अधिकांश कार्य उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम से अतिव्याप्त होंगे। इसलिए, दो विभागों के उद्देश्यों और कार्यों के बीच कुल कार्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षक आदि से सम्बन्धित कार्य उनके द्वारा देखे जा सकते हैं। लेकिन बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के निगम आदि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने चाहिए।

मैं यह भी समझता हूं कि इस समय 8 सदस्यों में से, वहां केवल दो हैं। शेष छः सदस्यों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। चेयरमैन का पद भी खाली पड़ा है। मैं नहीं जानता कि कितने महीनों तक ऐसा होता रहेगा। सरकार को इस ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए कि उन्हें पद रिक्त रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आप लापरवाह सरकार के गम्भीर होने की कैसे आशा कर सकते हैं?

श्री मुरली देवरा : आप देखेंगे कि बहुत शीघ्र ही वे बहुत गम्भीर हो जायेंगे।

इस बोर्ड के सदस्यों और चेयरमैन के रूप में केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ही नियुक्त

करने की भी वहां आवश्यकता नहीं है। विभिन्न स्थलों पर बहुत से प्रतिष्ठित लोग हैं जो राष्ट्र के विभिन्न हितों का ध्यान रखते हैं। जो लोग लोगों के हितों का ध्यान रखते हैं, जो लोग महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हैं आदि, उन्हें सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस समय किसी महिला सदस्य को नियुक्त करने का वहां कोई प्रावधान नहीं है। महिलाओं के हितों का ध्यान रखने के लिए कम से कम एक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

श्री राम नाईक : आप यह सुझाव क्यों नहीं देते कि वहां संसद के विद्वान सदस्यों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।

श्री मुरली देवरा : उद्देश्यों और कारणों संबंधी वक्तव्य में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि धारा 20 से 26 के प्रावधानों को लोप कर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को पुनर्गठित करने और अधिग्रहण पर प्रतिबन्ध लगाने तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 को शेयरों को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में अध्याय-दो-क में दिए गए प्रावधानों के हस्तांतरण का प्रस्ताव है। इस बारे में कुछ शंकाएं हैं। मैंने इसे कहीं पढ़ा है। समस्या को एक विभाग से हटाकर दूसरे विभाग में भेजने से कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। इससे समस्या सुलझने वाली नहीं है। यदि आप वास्तव में इसे उदार बना रहे हैं और यदि वास्तव में आप औद्योगिक लाइसेंस देने में विलम्ब नहीं चाहते हैं तो आप यह सुनिश्चित करें कि कम्पनी अधिनियम, 1956 रास्ते में नहीं आना चाहिए।

मेरे वरिष्ठ सहयोगी और माननीय मित्र निजी क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्रों, इत्यादि के संरक्षण के बारे में बात कर रहे थे। मैं श्री ज्योति बसु अध्यक्ष मार्क्सवादी क०पा० (ब) मार्क्सवादी क०पा० का अर्थ है– मा० क० पा० (बसु) के वक्तव्य को उद्धृत करना चाहूंगा। जो उन्होंने आज के **'टाइम्स ऑफ इण्डिया'** में ए०एस०एस०ओ०सी०एच०ए०एस० की प्रबन्ध समिति को सम्बोधित करते हुए कहा है। उन्होंने जो भी कहा है आप मुझे उस के लिए बधाई देने दें। मैं उनकी निन्दा नहीं कर रहा हूं। उस तरफ बैठे मेरे मित्र उन पर शर्म महसूस कर सकते हैं, पर मैं तो उन पर गर्व करता हूं।

उन्होंने कहा था :

"जो पहले केन्द्र के क्षेत्र के थे वह अब निजी क्षेत्र बन सकते हैं।"

श्री बसु जैसे लोग बहुत व्यवहारिक हैं और समझते हैं कि देश का हित किस में है। उन्होंने स्वीकार किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जैसी अच्छी कोई चीज नहीं है। देश में 'राष्ट्रीय' क्षेत्र मौजूद हैं। जिसे आप निजी क्षेत्र कहते हैं वह वास्तव में नहीं है। चाहे वह टाटा, बिरला, जे० के०, अम्बानी अथवा सिंघानिया हो, वे 50 प्रतिशत से अधिक के इक्विटी शेयर रखते हैं।

इफ्को के मामले का उल्लेख करते समय सरकार को बधाई देते हुए मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि एकाधिकार और प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार नाम हटा दिया जाए और इस न्याय को इतनी शक्ति प्रदान की जाए कि वह उपभोक्ताओं के हितों को देख सकें और मुख्य उद्देश्य पूरे कर सके।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, प्रस्तुत विधेयक अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। जब यह अध्यादेश लाया गया था उस समय यह कहा गया था कि इस सम्बन्ध में विधेयक भी बहुत शीघ्र लाएंगे क्योंकि नई औद्योगिक नीति के तहत हमने वादा किया है कि हम एकाधिकार आयोग के बारे में और एकाधिकार कानून में संशोधन करने के बारे में शीघ्र ही कोई विधेयक लाएंगे। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि अध्यादेश के जरिए काम क्यों किया गया है। विधेयक अब जब लाया गया है तो तब भी लाया जा सकता था, उसमें कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ता था या अध्यादेश लाए बिना भी अब जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, हो सकता था। लेकिन इसकी प्रवृत्ति जो चल पड़ी है, अध्यादेश लाने की, उसके तहत इस सरकार ने काम किया है विधेयक में अधिकांश बातें ऐसी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल औद्योगिक नीति है, उससे बहुत बड़ी सीमा तक मेल खाती हैं, इसलिए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इसका एकमात्र कारण यह है कि औद्योगिक नीति में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो पूंजी निवेश के साथ, सार्वजनिक उद्यमियों के साथ, वे बातें निजी क्षेत्र के उद्यमियों को खासतौर से (व्यवधान)... हमारी अपनी घोषित नीति है। भारतीय जनता पार्टी की उस नीति से इस विधेयक के अनेक प्रावधान मेल खाते है। हमारी नीतियों के अनुसार यह सरकार अपने कदम बढ़ा रही है, तो इसलिए हम इसको ठीक ही कहेंगे।

जब अध्यादेश लाया गया था अधिकांश अखबारों ने उस समय टिप्पणी भी की थी कि सरकार सम्भवत: अपने पिछले इरादों में पिछली घोषित नीतियों से पीछे हट रही है, लेकिन उसके बाद भी यह कदम उठाया गया है, यह सही है। इससे नए व्यापारिक द्वार खुलेंगे और उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। पूंजी निवेश करना चाहते हैं।

अब तक यह कहा जाता रहा कि सार्वजनिक क्षेत्र ही सब तरीके की सुविधाएं प्रदान कर सकता है और उसे ही प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र में गुणवत्ता सीमित होती गई, उत्पादकता केन्द्रित होती गई, उत्पादन की सीमाएं केन्द्रित होती गई, लेकिन आम जनता की जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की पूर्ति करने में वह असमर्थ रहे।

आप जैसा कि जानते हैं, जैसी सदन में इस बारे में चर्चा हुई कि किस प्रकार सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक उद्योग निरन्तर घाटा देते रहे और सरकार की आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, इस कारण फिर से विचार करने की आवश्यकता सरकार को आई और उस दृष्टि से इस विधेयक को लाया गया है। सरकार ने नियोजित अर्थ-तन्त्र, नियन्त्रित अर्थ-तंत्र के बारे में जो बात कही वह आज असफल सिद्ध हुई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार उस दिशा में पुनर्विचार करने के लिए आगे आई है।

यह ठीक है कि विश्व बाजार का इस पर प्रभाव पड़ा है और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि हम विश्व बाजार को छोड़ कर अपनी बात नहीं कर सकते, हमको प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है, विश्व बाजार में खड़े होकर वस्तुओं के निर्यात के जरिए या वस्तुओं के आयात के जरिए। सार्वजनिक क्षेत्र के कारण उसकी गिरती हुई साख के कारण हमारा राजस्व का घाटा इतना घट गया था। मैं 30 सितम्बर के "जनसत्ता" अखबार में प्रकाशित बात को उद्धृत करना चाहता हूं।

"आर्थिक क्षेत्र में अपनी स्थिति और सुनियन्त्रण बनाने के लिए, इन बातों को नजर-अन्दाज करती चली गई । फिर सरकार का राजस्व घाटा सीमा लांघ गया और देश की आर्थिक स्थिति लड़खड़ाती दिखाई दी तो सरकार की नीतियों पर गम्भीरता से सवाल उठने लगे । इस बीच सोवियत संघ का माडल चरमरा गया जिसकी नकल पर हमने अपना माडल बनाया था । इससे सरकार को अपनी सारी नीतियों को उलटने-पलटने के लिए मजबूर होना पड़ा । ताजा संशोधन करके सरकार ने निजी उद्योग के विस्तार पर सारे अंकुश हटा लिए और एकाधिकार कानून का इस्तेमाल बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता के नाते हो गया ।"

पूर्व की औद्योगिक नीति के अनुसार हम वास्तव में हर मामले में सार्वजनिक क्षेत्र में जाने की बात करने लगे थे । उसमें किसी अन्य क्षेत्र को आने नहीं देंगे । इस प्रकार का विचार व कुछ प्रतिबंध भी थे, उन प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक के जरिए कई और बातें लायी गई हैं । धारा 20 से 26 तक जो विभिन्न प्रावधान हैं, उनमें उन सीमाओं को हटाया गया है जिसके कारण एम० आर० टी० पी० ऐक्ट लागू होता है । उससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे । कई माननीय व्यक्तियों ने शंका व्यक्त की है कि इससे सहकारिता क्षत्र में और अन्य दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र में इसका विपरीत असर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है । मेरा मानना है कि इससे प्रतिस्पर्द्धा बनेगी और स्वस्थ वातावरण देश के अन्दर बनेगा । उद्योगों के अन्दर जो भी आना चाहे, वह आये लेकिन सरकार को एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित रूप से इसमें जो पूंजी निवेश करने वाली कम्पनियां आयेंगी, फिर चाहे वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हों, उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हम कहां तक छूट दे पायेंगे, किस सीमा तक वह जाएंगी, कितनी-कितनी पूंजी लगाएंगी और उस पर हमारा नियन्त्रण किस प्रकार का होगा ? इन सब बातों का भी पूरा ध्यान रखा जाना जरूरी है । अन्यथा दुष्परिणाम हो सकते हैं, अन्यथा हमारे घरेलू उत्पादन पर या स्वदेशी उत्पादन पर यदि उसका विपरीत असर पड़ता है तो यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है । मैं पुन: कहना चाहूंगा कि केवल पूंजी निवेश या पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने से ही काम नहीं चलेगा लेकिन पूंजी किस प्रकार से आती है, कहां से आती है, किस रूप में आती है, उस पर हमारा कितना नियन्त्रण होगा, इस बात को भी ध्यान से देखा जाना आवश्यक है । मैंने जैसा कि आपसे कहा, हमने यह बात बहुत नीतिगत तौर पर ही स्वीकार की थी और वही बात करीब-करीब मैं समझता हूं सरकार ने भी स्वीकार की है । मैं उद्धृत करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की अपनी घोषणा के अनुसार एक हजार करोड़ से अधिक पूंजी के उद्योगों पर अथवा 1/3 मार्केट शेयर पर ही एम. आर. टी. पी. एक्ट लागू होगा कि सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर बात की है, इस बात को भी तो स्वीकार किया है । पूंजी बाजार को सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करते हुए, पूंजी निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाएगे जिससे कि अधिकाधिक पूंजी निवेश का वातावरण तैयार किया जा सके और इस बात की चर्चा में भी यही वातावरण तैयार करने का प्रयत्न किया गया है, बात कही गई है । इसमें जो शंकाएं हैं कि कहीं लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या मझले दर्जे के उद्योग इससे प्रभावित न हों, मैं समझता हूं इसके कारण उन पर विपरीत असर होने की आशंका को निर्मूल माना जाना

[डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

चाहिए। यह स्वाभाविक है कि कल से, बीमर ब्रदर्स जैसे सनलाइट बनाने वाली कम्पनियां या डालडा बनाने वाली कम्पनियां, जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, यदि वह सामान्य दूसरे छोटे-छोटे उत्पादनों के ऊपर भी आयेंगी तो उसका निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर या दूसरे छोटे उद्योगों पर असर पड़ने वाला है। इसलिए ऐसे जो बड़े उद्योग हैं, उन पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अंकुश लगाना भी स्वाभाविक होगा और उनके ऊपर हम अंकुश लगाएं, इसके अन्दर कोई आपत्ति नहीं है।...(व्यवधान)...इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं उसकी तरफ ध्यान दिला रहा हूं। ऐसे औद्योगिक घरानों के लिए वस्तुओं के उत्पादन को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

एक कठिनाई और है कि अभी वित्त निगमों के द्वारा जो विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाती है, वित्तीय अनुदान दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, निश्चित रूप से धीरे-धीरे कई बार उसमें इस प्रकार की स्थिति बन जाती है या उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वे बीमार इकाईयां हो जाती है और धीरे-धीरे स्वतः वे बन्द होने की स्थिति में आ जाते हैं। उसके तहत यह भी एक कारण आता हैं कि हम सीमा से अधिक सहायता देते है। अतः किस सीमा तक हम जायें और वित्त निगमों द्वारा जो पोषित ऐसी संस्थाएं हैं, वह बन्द न हों और उनको भी संरक्षण मिल सके, इस दृष्टि से भी विचार आवश्यक है, अन्यथा धीरे-धीरे वह रुग्ण इकाईयां बन्द इकाईयां हो जायेंगी और उनको सरकार बन्द करना चाहेगी, ऐसी शंका जो व्यक्त की गई है कि ऐसी इकाईयों के बन्द होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग प्रभावित होगा, इस बारे में इस शंका को भी निर्मूल किया जाना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं, जो देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, उचित कदम है, औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने की दृष्टि से निश्चित रूप से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये थे, उनके परिणाम अभी आने शेष हैं, उसके अभी परिणाम उतने अनुकूल नहीं निकले हैं।

क्योंकि, बाजार के अन्दर जो कीमतें बढ़ रही हैं, उनका उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। नियन्त्रण लाने की दृष्टि से हम प्रभावी उपाय कर रहे हैं, भले ही हमको सोना गिरवी रखकर एक बार अर्थ स्थिति पर नियन्त्रण रखने की बात करनी पड़ी हो लेकिन हम उससे भी चुके नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी बाजार पर नियन्त्रण हो, जिस प्रकार हम जो सामान्य उपभोक्ता चीजों की सुलभता करवा सकें, उसके बारे में भी चिन्ता की आवश्यकता है।

मैं ऐसा मानता हूं कि इस विधेयक के जरिए जो स्वस्थ प्रतियोगिता का एक वातावरण बनेगा इससे निश्चित रूप से स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा होने के अवसर प्राप्त होंगे और यदि स्वस्थ प्रतियोगिता के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं और फिर से हमारी इस विकेन्द्रित स्थिति के अन्दर भी सहकारी नियन्त्रण ही ज्यादा होते हैं तो उससे हानि की सम्भावनाएं भी हो सकती हैं, उस स्थिति को भी सरकार को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

3.00 म॰ प॰

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि यह विधेयक—

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक—हमारी उद्योग संबंधी कई कही गई बातों से मोटे तौर पर नीतियों से मेल खाता है, जो हमारी नीतियां है। यह विधेयक इस रूप में एक स्वस्थ वातावरण तैयार करने की दृष्टि से, एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करने की दृष्टि से और पूंजी निवेश को और सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह विधेयक सार्थक होगा। सरकार ने इसके अन्तर्गत उस आयोग को शक्ति देने की बात कही है। यहां पर निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ धारणायें प्रकट की गई हैं कि आयोग अधिक सक्षम हुआ तो पता नहीं किसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि उसमें दंड के प्रावधान की भी व्यवस्था है। इन शंकाओं को ऐसी बातों को निर्मूल किया है, उन शंकाओं का निराकरण करना बहुत आवश्यक है। मैं इतना कहते हुए पुनः कहूंगा कि यह विधेयक हमारी नीतियों से मेल खाता है, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अन्यथा, इसके व्यापक प्रभावों को देखने की अत्यधिक सावधानी आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, हम आज उस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिससे एक ऐसी स्थिति आरम्भ होगी। जिसके कुछ समय-सारणी के अनुसार कार्यान्वियन का वचन भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिया है। वे इस समय सारणी से आगे नहीं जा सकते हैं। सिर्फ इसी कारण, उन्होंने 27 सितम्बर को एक अध्यादेश जारी किया था। आज 18 दिसम्बर है। इस प्रकार करीबन तीन महीने बीत गए हैं। मैं चाहूंगा कि उपस्थित मंत्री सभा को बतायें कि सभा के बजट-सत्र के सत्रावसान के तुरन्त बाद इतनी जल्दी और हड़बड़ी में 27 सितम्बर को इस अध्यादेश को जारी करने की क्या जरूरत थी तथा इससे इन तीन महीनों में देश को क्या फायदा हुआ है? क्या वह इन्तजार नहीं कर सकते थे या फिर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई समय सारणी का पालन करना आवश्यक था? या ऐसा इसलिए किया गया है कि उन्हें 18 करोड़ एस. डी. आर. (स्टर्लिंग डालर, रुपया) का कर्ज मिला था तथा इस कर्ज से अन्तर्राष्ट्रीय देनदारी के क्षेत्र में भुगतान न करने के दोष से बच गए हैं? मैं ऐसा नहीं समझता।

कल मैंने स्पष्ट किया था अन्तर्राष्ट्रीय देनदारी की ये बातें एक हौआ है जिसका उपयोग हमारे भारतीय राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों और सभी नागरिकों को डराने के लिए किया जा रहा है ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनी आर्थिक संप्रभुता का हरण होते देख सकें। इसे सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाथों गिरवी रख दिया है। हम यही कहते आ रहे हैं। अब यह आरोप पत्र से अधिकाधिक सत्य प्रतीत हो रहा है। वित्त मंत्री द्वारा अगस्त में लिखे गए पत्र से इस विषय पर कल भी चर्चा हुई थी और मैं इस पर ज्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इस पत्र से स्पष्ट हो गया है कि अब यह देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेशों पर चलेगा। यहां तक कि संसद भी वही विधेयक पारित करेगी जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष पारित करवाना चाहेगा भले ही ये विधेयक हमारे संविधान के विपरीत जाते हों।

इस सदन में बीस वर्ष पहले इस विधान को बस यूं ही पारित नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि अचानक किसी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, अतः हमें एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पारित करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि संसद और

[श्री अमल दत्त]

देश का नेतृत्व करने वाले राजनीतिज्ञों के सामने कोई सामग्री नहीं थी।

उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री थी जिनकी प्रशंसा सत्ताधारी दल आज भी करता है। क्या उन्होंने इस विषय में सोचा ही नहीं था। उस समय इस पर विचार करने के लिए काफी सामग्री थी जो दस वर्षों की अवधि के बाद विभिन्न परीक्षण के बाद सामने आई थीं। सर्वप्रथम महालानोबिस समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई थी कि ऊपर की दस प्रतिशत और नीचे की 10 प्रतिशत आबादी के बीच की खाई बढ़ रही है। आर्थिक शक्ति के कुछ लोगों के पास जमा होने के कारण ऐसी स्थिति हुई है। फिर हजारी समिति की रिपोर्ट आई जिसने औद्योगिक लाइसेंसीकरण प्रक्रिया की जांच की थी। इसके निष्कर्ष के अनुसार इस लाइसेंस पद्धति से कुछ बड़े व्यावसायिक घरानों की गैर-अनुपातिक वृद्धि हुई है। फिर एकाधिकार जांच समिति आई। इसने पाया कि 75 व्यावसायिक घरानों के पास गैर सरकारी कंपनियों की 46.9 प्रतिशत परिसम्पत्ति है। फिर इसी समिति ने 1969 में कहा कि औद्योगिक लाइसेंस पद्धति से बड़े औद्योगिक घरानों के विकास में मदद मिली है। संसद द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों की इसी अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए इसी पृष्ठभूमि में इस अधिनियम को पारित किया गया था। इसके अनुसार इन औद्योगिक घरानों को उन्हीं क्षेत्रों में और परिस्थितियों में बढ़ने दिया जायेगा या जहां और कोई साधनों का नितांत अभाव होगा। इसमें विवेकाधिकार सरकार को दिया गया था। मेरे विचार से ऐसे करना गलत था। यह विशेषाधिकार एकाधिकार और अवरोधक व्यापार आयोग को कभी और नहीं दिया गया था। इस विशेषाधिकार को आयोग को देना चाहिए था। अब आयोग को एक बार फिर हौआ बना दिया गया है तथा सारा दोष इस पर ही थोप दिया गया है।

सच्चर समिति, जिसे 1977 में नियुक्त किया गया था, 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया कि 8% मामले सरकार द्वारा आयोग को भेजे गए थे। अन्य सभी 92% मामलों का निपटारा सरकार ने स्वयं किया है। पहले आयोग को भारत के आर्थिक विकास को रोकने के लिए दोषी पार्टी के रूप में रखा गया। सच्चर आयोग की 1978 की रिपोर्ट निश्चय ही काफी पुरानी है। परन्तु यह पाया गया कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम किसी भी तरह आर्थिक विकास में बाधक नहीं रहा है। किसी ने भी शिकायत नहीं की। मैं हिंदुस्तान लीवर के मामले में नहीं जानता, जिसके बारे में श्री मुरली देवरा ने उल्लेख किया है। यह दुर्लभ, एकाकी तथा अकेला मामला है। ऐसा कोई दूसरा मामला नहीं है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों, घरानों को निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति सरकार के पास है जो यदि आवश्यक समझे तो मामले को आयोग के समक्ष भेज सकती है। आयोग के समक्ष मामले को भेजने के बाद भी और आयोग द्वारा रिपोर्ट देने के बाद सरकार द्वारा रिपोर्ट को लागू करना अनिवार्य नहीं है। सरकार आसानी से इन रिपोर्टों में दिए गए निर्णय को अस्वीकार कर सकती है।

सरकार ने यह नहीं बताया है कि एकाधिकार घरानों पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या परिणाम होंगे। उन्हें विकास की अनुमति प्रदान की गई है। मैं नहीं जानता कि आजकल परिसम्पत्तियों के

आंकड़े कितने है। कुछ लोग कहते हैं कि यह 20,000 करोड़ रुपए है और कुछ अन्य लोग कहते हैं कि यह 30,000 करोड़ रुपये हैं, यह उच्च व्यापारिक उद्योगों की परिसम्पत्ति है जिनकी संख्या लगभग 70 है। यह काफी अधिक वृद्धि है। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह दर्शाने के लिए अन्य देशों के आंकड़ों के उदाहरण दे सकते हैं कि किसी अन्य देश में उच्च व्यापारिक घराने इतनी अधिक तेजी से बढ़ गए हैं और वह भी किसी उच्च प्रौद्योगिकी का सहारा लिए बिना? यह सब निम्न प्रौद्योगिकी, श्रमिकों के शोषण, इत्यादि के आधार पर प्राप्त किया गया है। सरकार द्वारा अभी तक इस सबकी अनुमति प्रदान की गई हैं, यद्यपि इसके लिए अधिनियम है। वह इस बात पर डटे रह सकते हैं "जी हां, हम देश में समता लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम देश में आर्थिक विकास के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं।" परन्तु वह अभी तक अर्थव्यवस्था की बुराइयों को समाप्त करने में असमर्थ रहे हैं।

परन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वह इसकी भी अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि श्री मुरली देवरा, जिस बारे में बात कर रहे हैं वह नाम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में है और सम्भवतः बजट सत्र में यह अधिनियम आएगा। इसका नाम भी इसमें नहीं है, क्योंकि वह सकारात्मक रूप 'अनुचित व्यापार न्यायालय' अथवा ऐसा ही कोई नाम देना चाहते हैं। इसलिए एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम आयोग को अब किसी का टेलीफोन खराब होने अथवा हवाई जहाज में आरक्षण न मिलने सम्बन्धी शिकायतों की जांच कार्य तक ही सीमित रखा गया है और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम आयोग द्वारा इन कार्यों का निपटान किया जाएगा। वास्तव में मैं नहीं समझता कि उन्होने कभी आयोग को गम्भीरता से लिया हो। अन्यथा आयोग के चेयरमैन का पद किस प्रकार लगभग एक वर्ष तक रिक्त रखा जा सकता है? यह मामले की गम्भीरता के सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण का सूचक हैं।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : यह गलत है। आयोग के अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ही त्यागपत्र दिया है।

श्री अमल दत्त : यह सब इसलिए नहीं किया गया कि हमारे देश के बड़े लोग ऐसा चाहते हैं। क्या उन्होने कहा कि वह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम आयोग को समाप्त कर देंगे अथवा एकाधिकार घरानों के विकास को रोकने की शक्तियों को वापस ले लेंगे? नहीं, हमने कभी इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यह शक्ति उन्हें प्राप्त है। सरकार को यह शक्ति प्राप्त है परन्तु सरकार ने कभी उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। परन्तु शक्ति का प्रयोग न करने की स्थिति में संविधि पुस्तक जिसके द्वारा सरकार उस शक्ति का प्रयोग कर सकती है, अब उसे छीना जा रहा है। उन्होंने पहले ही शक्ति को भ्रांतिजनक बना दिया था। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए इस शक्ति को वापस लेना होगा। यही संप्रभुता हमारे पास शेष रही है। हम अधिनियम में उस खंड का प्रावधान भी नहीं कर सकते जिसके द्वारा सरकार की शक्ति स्वयं सरकार द्वारा ही भ्रामक बना दी गई हो और फिर भी सरकार को कोई चिन्ता नहीं है कि वह न हे 'देखिए हमने कभी किसी प्रकार गम्भीर रूप से नहीं लिया।' वह ऐसा भी नहीं कहते। इसलिए हमें अब शीघ्र ही इस अधिनियम पर विचार करने तथा पारित करने के लिए कहा गया अन्यथा अध्या-

[श्री अमल दत्त]

देश समाप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मंत्री महोदय कृपया उत्तर दें और मुझे बताएं कि अध्यादेश को पारित करने के बाद 27 सितम्बर से अब तक उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ है। आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते ? मैं नहीं जानता कि भारत में कुछ विदेशी पूंजी आई है। कोई विदेशी पूंजी निवेश भारत में नहीं किया गया। कोई भी व्यक्ति किसी उच्च प्रोद्योगिकी में पूंजी निवेश नहीं करता। यदि आप यह आशा करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। हिन्दुस्तान लीवर्स के मामले को स्वीकृति प्राप्त हो गई है उन्हें आय किस प्रकार होती है ? 75 प्रतिशत डिटर्जेण्ट और साबुन की बिक्री द्वारा ? यह उच्च प्रोद्योगिकी है ? मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप यह नहीं समझते अथवा आपके पास अब इन बातों को सोचने का समय नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको क्या कहता है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आपको जो कुछ भी कहा जाता है आप उसे वेदव्यास समझते हैं तथा उसी आधार पर कार्य करते हैं। आप लोगों को यह दर्शाते हैं कि जहां तक इक्विटी का सम्बन्ध है, समुदाय के साथ निष्पक्षता का सम्बन्ध है, आपको व्यापार से कोई लेना-देना नहीं है आपको किसी भी व्यवसाय से कुछ लेना-देना नहीं है। आप संविधान में परिवर्तन करें, आप संविधान से अनुच्छेद 39 को हटा दें। यह विशिष्ट अधिनियम अनुच्छेद 39 (ग) के अनुसार बनाया गया है, जिसमें कहा गया है —

> "राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेद्रण न हो।"

यही कारण है कि यह अधिनियम पास किया गया। अब वे इस अधिनियम से वह शक्ति वापिस ले रहे हैं उन्हें खुले रूप से सामने न आने दे और इसे समाप्त कर दें। संविधान के इस विशेष खंड का लोप करने दें लेकिन उन्हें देश के सम्मुख आने दे और कहने दें कि 'हम इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते।' एक तरफ यह संविधान में ज्यों का त्यों बना रहेगा और दूसरी तरफ वे उस शक्ति को वापस ले लेंगे जो सरकार को प्राप्त है। यह सरकार का ढोंग है। स्पष्ट वक्ता बनिए और लोगों से कहिए कि 'हम इस घोषणा-पत्र में विश्वास नहीं रखते जिसके आधार पर हम सत्ता में आए है।" इन तीन महीनों में हमने इन सबमें परिवर्तन कर दिया है। अब हम इसे ठीक समझते हैं। अब हम यही करेंगे और जब हम चुनाव के लिए जाएंगे, हम देखेंगे कि उस आधार पर चाहे आप हमें समर्थन दें अथवा न दें' पर इस ढोंग के आधार पर सत्ता में न बने रहें।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं, जो माननीय मन्त्री महोदय द्वारा इस सभा में पुरःस्थापित किया गया है। यह ऐसी स्थिति में अधिक सामयिक नहीं हो सकता है जबकि यह देश अपने आपको नए औद्योगिक वातारण के लिए तैयार कर रहा है जोकि सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान है। जब हम 1991 में बहुत ही व्यवहारिक औद्योगिक नीति संकल्प लाए तो इसमें न केवल भारतीय निजी क्षेत्रों की वृद्धि को ही ध्यान में रखा गया है। बल्कि देश में विदेशी इक्विटी और विदेशी पूंजी को भी आमंत्रित किया गया है।

महोदय, उदारीकरण आवश्यक हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। मार्क्सवाद से वह सब प्राप्त नहीं हुआ हैं जैसी कि उससे अपेक्षा की जाती थी। यहां तक कि रूस पूर्वी यूरोपियन देशों ने भी इसे विदा दे दी है। और हम देखते हैं कि रूस में 100% विदेशी इक्विटी सहित बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आमंत्रित की गई है। चीन ने 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के साथ बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित किया है। हम अभी तक रूढ़िवादी क्यों बने हुए हैं? हमने केवल 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी पूंजी के लिए अनुमति दी है।

महोदय, जो दो-तीन दशक पहले जो उपयुक्त था आज युक्तिसंगत नहीं है। मेरे मित्र श्री मुरली देवरा ने ठीक ही कहा है कि श्री ज्योति बसु आज विश्व में सबसे अधिक व्यवहारिक मार्क्सवादी नेताओं में से एक हैं। वह विश्व में पहले मार्क्सवादी नेता हैं जिन्होंने विश्व में मार्क्सवादी विचारों में नई दिशा दी है। मैं उनकी व्यवहारिकता की प्रशंसा करता हूं मैं इस सभा का ध्यान केवल इस ओर दिलाना चाहूंगा कि दो वर्षों के भीतर जब केन्द्र में उनकी मित्र सरकार सत्ता में थी, तब 17 बड़े व्यापार समुदायों को जिनमें हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, क्लोराइड इंडिया और टेक्समेको शामिल है, को पश्चिम बंगाल के लिए आशय पत्र जारी किए थे। इन सभी व्यापार समुदायों को पश्चिम बंगाल में आमंत्रित किया गया। अम्बानी को आमंत्रित किया गया और टाटा चाय को आमंत्रित किया गया। मैं इस सभा में अपने मार्क्सवादी मित्रों की रूढ़िवादिता को समझ नहीं पा रहा जिनके नेता एक बहुत ही विद्वान नेता श्री ज्योति बसु के ऐसे आधुनिक और प्रगतिशील विचार हैं। मैं सिलीगुड़ी में उनके द्वारा सम्बोधित समाचार रिपोर्ट को उद्धरत करना चाहूंगा। उसमें कहा है—

"उनकी उत्तर बंगाल के किसानों को अच्छी किस्म के बीज सप्लाई करने की व्यवस्था करने के लिए बड़ी विदेशी कम्पनियों से चर्चा हुई है। एक अन्य विदेशी फर्म वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी से बैंगन की खेती करने की इच्छुक है।"

यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। जब श्री ज्योतिबसु इस देश के सबसे अधिक आदरणीय मार्क्सवादी नेता आज रूढ़िवादी नहीं है तो हमारे अमल दत्ता जी, निर्मल जी और सोमनाथ जी जैसे मित्र इतने रूढ़िवादी क्यों हैं? मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इन सब रूढ़िवादिता को छोड़ दें और हमारे औद्योगिक नीति संकल्प, 1991 का समर्थन करने के लिए आगे आए और नए रूप में इस एकाधिकार तथा अवरोधक, व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का समर्थन करें। केवल तभी वे श्री ज्योति बसु की सही और व्यवहारिक दिशा पर चल पाएंगे। हमारे मार्क्सवादी मित्रों के मस्तिष्क में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को लेकर अस्पष्ट छवि मंडरा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो भी शर्तें रखी गई थीं उन्हें डा० मनमोहन सिंह जी ने कल सभा के पटल पर रख दिया था। यह सरकार कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के आगे नहीं झुकी है। हमने बहुत ही व्यवहारिक कदम उठाया हैं। हमने बहुत ही व्यवहारिक, आर्थिक और वित्तीय नीति प्रस्तुत की है ताकि पिछले मामलों पर हमारी कूट रूढ़िवादी विचारों से उद्योगों की वृद्धि में बाधा न आए।

माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक लघु उद्योगों, सहकारी क्षेत्रों, आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति विनिमयन, केन्द्र और आयोजना वृद्धि के विरुद्ध है। ऐसा नहीं है। यदि मेरे मित्र 1991 की औद्योगिक नीति को देखें इसमें विशेष रूप

[श्री दिग्विजय सिंह]

से कहा गया है कि लघु उद्योगों और सहकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योग इन क्षेत्रों में बने रहेंगे। इनको कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। हमारे दल की हमेशा यह नीति रहेगी कि लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को पूरा संरक्षण मिले जो अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराते हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक अथवा इस सरकार की औद्योगिक नीति लघु उद्योगों, हथकरघा उद्योग अथवा कुटीर उद्योग का अतिक्रमण नहीं कर रही है। मार्क्सवादी मित्रों की मानसिक रूढ़िवादिता समाप्त की जानी चाहिए।

मैं इस सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक द्वारा सरकारी क्षेत्र को भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाया जायेगा जो कि एक अच्छी बात है। यदि सरकारी उद्योग खराब माल बना रहे हों, तो क्यों न उन्हें भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आम उपभोक्ताओं को ठगने के आरोप में कार्यवाही के दायरे में लाया जाये।

"यह राज्य की नीति रहेगी कि निजी तथा सरकारी एककों दोनों को निष्पक्ष तथा भेदभाव रहित व्यवहार दिया जाये।"

यह 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में दिया गया है 1980 के औद्योगिक नीति संकल्प के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को देखने से पता चलता है कि अधिक दाम तथा घटिया किस्म के विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण देना 1980 की औद्योगिक नीति संकल्प की प्रमुख विशेषता होगी। संक्षेप में इस अधिनियम में यही व्यवस्था की गई है।'

औद्योगिक नीति 1980 के पैरा 24 में कहा गया है : बहुत से मामलों में भारतीय उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके उत्पादन का लक्ष्य जो स्वदेशी मांग सापेक्ष होता है बहुत कम है जिससे उन्हें आधुनिक तकनीक तथा लक्ष्य की आर्थिक स्थिति का लाभ दिलवा सके। इसी कारण व्यापारिक घरानों के निवेश पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम सकारात्मक होने के बजाय अधिक प्रतिबन्धात्मक हो गया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : क्या यह विचार नहीं था कि लक्ष्य की आवश्यकता यह है कि एक या दो एककों से अधिक की स्थापना नहीं की जा सकती है तो ऐसे मामलों में निजी क्षेत्र के हाथों में केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए उन्हें सरकारी क्षेत्र को देना चाहिए। क्या यह विचार नहीं था। कृपया मुझे बताइए।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संक्षिप्त क्षेत्र से अलग नहीं हो रहा हूं तथा औद्योगिक नीति संकल्प पर इस सभा में विस्तारपूर्वक चर्चा की जा चुकी हैं तथा इन बातों का उत्तर मन्त्री द्वारा दिया जा चुका है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मन्त्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : लक्ष्य नहीं बदलते है। मैं जानता हूं यह एक से रहते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम के उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट है कि औद्योगिक ढांचे की बढ़ती हुई पेचीदगी तथा अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए औद्योगिक नीति का जोर एकाधिकारवादी, प्रतिबन्धात्मक तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार पर नियन्त्रण तथा नियमन हो न कि कुछ उपक्रमों के लिए यह अनिवार्य बनाना कि नए उपक्रमों के विस्तार तथा स्थापना करने, विलय, परिवर्तन तथा कार्यभार ग्रहण करने तथा नए निदेशकों की नियुक्ति करने केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना जरूरी हो। ये कुछ ऐसी बातें है जो इस देश में उद्योगों के विकास में वास्तव में बाधक हैं तथा जिन्हें सही तरीके से दूर कर दिया गया हैं तथा मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि वे यह संशोधन लाए हैं।

मैं श्री चित्त बसु से सहमत हूं कि जब इस अधिनियम को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक यह अधिनियम निष्प्रभावी हो जायेगा। अधिनियम में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को काफी अधिक शक्तियां दी गयीं जिससे वह उपभोक्ताओं के हितों तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि पर निगरानी रख सकता है जिसे उद्योग एक आधार मानकर मूल्य वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इसी कारण मैं कहता हूं कि यद्यपि औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरो का अपना तरीका है जिससे वह उत्पादन के सही मूल्य का पता लगाता है, जब तक कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के महानिदेशक इस अधिनियम को गम्भीरतापूर्वक लागू करते है तथा जिन्होंने अपने उत्पादों का मूल्य एकतरफा आधार पर बढ़ा दिया है उन सभी व्यक्तियों को दंडित करें तथा जब तक यह अधिनियम सही ढंग से लागू नहीं होता है, तो सारी प्रक्रिया बेकार हो जायेगी।

मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 मे जोड़ी गई नई धाराओं 108क, 108ख, तथा 108ग के अंतर्गत शेयरों के नियमन तथा हस्तान्तरण पर पड़ने वाले प्रभाव को निर्धारित करने के लिए इन मानदंडों का समर्थन करता हूं। यह केवल भारत अथवा उसके कुछ भाग में कुल उत्पादन आपूर्ति वितरित माल अथवा सेवा प्रदान करने के लिए 25 प्रतिशत बाजार शेयर के आधार पर ही निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

इससे आम आदमी को शेयर बाजार में बचत करने में सहायता मिलेगी इसी के साथ सरकार ने सरकारी क्षेत्र में शेयरों के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपए के निवेश की भी व्यवस्था की है परन्तु यह आम लोगों के लिए नहीं खोला जा रहा है यह केवल सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों तक ही सीमित किया जा रहा है जिससे वह अन्य संस्थाओं में जहां पूंजी की जरूरत है वहां निवेश कर सकें। इस निवेश का सारा उद्देश्य असफल हो जाता है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश को विकेन्द्रीकृत करने का सवाल है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसे शेयर बाजार में लायें तथा इसे आम आदमी के लिए खोलें ताकि, वास्तव में, आम आदमी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विकास में भाग ले सकें।

[श्री रंगराजन कुमारमंगलम]

मैं, समाप्त करते हुए, यह कहूंगा कि सरकार की नीति तथा यह अधिनियम बिल्कुल सही समय से लायी गई है। मुझे विश्वास है कि यह देश के औद्योगिक विकास के लिए लाभप्रद होगी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मुझे इस बहस में वैसे कोई रुचि नहीं है, इसलिए कि इस पर मुझे लगता है जैसे मरीज मरने के बाद, इलाज क्या होना चाहिए, वैसी ही कुछ अवस्था में हम लोग आज यहां पर खड़े हैं और बैठे हैं।

चूंकि जब इनकी औद्योगिक नीति आ गई और उस नीति के साथ इस देश को बेचने का काम ये लोग कर ही चुके थे, और आज जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, अमुक कानून में अमुक संशोधन, वह तो इण्टरनेशनल मौनिटरिंग फण्ड के साथ इन लोगों ने पहले ही सौदा कर लिया था। उस सौदे का मसविदा, परसों वित्त मंत्री जी ने यहां रखने का काम किया था जिस पर एक दृष्टि से हम लोग परसों से बहस चला रहे हैं। इस कानून का एक-एक जुमला आपने आई० एम० एफ० को लिखकर देने का काम किया है। हम लोग आज यहां खड़े होकर उस पर बहस कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इस देश का भला करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि आप इस देश को कैसे बिगाड़ रहे हो। इससे बढ़कर मुझे इसमें कुछ और नजर नहीं आता है।

जो दस्तावेज आई० एम० एफ० को आपने दिया, अगर उसे देश के नाम पर दिया होता तो भी कम से कम हम इन लोगों की बुद्धि की तारीफ करते कि चलो ठीक है—नई सोच, नई दिशा। एक जमाने में यहां स्वतन्त्र पार्टी मीनू मसानी की होती थी, मीनू मसानी जी यहां बैठते थे। हम कह सकते थे कि उस पार्टी की, मीनू मसानी की सोच आज देश में कांग्रेस पार्टी ने उठा ली है, इसलिए उसकी हम तारीफ करते कि भले ही देर से सही, लेकिन कम से कम स्वतन्त्र पार्टी के तो आप लोग बन ही गए। ऐसा हम कह सकते थे। लेकिन आज वैसा कहने की स्थिति में भी हम नहीं है कि हम आपकी सोच की तारीफ करें क्योंकि वित्त मन्त्री जी ने कल यहां पर जब बहस के दौरान सवाल-जवाब चला, वाद-विवाद चला, मैमोरैंडम आन इकोनोमिक पौलिसी फार 1991-92 टू 1992-93 पर, जिसे आपने आई० एन० एफ० के मैनेजिंग डायरेक्टर, मि० माईकल कैमडैसस को 27 अगस्त को भेजने का काम किया था, जब हमने पूछा कि आपको उनसे क्या जवाब आया, कल बहस के दौरान जब मैंने यह पूछा तो वित्त मन्त्री जी ने यहां खड़े होकर बोला कि ऐसे दस्तावेजों का जवाब क्या आता है क्योंकि आपसी बातचीत के ऊपर बना हुआ यह दस्तावेज है। उस आपसी बातचीत में बने हुए दस्तावेज में आपने कहा है :

[अनुवाद]

सुधारों के प्रथम चरण की घोषणा जुलाई में की गयी थी तथा इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाए गए थे :

(क) सुरक्षा, रणनीति या पर्यावरण जैसे उद्योगों तथा विलासितापूर्ण उपभोग वस्तुओं के उद्योगों जिनमें आयातित पूंजी निवेश अधिक मात्रा में होती है। आदि 18 उद्योगों को

छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान इकाईयों के विस्तार से सम्बन्धित लाइसेंसीकरण को भी समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

आज आप उसी कानून को बनाने के लिए यहां आए हैं। उससे ज्यादा आपने इस कानून में आगे लिखा है :

[अनुवाद]

"अब एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम को इस तरह से लागू किया जाएगा जिससे कि बड़े कम्पनियों को वर्तमान उपक्रमों के विस्तार तथा नये उपक्रमों की स्थापना के लिए सरकार से पूर्व स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परिवर्तन विलियन, एकीकरण तथा अधिग्रहण आदि के लिए भी लागू होंगे। इन परिवर्तनों को अधिनियम के अन्तर्गत उचित अधिसूचना जारी करके अविलम्ब ही लागू किया जाएगा।"

[हिन्दी]

कर चुके आप। नई किस चीज की आप तारीफ यहां पर कर हैं। जब आई. एफ. एफ. के सामने घुटने टेकने का, शरण देने का काम आप पहले कर चुके हैं।·· (व्यवधान) अगर आपका यह कहना है तो फिर मैं मन्त्री जी के बयान की ओर जाऊंगा। मन्त्री जी ने इस कानून को यहां पर पेश करते समय जो बयान दिया मैं उस बयान की ओर जाऊंगा। अच्छा है आपने अपने पुराने नेताओं का नाम नहीं लिया। जवाहर लाल नेहरु का, इन्दिरा गांधी का नाम नहीं लिया, और तो नेता आपके थे नहीं। आपने उनको इतना निकम्मा कहकर यहां पर कल पुकारा जो नहीं पुकारना चाहिए था। अपने अतीत को इतना नहीं भूलना चाहिए। आपकी सोच नई है, इक्कीसवीं शताब्दी की ओर जाने वाले आप नई पीढ़ी के हैं। मैं मानूंगा कि आप नई सोच लाए हैं लेकिन अतीत को इस तरह से ठुकराने का काम मत कीजिए जैसा आपने कल किया। आपने कहा :

[अनुवाद]

हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार उपक्रमों के रूप में जाने जाने वाले बड़े औद्योगिक घरानों के नये उपक्रमों की स्थापना, अपने कार्य-कलापों को फैलाने, एकीकरण, विलयन तथा अधिग्रहण संबंधी आवेदनों को जब भी अस्वीकार्य पाया गया था तो लाइसेंस देने के उद्देश्य से सही आधारों पर उसे अस्वीकृत कर दिया गया था। जबकि इनमें से बहुत कम आवेदन ऐसे थे जिन्हें कि एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने के आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता था।

[हिन्दी]

आप यह कह रहे हैं कि मोनोपोलीज एंड रेसट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टीसेस कानून के अन्तर्गत नहीं हटाया।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

केवल लाइसेंसिंग के मामले पर उसकी बात को आप रख सकते थे। लेकिन इस कानून का जो मकसद था उसको लेकर हमने हटा देने का काम नहीं किया। आई. एम. एफ. का कोई आपके कार्यालय में होगा। जितने लोग यह सब लिख रहे हैं और आपको लिख कर दे रहे हैं सब वर्ल्ड बैंक में नौकरी करके यहां पांच साल के बाद आए हुए लोग हैं। आई० एम० एफ० में नौकरी करके पांच साल बाद आए हुए लोग हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जब वे खुद एक मन्त्री थे, तब श्री वी० पी० सिंह के द्वारा नियुक्त आर्थिक सलाहकार भी विश्व बैंक से ही आये थे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमारी बात आपने कबूल की इतना ही सिद्ध किया।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, विश्व बैंक के लोगों को आर्थिक सलाहकार के रूप में रखना कोई गलत बात नहीं है। वह कोई दोष नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं। मैंने यह नहीं कहा कि आपने गलत किया। मैंने इतना ही कहा कि ये लोग हैं जो आपको लिखकर देख रहे हैं और आप उसके यहां पढ़ रहे हैं। आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक अपने लोगों के जरिए आपकी नीतियों को चलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में भी जरूर रहे होंगे क्योंकि नौकरशाही तो नौकरशाही है। भारत के संविधान की धारा 311 में और कोई इन्तजाम हो न हो लेकिन नौकरशाही का पूरा इन्तजाम है। उन्होंने अपना इन्तजाम किया है क्योंकि संविधान को बनाते हुए भी पीछे से लिखने वाले वही थे।... (व्यवधान) इस समस्या का निदान हमारी पीढ़ी नहीं करे तो कोई और पीढ़ी करेगी। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं।

[अनुवाद]

"एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार कम्पनियों द्वारा शुरू किए गए परियोजनाओं को शुरू करने में केन्द्रीय सरकार से पूर्व-अनुमति की समय-लेने वाली प्रक्रिया के कारण देर हो जाती थी।"

[हिन्दी]

आप यह कह रहे हो कि आपके जो भी नेता लोग थे, चूंकि आपके घोषणा-पत्र का यहां जिक्र हुआ, उस घोषणा पत्र में आपने बड़े गर्व के साथ यह कहा कि हम ही लोग देश को चला सकते हैं, हमने देश को चलाया। आप यह कबूल कर रहे हो, अपने कल के भाषण में कि कैसे आई० एम० एफ० के

व्यक्ति की तरफ से लिखी बातों के जरिए कि हम बड़े मूर्ख थे, हमने बरबादी की तरफ देश को ले जाने का काम किया है, आई० एम० एफ० की विनती से यह दुरुस्त करने की बात हो रही है।

मन्त्री जी जा चुके है। वह अपने देश की अमरीका के साथ तुलना करने के काम में लगे हैं, दुनिया के बड़े राष्ट्रों के साथ तुलना करने में लगे हैं और इस कारण कि मेरा यह तर्क है कि हम पिगमी हैं, राक्षस हैं, उनकी बराबरी करने के लिए कानून की जरूरत है, यह आपका कहना है।

[अनुवाद]

बदलते विश्व परिवेश में बड़े, भीमकाय आकार के बहुराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र वाले अन्तर्राष्ट्रीय समूहों के मुकाबले में हमारे तथाकथित एकाधिकारी घराने बौने हैं। अतः अपने उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता के प्रति जागरूक बनाने तथा प्रतिबन्धों एवं नियन्त्रणों को हटाना आवश्यक समझा गया।

[हिन्दी]

अब इससे बढ़कर मूर्खता की बात और कोई नहीं हो सकती है। हमारी कम्पनियों की अमरीका की कॉंग्लामोरेफ और जैंट्स के साथ कैसे तुलना की जा सकती है? हमारी औसतन सालाना आमदनी चार हजार रुपए है और मन्त्री जी को मालूम होना चाहिए कि जिस किसी ने आपको लिख कर दिया है, उसको भी यह मालूम होना चाहिए हमारे यहां प्रति व्यक्ति औसतन सालाना आमदनी साढ़े 6 लाख रुपए है। क्या आप समझते हैं कि छू मंतर हो गया, कल बन जाओगे अमरीका के बराबर। अमरीका में विश्व का जो उत्पादन हैं उसमें से 30 परसेंट वह निर्माण करता है, हम लोगों का विश्व का कुल उत्पादन 0.8 परसेंट है। वस्तुस्थिति को समझकर हम कुछ बात कहें। पश्चिम यूरोप के साथ तुलना करने चल पड़े हैं। स्विटजरलैंड की फी आमदनी इस साल होगी सवा सात लाख रुपए, हमारी है चार हजार रुपए। हम तुलना करेंगे अपनी स्विटजरलैंड में बैठी हुई नैसले कम्पनी से और न जाने कौन-कौन सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, उनके बराबर के हो गए। दुनिया में हम लोगों का व्यापार है 0.4 परसेंट या 5 परसेंट। ऐसे में दुनिया से बराबरी की चर्चा करते हैं, दुनिया से सामना करने की बात करते है।

मन्त्री जी आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश के आदिवासियों का किस कानून से क्या भला करने वाले हैं, इस पर सोचना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था उत्तर बिहार में जहां सवा चार करोड़ की आबादी है, केवल 35 मेगावाट बिजली है जबकि अमरीका में दो सड़कों पर इतनी बिजली मिलती है। आपको सोचना चाहिए था कि वहां कैसे बिजली पहुंचाएंगे।

आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। आपको सोचना चाहिए था कि बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? आप अमरीका की बराबरी की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खड़ा करके हम लोगों के सामने रख रहे हैं····· (व्यवधान)···आपकी इस मामले में क्या राय है? आप हाय-हाय मत बोलिए। आप वहां फंसे हैं, इस कानून के मामले में फंसे हैं, हम जानते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आपकी निजी राय हमें मालूम है।

श्री आर्क फर्नान्डीज : हमारी निजी राय खुलकर सामने आती है। इसलिए इस कानून के पीछे जो सरकार की सोच है, हमें इस सोच से नफरत है, चूंकि यह सोच समस्या का निदान करने का काम नहीं करेगी, समस्याओं को बिगाड़ने का काम करेगी।

एक और बात चूंकि निर्यात का सवाल आ गया, आप एम. आर. टी. पी. की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि निर्यात को बढ़ाना है। आपने आई. एम. एफ. को लिख कर दिया है।

मान्यवर, मेरी इस बात पर ध्यान दीजिए।

[अनुवाद]

परियोजनाओं में आयातित सामानों में समय के साथ क्रमिक कमी की जरूरत निर्धारित वाले चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रमों की दशा को भी सभी नई परियोजनाओं के लिए हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

निर्यात करोगे, आप क्या निर्यात करोगे। आप स्वदेशी की तो बात छोड़ दीजिए लेकिन आपने स्वावलम्बन को छोड़ दिया, इस एक वाक्य से इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड के सामने और आप निर्यात करोगे, क्या निर्यात करोगे? आप कुछ बनाओगे ही नहीं अभी। विदेशी कम्पनियां आयेंगी, आप उनको कहोगे कि नहीं, तुम पूरी चीजें ले आओ, यहां पर बनाओ तो अमेरिका के लोग पुर्जे लेकर यहां आयेंगे, हिन्दुस्तान की धरती पर वह पुर्जों को जुड़वाने का काम करेंगे और फिर यहां का माल अमेरिका में बेचने का काम करेंगे। हमारी समझ में नहीं आता कि सरकार की अक्ल गई कहां? गिरवी रखने का मतलब इतना गिरवी रखा जाए?...(व्यवधान).. इतना गिरवी रखा जाए? आप तो इसको सोच लीजिए, यह मैं कोई दलीय बात नहीं कह रहा हूं, आपके सामने, मेरे दल की बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो देश की बात कह रह हूं।

[अनुवाद]

आप चरणबद्ध निर्माण प्रक्रिया की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

यानि टेक्नोलोजी ट्रांसफर · (व्यवधान).. तो वही मैं कह रहा हूं आप नहीं थे यहां पर, मैंने कहा कि यह बहस हो चुकी है, मरीज मर चुका है, अब इलाज क्या होना चाहिए करके बहस हो रही है। समय बर्बाद हो रहा है, हम पहले ही कह चुके हैं और इसलिए यह बता रहे हैं, हम कि कैसे खुद को बेवकूफ बनाने का काम और देश को गुमराह करने का काम सरकार की तरफ से हो रहा है, इस बात को यहां पर बता रहे हैं।

आटोमैटिक अप्रूवल इन्होंने विदेशी कम्पनियों को जब देने का काम किया तो विदेशी कम्पनियों को अगर आप आटोमैटिक एप्रूवल देते हैं, 51 परसेंट अगर वह पूंजी लेकर आते हैं तो आटोमैटिक एप्रूवल की बात जब आपने कबूल की है तो हिन्दुस्तान की कम्पनियों को एम. आर. टी. पी. में आप कैसे भेज सकते हो? यह एक झटके में अदालत में जाते और अगर हमारे जवान दोस्त कुमारमंगलम उनका मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते और एक क्षण में उसको मिटाकर आते कि

विदेशी कम्पनियां हिन्दुस्तान में आटोमैटिक एप्रूवल में आ जायेगी और हिन्दुस्तानी कम्पनियों को एम. आर. टी. पी. के सामने जाना पड़ेगा, कौन से कानून के अन्तर्गत यह बिठा सकते थे तो इसलिए यह तो खेल पहले ही खत्म हो चुका था, जो कुछ भी करना था, जो कुछ भी होना था, वह सारा खेल इनका पहले हो चुका था और अभी तो यह सारा जो इसमें बताया जाता है कि किस तरह से इसको सुधारने की बात है और किस तरह से हम इसमें कुछ नया जमाना हिन्दुस्तान में लाने का काम करने वाले हैं। हम तो इसमें आपका और सदन का समय खराब नहीं करना चाहते हैं, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

लेकिन एक बात पर टिप्पणी करना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि रूस का, चीन का, पूर्वी यूरोप का, बंगाल का, ज्योति बाबू का बार-बार यहां पर ऐसे जिक्र किया जाता है कि जैसे दुनिया इतनी बदल गई कि यह सारा सोच ही अब खत्म हो गया है। यह सोच खत्म नहीं हुआ है, ये लोग बहुत गलतफहमी में हैं, समाजवादी सोच दुनिया में खत्म नहीं हुआ है, यह बहुत गलतफहमी में हैं, नहीं हो सकता है। समाजवादी सोच कम से कम हिन्दुस्तान में तो बना रहेगा मात्र नहीं, हिन्दुस्तान में बढ़ेगा। बन्दूक से आप उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जानता हूं और यह जो एम.आर. टी. पी. कानून लाकर आज इस देश में मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में सारा देश देने का प्रयास कर रहे हो, उसमें भी आप कोशिश कर रहे हो कि इस देश में राजनीति अब केवल पैसे का ही खेल बने, यह भी मैं समझता हूं। लेकिन मेहरबानी करके रूस में क्या हुआ, पूर्वी यूरोप में क्या हुआ और इसलिए हिन्दुस्तान में क्या होना है, यह बहस आप मत छेड़ियेगा।

रूस में उत्पादन के जो तौर-तरीके थे, उस और अमेरिका में और अन्य देशों में उत्पादन के जो तौर तरीके थे, उसमें कोई फर्क नहीं था।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हमारा विरोध अधिनायकवादी सिद्धांत के सिवा और किसी बात पर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री आस्कर फर्नान्डीज : हां, तो फिर यह बात बतायी जाए, क्योंकि, यहां पर यह सब लोग समाजवाद पर हमला कर रहे हैं, यह ज्योति बाबू का नाम रख रहे हैं। पूर्वी यूरोप में क्या हो गया, इस बात को बता रहे हैं तो आप यहां तक सीमित रखो कि अगर पूर्वी यूरोप में, अगर रूस में व्यक्ति आजादी की बात और उसके साथ-साथ राजनैतिक दलों का लचीलापन, उसमें प्रजातान्त्रिक व्यवस्था बनाए रखने का काम होता तो फिर एक अलग बहस का विषय बन जाता·· इस तरह से गोर्बाचेव ने क्या किया या पूर्वी यूरोप में क्या हुआ —इन सारी चीजों की बहस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। चीन की बहस तो हम नहीं करेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अधिनायकवादी सिद्धांत भी इसका कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान ऐसी व्यवस्था में है जिसमें सभी को बराबर अवसर मिलता हो। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह इतना आधुनिक है कि शायद 1848 में मार्क्स इसके बारे में लिख सकते थे। (व्यवधान) आपको यह बात समझनी चाहिए। अन्यथा, आप इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि कम से कम हमारे मित्र, श्री कुमारमंगलम, इस बात को समझते हैं और मैं जानता हूं कि वे इस विचारधारा में पले हुए नौजवान हैं, चाहे वह गलत जगह पर भले ही बैठते हों, लेकिन वे इस विचारधारा में पले हुए थे। आज भी वे संस्कार उनमें हैं, यह कहने में हमको गर्व होता है।

देश में आमतौर पर यह बहस चलाई जाती है कि यह सरकार पूंजीपतियों की है। लोक सभा में या राज्य सभा में, लोक सभा के बाहर या राज्य सभा के बाहर या संसद के बाहर, यह बहस बराबर चली है कि खत्म हो गया—खत्म हो गया, लेकिन कुछ नहीं खत्म हुआ। राष्ट्र के जीवन में उतार-चढ़ाव होते हैं और विचारों में भी उतार-चढ़ाव होता है। विचारों में उतार-चढ़ाव किसी कारणवश हो गया, तो उससे आप इस निष्कर्ष पर मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि बाद में पछताने की जरूरत पड़ेगी, जब अमरीकी और जिन बड़ी कम्पनियों का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय राक्षस, जब वे लोग हावी होना शुरू हो जायेंगे। उस स्थिति में रूस में क्या हुआ, पूर्वी यूरोप में क्या हुआ और हिन्दुस्तान को कौन-सी दिशा पकड़नी चाहिए, ये सारी चीजें आगे के वक्त में आ जायेंगी और वह वक्त बहुत दूर नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आप चोर से चोरी करने और शाह से जागते रहने जैसी बात कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसे समझना चाहिए। आप इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इस तरह से प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अमरीका की दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उत्पादन हमारे राष्ट्रीय उत्पादन के जितना है···(व्यवधान) ···हम तो कह रहे हैं, आप करने जा रहे हो। आप तो बेचने जा रहे हो, बल्कि आप तो बेच चुके हैं। इसलिए हमको देश को आगाह करना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन के पटल पर एक रपट रखी गई है, जिसको नरसिंह कमेटी की रिपोर्ट करके कहा जाता है। पता नहीं इस सत्र में उस पर बहस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरी राय में नहीं हो पाएगी। हो सकता है, बहस के दौरान जो सदस्य अभी बोलने वाले हैं, वे बोलें। मुझे उम्मीद है, आर्थिक नीतियों पर जब बहस होगी, तब उनके कुछ जुमलों पर जरूर बहस करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि नरसिंह कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में आने के पहले वर्ल्ड बैंक ले जाने का काम इस सरकार के अफसरों ने किया है। उस रिपोर्ट को लेकर हिन्दुस्तान की

सरकार के आफिसर वर्ल्ड-बैंक और इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड के पास पहले पहुंचे और उसके बाद यह रिपोर्ट आई। कहां पहुंच गया, उपाध्यक्ष महोदय, यह देश। वे नहीं बोलेंगे।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : "नॉट ट्रू" आप खड़े होकर बोलिए, तो आपके ऊपर प्रिवलेज आ जाएगा। ऐसे बैठे-बैठे मत बोलिए···(व्यवधान) क्यों गए ? इसलिए गए कि आई० एम० एफ० को कहा जा रहा है अमरीकी कम्पनियां आ जायें, अमरीकी बीमा कम्पनियां आ जायें, दुनिया के बैंक्स और बीमा कम्पनियां आ जायें, हमारे आर्थिक कार्यक्रमों बल्कि हर क्षेत्र में काबू पाने का काम किया जाए।

मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी एक शब्द कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस नीति का पूरा समर्थन करने का काम किया है।···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : सरकार में जाने की जल्दी है।··· (व्यवधान)···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : खैर, सरकार में जाना या न जाना, यह एक अलग बात है। राष्ट्र-भक्ति, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता—ये तमाम चीजें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में देना, हर क्षेत्र में देना और जब कल उसी संस्कृति को हमारे देश के ऊपर लादने की दिशा में कदम उठेंगे, तो कमजोर पड़ जायेंगे और मुकाबला करने की उनमें शक्ति भी नहीं होगी, नैतिक शक्ति भी नहीं होगी, बाकी शक्ति की बात तो और है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। यह सारा जो तथाकथित लिब्रलाइजेशन का सिलसिला चला, इसमें एक बात कही जाती है कि हमारा सार्वजनिक क्षेत्र बड़ा है और निजी क्षत्र बहुत ही भला है। दुनिया में जो निजी क्षेत्र है उसके साथ हमारा निजी क्षेत्र का भी जोड़ना बहुत जरूरी है। अभी इंगलिस्तान का, एक बहुत बड़ा अखबार का मालिक, पिछले 3-4 दिनों से हम लोग इस सदन में हिन्दुस्तान के एक छोटे से अखबार की चर्चा कर रहे थे, नवभारत टाइम्स की, इंगलिस्तान का, विश्व का बहुत बड़ा मालिक मेक्सवेल, जिसने चन्द दिनों पहले आत्म-हत्या कर ली या देहान्त हो गया या जो भी हो गया, लेकिन अब तो सबको मालूम हो गया कि मेक्सवेल कितना बड़ा चोर था। (व्यवधान) उसकी खूब एफीशिऐंसी थी और इतनी एफीशिऐंसी कि साढ़े बारह हजार करोड़ रुपया लेकर डूब गया। जिस अमरीका की आप तारीफ कर रहे हो, अमरीका में प्रति दिन, मन्त्री जी, दो बैंक दिवाला निकालते हैं।

[अनुवाद]

अमरीका में हर रोज बैंक बन्द होते हैं, और ये सभी बैंक निजी क्षेत्र के हैं।

[हिन्दी]

अमरीका में दसों, हजारों की संख्या में हर साल अनेक···

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

[अनुवाद]

व्यवसाय बन्द होते हैं तथा ये सभी निजी क्षेत्र के व्यवसाय हैं।

[हिन्दी]

और यहां पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, कई एक कमेटी बनी थीं, तिवारी कमेटी बनी थी और उस तिवारी कमेटी का कहना, आपके निजी क्षेत्र, जिसकी तारीफ करने वाले यहां पर बहुत से लोग हैं उनके लिए कहता हूं। तिवारी कमेटी कहती है—

[अनुवाद]

> "निजी क्षेत्र के 58 प्रतिशत एकक कुव्यवस्था के कारण रुग्ण हुए थे तथा 19 प्रतिशत प्रबन्धन द्वारा कोष निकाल लेने के कारण और सिर्फ 2 प्रतिशत श्रम-संबंधी समस्याओं के कारण रुग्ण हुए थे।" (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कोष का निकाला जाना सुप्रबन्ध था न कि कुप्रबन्ध।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : और ये सब रिपोर्ट की यहां बहस नहीं होगी, ये सारी जानकारी सदन के सामने आएगी और आप लोग भी इसी नीति के समर्थन में, इसी उम्मीद में कि शायद वहां बैठने का मौका मिल जाएगा। (व्यवधान) बहुत देश का नुकसान ये लोग कर रहे हैं और ऐसी नीतियों का समर्थन मत करिएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या आपने सत्तापक्ष में आने का सपना छोड़ दिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमने तो आपको वहां पहुंचा दिया। (व्यवधान) वहां पहुंचाने का काम आपको, हम लोगों ने किया और आज भी अगर इस तरफ के लोग एक बार मन बना लें तो क्या इतने दबाव के आम लोग बोल पाएंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, तो मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक नोटिस है, मेरे ख्याल से भार्गव जी का, इस विधेयक को बहस के लिए पब्लिक ओपिनियन के लिए प्रसारित किया जाए और मैं आशा करता हूं कि वह प्रस्ताव सदन के सामने आएगा। उस प्रस्ताव पर अपनी पूरी ताकत के साथ विपक्ष से करके, इस विधेयक को अगर हराना नामुमकिन हो, तो कम से कम इस सार्वजनिक बहस के लिए भेजने का काम हम लोग करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चित्त बाबू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूं क्योंकि इस नीति का मेरा विरोध है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1991 का समर्थन करता हूं।

सभा में यह कहते हुए कि रोगी के मर जाने के बाद उस पर विचार करना व्यर्थ है, मेरे विचार से श्री जार्ज फर्नान्डीज इस विधेयक पर सबसे ज्यादा लंबा भाषण दे चुके है।

4.10 म० प०

(**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** पीठासीन हुईं)

उनका कहना था कि रोगी के मर जाने के बाद दवा पर विचार करना और यह देखना कि दवा अच्छी है या बुरी निरर्थक है। यानि यह कहने के बाद कि अब इस विधेयक पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने इस पर सबसे लम्बी बहस की है। इसी से सभा में विचारार्थ प्रस्तुत विषय की योग्यता का परिचय मिलता है। जहां तक आर्थिक स्थिति एवं इसके उपचार का सवाल है उस पर श्री जार्ज फर्नान्डीज एवं सरकार के नजरिए में मूलभूत अन्तर है। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि वह इस सभा के समक्ष रखे गए विधेयक से सहमत नहीं हो सकते हैं। परन्तु, एक बार यदि हम मान लें कि हमारी आर्थिक स्थिति काफी बुरी हो गई है तथा उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रवत्ति बढ़ रही है तो इसके बाद एकमात्र विवेक सम्मत बात यह रहती है कि एकाधिकार अधिनियम में संशोधन किया जाये। यह कदम सरकार की नीति के अनुसार सही है। अत: मैं यह अनुरोध करता हूं कि यदि हम इस नीति को आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो इस अधिनियम में इस तरह के संशोधन करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। वित्त मन्त्री इस संबंध में पहले से ही घोषणा करते रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए गए ज्ञापन में भी इसका जिक्र है। अत: यह कदम सरकार की नीतियो के अनुरूप है।

जैसा कि हम जानते हैं, यह विधेयक सारे प्रवेश-पूर्व अवरोधों को समाप्त करता है। मैं इस विधेयक को दो भागों में बांटना चाहूंगा। पहला भाग सारे प्रवेश-पूर्व अवरोधों को हटाने का है और दूसरा भाग इस देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने से संबंधित है।

जहां तक पहले भाग का संबंध है, यह नए उद्योगों की स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए सभी प्रवेश पूर्व अवरोधों को समाप्त करता है। यह उनके एकीकरण, विलयन तथा अधिग्रहण एवं उनमे निदेशकों की नियुक्ति पर लगे सारे प्रतिबन्धों आदि को भी दूर करता है। लक्ष्य एवं कारकों के विवरण से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इस औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य विस्तार एवं विलयन आदि के लिए कुछ उपक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता निर्धारित करने के बजाय एकाधिकारी एवं संरक्षणवादी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियन्त्रण रखने और उसे विनियमित करने का है। यह स्पष्ट है कि एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत निगमित क्षेत्र के निवेश संबंधी निर्णयों पर प्रवेश पूर्व प्रतिबंधों की उपयोगिता समाप्त हो गई है। सिर्फ नीति ही नहीं इसे आंकड़ों के आधार पर भी समझा जा सकता

[श्री शरद दिघे]

है। 1970 में इस अधिनियम के लागू किए जाने के बाद सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 2469 थीं जबकि अस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या केवल 934 थी। एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार कारणो से अस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या सिर्फ 199 है। यह अधिनियम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसकी उपयोगिता समाप्त हो गयी है। सरकार की पूर्व स्वीकृति लेने सम्बन्धित समय लेने वाले प्रक्रियाओं को हटाने या समाप्त करने से समाज के सभी उत्पादक वर्गों के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने के प्रयास में हिस्सा लेना संभव हो सकेगा।

यदि उद्देश्य सर्वाधिक उत्पादन बढ़ाने का है, इस प्रक्रिया में बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों की भागीदारी की अनुमति देकर भी औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने का होता तो यह विसंगति होती यदि घरेलू उद्योगों पर कोई पाबन्दी लगाई गई होती। अतः यह संशोधन लाना बहुत ही आवश्यक था।

इस संशोधन को लाकर हम क्षमता विस्तार एवं बड़े घराने द्वारा नए उपक्रमों की स्थापना के प्रति एक बड़ी बाधा को हटा रहे हैं। अभी यह देखना बाकी है कि इसके प्रति बड़े घरानों की कैसी प्रतिक्रिया होती है और इसके कारण पूंजी तथा औद्योगिक शक्ति कुछ हाथों में जमा होती है या इससे औद्योगीकरण होता है और देश में ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तथा बेरोजगारी और गरीबी समाप्त होती है।

अतः इस नजरिये से यह कदम सरकार की वर्तमान अर्थ एवं उद्योग नीति की दिशा में एक प्रयास हैं। इसके दूसरे भाग में जहां तक इस निकाय का सम्बन्ध है इसे अधिकाधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई है। अतः इसके लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की वृहत परिभाषा बनाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। सामानों में आबंटन से पहले के शेयर शामिल हैं और सेवाओं में चिटफंड तथा वास्तविक संपदा संबंधी व्यापार भी शामिल है। सरकारी उपक्रम भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। अतः जहां तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार तंत्र का सम्बन्ध है, यह आशा की जाती है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार तन्त्र से उपभोक्ताओं को लाभ होगा क्योंकि यह सभी क्षेत्र इस अधिनियम में आते हैं और इसकी परिभाषा को भी अत्यधिक विस्तार दिया गया है। यहां तक कि झूठे अभ्यावेदन जो किस्म का उल्लेख करते हैं उन्हें भी अब विस्तार दे दिया गया है और उनमें वस्तुओं की मात्रा को भी शामिल कर लिया गया है। यदि व्यापारी अपने स्तर पर बताता है कि अमुक पैकेट में पूरी 1 कि० ग्रा० सामग्री है और यदि उसमें उत्पादन की उतनी मात्रा नहीं है तो उसे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इसलिए, मैं उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से इन उपायों को देखता हूं। उपभोक्ताओं की गतिविधियां धीरे-धीरे बढ़ रही हैं और इस समय उनके लिए कई मार्ग खुले हैं लेकिन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के क्षेत्र को बढ़ाने की और अपने समाज के उपभोक्ताओं को राहत देने की भी आवश्यकता है। इस दृष्टि से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग और साथ ही महानिदेशक को अधिक शक्तियां दी गई हैं। अपील की जाती है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिए जाते हैं। जहां तक अधिनियम की व्याख्या का सम्बन्ध है पहले अब

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1991 का समर्थन करता हूं।

सभा में यह कहते हुए कि रोगी के मर जाने के बाद उस पर विचार करना व्यर्थ है, मेरे विचार से श्री जार्ज फर्नान्डीज इस विधेयक पर सबसे ज्यादा लंबा भाषण दे चुके है।

4.00 म० प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

उनका कहना था कि रोगी के मर जाने के बाद दवा पर विचार करना और यह देखना कि दवा अच्छी है या बुरी निरर्थक है। यानि यह कहने के बाद कि अब इस विधेयक पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने इस पर सबसे लम्बी बहस की है। इसी से सभा में विचारार्थ प्रस्तुत विषय की योग्यता का परिचय मिलता है। जहां तक आर्थिक स्थिति एवं इसके उपचार का सवाल है उस पर श्री जार्ज फर्नान्डीज एवं सरकार के नजरिए में मूलभूत अन्तर है। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि वह इस सभा के समक्ष रखे गए विधेयक से सहमत नहीं हो सकते हैं। परन्तु, एक बार यदि हम मान लें कि हमारी आर्थिक स्थिति काफी बुरी हो गई है तथा उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो इसके बाद एकमात्र विवेक सम्मत बात यह रहती है कि एकाधिकार अधिनियम में संशोधन किया जाये। यह कदम सरकार की नीति के अनुसार सही है। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि यदि हम इस नीति को आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो इस अधिनियम में इस तरह के संशोधन करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। वित्त मन्त्री इस संबंध में पहले से ही घोषणा करते रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए गए ज्ञापन में भी इसका जिक्र है। अतः यह कदम सरकार की नीतियों के अनुरूप है।

जैसा कि हम जानते है, यह विधेयक सारे प्रवेश-पूर्व अवरोधों को समाप्त करता है। मैं इस विधेयक को दो भागों में बांटना चाहूंगा। पहला भाग सारे प्रवेश-पूर्व अवरोधों को हटाने का है और दूसरा भाग इस देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने से संबंधित है।

जहां तक पहले भाग का संबंध है, यह नए उद्योगों की स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए सभी प्रवेश पूर्व अवरोधों को समाप्त करता है। यह उनके एकीकरण, विलयन तथा अधिग्रहण एवं उनमें निदेशकों की नियुक्ति पर लगे सारे प्रतिबन्धों आदि को भी दूर करता है। लक्ष्य एवं कारकों के विवरण से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इस औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य विस्तार एवं विलयन आदि के लिए कुछ उपक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता निर्धारित करने के बजाय एकाधिकारी एवं संरक्षणवादी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियंत्रण रखने और उसे विनियमित करने का है। यह स्पष्ट है कि एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत निगमित क्षेत्र के निवेश संबंधी निर्णयों पर प्रवेश पूर्व प्रतिबंधों की उपयोगिता समाप्त हो गई है। सिर्फ नीति ही नहीं इसे आंकड़ों के आधार पर भी समझा जा सकता

[श्री शरद दिघे]

है। 1970 में इस अधिनियम के लागू किए जाने के बाद सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 2469 थीं जबकि अस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या केवल 934 थी। एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार कारणों से अस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या सिर्फ 199 है। यह अधिनियम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसकी उपयोगिता समाप्त हो गयी है। सरकार की पूर्व स्वीकृति लेने सम्बन्धित समय लेने वाले प्रक्रियाओं को हटाने या समाप्त करने से समाज के सभी उत्पादक वर्गों के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने के प्रयास में हिस्सा लेना संभव हो सकेगा।

यदि उद्देश्य सर्वाधिक उत्पादन बढ़ाने का है, इस प्रक्रिया में बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों की भागीदारी की अनुमति देकर भी औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने का होता तो यह विसंगति होती यदि घरेलू उद्योगों पर कोई पाबन्दी लगाई गई होती। अतः यह संशोधन लाना बहुत ही आवश्यक था।

इस संशोधन को लाकर हम क्षमता विस्तार एवं बड़े घराने द्वारा नए उपक्रमों की स्थापना के प्रति एक बड़ी बाधा को हटा रहे हैं। अभी यह देखना बाकी है कि इसके प्रति बड़े घरानों की कैसी प्रतिक्रिया होती है और इसके कारण पूंजी तथा औद्योगिक शक्ति कुछ हाथों में जमा होती है या इससे औद्योगीकरण होता है और देश में ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तथा बेरोजगारी और गरीबी समाप्त होती है।

अतः इस नजरिये से यह कदम सरकार की वर्तमान अर्थ एवं उद्योग नीति की दिशा में एक प्रयास है। इसके दूसरे भाग में जहां तक इस निकाय का सम्बन्ध है इसे अधिकाधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई है। अतः इसके लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की वृहत परिभाषा बनाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। सामानों में आबंटन से पहले के शेयर शामिल हैं और सेवाओं में चिटफंड तथा वास्तविक संपदा संबंधी व्यापार भी शामिल है। सरकारी उपक्रम भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। अतः जहां तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार तंत्र का सम्बन्ध हैं, यह आशा की जाती है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार तन्त्र से उपभोक्ताओं को लाभ होगा क्योंकि यह सभी क्षेत्र इस अधिनियम में आते हैं और इसकी परिभाषा को भी अत्यधिक विस्तार दिया गया है। यहां तक कि झूठे अभ्यावेदन जो किस्म का उल्लेख करते हैं उन्हें भी अब विस्तार दे दिया गया है और उनमें वस्तुओं की मात्रा को भी शामिल कर लिया गया है। यदि व्यापारी अपने स्तर पर बताता है कि अमुक पैकेट में पूरी 1 कि० ग्रा० सामग्री है और यदि उसमें उत्पादन की उतनी मात्रा नहीं है तो उसे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इसलिए, मैं उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से इन उपायों को देखता हूं। उपभोक्ताओं की गतिविधियां धीरे-धीरे बढ़ रही हैं और इस समय उनके लिए कई मार्ग खुले हैं लेकिन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के क्षेत्र को बढ़ाने की और अपने समाज के उपभोक्ताओं को राहत देने की भी आवश्यकता है। इस दृष्टि से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग और साथ ही महानिदेशक को अधिक शक्तियां दी गई हैं। अपील की जाती है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिए जाते हैं। जहां तक अधिनियम की व्याख्या का सम्बन्ध है पहले अब

अन्तरिम आदेश नहीं दिए जा सकते थे, कुछ मतभेद थे और बहुत से बड़े समुदायों को इस अधिनियम के गलत प्रारूप और कमियों के कारण क्षमा कर दिया गया था, इन कमियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अब मुझे आशा है कि जहां तक आयोग के सम्मुख जांच के दौरान, शब्दों का सम्बन्ध है। अब कोई मतभेद अथवा शंका नहीं है। यह मुख्य कथन व्याख्या के लिए जोड़ा गया था।

दो ज्ञात मामलों में, अर्थात् बाटा इण्डिया लिमिटेड और कालगेट-पामोलिव इंडिया लिमिटेड के मामलों में इस कथन को व्याख्या के लिए जोड़ा गया था। इन मामलों में यह सुझाव दिया गया था कि जांच के दौरान कार्यवाही नहीं की गई थी लेकिन जांच से पहले उन्हें मुक्त कर दिया गया था। अतः अब यह कमियां इस अधिनियम में से समाप्त कर दी गई हैं और अब यह अधिनियम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही वस्तुओं की किस्म, मात्रा और कुछ अन्य पहलुओं में राहत देने के लिए भारी लाभ प्रदान करेगा।

इस दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि यह रियायत केवल बड़े व्यापारी समुदायों को ही नहीं है बल्कि विधेयक में उपभोक्ताओं के लिए भी कुछ खंड और कुछ उपबन्ध अन्तर्निहित हैं। जहां तक व्याख्या का सम्बन्ध है यह कुछ शंकाओं को भी दूर करता है ताकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग की कार्रवाहियां और इस अधिनियम में दिए लाभों से छोटे व्यक्ति उपभोक्ता भी लाभ उठा सकें। इस दृष्टि से, मैं सभा के सम्मुख इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदया, मुझे अभी बोलना है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं। माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। सभापति महोदया, हमने पक्ष और विपक्ष में अनेक भाषण सुनें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आप कुछ और भाषण क्यों नहीं सुनते हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे विश्वास है, हमारे वरिष्ठ मन्त्री, कैबिनेट मन्त्री श्री भोगेन्द्र झा की बात को पूरा करेंगे।

मैं निवेदन करूंगा कि यह नोट करना रुचिकर था कि हम सब की, सभी वक्ताओं की एक राय थी कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम जिस रूप में 1970 से है, इन सबके अनुसार वास्तव में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार समुदायों द्वारा संस्थापित नियंत्रित उद्योगों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी नहीं होगा। यह सही है कि एक तरफ यह आरोप लगाया गया था कि कि कोई निर्णय नहीं लिया गया था और दूसरी तरफ यह कहा गया कि यह प्रभावकारी नहीं है, इसका पालन नहीं किया जा सकता।

मैं समझता हूं कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के इतिहास को जानना आवश्यक है। यह मत भूलिए कि एक एकाधिकार जांच आयोग था। यह मत भूलिए कि

[श्री रंगराजन कुमारमंगलम]

एक रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के आधार पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम अपने आप अस्तित्व में आया। स्पष्ट रूप से आयोग ने बताया कि आर्थिक केंद्रीकरण को उस सीमा तक रोका जाना चाहिए जिससे आम वस्तुओं को क्षति न हो। यदि आप केवल किसी उपक्रम के लिए उसके आकार पर सहायता बढ़ाते हैं तो आजकल के समय में एक छोटी चीनी के मिल में भी पूंजी निवेश की पहले लगाई गई 100 करोड़ रुपये की सीमा का कोई अर्थ नहीं होगा।

मुख्यत: उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि एकाधिकार का प्रयोग आम आदमी को क्षति पहुंचाने के लिए न हो। स्वभावत: क्योंकि व्यक्ति उद्योग की तरह विकासशील है क्योंकि आज की आधुनिक प्रौद्योगिकी में शुरू में अधिक पूंजी निवेश होता है आप उसे पिछले समयानुसार न रोके। आज बहुत से मामलों में, सैकड़ों मामलों में यह देखा जा सकता है जहां प्रारम्भिक प्रतिबन्धों के कारण बहुत अधिक कठिनाईयां आती हैं। मैं बड़ी कम्पनियों की बात नहीं कर रहा बल्कि नए उद्यमों की बात कर रहा हूं जो स्थापित होना चाहते हैं जिन्हें 'सूर्योदय उद्योग' कहा जा सकता है, जिन्हें बीच के अथवा मध्यम आकार के उद्योग कहा जा सकता है। जिस क्षण वे 100 करोड़ रुपए की यह 'लक्ष्मण रेखा' पार कर जाते हैं जो आधार है, उसे आज उचित सिद्ध करना बहुत कठिन है। उन्हें रोका जाना चाहिए था और जो अनाप शनाप तरीके उन्हें अपनाने पड़े थे इससे परियोजना की लागत बहुत बढ़ गई है और सारी प्रक्रिया पूर्ण होने तक वे अक्षम बन गए। क्या यह आवश्यक है। क्या यही एकाधिकार जांच आयोग चाहता था? हमारे लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि अधिनियम को क्यों लाया गया। अधिनियम को बीच में इसलिए लाया गया था क्योंकि यह नोट किया गया कि बड़े एकाधिकार कम्पनियों विशेष रूप से बड़े औद्योगिक वर्ग इसमें शामिल होंगे जो कि एकाधिकार व्यवहार, प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार और अनुचित व्यापार व्यवहार कहलाते हैं। दुर्भाग्यवश इन्हें नियंत्रित करने इन्हें नियमित करने के लिए इस अधिनियम का प्रयोग करने की बजाय इस अधिनियम का प्रयोग अधिक अवसरवादिता के उद्देश्य से किया गया। यह एकाधिकार वाली कम्पनियों के लिए बहुत सुविधाजनक था। वास्तव में यह अधिनियम बहुत ही सुविधा जनक था क्योंकि वे हमेशा बढ़ते रहे हैं। इस अधिनियम में उनके लिए यह सुनिश्चित करने की पर्याप्त गुंजाइश थी कि विशेषकर बड़ी कम्पनियों को ही स्वीकृति मिल सकती थी। पश्चिम बंगाल राज्य में बहुत सी बड़ी कम्पनियों का स्वागत किया गया और स्वीकृति दी गई। निश्चित रूप से उन्हें स्वीकृति राज्य सरकार और सचिवालय की सिफारिशों के आधार पर दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने स्वीकृति दी हो, और फिर राज्य सरकारों को कहा गया हो। अधिकांशत: सभी राज्य जब किसी राज्य में कोई नया उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जाता है तो उसका स्वागत करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि वे उद्योग अपने राज्यों को छोड़कर अन्यत्र न जाएं। अत: प्रत्येक एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें कर रहा है कि एम. आई. टी. ओ. अधिनियम रोका न जाए। यदि आवश्यक हो तो कई सौ उदाहरण दिए जा सकते हैं। परन्तु सच्चाई यह है कि क्या इस अधिनियम की मूल रूप से परिकल्पना की गई है? यह बात सुनिश्चित करनी थी

कि एकाधिकारात्मक प्रथाओं को रोका जाए, नियन्त्रण लागू न हो, प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाएं लागू न हों, अनुचित व्यापार प्रथाएं लागू न हों।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज ने काफी दृढ़ता से समाजवाद की समाप्ति के बारे में जो इन्होंने उपयुक्त समझा कहा था। कुछ अन्य माननीय सदस्य भी इस पर बोले थे। मैं नहीं समझता कि उनमें से किसी ने वह बात कहनी चाही हो। मैंने हस्तक्षेप किया था और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी अनुमति दिए बिना मुझे ऐसा करने दिया। परन्तु मैं यह कहने के लिए खड़ा हो गया था कि यह समाजवाद का अन्त नहीं है जो किसी व्यक्ति को पूर्वी यूरोप के देशों अथवा सोवियत रूस में दिखाई देता है। हम समाजवाद का जो अन्त देखते हैं वह एक ऐसा अधिकारपूर्ण सिद्धान्त है जिसमें इस वास्तविकता को नहीं देखा जाता है कि विश्व में आज जो परिवर्तन हो रहा है वह निरन्तर होने वाला परिवर्तन है। आप परिवर्तनों को टाल नहीं सकते हैं और यदि आप विकास चाहते हैं तो परिवर्तन अवश्यम्भावी है और परिवर्तन आपके विचार के अनुसार होना चाहिए और वह निरन्तर जारी रहना चाहिए। हम देश को एक ग्रुप से निकालकर दूसरे ग्रुप में डालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि हम नेहरूवाद तथा पिछली बातों से दूर होते जा रहे हैं। इसके विपरीत हमने कोई कार्य आंख बन्द करके शुरू नहीं किया है। पंडित जी की स्पष्ट विचार धारा थी कि हमारे देश के लिए मिली-जुली अर्थ व्यवस्था ही उचित है। (व्यवधान)। हमने नहीं कहा है कि मिली-जुली अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। (व्यवधान)। यदि मैं यह कहूं कि यह भिन्न मतावलम्बी लोगों की आवाज और युवाओं की परिवर्तन की मांग की आवाज के कारण हुआ है तो यह बात उनके गले से नहीं उतरेगी। इसलिए हम सोवियत रूस में गए हैं जहां यह आज मौजूद है।

अतः युवाओं की आवाज को बन्द मत कीजिए। कृपया इस बात को समझिए कि आज देश विकास करना चाहता है। हम किसी भी व्यक्ति को कोई उद्योग स्थापित करने के लिए रोकना नहीं चाहते। परन्तु साथ ही, यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जब आप कोई उद्योग स्थापित करते हैं तो आपके नियमों के अनुसार वही करना होगा जो समाजवाद की मांग है, अर्थात सभी को समान अवसर देना होगा। आप अपने आकार का उपयोग एकाधिकार वादी प्रथा में लिप्त होने के लिए नहीं करेंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप इसकी गारण्टी कैसे दे सकते हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या मैं उस मुद्दे के बारे में बाद में जिक्र कर सकता हूं ? मैं यह कह रहा था कि आप अपनी स्थिति का उपयोग प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं को अपनाने में नहीं करेंगे। आप अपने हालात का उपयोग अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने के लिए नहीं करेंगे। इसी बात को मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं और बिल्कुल यही कार्य इस अधिनियम में करना चाहते थे। हम अधिकांश बड़े घरानों द्वारा उद्योग न लगाने के लिए उपयोग किए गए तर्क को समाप्त करना चाहते थे। वे यह कहेंगे कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम, एम. आर. टी. सी. से संबंधित प्रतिबन्ध और औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश लेने से पूर्व की एम. आर. टी. पी. प्रक्रिया ऐसे प्रतिबन्ध हैं जिनकी वजह से वे विकास के लिए किसी नए कार्यक्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : केवल एक मुद्दा यह है कि यह अनुचित व्यापार प्रथाओं के माध्यम से नहीं है। मैं अनुचित व्यापार प्रथाओं के माध्यम से नहीं शब्दों पर अधिक बल देता हूं कि एकाधिकारवादियों का प्रभुत्व हो जाएगा। इसे पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कहते हैं, अर्थात् पंडित जी द्वारा कहां नियंत्रण रखने का प्रस्ताव किया गया था। वह इसे महालानोबिस आयोग अथवा दत्त समिति आदि के माध्यम से सुनिश्चित कर सकते थे। यही बात है कि आप अपमानजनक स्थिति में हैं। प्रशासन की समस्या अनुचित व्यापार प्रथाएं नहीं है बल्कि आर्थिक लॉबी है। आपने इसी बात को हमें बोध कराने, हमारे मन में बैठाने तथा हमें बताने का प्रयास किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको इसका क्या उत्तर मिला।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं पहले आपके मुद्दे का जवाब देना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। यह आसान-सा मुद्दा यह है कि जब हम एकाधिकारवादी प्रथाओं की बात करते हैं तो वे पूर्णतया वहीं हैं जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति, कोई उद्योग अथवा कोई कानूनी सत्ता अपने आकार अथवा बाजार में अपने प्रभुत्व, मैं बाजार में अपने प्रमुख शब्दों को दोहराता हूं, जो कि एक अन्य कारण है, का उपयोग करता है और यह सुनिश्चित करने की प्रथाओं में लिप्त होता है कि अन्य लोग उस क्षेत्र में प्रवेश न करें और उचित प्रतिस्पर्धा न हो तथा अनुचित रूप से अधिक ब्याज कमाने वालों को लाभ प्राप्त करा सके। हम अधिनियम के अन्तर्गत इसे आज कर सकते हैं। जो आप पहले नहीं कर पाए। आपने कागज को हिलाकर केवल यही कहा था, कि मेरे पास यह अधिनियम है। जिसके अनुसार आपको कोई उद्योग शुरू करने से पूर्व मेरी पूर्वानुमति लेनी होगी। परन्तु आपने उसे अनुमति दी थी। ठीक है। इस बात पर विचार करते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति ने उसे अनुमति देने के लिए दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की थी, कि वे किस राजनीतिक दल के हैं, वे किस सरकार से सम्बन्ध रखते हैं। परन्तु आपने उसे अनुमति देने के बाद यह सुनिश्चित नहीं किया कि वह एकाधिकार वादी प्रथाओं अथवा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में लिप्त न होने के कानून का पालन करता है। बड़े-बड़े उत्पादकों के संघ हैं। ब्याजखोरी लाभ कमाए गए हैं। हम उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाही कर रहे हैं? मैं इस बात की सराहना करूंगा कि यदि यह वही प्रश्न था जो पूछा गया था। बजाए इसके कि हम वापस जाएं और हठधर्मिता का झण्डा फहराएं और यह कहें "हम बिलकुल यही चाहते हैं।" यदि हम एकाधिकारवादी प्रथाओं, प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर नियन्त्रण करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही आयोग को शक्तियां प्रदान करनी चाहिए। इन सभी की व्यवस्था नहीं की गई थी। आयोग को निर्णय देना चाहिए, आयोग को पर्यवसान और विरत होने के आदेश पारित करने चाहिए। परन्तु, तब उसके तुरन्त बाद क्या हुआ जब इसे कार्यान्वित किया जाने लगा? क्या कोई व्यक्ति अवृष्य हो गया था अथवा उसने मानदण्डों का उल्लंघन किया था? उन्हें न्यायालय - न्यायाधीश के न्यायालय में जाना पड़ा था—जहां इसे कार्यान्वित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।

आज आप यह कहते हैं कि हमारे पास अवसान की शक्तियां हैं। क्या किसी भी व्यक्ति ने बधाई स्वरूप अथवा धन्यवाद के लिए कम से कम एक शब्द भी कहा है कि "जी, हां, आपने कम से कम एम. आर. टी. पी. आयोग को मजबूत किया है। जी, नहीं। क्योंकि हमने जो कुछ सोचा था वह

ठीक था और हम जो जानते हैं वह ठीक न हो। हम अभी भी इसी में खोए हुए हैं हम अभी भी उसमें खोए हुए हैं। अभी समय है जब हम सबको यह महसूस करना चाहिए कि समाजवाद का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोग और साथ ही साथ इससे ऊपर के लोग भी हैं। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : ऐसा बिल्कुल नहीं है। समान अवसर का मतलब है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है ··(व्यवधान)। यदि इसका मतलब यही है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार में थोड़ा संशोधन करें (व्यवधान) ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप चिंतित नहीं हों। मैं सभा छोड़कर भाग नहीं रहा हू सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मुद्दा इस चीज को सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक विकास के साथ साथ स्वस्थ प्रतियोगिता भी हो तथा न तो कोइ अनुचित व्यवहार करें, न ही उद्योगपतियों के बीच कोई सांठ-गांठ हो तथा आम आदमी का शोषण भी न हो। इसको करने का एकमात्र तरीका एकाधिकारी और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम को सुदृढ़ बनाना है। मेरा या सरकार का यह दृढ़ विचार है कि पूर्व-क्रय प्रतिबंधों से कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता है तथा भविष्य में भी इससे कोई लाभ नहीं है। यही कारण है कि हमने यह संदेश देने के लिए इसे हटाया कि पूर्वक्रय प्रतिबंध यदि होंगे भी तो ये एकाधिकारी और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के द्वारा लागू नहीं हैं। इसे औद्योगिक नीति औद्योगिक कानूनों द्वारा किया जाएगा। आधारभूत क्षेत्र में अभी भी ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेन्स की जरूरत है; ऐसा नहीं है कि औद्योगिक नीति ने सारे प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया है; ऐसा जरूर हो सकता है कि हमने उन उद्योगों की संख्या को बढ़ाया है जिनको लाइसेन्स की जरूरत नहीं है। फिर भी आधारभूत क्षेत्र और लघु उद्योगों की संकल्पना बरकरार है तथा लघु उद्योगों के लिए संरक्षण भी बरकरार है। लोगों को बढ़ने, फैलने का मौका देने के लिए हमने सिर्फ थोड़ी ज्यादा आजादी दी है। मैं समझता हूं कि जब श्री मुरली देवरा बोल रहे थे तो उन्होंने एम. आर. टी. पी. अधिनियम से 'एम' को हटा कर उसका नाम बदलने का जिक्र किया था। मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि जब हम एकाधिकार व्यवहारों की बात करते हैं तो 'एम' काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने पहले इस पर आवश्यक रूप से कभी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हम यह कहते रहे थे कि चूंकि हम एकाधिकार को रोक रहे हैं, अतः एकाधिकार व्यापार का कोई सवाल नहीं है। अब चूंकि ऐसा नहीं है अतः मैं ऐसा समझता हूं कि अब जब इस अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग इसकी पहचान के लिए अपने प्राधिकार का उपयोग करेगा तो एकाधिकार की परिभाषा संकुचित नहीं होगी। यह बहुत विस्तृत है। अब एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग का कार्यक्षेत्र काफी बड़ा हो गया है तथा जब भी एकाधिकार व्यवहार हो तो उसे रोकने के लिए इसकी शक्तियां भी अधिक होंगी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इसका यह अंश तो एक तरह से सांत्वना पुरस्कार है। इतना तो हम भी समझते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं है। यह वास्तविकता है। यदि आप

[श्री रंगराजन कुमारमंगलम]

किसी निरर्थक चीज को ज्यादा तरजीह दें तो और बात है। आप खुद पश्चिम बंगाल में बैठे-बैठे कहते रहे हैं कि इसे खतम करो, उसे खतम करो, रोको मत, हम चाहते हैं कि कम्पनियां और कहीं जाने के बजाए यहां आए। और अब आप खुद कह रहे हैं कि हम उसी निरर्थक नीति को जारी रखें। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं उन उद्योगों के नाम तक बता सकता हूं जिसकी सिफारिश पश्चिम बंगाल सरकार ने वास्तव में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार से जुड़े घरानों के लिए की थी और हमने अनरोध किया था कि कृपया धारा 21-22 के अन्तर्गत इन्हें 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' दे दें। मेरे अन्य मित्र ऐसा करते रहे हैं, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूं।

मैं अपने दोस्त जो जल्दी ही आर्थिक नीति पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं, का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि ऐसी खबर है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति उनका ख्याल नकारात्मक तो है पर पूरा नहीं। वह महसूस करते हैं कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें व्यावहारिक होने के कारण स्वीकार्य हो तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि जहां वह मुख्य मन्त्री हों वहां कुछ और कहने के बाद जहां वे विपक्ष में हो उन्हें कुछ और कहना चाहिए। यह तो भिन्न आवाजो में भिन्न बातों को कहने जैसा है। परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा होता रहता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें शब्दों के जाल में पड़ कर मूर्ख नहीं बनना चाहिए। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें अपने विश्वास के अनुरूप व्यावहारिक रूप से नीति को लागू करना चाहिए। आप जिस बात को लागू करना चाहते हैं उसे लागू कीजिए। आपको शब्दों को ढाल की तरह उपयोग करते हुए ढाल के पीछे कुछ और नहीं करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पर यह आरोप लगाया गया है कि हमने खुद को पश्चिम, अमेरिका आदि के हाथों बेच दिया है। अब मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि विदेशी पूंजी देश में आयेगी ही नहीं, तो दूसरी ओर यह बात भी हो रही है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां देश को निगल जायेंगी। इन दो बातों के बीच के अन्तर्सम्बन्ध को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक तरफ से तो यह कहा जा रहा है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आपको पूछेंगी भी नहीं तो दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि वे आकर आपको निगल जायेंगी और उनमें से एक या दो का तो बजट ही आपके संघीय बजट से ज्यादा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आधी दूरी तक तो वे आ भी गए हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मेरे विचार से इस तरह से उनका आधी दूरी तक आना ही हमारे विकास के लिए उत्तम होगा क्योंकि इससे हमें तकनीक तो मिलेगी ही हमारा शोषण भी नहीं होगा। यदि हम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम को सुदृढ़ करेंगे तो इससे सबसे ज्यादा चिंता बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को ही होगी, क्योंकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम उतना ही मजबूत है जितना कि उनके देशों में एंटी-ट्रस्ट कानून है तथा उन्होंने भी यह जान लिया है कि भारत का शोषण नहीं किया जा सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां आकर वे निवेश कर सकते हैं। यदि वे हमारे लोगों की प्रतिभा का उपयोग करें तथा हमें तकनीकी जानकारी दें और सहायता करें तो हम उनका स्वागत करेंगे, पर शोषण के लिए नहीं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आदर्शों के बारे में हम पर कई आरोप लगाए गए हैं। मैं दुहराना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम अपने आदर्शों से जरा भी नहीं डिगे हैं। हम नेहरूवादी रास्ते पर ही है तथा विचारों का पूर्ण सातत्य जारी है। पहले दिन से ही हमने कभी भी पूर्णत: अधिनायकवादी राज्य तन्त्र की बात नहीं की है। पंडित जी ने भी ऐसा नहीं कहा है। पंडित जी का विचार स्पष्ट था। वे मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की बात करते थे। वे सरकारी क्षेत्र और इसकी महान ऊंचाइयों के साथ-साथ निजी क्षेत्र और इसकी प्रेरणा तथा उत्साह की बात करते थे।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उनके विचार कट्टरपन्थी नहीं थे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उनके विचार हमेशा लचीले होते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह क्षेत्र समग्र के साथ-साथ उन्नति करेगा। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पूरा क्षेत्र बंटा हुआ है, तथा जिसमें सरकारी क्षेत्र का इतना प्रतिशत है तथा निजी क्षेत्र में उतना प्रतिशत है, और शेष कुछ नहीं बचा है। इसके विपरीत यदि संभावित विकास को देखें तो हम पायेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र के 25 से 30 प्रतिशत क्षेत्र को भी हम नहीं पार कर पाये हैं। बहुत विशाल क्षेत्र अभी खाली पड़ा है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो भी है उसे हम दूसरों को बेच रहे हैं। हमने हमेशा ही कहा है कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इसे जीवनक्षम होना जरूरी है। इन्हें समाप्त करने की बात हमने नहीं कही है। हमने तो यह भी नहीं कहा है कि सरकारी क्षेत्र को नीचा दिखाया जाए। मैं सोचता हूं कि इस कथन की आलोचना नहीं होनी चाहिए कि ऊंचाई प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र को जीवनक्षम होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पहली बार स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र को भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अधीन लाया जाएगा। हमने संकेत किया है। हमने साफ कहा है कि सरकारी क्षेत्र को भी उन्हीं न्यायसंगत मानदण्डों का पालन करना पड़ेगा जिसकी आशा हम अन्य सभी उद्योगों से करते हैं। हमारा सरकारी क्षेत्र अब परिपक्व हो चुका है और यह इतना विकसित हो चुका है कि जिस तरह का संरक्षण इसे पहले दिया गया था उसकी जरूरत इसे अब नहीं है। अब उचित प्रतियोगिता की जरूरत है।

सभापति महोदया, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस संशोधन को हमने प्रस्तुत किया है उसका लक्ष्य मूलरूप से यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय उद्योग विकास करे, परिपक्व बने, सक्षम बने; तथा सारी दुनिया से आ रही चुनौतियों का सामना कर सके।

सभापति महोदय : हम 4.30 म० प० पर नियम 193 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। फिर भी संसदीय कार्य मन्त्री ने सुझाव दिया है कि हम पहले वर्तमान आर्थिक हालातों पर कल से हो रही चर्चा को समाप्त करें तो बेहतर होगा। क्या सभा इस पर सहमत है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

———

4.35 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, विदेशी मुद्रा संकट और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के संदर्भ में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति-(जारी)

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : सभापति महोदया, आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में इस चर्चा ने हमें सरकार द्वारा घोषित आर्थिक नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का अवसर दिया है।

हमें अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में एक विस्तृत टिप्पण दिया गया है। दस्तावेजों के दो भाग हैं। पहला भाग आर्थिक संकट के प्रबंध पर है और दूसरा भाग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भेजे जाने वाले पत्र के बारे में हैं जिसकी काफी समय से प्रतीक्षा थी।

भुगतान संतुलन की समस्या की गम्भीरता ने देश को खतरे में डाल दिया है तथा दिवालियेपन के कगार पर ला खड़ा कर दिया है जिससे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के खात्मे का खतरा पैदा हो गया है।

मुद्रा स्फीति, गतिरुद्धकारी आर्थिक विकास की धीमी गति, रोजगार के अवसरों में कमी ने हमारी चिन्ताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। इस संकट के कारणों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

वर्तमान संकट के बहुत से कारण हैं। पहला कारण केन्द्र सरकार का बढ़ता हुआ आर्थिक वित्तीय घाटा है जो कि बढ़ते हुए सरकारी खर्च के कारण हुआ है। सरकारी क्षेत्र का कार्य असंतोषजनक है जिससे उसे लगातार बजटीय सहायता की आवश्यकता होती है तथा विकासीय खर्च ठीक प्रकार से नहीं हो पाते हैं। यह लोकप्रिय वित्तीय कार्यक्रमों के कारण है, जैसे ऋण माफ करने के कार्यक्रम तथा ऋण मेले। भाषाई अल्पसंख्यकों को लगातार राजसहायता दी जाती रही हैं तथा संगठित श्रमिकों को बार-बार मंहगाई भत्ता दिया जाता है। चालू खाते के घाटा का प्रबंधन मुश्किल हो रहा है। भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या है। हमारे विदेशी मुद्रा के कोष पूरी तरह रीते हो गए गए थे।

एक और कारण हमारे लोकप्रिय श्रमिक कानून हैं, जिससे अकुशलता तथा अनुशासनहीनता उपजी हैं। एक और कारण पेट्रोलियम उत्पादों का कम उत्पादन तथा खाद्य तेलों की कमी है जिससे बड़ी संख्या में आयात करना पड़ता है। हमारा सारा व्यापार घाटा तेल आयात के कारण है।

अन्त में सबसे महत्वपूर्ण कारण पिछले छ: साल से जारी राजनीतिक अस्थिरता तथा बिगड़ी हुई सामाजिक आर्थिक स्थिति है इसके लिए सभी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं।

वर्तमान लेखा संबंधी घाटों का मुख्य कारण कारोबार ठीक से न हो पाना; रुपये के मूल्य का निरन्तर ह्रास, अदृश्य के परिचालन में लगातार गिरावट, कम रियायती सहायता के कारण ऋणों के देय ब्याज का बढ़ता बोझ तथा आयात प्रधान विकास की नीति।

खाड़ी युद्ध ने भी स्थिति को और खराब कर दिया था। पैट्रोलियम के मूल्य दुगुने हो गए तथा खाड़ी को निर्यात कम हो गया। भारतीय मूल के लोगों के पुनर्वास पर आई लागत। खाड़ी से

होने वाली आय में गिरावट हुई। इसके अतिरिक्त पूर्वी यूरोप तथा सोवियत रूस की अस्थिर आर्थिक स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास में आई सामान्य गिरावट, ये सभी संकट के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कारणों से प्रवासी भारतीयों ने अपनी धनराशि वापस मंगानी शुरू कर दी थी। रियायती विदेशी सहायता तथा वाणिज्यिक स्रोत कम हो गए जिसने बाह्य पूंजी खातों पर विपरीत प्रभाव डाला।

यह स्थिति थी जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था। भुगतान संतुलन की कठिनाई सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी। इस पर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। हमें विचार करना चाहिए कि सरकार के पास क्या विकल्प थे। महोदया, सबसे पहला विकल्प था कि अदायगी न करना सभी वाणिज्यिक दायित्वों को पूरा न करना। इसके बाद यह निवेदन किया जा सकता था कि अधिक सहायता दी जाये, ऋणों को फिर से निर्धारित किया जाए भुगतान करने के लिए अधिक समय संबंधी शर्तें, तथा पूर्ण माफी देना। सभापति महोदया इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है क्योंकि अनेक अल्पविकसित तथा कम आय वाले देशों ने जानबूझकर यह रास्ता अपनाया है। परन्तु इस दृष्टिकोण का क्या परिणाम होगा ?

राष्ट्रीय गर्व के प्रश्न के अलावा अधिक व्यावहारिक बात यह है सबसे पहले सभी वाणिज्यिक तथा रियायती ऋणों को पूरी तरह अदा किया जाए।

दूसरे नकद भुगतान के अलावा सभी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार रुक सकता है।

तीसरे, हम लोग आवश्यक वस्तुयें, पैट्रोलियम पदार्थ तथा उर्वरक एवं खाद्य तेल का आयात नहीं कर पायेंगे।

चौथे, इससे अत्यधिक कमी हो जायेगी जिसके कारण तीन अंकों वाली मुद्रास्फीति हो सकती है जो हमारे देश में कभी नहीं हुआ है, इससे देश में दंगे हो सकते हैं, तथा देश विभाजित हो सकता है. यह एक ऐसी चीज होगी जिसको कोई भी लोकतांत्रिक समाज अनुमति नहीं देगा।

केवल एक ही विकल्प बचा है कि अन्तर्राष्ट्रीय ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं से ऋण लेना होगा, जिससे कि हम अपने तात्कालिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा द्विपक्षीय देनदार से मांग करनी पड़ रही है। यदि किसी को बैंक से ऋण लेना पड़ता है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, ऋण लेना कोई अच्छी बात नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाश्चात्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही एक उपज है। प्रमुख रूप से इसका गठन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करने के लिए किया गया था। इसके लिए विनिमय दरों में स्थिरता तथा अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान को सुचारू बनाना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को उनकी भुगतान संतुलन की समस्याओं को हल करने में भी अस्थाई तौर पर सहायता करता है।

4 41 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत सहित 155 सदस्य देश हैं। भारत संस्थापक सदस्य है और निदेशक मण्डल का सदस्य है। सोवियत संघ ने सदस्यता के लिए आवेदन किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चार्टर के अनुच्छेद 1 में सदस्य देशों को ऋण देने की बात कही गई है। परन्तु वित्तीय सहायता को आर्थिक नीति से जोड़ा जाना चाहिए। यह शर्तों का सिद्धान्त है।

[श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण]

यह सहमति वाले अनुच्छेद में औपचारिक रूप से 1968 में जोड़ा गया था। तथा इसे सभी सदस्यों देशों द्वारा स्वीकृत किया गया है।

आठवें दशक तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने इस बात पर विचार किया कि भुगतान संतुलन तथा मुद्रा स्फीति की सभी समस्यायें मांग के कारण हैं तथा अतिरिक्त मांग को समाप्त करना आवश्यक समझा गया। परन्तु आठवें दशक के मध्य के बाद ऐसे ऋण प्रदान करने की तकनीक दूरगामी सुधार रहा है।

मैं एक अच्छे संदर्भ वाली पुस्तक का हवाला देता हूं जिसका शीर्षक है। "आई० एम० एफ० एण्ड दि थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी" तथा इसके लेखक हैं स्कॉट आर सिडेल। यह पुस्तक 1988 में प्रकाशित हुई थी मैं उसमें से उद्धरित करता हूं :—

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

1. धन सप्लाई पर नियन्त्रण रखना।
2. सरकारी घाटे में कमी करना।
3 विनिमय दर का अवमूल्यन करना।
4. मूल्यों को विनियमित करना।
5. उपभोक्ता रियायतों को कम करना।
6. टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें कोई ऐसी गोपनीय नहीं हैं जिन्हें बन्द कमरे में निर्धारित किया गया हो। देश के लिए ऋण लेने वाले, सदस्य जो बाहरी लेखे संबंधी असंतुलन को ठीक करने के लिए मानक शर्तें तथा नियम बनाये गए हैं।

1981 में भारत को व्यापक कोष सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 50 लाख एस. डी. आर. का ऋण मिला था। तथा तब भी शर्तों को स्वीकार किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी सदस्य देश सहायता मांगता है, उसे शर्तें स्वीकार करनी होती है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है।

अतः हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो कर्ज अदा न करें या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसकी मानक शर्तों के आधार पर ऋण लें। काफी विचार विमर्श करने के बाद सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने का निर्णय लिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल मांगने पर ही ऋण नहीं दे देता है। यदि वह समझें कि हम ऋण को अदा नहीं कर पायेंगे तो वे 7 बिलियन डालर की धनराशि डूबने नहीं देगा।

अर्थव्यवस्था को मजबूत तथा स्वस्थ बनाने वाले एक सुधारात्मक उपाय तथा एक ऐसी सुनियोजित योजना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा किया जा सके, तैयार करनी होगी और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस सरकार ने ऐसी योजना तैयार की है जो कि तर्क संगत है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण के आलोचक कोई विकल्प

नहीं सुझा पाए हैं। हमारी तत्काल समस्याओं के लिए कौन हमें ऋण देगा ? निश्चित रूप से सोवियत सेंट्रल बैंक तो नहीं देगा। यदि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का विरोध करते हैं और यदि कोई भी हमें ऋण नहीं देता, तो क्या हमें भुगतान न करने का सुझाव दे रहे है ?

महोदय, नई नीति के अल्पावधि उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त हो गए हैं। हम भुगतान न कर पाने की स्थिति से बचते रहे हैं। सरकार ने स्थिति से जूझने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारतीय अर्थ व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास बढ़ रहा है। हमारी साख बढ़ रही है। उन्होंने हमारे ऋण पर निगरानी रखना बन्द कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी मुद्रा जमा बढ़ा है, इसमें रुपए में 200 प्रतिशत की और डॉलर में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीज को सरकार द्वारा रुपए और डॉलर दोनों में आंकड़े देने में अत्यधिक आपत्ति है। यह अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति है विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन देन में आंकड़े देशी मुद्रा, डॉलरों और स्टरलिंग डॉलर में दिए जाते हैं। यदि सरकार ने डॉलर में आंकड़े नहीं दिए होते तो हम समझ जाते, लेकिन हमने रुपए और डॉलर दोनों में आंकड़े दिए हैं। विदेशी मुद्रा जमा में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हम अपने अल्पावधि उद्देश्य में सफल रहे हैं। लेकिन कठिन स्थिति को पार करने में थोड़ा समय लगेगा। हमें संगठनात्मक सुधार करना है और माइक्रो आर्थिक सामंजस्य स्थापित करना है जिसे वित्त मंत्री ने अपने पहले नीति संबंधी वक्तव्य, बजट भाषण में प्रस्तुत किया है। इसमें काफी कार्य किया जाना है।

विपक्ष के माननीय नेता श्री जसवंत सिंह को कुछ आपत्तियां हैं। उन्होंने कहा : इसके बाद क्या किया जाने वाला है ? वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इन संगठनात्मक सुधारों में कुछ समय लगेगा और यह एक रात में नहीं होंगे। उन्होंने कुछ नीतियों के स्वरूप को भी प्रस्तुत किया है। कोई यह नहीं कह रहा है कि वह एक रात में हो जाएगा। कुछ कठिन अलोकप्रिय लेकिन आवश्यक निर्णय लेने होंगे। लेकिन प्रश्न यह है ऐसा करने के पीछे हमारी राजनीतिक इच्छा है ?

कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे चिन्तित कर रहे हैं। हम सबको इस ऋण की चिन्ता होनी चाहिए। जिसने हमे विश्व में तीसरा सबसे अधिक ऋणी देश बना दिया है, हमे ऋण जाल में नहीं फंसना चाहिए। सोभाग्यवश, हमारी ऋण सेवा अनुपात उतना अधिक नहीं है जितना ब्राजील अथवा मेक्सिको का है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कितना है।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण मैं समझता हूं यह 21 प्रतिशत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं यह 31 प्रतिशत है।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री मुझसे सहमत होंगे। यह 31 प्रतिशत नहीं है। दूसरे हम भुगतान के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रख सकते हैं। हमारा निर्यात बढ़ना चाहिए। नई व्यापार नीति और विनिमय दर सामंजस्य के अच्छे परिणाम आए हैं। निर्यात में डालरों में छः प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम आशा करते हैं कि यह वृद्धि 9 अथवा 10 प्रतिशत हो जाएगी। तीसरे, हमें अपने बड़े वित्तीय घाटे को नियंत्रित करना है जो कि मुख्य रूप से

[श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण]

हमारी सभी समस्याओं, मुद्रा स्फीति और चालू लेखा घाटे के लिए जिम्मेदार है। सरकारी खर्च को कम किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए राजनैतिक इच्छा होनी चाहिए। सकल घरेलू उत्पादों के लिए 6.5 प्रतिशत के वित्तीय घाटे का उद्देश्य एक अन्य बात है जिसमें मुझे कुछ शंका है। मुझे शंका इसलिए है क्योंकि इस बारे में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : इस धारणा की क्या वैधता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं?

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : वित्तीय घाटे को नियंत्रित किया जाना है क्योंकि मुद्रा स्फीति और भुगतान संतुलन इसके दो मुख्य परिणाम है। ये इस स्थिति के लिए मुख्य कारक हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बजटीय घाटा क्यों नहीं? केवल वित्तीय घाटे को ही आप मुख्य कारण क्यों मानते हैं? हम समझना चाहेंगे। कृपया स्पष्ट करें।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : मैं समझता हूं कि इसे पूरा करना कठिन है क्योंकि इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का कुल ऋण पहले ही प्रस्तावित बजट घाटे से 2000 करोड़ रुपए अधिक है। यह पहले ही लगभग 9500 करोड़ रुपए है। इसे नियंत्रित करना होगा। सम्पूर्ण देश मूल्यों में वृद्धि और अनिवार्य वस्तुओं की अनुपलब्धता से चिंतित है। प्रश्न यह है जैसा कि उद्देश्यों में निर्धारित किया गया है। क्या हम मुद्रास्फीति 9 प्रतिशत तक नियंत्रित कर सकते हैं? आज यह 13½ प्रतिशत है। सप्लाई प्रबन्धन में सुधार किया जाना चाहिए। एक अन्य गम्भीर मामला है और वह राज्य सरकारी वित्त विशेषतः सरकारी उद्यमों वाली राज्य सरकारों को हो रही अत्यधिक क्षति से संबंधित है। हमें आर्थिक मूल्यों पर एक आम सहमति पर पहुंचने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, बिजली शुल्क। राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली में बसों के किराए को लीजिए। दिल्ली में बस यात्रियों को अत्यधिक सुविधा और कम दर पर यात्रा उपलब्ध है जबकि मुम्बई, मद्रास, बंगलौर आदि जैसे अन्य शहरों में यात्रियों को दिल्ली के बस यात्रियों से कम से कम दुगुना बस का किराया देना पड़ता है, और केन्द्रीय सरकार परिवहन निगम को 900 करोड़ रुपए से अधिक की संचित हानि के लिए राजसहायता दे रही है।

इस बात पर चिन्ता करना भी न्यायोचित है कि ये नीतियां पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध नहीं करा पाएगी। उद्योग ने 1 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि दर दिखाई है। संभवतः यह आयात कम होने पर बढ़ जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से, बेरोजगारी की समस्या पर अत्यधिक ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत रूप से, मैं विभिन्न विस्मरण योजनाओं से प्रसन्न नहीं हूं। यह ईमानदार करदाता के लिए पूर्णतः अनुचित है। कर अपवंचकों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। सरकार को आयकर विभाग और राजस्व आसूचना विभाग द्वारा तलाशियों और छापों की नीति को अवश्य ही आक्रामक रूप से जारी रखना चाहिए। मेरी समझ के अनुसार छापा मारने वाले अधिकारियों की सुरक्षा संबंधी किसी विवाद के कारण इन्हें छोड़ दिया गया था। इस विवाद का हल किया जाना चाहिए।

अल्पावधिक उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं; बजट भाषण में मध्यम अवधि की नीतियां बताई गई थीं। कल प्रस्तुत किए गए नोट में इन नीतियों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में बताया गया था। निष्कर्षतः मैं इस बात पर अवश्य बल दूंगा कि हम न तो आयोजना की अवधारणा का परित्याग कर रहे हैं, न ही नेहरूवादी आदर्श की मिश्रित अर्थव्यवस्था का। सोवियत संघ और पूर्वी

यूरोपीय देशों के आर्थिक विघटन से हमें यह महत्वपूर्ण सबक मिला है कि हमें सामाजिक विकास की एक निश्चित अवस्था के बाद अर्थव्यवस्था की दिशा का पुनरीक्षण करना होगा। सोवियत देशों ने इस प्रक्रिया में देरी की, किन्तु हमें नहीं करनी चाहिए। सामाजिक विकास की हमारी वर्तमान अवस्था में हम नेहरूवादी आदर्श की मिश्रित अर्थव्यवस्था का परित्याग कर मुक्त उद्यमों और बाजार की अर्थव्यवस्था के पीछे आंख मूंद कर अनुसरण नहीं कर सकते। हमें तेजी से बदल रही दुनिया की सच्चाई के साथ तालमेल रखने के लिए अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा व्यवस्थित करना होगा। कुल मिलाकर इन नीतियों से इसी लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया गया है। और यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें इस महान सभा का और समाज के सभी वर्गों का सर्वसम्मतिपूर्ण समर्थन मिले क्योंकि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास बहुत बढ़ जाएगा और अन्तर्राष्ट्रीय दायरों में मोलभाव करने की दृष्टि से हमारी स्थिति मजबूत हो जायेगी।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, आज हम आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। शुरू से ही, स्वतन्त्रता की प्राप्ति के समय से हमने विश्व की स्थिति को ध्यान में रखकर, और उससे भी अधिक अपने देश की स्थिति को ध्यान में रखकर तकनीकी और नीतिगत रूप से अपनी आर्थिक नीतियां तैयार करने का प्रयास किया हैं। हमारे देश की आबादी बहुत अधिक रही है; हमारा देश एक विकासशील देश है, जो न तो अभी विकसित हुआ है और अल्पविकसित भी नहीं है। हमारे पास अधिक जनशक्ति है, बहुत अधिक संसाधन हैं और कुछ तकनीकी प्रगति भी हुई है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हमारी कृषि उन देशों के रास्ते पर नहीं चलेगी जिनकी आबादी कम है और भूमि अधिक है। उदाहरण के लिए अमरीका, आस्ट्रेलिया और ऐसे अनेक देश हैं जिनके वहां के मूल निवासियों की आबादी समाप्त समाप्त कर दी गई। उन्हें केवल दुनिया को यह दिखाने के लिए रखा गया है कि वे अभी भी संग्रहालयों में विद्यमान है। आबादी के संघटन की दृष्टि से, एशिया से यूरोप तक, एशिया और आस्ट्रेलिया इतने विशाल थे। अमरीका में भी यही परिवर्तन आता और वहां बहुत बड़े-बड़े फार्म बनाए गए। हमारे देश में, जोकि एक जनाधिक्यपूर्ण देश था, आक्रमणों और घुसपैठ आदि द्वारा धर्मपरिवर्तन के बहुत से दौर चले। किन्तु हमारे देश के मूल निवासियों की आबादी का कभी जनसंहार नहीं किया गया। यह एक विशेषता रही है। इसलिए हम परस्पर मिल गए और हमारे देश में हममें से अधिकांश लोग संकर नस्ल के हैं। दूसरा शब्द अपमानजनक होगा, इसलिए मैंने संकर नस्ल शब्द का प्रयोग किया है। यह हमारे लिए और मानव जाति के लिए भी एक शान की बात है। इस संदर्भ में हमने भू वितरण, जमींदारी उन्मूलन, अधिकतम सीमा निर्धारण, भूमि पर किसानों के अंश के अधिकार और अधिशेष के वितरण संबंधी नीति तैयार की है। जो हमारे नीति संबंधी कार्य, हमारे कृषि नीति संबंधी कार्य-कौशल का भाग रहा है ताकि भूमि पर अधिक जनशक्ति का उपयोग किया जा सके।

जब गांधी जी ने कहा था कि किसानों को भूमि मिले, जब हमने कहा था कि किसानों को भूमि मिले, तो हमारी कोशिश यह थी कि स्वयं खेती करने की प्रवृत्ति बने। मैं यहां केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि राजनीतिक इच्छा के अभाव में यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सका है। हमारे वित्त मन्त्री जब भी इस मुद्दे को छूते है, तो वे इसका उल्लेख नहीं करते। वे सोचते हैं कि यह उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है। जब कृषि मन्त्री इसे छूते है, तो वे इसे पूरी तरह छोड़ ही नहीं देते, बल्कि कभी कभार तो उनका आशय इसके विपरीत होता है। इसके बिना जब तक आप इस पहलू को पूरा नहीं करेंगे, गांवों को छोड़ रहे वे करोड़ों लोग जिनसे शहरों की आबादी बढ़ रही है अथवा जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश छोड़कर पंजाब अथवा हरियाणा, अथवा अन्य स्थानों को जा रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जाएगा।

[श्री भोगेन्द्र झा]

इससे भी अहम बात यह है कि अधिकाधिक भूमि किसानों के पास नहीं, अनुपस्थित मालिकों के पास जा रही है, जो वस्तुतः खेती नहीं करते। उनमें से अधिकांश भूस्वामी खेती नहीं करते। जो खेती करते हैं, उनमें से अधिकांश का इस पर स्वामित्व नहीं होता। इसलिए इनमें आदानों का निवेश करने में कम रुचि है, कम प्रोत्साहन है। इसीलिए हालांकि हमने प्रगति की है, काफी प्रगति की है, किन्तु फिर भी इस पहलू के कारण यह अभी पर्याप्त नहीं है।

मेरे विचार से जब वित्त मन्त्री महोदय इस मुद्दे को छुयें, तो उन्हें हमारे आन्तरिक बाजार का विकास अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए। भारत जैसे देश में आन्तरिक बाजार तब तक विस्तृत नहीं हो सकता जब तक उन लोगों की जेबों में बाजारों से वस्तुएं, उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं खरीदने के लिए कुछ धन नहीं होता। इसलिए उनकी क्रय क्षमता अवश्य होनी चाहिए। हमारे विकासमान उद्योगों को जिनका निजी और सरकारी, दोनों क्षेत्र में अवश्य विकसित होना चाहिए। इसके बारे में मैं बाद में बोलूंगा—वाणिज्यिक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के लिए देश को कृषि कच्चे माल और सामग्री पर आधारित होना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ भी औद्योगिक कच्चे माल के लिए और औद्योगिक वस्तुओं हेतु आन्तरिक बाजार के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ना चाहिए।

उस संदर्भ में, मैं समझता हूं कि अब तो वह समय आ ही गया है जो भी गुजर गया है, उसे लौटाया नहीं जा सकता—जबकि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय-समय पर हमारी जो भी सुस्पष्ट कृषि नीति हो, उसे दृढ़तापूर्वक इस प्रकार कार्यान्वित किया जाये जिससे कि हम दूसरे काम शुरू कर सकें। हमारे देश के आर्थिक विकास के हित में इसकी जरूरत है।

5.00 म० प०

औद्योगिक विकास के मुद्दे पर, शुरू से ही इस पहलू को भी ध्यान में रखा गया था। भारत जैसे जनाधिक्य वाले देशों के लिए, जहां अधिक जनशक्ति और प्रतिभायें हैं, कुटीर उद्योगों की भी आवश्यकता है। आज भी यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है, यदि साम्यवादी सत्ता में आते हैं, तो हम कुटीर उद्योगों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हमें राष्ट्रीय विकास के लिए इतनी अधिक जनशक्ति का उपयोग करना है. हमें अपने उत्पादन के लिए इतनी अधिक जनशक्ति का उपयोग करना है। यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बेरोजगार है—बेशक उनके लिए इसकी जरूरत है—किन्तु हमारे राष्ट्र के भले और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अन्य के लिए भी इसकी जरूरत है।

कुटीर उद्योग भी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। ब्रिटिश राज के दिनों में मधुबनी खाद भंडार देश में कागज— गत्ते से हस्तनिर्मित कागज—तैयार करने वाले दो कुटीर उद्योगों में से एक था। गांधी जी उस कागज पर लिखा करते थे। यह साबुन और अन्य चीजें भी तैयार करता था। इस समय ब्रिटिश राज में बने वे सभी भवन अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा किराये पर लिए गए है। इस क्षेत्र की उपेक्षा कर दी गई है।

इस नीति के अंशस्वरूप हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, निगमित क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। यदि हमारे कुटीर उद्योग न रह जायें, तो हम देश के स्वस्थ और कार्य करने में समर्थ करोड़ों स्त्री पुरुषों को नौकरियां नहीं दे सकते। वह हमारी आर्थिक नीति का एक भाग अवश्य होना चाहिए और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य सुनिश्चित करे। इसकी शुरुआत के लिए हमें भारत की स्थिति सुधारनी होगी।

हमारे पास लघु क्षेत्र हैं, मझोले और बड़े क्षेत्र हैं। हमारी औद्योगिक नीति कभी भी किसी विशेष क्षेत्र के विरुद्ध नहीं रही क्योंकि हम अमरीका, सोवियत संघ और अन्य विकसित देशों के तरीकों को अपनी जनसंख्या की संरचना के कारण नहीं अपना सके, चाहे वे समाजवादी हों या पूंजीवादी। जैसाकि नेहरु जी कहा करते थे, बड़े उद्योग—प्रमुख उद्योग—अधिक निवेश पैदा करेंगे। यह सरकारी क्षेत्र की भूमिका पर निर्भर है, हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि यह वैचारिक क्षेत्र है। लेकिन यह ऐसा नहीं था। कुछ लोग उल्लासित होकर, कुछ उदास होकर और कुछ केवल यह कहते रहे हैं कि यह समाजवाद की विफलता है। लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जनप्रसार माध्यम पूर्णतः दबे हुए हैं। यह सोवियत संघ, समाजवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी उद्योग हैं, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जबकि ये सारे ट्रेक्टर उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां टैंक बनाने वाली फैक्ट्रियां बन गयीं थीं, विश्व को फासिस्म लपटों से बचाया था। कोई भी पूंजीवादी देश ऐसा नहीं कर सकता। उन दिनों अमरीका इतना विकसित नहीं था। एक ही झटके में फ्रांस जैसे विकसित देश, समूचा यूरोप और अन्य देश हिटलर की सेना के सामने ढह गए। यह केवल सोवियत जनता ही नहीं थी, बल्कि सामूहिक औद्योगिक आधार, समाजवादी औद्योगिक आधार ने उन्हें बचाया। उसके बाद, पूंजी निवेश के कारण उन्होंने उन उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित किया। अतः, उससे उनकी रक्षा हुई और उससे विश्व की भी रक्षा हुई। उसके बाद भी 1945 से विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के डर से बचाया गया है। 1939 मे दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था। यह समाजवादी और पूंजीवादी लोगों के बीच नहीं बल्कि पूंजीवादी देश ही आपस में कुत्तों की तरह लड़े थे। वह युद्ध विश्व युद्ध बन गया। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना थी। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के कारण समाजवादी उद्योग ने सामरिक हथियारों की ओर ध्यान दिया, अन्तरिक्ष हथियारों और अन्तरिक्ष विकास पर ध्यान केन्द्रित किया। तब अमरीका ने सातवें दशक में चिल्लाना शुरू कर दिया कि सोवियत संघ उससे आगे निकल गया है : अतः उनकी बराबरी के लिए उसके लिए अन्तरिक्ष युद्ध करना आवश्यक है। सोवियत संघ का कहना था "पि: हम आपसे आगे नहीं हैं। हम तकरीबन बराबरी के स्तर पर है।" अतः यह आपको याद रखना चाहिए। लेकिन यदि बंगला देश युद्ध के दौरान अमरीका का सातवां बेड़ा हमारे समुद्र तट पर आ गया होता, तो तब क्या होता। क्या क्यूबा अपने आपको बचा सका ? क्या वियतनाम अपने आपको बचा सका ? क्या 1956 में मिश्र अपने आपको बचा सका ? अतः उन्होंने विश्व में शान्ति की स्थापना के लिए इसका बीड़ा उठाया और अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह भी किया। जिसने भी उनसे मदद मांगी उसे वास्तव में मिली। अतः बराबरी करने की कोशिश न करें, दूसरों से तुलना की कोशिश न करें। यदि वे बदल रहे हैं, तो यह रूस में भी हो रहा है। मेरे विचार से उन देशों के लोगों को यह फैसला करना ही होगा। हमारी चिन्ता का संबंध इस पहलू को लेकर है। अतः मैं यह कहना चाहता था।

इसी प्रकार जब हमने सरकारी क्षेत्र शुरू किया, पं० नेहरु कहा करते थे "यदि आप योजना नहीं बनाते, यदि आप सरकारी क्षेत्र को ऊंचा स्थान नहीं देते तो निजी क्षेत्र अधिक से अधिक और तत्काल लाभ चाहेगा। अतः वे केवल सिनेमा घरों और होटलों में पूंजी निवेश करेंगे।" ये उनके शब्द हैं। वे तत्काल लाभ के लिए निवेश करेंगे। वे बुनियादी और आधारभूत उद्योगों में निवेश नहीं करेंगे। और वह सच ही था। उस समय सरकारी क्षेत्र किसी सरकार के कारण नहीं आया। हमने ब्रिटेन और अन्य देशों को अजमाया। हम प्रारम्भ में एक भी आधारभूत उद्योग नहीं स्थापित कर सके थे। उस संदर्भ में सरकारी क्षेत्र अस्तित्व में आया। और सरकारी क्षेत्र शीर्षस्थ ऊंचाईयों के साथ सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रबल नहीं हो सका। लेकिन सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को एक दिशा, नेतृत्व,

[श्री भोगेन्द्र झा]

सहायता दे सका है। यही 'प्रभावशाली ऊंचाई' का अर्थ था। सारी सेना में कमांडर अकेला होता है। इस समय खतरा है। 1977 में जनता पार्टी सरकार के आने के साथ गिरावट आई। 1980 में कांग्रेस (इ) सरकार द्वारा उसका अनुसरण किया गया। 1984 में गिरावट में और तेजी आई और 1990 में, जब मेरे मित्र श्री अजीत सिंह उद्योग मन्त्री थे, और अधिक गिरावट आई।

एक माननीय सदस्य : और अब दोबारा फिर।

श्री भोगेन्द्र झा : आप इसे तार्किक निष्कर्ष की ओर ले जा रहे हैं। त्रासदी विकसित की जा रही है। यही त्रासदी है। यहां बात खतरनाक हो जाती है।

मैं उन सभी मुद्दों को नहीं छेड़ना चाहूंगा जोकि एकाधिकारी और प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार की चर्चा के दौरान उठाए जाएंगे। इस पर कल दोबारा चर्चा की जाएगी। इस समय मैं उस समस्या पर बोलना चाहूंगा जिसका विश्व और देश को सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष, जब हमारे पास सीमेंट उत्पादन हुआ था, तो सीमेंट उद्योग संगठनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि बाजार में सीमेंट की भरमार है। 'भरमार' थी, लेकिन सीमेंट की कीमतें बढ़ गई और नीचे नहीं आईं। एडम स्मिथ और मार्शल का सम्पूर्ण आर्थिक सिद्धान्त विफल हो गया। अधिक वस्तुएं हुईं किन्तु वे और सस्ती वस्तुएं नहीं हुईं। अधिक सीमेंट हुआ, लेकिन सीमेंट महंगा ही रहा; 1.5 लाख टन चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ—अधिक चीनी और महंगी चीनी आई। अधिक खाद्यान्न—17,50,000 टन—और महंगे खाद्यान्न।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्पादन किया और नष्ट कर दिया।

श्री भोगेन्द्र झा : हां, अधिक उत्पादन और अधिक मुद्रास्फीति। यह कैसे हुआ? यही एक बात है जिसे हमारे वित्त मन्त्री दुर्भाग्यवश भूल रहे हैं। प्रगतिरोध हमारे देश को दबाए जा रही है—प्रगतिरोध और मुद्रास्फीति साथ-साथ बढ़ रही है। यही इस देश में एकाधिकारियों का कार्य था। कम उत्पादन करना और उस पर मूल्य बढ़ाकर अधिक लाभ कमाना एकाधिकारियों का कार्य है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नाम ले रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा : यह राष्ट्रीय संकट है और वह राष्ट्र-विरोधी नीति है जिसको समझना होगा? देश को इसे समझना होगा। सबसे पहले, श्री मनमोहन सिंह को, जिनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, इसे समझना होगा और सभा को इसे समझना होगा। आप श्रमिकों को अधिक उत्पादन करने के लिए कैसे कह सकते हैं जबकि उन्हें कल उसके लिए और अधिक देना पड़े? यह तर्क है। सम्पदा का कार्य, जोकि एक विनियामक कार्य है, सरकारी क्षेत्र का कार्य है और हमारी संसद को नियन्त्रक कार्य, इसे देखकर करना चाहिए कि अधिक उत्पादन होना चाहिए, जिसका अभिप्राय लोगों के लिए अधिक वस्तुएं और सस्ती वस्तुएं हो। महोदय ये कैसे हो सकेगा? यह हमारी सहायता से होगा। सातवें दशक के गहमागहमी भरे दिन थे ··(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : कृपया चर्चा समाप्त करें। आपकी पार्टी के लिए छः मिनट थे, लेकिन मैंने आपको 10 मिनट दे दिए।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए। बैंक ऋणों की सहायता से हम जितना उत्पादन करेंगे उतनी ही वस्तुएं बैंक के गोदामों में जमा होंगी। बाजार में कम वस्तुएं हैं और क्योंकि उपभोक्ता गोदामों में नहीं जाते और बाहर ही रहते हैं इसलि कीमतें बढ़ती हैं। यह स्थिति वस्तुओं की कमी और उपभोक्ताओं की अधिकता के कारण है और हमारे धन की सहायता से, बैंक के धन की सहायता से मुनाफाखोर देश को लूट रहे हैं और मुद्रास्फिति अनियन्त्रित है तथा हमारे वित्त मंत्री काफी कार्य कर रहे हैं कि कैसे मुद्रास्फिति पर काबू पाया जाये। आप यदि एकाधिकारियों की उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते हैं, तो आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं, जोकि एक दूसरा मामला है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप धोखेबाजी, सट्टेबाजी और जमाखोरी के लिए ऋण देना बन्द कर दें। बैंकों से ऋण न दें। निजी क्षेत्र स्वतन्त्रता चाहता है। उन्हें पूरी स्वतन्त्रता हो। आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। थोक व्यापारियों को अपने धन से व्यापार करने दिया जाए। उन्हें अपना धन रखने दिया जाए। केवल उन्हें बैंकों से अग्रिम देना बन्द कर दें।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : यह पहले ही बन्द किया जा चुका है।

श्री भोगेन्द्र झा : जब तक आप उस पक्ष में हैं तब तक इसे नहीं रोका जा सकता। मुझे प्रसन्नता होगी यदि वित्त मन्त्री इसे कह दें कि इसे बन्द कर दिया गया है।

अतः उपभोक्ता ऐसी ही आशा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप थोक व्यापारियों को दें। आप ऐसा नहीं कर सकते और मैं इसकी आपसे मांग भी नहीं करता। उन्हें, उनके अपने धन के साथ स्वतन्त्र छोड़ दो। लेकिन उन्हें अपना धन मत दो क्योंकि उससे अनियन्त्रित दबाव बनेगा जिससे कि महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

ऐसा ही बैंकों का मामला है। मैंने आज रेडियो पर समाचार सुना था कि हम विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों को पूर्ण स्वतन्त्रता देने जा रहे हैं। मैंने इस समाचार को खुद सुना है। यदि वित्त मन्त्री इसका यह कह कर खण्डन कर दें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। दुर्भाग्यवश, मैंने इस खबर को आकाशवाणी से सुना।

ऐसा ही मामला अर्थव्यवस्था का भी है। वित्त मन्त्री ने करों में वृद्धि पर क्या रोक लगाई है। यदि आपके पास बैंक में सावधि जमा है तो इस पर कर लगेगा। चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारी, बहुत गरीब किसान और श्रमिक जोकि बिहार और उत्तर प्रदेश से पंजाब जाते हैं, वे भी अपने बुरे दिनों, शादियों के खर्च आदि के लिए सावधि जमा के रूप में बैंक में धन जमा रखते हैं। अब आप उन पर कर लगा रहे हैं। मैं कहूंगा कि आपके बैंक खतरे में हैं। इस समय यह निर्देश है कि यदि प्रतिवर्ष 2500 रुपए की राशि जमा होती है तो वह स्रोत पर कराधान योग्य है।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : गरीब लोग बैंकों में ऐसी बचत नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने लोगों में एक डर पैदा कर दिया है। वे अपनी जमा राशि वापस ले रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : इस पर केवल विचार करें। हम हमेशा उन लोगों पर कर लगाने के पक्ष में रहे हैं जोकि इसको सहन कर सकते है। लेकिन सावधि जमा देश की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा निवेश है जिसका संसाधन जुटाने विनियमन और राष्ट्रीय उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

[श्री भोगेन्द्र झा]

सावधि जमा पर उस सीमा तक कर लगाना हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होगा। यह राष्ट्रीय बचत के विरुद्ध जाएगा। कृपया इस निर्देश को रद्द कर दें। मैं नहीं सोचता कि उस पक्ष को इस पर कोई आपत्ति होगी। यदि आप इसे नहीं हटाते तो बैंक तथा सहकारी बैंकों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : वे पहले ही प्रभावित हो चुके हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : इसके गंभीर परिणाम होंगे। इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी। हमारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे तथा और अधिक काला धन पनपेगा। कृपया यह आश्वासन दें कि आप इसमें संशोधन करेंगे। मेरे विचार से यदि आप इसे वापस लें तो सारी सभा आपका समर्थन करेगी।

इसी प्रकार, मेरे पास बैंक कर्मचारी संघ, बंगाल सहकारी बैंक कर्मचारी फेडरेशन द्वारा भेजा गया एक पत्र है। मेरे विचार में यह वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री के पास पहुंच गया होगा। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि अधिक उत्पादन, बचत, उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासस्वरूप स्व-रोजगार, को बढ़ाने के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धन और संसाधन उत्पादकता-प्रयत्नों से जुड़े हुए हैं, उन्हें अधिकारियों द्वारा और केवल ऋण लेने वालों द्वारा संचालित नहीं किया जाना है। जैसाकि व्यावहारिक अनुभव से देखा जा सकता है, कि वे भी एक दोषी पार्टी हैं। आपको उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्नस्वरूप स्व-रोजगार को प्रोत्साहन देना होगा। नहीं तो आप सबके लिए रोजगार कैसे जुटा सकते हैं? सत्ता में जो भी पार्टी आये, वह इसे इस समय नहीं कर सकते। लेकिन आप उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक प्रयत्न के रूप में स्व-रोजगार को बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं"।

उसी तरह से मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री सरकारी क्षेत्र के बारे में संसद और राष्ट्र के प्रति एक श्वेत पत्र जारी करें। निजी क्षेत्र के कितने उद्योग रुग्ण हुए हैं? कितनी इकाइयों के संसाधनों को अन्य क्षेत्रों में झोंक दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : साठ प्रतिशत।

श्री भोगेन्द्र झा : सिर्फ प्रतिशतता की ही बात नहीं है। मैं सारी चीजों के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं ताकि पूरे तथ्यों को सभा में प्रस्तुत किया जा सके और देश को मालूम हो सके कि तथाकथित निजी क्षेत्र ने क्या किया है। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सवाल है, रोगी को नहीं मारा जाना चाहिए। ऐसी कोशिश करें कि वह चंगा हो जाए तथा स्वस्थ हो सके और उन्नति कर सके ताकि हमारी अर्थ-व्यवस्था के हर क्षेत्र का समन्वित तथा सतत विकास हो सके जिसमें सभी एक-दूसरे को हानि पहुंचाने के बजाय एक दूसरे की कमी को पूरा करें।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : सभापति महोदय, नवम्बर 1989 में हमारी अर्थ-व्यवस्था आजादी के बाद की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्था थी। उस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर औसत 5.5 प्रतिशत थी। जून 1991 में विरासत स्वरूप हमें न केवल एक अवरुद्ध अर्थव्यवस्था मिली बल्कि वह कमजोर भी थी और ध्वस्त होने वाली थी। नवम्बर 1989 में हमने पांच वर्षों के समय में अधिकतर समय में महंगाई को 10 प्रतिशत से नीचे रखा था। जून 1991 में जब हमें दुबारा सत्ता दी गई तो मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत के खतरे के निशान की ओर बढ़ रही थी।

यदि भारत के लोगों ने हमें सत्ता देने का निर्णय नहीं लिया होता तो यह 20 प्रतिशत तक पहुंच गई होती। उस स्थिति में हमारा संकट वैसा ही होता जैसा उन बहुत सारे देशों का हुआ था जिनमें मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत हो गई थी।

सभापति महोदय, जब हमारी सरकार ने नवम्बर 1989 में कार्यभार छोड़ा था तब हमारे विदेशी मुद्रा का भण्डार 6000 करोड़ रुपए था। और जब जून 1991 में भारत की जनता उन्हें हटाकर हमें वापस सत्ता में लाई तो उस समय हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार लगभग 2,600 करोड़ रुपए था। जब हमने नवम्बर 1989 में कार्यभार छोड़ा तो उस समय निजी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र काफी गतिशील थे। जब हम 1991 में वापस सत्ता में आए थे तो हमें एक शिथिल निजी क्षेत्र मिला था तथा सरकारी क्षेत्र दिवालिया हो गया था तथा कृषि क्षेत्र दिशाहीन हो गया था। नवम्बर 1989 तक हर महीने करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा प्रवासी भारतीयों से प्राप्त हो रही थी। इस बीच जब हम जून 1991 में सत्ता में वापस आए तो हमें प्रतिमाह प्रवासी भारतीयों से 300 करोड़ डालर से भी ज्यादा की दर से विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा था। जब हमने नवम्बर 1989 में कार्यभार छोड़ा था तो हमारी अन्तर्राष्ट्रीय ऋण साख अपने शीर्ष पर थी। एक गैर कांग्रेसी सरकार को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जैसे सरकारी क्षेत्र तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में पूरा एक महीना लग गया।

महोदय, यह प्रशंसा हमारे वित्त मन्त्री को मिलनी चाहिए, वर्तमान सुधारों का परिणाम यह हुआ है कि केवल 6 महीने में, केवल 00 दिनों में न केवल करोड़ों लोग देश में वापस आने लगे हैं जिससे प्रवासी भारतीयों की जमा धनराशि में वृद्धि हुई है बल्कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख भी फिर से स्थापित हुई है। विश्व के सभी बैंक अन्तर्राष्ट्रीय तथा वाणिज्यिक बैंक तथा प्रवासी भारतीय न केवल भारत को धन देने को तैयार हैं बल्कि हमारी सहायता करने के लिए भी तैयार हैं। हमारी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां मूल्य वृद्धि 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हो रही है। वृद्धि की यह दर वांछनीय नहीं है। परन्तु पिछले वर्ष के 13 प्रतिशत तथा इस वर्ष के 13 प्रतिशत में फर्क यह है कि पिछले वर्ष यह 8 से 13 प्रतिशत तक बढ़ी थी तथा 18 प्रतिशत तक बढ़ रही थी, परन्तु अब यह 16 प्रतिशत से कम होकर 13 प्रतिशत हो गई है तथा अब 8 प्रतिशत होने जा रही है।

हमारी एक तालमेल वाली व्यवस्था है और इस व्यवस्था को श्री जार्ज फर्नान्डीज के नेतृत्व वाले समाजवादी श्री अमलदत्त के नेतृत्व वाले मार्क्सवादी तथा अन्य खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं है। हर बार हमारे देश के लोगों ने गलती से राजनीतिक सत्ता जनता अथवा किसी नाम के संयुक्त गठबन्धन को सौंप दी थी जिससे हमेशा संकट उत्पन्न हुआ है। 1979 में भारत ने 1947 के बाद से सबसे बड़े संकट का सामना किया था। तथा 1991 में हमने 1979 से भी बड़े संकट का सामना किया था।

ऐसी बात नहीं है कि संकट तभी आएगा जब जनता पार्टी सत्ता में आएगी। संकट तब भी आ सकता है जब कांग्रेस सत्ता में हो। अब मैं तीन ऐसे संकटों के बारे में बताता हूं जिनका हमने सामना किया है।

1955 के आसपास सरकार को विदेशी मुद्रा का भारी संकट का सामना करना पड़ा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुटाया गया स्टर्लिंग शेष निःशेष हो गया था। हमने क्या किया। हमने उस संकट का सामना किया तथा उसे एक आधार में बदला। उसी संकट की वजह से नेहरू के दूसरी पंचवर्षीय योजना तथा अन्य पंचवर्षीय योजनाओं में समस्त प्रस्ताव सभी कार्यक्रम शुरू किए गए।

[श्री मणिशंकर अय्यर]

दूसरा संकट 1973 में आया था जब तेल का संकट हो गया। कांग्रेसी शासन के दौरान भारत की क्या स्थिति रही थी। हमने इस प्रकार की कार्यवाही की कि रातोंरात तेल का उत्पादन तीन गुना बढ़ गया जिससे हम संकट शुरू होने के समय की तुलना में संकट के अन्त में तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए थे।

1987 में हमने देश में सबसे भीषण सूखे का सामना किया था। हमारे देश ने निश्चित रूप से सर्वाधिक भयंकर न सही पर बहुत ही भयंकर संकट का सामना किया था। जबकि हमारे विपक्ष के मित्र बिना बात बोफोर्स के अर्थहीन आरोप लगा रहे थे, हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने इन सभी मामलों में समय बर्बाद करने के बजाय इस संकट से निपटने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी जिसका परिणाम यह हुआ था कि पहली बार देश के कृषि इतिहास में सूखे के बावजूद विकास की सकारात्मक दर बनी थी।

मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की इस बात से सहमत हूं कि अगस्त, 1991 में शुरू हुए संकट में बहुत से तत्व मौजूद थे। यह हमने पैदा नहीं किया था। परन्तु कांग्रेसी शासन में संकट से निपटने तथा गैरकांग्रेसी शासन में संकट से निपटने में क्या फर्क है। मैंने आपको यह दिखाने के लिए कि कांग्रेस सरकार किस प्रकार संकट से निपटती है 1956, 1973 तथा 1987 के तीन उदाहरण दिए हैं। अन्य सरकारें क्या करती थीं? सबसे बड़ा संकट जो बाहरी सन्तुलन का था जिसका सामना हमने किया था उस पर उस समय की जनता दल सरकार ने क्या किया था? एक ने मंडल का मामला उठाया, दूसरे ने मंदिर का मामला उठाया तथा इन दोनों के बीच में हमारे विदेश मन्त्री ने इस सभा में बताया कि उनकी सरकार राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से टेलीफोन पर इसलिए बात नहीं कर सकी क्योंकि वह प्रधान मन्त्री से पूछेंगे कि इराक पर उनकी सरकार की क्या नीति है, तथा विदेश मन्त्री ने बताया था कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी सरकार की क्या नीति है, अतः वे इस बारे में ईराक के राष्ट्रपति से कैसे बात कर सकते है?

5.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गैर कांग्रेसी सरकारें संकट का निपटान करने में पूर्णतया विफल रहती है जिससे संकट और गहरा हो जाता है। तथा इसी कारण लोग यह जानते हैं कि उन लोगों को सत्ता देनी चाहिए जो शासन कर सकें तथा संकट से निपट सकें; तथा उन्होंने जून 1991 में, अपनी नवम्बर 1989 में की गई गलती को महसूस किया तथा कांग्रेस सरकार को फिर से सत्ता में लाए। जनता ने हमारे अन्दर जो विश्वास किया हमने उसे पूरा किया, क्योंकि केवल 6 महीने में ही यह देश जो दिवालिया होने जा रहा था जिस पर किसी वित्तीय संस्था को विश्वास नहीं था और ऐसा लगता था कि यह देश बर्बाद हो जायेगा उसका कुछ नहीं हुआ तथा वह फिर से संभल गया और आज इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार संकट से निपटा जाता है।

मैं विशेष रूप से वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दो काम किए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा क्यों है शायद इसलिए कि मे अत्यधिक विनम्र हो गए कि वे भूल गए कि अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र करना है।

महोदय, सामान्यतः, जब कोई ऋणग्रस्त देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता की मांग करता है तो विश्व के सभी देशों का यह अनुभव है, विशेषकर अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका में कि

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी सहायता देने संबंधी शर्तों में इस बात पर जोर देता है कि गरीबों के लाभ के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उन्हें कम किया जाये हमारे वित्त मन्त्री महोदय की बड़ी उपलब्धि यह रही है कि हम तालमेल वाले वर्ष में, जब हम तमाम चीजों में कटौती कर रहे हैं, जब हम सभी मोर्चों में खर्चों के मामलों में रुकावट डाल रहे हैं हमने अपने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में होने वाले खर्चों में कमी नहीं की है। हमने खाद्य पर राज सहायता में कमी नहीं की है। इस प्रकार का सौहार्द पूर्ण तालमेल देश के अच्छे प्रशासन को दर्शाता है बजाय मंडल या मन्दिर की बात करने के।

हमने इस देश को जिम्मेदारी के साथ चलाया है। यह जिम्मेदारी कहां से आयी ? यह जिम्मेदारी इस तथ्य से आयी है, जिसे मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी समाजवादी पार्टी है, हमारी समाजवादी सरकार है, हमारी सरकार उस संविधान का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें कि हमारे गणराज्य को समाजवादी बताया गया है। (व्यवधान) हमारा समाजवाद क्या है ? यह हमारे कम्युनिस्ट तथा मार्क्सवादी मित्रों की ओर से उठाया गया एक बहुत अच्छा प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में 15 वर्ष के कम्युनिस्ट शासन में केवल एक ही रोशनी प्रज्जवलित हुई है और वह है बंगाल लैम्पस् में प्रज्जवलित-ज्योति। यह मार्क्सवादी विरासत ही है जिसने समाजवाद को सारे विश्व में बिखेर दिया है, परन्तु स्टालिनवाद के अधीन केवल स्टालिन के रूस के समाप्त होने के कारण रूस समाप्त हुआ है, पर समाजवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारा समाजवाद जीवित है। हमारा समाजवाद एक स्वदेशी समाजवाद है। हमारा समाजवाद विदेशों में छपी पुस्तकों पर आधारित नहीं है। हमारे समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और इसको हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो तथा खाद्य पदार्थों में राज सहायता में कटौती करने से मना कर दिया है। और हमेशा हमारा पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य गरीबी उन्मूलन होगा। इस गरीबी उन्मूलन से संबंधित है आत्म निर्भरता। हम आत्म निर्भर लोग हैं और हमारी आत्मनिर्भरता के कारण हमारे अन्दर आत्मविश्वास है। हम मार्क्सवादी सिद्धान्त के कारण इस बात से भयभीत नहीं होंगे कि यदि विदेशी कम्पनियों को निवेश करने दिया गया तो हमारी संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है हम जानते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं हमारे सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में एक प्रकार की अन्तर्शक्ति निहित है और इसके अलावा हमारे लोगों में एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा हमारी संप्रभुता को कम आंकने के प्रयास के दबाव का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे देश के लोग जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश का विकास करने में सहायक हो सकती है। और हम देश के विकास के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उपयोग करेंगे। पण्डितजी के समाजवाद में सबसे अधिक जोर उत्पादकता और रोजगार को दिया गया था। और उन्होंने कभी भी इन मार्क्सवादी वर्गों के साथ साध्य और साधनों को नहीं जोड़ा है। तीन-दशक पूर्व, उन्होंने साध्यों पर उच्च उत्पादकता और अत्यधिक रोजगार की दृष्टि से देखा था और वह उन सब साधनों का उपयोग करने के लिए इच्छुक थे उन सब साधनों के तालमेल के लिए इच्छुक थे जो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे।

1956 में यह आवश्यक था कि हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और रोजगार को बढ़ाने में सरकारी क्षेत्रों की गैर-सरकारी क्षेत्रों की तुलना में बड़ी भूमिका हो।

असफलता के लिए नहीं सफलता के लिए धन्यवाद। मैं नेहरूवियन मॉडल की सफलता को दोहराता हूं; अब हम उस अवस्था में पहुंचे हैं जहां उस नीति को बदलना हमारे लिए संभव है, और नीति को बदलते समय हम यह न भूलें कि हमने अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को नहीं छोड़ा है। कुल मिलाकर हमने कहा है कि हमारे यहां बड़े और छोटे सरकारी क्षेत्र हैं। ढीले-ढाले सरकारी क्षेत्र

[श्री मणिशंकर अय्यर]

नेहरूवियन समाजवाद का भाग नहीं है। सरकारी क्षेत्र को भाई-भतीजा वाद के लिए प्रयोग करने की अनुमति देना नेहरूवियन समाजवाद का भाग नहीं है। गैर सरकारी क्षेत्रों की गलतियों को देखना नेहरूवियन समाजवाद का भाग नहीं है। सम्पूर्ण राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपने आप मे हानि का स्वरूप है यह सरकार द्वारा गैर सरकारी क्षेत्रों की गलतियों को देखने का परिणाम है। यह नेहरूवियन समाजवाद का भाग नहीं था।

यदि श्री मनमोहन सिंह जी ने पिछले छः महीनों में नेहरूवियन समाजवाद में आए विकारों को दूर करने के लिए किया है तो उन पर पंडित नेहरू के मार्ग का परित्याग करने का दोष न लगाएं। चूंकि आज भारत के वित्त मन्त्री श्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के वित मन्त्री हैं, कांग्रेस दल के वित्त मंत्री हैं, समाज के वित्त मन्त्री हैं वह सम्पूर्ण विश्व में समाजवाद का वैध रूप बन गया है। यह वैध क्यों है? यह वैध इसलिए है कि क्योंकि केवल समाजवाद का नेहरूवियन मॉडल ही लोकतन्त्र से जुड़ा समाजवाद है। तेजी से विकसित पूर्व एशिया अर्थव्यवस्था में जो अधिकांशत: रुकी रही है, विशेष रूप से हमारे भा.ज.पा. के मित्रों द्वारा जो कि हमारे लिए उदाहरण है जैसा कि हम इसे समझते हैं बहुत ही कम मात्रा में लोकतंत्र कहा जा सकता है। मैं यह देखना नहीं चाहूंगा कि यह देश अपने लोकतंत्र का तिरस्कार करके अपनी उत्पादकता बढ़ाए। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवाद इसलिए नहीं समाप्त हुआ है कि वहां समाजवाद में कुछ गलतियां हैं। यह इसलिए है क्योंकि वहां लोकतन्त्र नहीं है। सम्पूर्ण विश्व चाहे वह पूंजीवादी हैं अथवा समाजवादी विश्व अब वह नेहरू के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं जोकि हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों का मिश्रण समय की वास्तविकता है और बाजार न कभी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्वीकार करता है और न फासीवाद की। हमारा कहना यह है कि अर्थव्यवस्था को लोकतंत्र की शासन व्यवस्था से जुड़ा होना चाहिए। और यह लोकतंत्र और समाजवाद के बीच उल्लेखनीय मिश्रण है जो नेहरूवियन दृष्टिकोण का निचोड़ है।

मैं श्री मनमोहन सिंह को एक बात वस्तुत: दो बातों से सावधान करना चाहूंगा जिनसे कांग्रेस के सभी वित्त मंत्रियों को सचेत रहना चाहिए। एक तरफ श्री पालकीवाला द्वारा की गई प्रशंसा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मौत के मुंह में ले जाने वाला दुलार है। मेरी प्रसन्नता आज वास्तविक प्रसन्नता नहीं है क्योंकि मुझे यह देखकर धक्का लगा कि श्री जसवन्तसिंह हमारे वित्त मन्त्री की प्रशंसा कर रहे थे। वह ऐसा क्यों कर रहे थे? वह ऐसा किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से कर रहे थे। यह अप्रत्यक्ष उद्देश्य यह दावा करता है कि नेहरूवियन माडल असफल रहा है और भारत सरकार नेहरू के मार्ग का परित्याग कर रही है।

महोदय, मैं आपके जरिए श्री जसवन्त सिंह को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस दल नेहरू जी, इन्दिरा जी और राजीव जी का मार्ग कभी नहीं छोड़ पाएगा।

और यदि डा० मनमोहन सिंह सहित भारत के किसी वित्त मन्त्री को यह मार्ग छोड़ना पड़ा तो वह पायेंगे कि वह अकेला उस मार्ग पर चलेगा और कांग्रेस दल उनके पीछे नहीं चलेगा। ऐसा उस नीति के कारण है जो उन्होंने व्यक्त की है वह समाज के समाजवादी पैटर्न के उन सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप हो जो प० जवाहरलाल नेहरू द्वारा अवाडी में 1955 में रखे गए थे कि कांग्रेस वित्त मन्त्री की अपनी विश्वसनीयता हो सकती है।

जब मैं डा० मनमोहन सिंह की तरफ देखता हूं तो मैं उन्हें एक ऐसे वित्त मन्त्री के रूप में

देखता हूं जिन्होंने न केवल कांग्रेस दल के सिद्धान्तों को सच करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं बल्कि सम्पूर्ण विश्व से आदर पा रहे है। चाहे वह पूंजीवादी है अथवा समाजवादी। यदि वह किसी से आदर नहीं पा रहे हैं तो श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री जसवंत सिंह और श्री अमल दत्ता से। इसके लिए महोदय, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। यह उनका मृत्यु से आलिंगन करने से बदतर कुछ नहीं है।

लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि यदि वित्त मंत्री वर्तमान कठिनाईयों को बने रहने देते हैं जो उन्हें अपने को अस्तित्व में बने रहने से रोकती हैं, यदि वह मूल्यों संबंधी समस्याओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं, रोजगार की समस्याओं को बने रहने देते है जो उन्हें उस रास्ते पर चलने से हटाती है जिस पर वह चल रहे है तो यह अत्यधिक खतरनाक बात है। उन्हें अपनी बात पर डटे रहना चाहिए क्योंकि यह पश्चाताप की अवधि का अंत है जिसमें हमें 1989 और 1991 के बीच जनता सरकार द्वारा की गई गल्तियों में सुधार किया जा सकता है।

इसलिए निष्कर्ष में, मैं वित्त मन्त्री से भारतीय जनता पार्टी के गुलदस्तों को स्वीकार न करने, मार्क्सवादियों के रोड़ों से दूर रहने और कांग्रेस के मार्ग, नेहरू के मार्ग और सही मार्ग पर बने रहने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष जी, हम लोग अभी देश के आर्थिक संकट पर विचार कर रहे है। डा० मनमोहन सिंह जी ने दो दिन पहले एक वक्तव्य देकर इस आर्थिक संकट को स्वीकार किया। देश में आर्थिक संकट क्यो उत्पन्न हुआ और इसका निदान ये क्या कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात आज के सन्दर्भ में यही है।

देश में मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही हैं, गरीबी बढ़ रही है और जो आयात निर्यात के बीच का गैप है, वह बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा की कमी होती चली जा रही है, देश मे क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ रहा है, असमानता बढ़ रही है, यह आज का मौजूदा आर्थिक सकट है।

इसके अलावा देश कर्ज के जाल में डूबा हुआ है। अन्दर का कर्जा 81 परसेंट छोड़ दें, बाहर का कर्जा 19 परसेंट हैं। इनके हिसाब से विदेशी कर्ज एक लाख 80 करोड़ रुपए है। 36 परसेंट इनको निर्यात से आमदनी होती है, वह कर्ज चुकाने में खर्च हो जाती है। आज हालत यह हो गई है कि यह देश कर्ज के जाल में फंसता चला जा रहा है।

अभी कांग्रेस की तरफ से मशहूर सांसद श्री मणिशंकर अय्यर दलील दे रहे थे।

एक माननीय सदस्य : पहले से ही मशहूर हैं।

श्री नीतीश कुमार : मशहूर होने के बाद सांसद बने। राजीव गांधी जी के जमाने में पत्र-पत्रिकाओं में इनके बारे में पढ़ करके, कि सचमुच इनमें जानकारी के मामले में कोई गहराई होगी लेकिन आज जब इनकी बात मैं सुन रहा था तो सिवा चिल्लाने के इनकी बात में कोई तर्क था ही नहीं। परस्पर विरोधी बात यह बोलते चले जा रहे हैं। हम लोग तो देहात से आते हैं, हम लोग तो दून स्कूल से नहीं आते हैं, हम लोग तो ग्राम पंचायत के स्कूल में पढ़े हैं और साधारण कालेजों में पढ़कर पटना यूनिवर्सिटी से निकलते हुए आए हैं, हम लोग दून स्कूल में नहीं पढ़े हैं, बड़े बाप के बेटे हम नहीं हैं, साधारण स्वतन्त्रता सेनानी के बेटे हैं लेकिन इनकी बात जो हमने सुनी है, जो इनके बारे

[श्री नीतीश कुमार]

में सुनते रहते थे, यानि परस्पर विरोधी बातों का जाल, आज ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक नीतियां विफल रहीं, इस ढंग से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, इस मुल्क में, जैसे लगता है कि देश फेल हो गया हो, देश विफल हो गया हो, इस रूप में तालमेल करके प्रस्तुत कर रहे हैं। असल में इस देश में नेहरू वियन माडल चला आ रहा है, जिसकी तारीफ यह कर रहे थे, जनाजा तो निकाल दिया और तारीफ भी साथ-साथ कर रहे हैं। दोनों काम एक साथ, अभी यह दृश्य देखने को मिल रहा था, एक तरफ नेहरू का जनाजा भी निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।

नेहरूवियन माडल इस देश में चला और आज नेहरूवियन माडल फेल हो गया है। नेहरूवियन माडल इस देश में क्या था कि इन्होंने कहा कि देश में उद्योग को बढ़ावा देंगे, आज यह बड़े फख्र के साथ कह रहे थे कि 1955 में क्राइसेस आया और 1956 में हमने उस क्राइसिस से निकलने के लिए बड़ा भारी जम्प दिया और औद्योगीकरण की ओर हम बढ़े। 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कृषि की उपेक्षा शुरू हुई और उद्योग को प्रधानता मिलनी शुरू हुई, आज इस पूरे मुल्क के विनाश का यही कारण है। आज जार्ज साहब बोल रहे थे तो इन्होंने बता दिया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। आज हमारी प्रति व्यक्ति औसत आय है 4 हजार कुछ रुपए और दूसरी तरफ अमेरिका की है 6 लाख से ज्यादा और स्विटजरलैंड की 7 लाख रुपए से ज्यादा है। औद्योगीकरण की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, जब आप औद्योगीकरण की तरफ बढ़े तो दुनिया आटोमेशन की तरफ बढ़ती गई। मतलब इसके पीछे बढ़ते चले गए, अन्धानुकरण करते चले गए, उसका इस देश में कोई नतीजा नहीं निकला।

पब्लिक सैक्टर नेहरू जी ने रखा, एक अच्छी चीज थी लेकिन आज पब्लिक सैक्टर का जनाजा निकाल रहे हैं, उसको साफ करते जा रहे हैं। हालांकि पब्लिक सैक्टर की दुर्गति के लिए हम किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते लेकिन पब्लिक सैक्टर का जिस ढंग से दुरुपयोग हुआ है, पब्लिक सैक्टर जिस ढंग से स्थापित किए गए, वंशवाद को बढ़ाने के लिए इनएफीसिऐंसी बढ़ाने के लिए, हम उस पब्लिक सेक्टर के पक्षधर नहीं हैं लेकिन प्राइवेट सैक्टर के हम आलोचक नहीं हैं। जार्ज साहब ने आज बताया कि किस प्रकार से पब्लिक सैक्टर में चोरी है, बेईमानी है, अक्षमता है, अकुशलता है लेकिन पब्लिक सैक्टर की अकुशलता और अक्षमता पर रोना रोया जाता है तो नेहरू जी ने औद्योगीकरण शुरू किया, नेहरू जी ने उस समय कहा था, ग्रोथ विथ इक्विटी होगी, नेहरूवियन माडल का यह सिद्धांत था ग्रोथ विथ इक्विटी और यह कहा कि जब औद्योगीकरण होगा तो ऊपर जो विकास होगा उसका लाभ नीचे तक पहुंचेगा। यह पिरामिड को उलटने की बात थी और यह हुआ नहीं और यह विफल हुआ। इस मुल्क में नेहरू जी के इस माडल की खिलाफत उस समय के समाजवादियों ने की। डा० लोहिया ने खिलाफत की, जे० पी० ने खिलाफत की लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आज बड़े फख्र के साथ भारतीय समाजवाद की चर्चा कर रहे थे, पता नहीं स्वतन्त्र पार्टी का दर्शन अगर हिन्दुस्तानी समाज वाद है तो यह मणिशंकर अय्यर को मुबारक हो, डा० मनमोहनसिंह को मुबारक हो, नरसिंह रावजी को मुबारक हो लेकिन इस देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। स्वतंत्र पार्टी का दर्शन अपना लिया है, मुरली देवड़ा बैठे हुए हैं, इनके दर्शन को अपना लिया और कह रहे हैं कि यह भारतीय समाजवाद है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती, समाजवाद है क्या? अच्छा होगा, अगर आपका वश चले तो समाजवाद शब्द की परिभाषा

को आप बदल दीजिए, समाजवाद का अर्थ पूंजीवाद लिख दीजिए, तब कोई बात नहीं। आप बोलिए, आप बोल सकते हैं, आपको तब समाजवाद के ऊपर बोलने का अधिकार है। नेहरू जी ने कहा ग्रोथ विथ इक्विटी होगी, लेकिन बात उल्टी थी, नहीं हुई। मतलब इस देश में गांधी जी ने जब आजादी दिलाई थी और अब आजादी के पहले की जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, उसको अंग्रेजों ने चौपट किया था।

पहले हमारे पास कुटीर उद्योगों का जाल था। एक से एक कुशल कारीगर थे, शिल्पी थे, अंगूठी से मलमल का थान निकल जाता था लेकिन आज यह कला नहीं है कहीं। चाहे अमेरिका जितना विकास कर जाये, चाहे दूसरे मुल्क जितना विकास कर जाएं लेकिन वह कला, वह शिल्प आज भी किसी के पास नहीं है जो ढाका के मलमल में हुआ करती थी लेकिन उस समय उस उद्योग को नष्ट किया, अपना बाजार कायम करने के लिए उन उद्योगों को नष्ट किया। गांधी जी ने कहा था कि कुटीर उद्योगों के माध्यम से, हमारे देश में आदमी ज्यादा हैं, पूंजी कम है और चले नेहरू जी मानने औद्योगीकरण का और आज हम बड़े फख्र के साथ कह रहे हैं, उससे भी दुर्गति की ओर, रसातल की ओर मुल्क को ले जाने के लिए जो नया सिद्धांत गढ़ रहे हैं, डा० मनमोहन सिंह और नरसिंह राव और माननीय मणिशंकर अय्यर जैसे बुद्धिजीवी जो उसका समर्थन कर रहे हैं, यह मुल्क को कहां ले जायेगा। यह पूरी की पूरी बुद्धि विरोधी बात, जब हमारे पास पूंजी कम है और आदमी ज्यादा है, अगर पूंजी प्रधान उद्योगों का हम सहारा लेंगे तो हमारे आदमी बेरोजगार होंगे। हमारे पास पूंजी नहीं है, हम दुनिया के बाजार मे पिट जायेंगे और यही हो रहा है। इस देश के आर्थिक संकट की जड़ मे यही नेहरूवियन माडल है, जिस नेहरूवियन माडल की खिलाफत समाजवादियों ने की थी। उस नेहरूवियन माडल के खिलाफ हिन्दुस्तान का ज्यादा जनमत था। आपको वोट पड़ते रहे 40 प्रतिशत से कम और आपके खिलाफ वोट पड़ते रहे 60 प्रतिशत से ज्यादा — 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग आपकी नीतियों को नकारते रहे है। चाहे वे अपनी कितनी ही पीठ थपथपा लें, लेकिन आज वह नीति फेल हो गई है। नेहरू जी के मरने के पहले, इसी संसद मे वे स्वीकार कर चुके हैं और बाहर भी स्वीकार किए थे कि हमने इस देश में जो औद्योगीकरण की आर्थिक नीति चलाई है, वह फेल होती आ रही है। इस देश में जब खेती को बढ़ावा नहीं मिला, तो देश पर संकट पर संकट आते चले गए और आज वह संकट क्या आपके पास नहीं आने वाला है, मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा भारी संकट आने वाला है। आई.एम.एफ. द्वारा खाद पर सब्सिडी हटाने का दबाव पिछली सरकार पर भी था और वी.पी. सिंह की बड़ी आलोचना की गई, मैं तो वी.पी. सिंह की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने उस दबाव के सामने घुटने नहीं टेके और उसको मंजूर नहीं किया लेकिन आज सब्सिडी हटाई जा रही है। हम लोगों के द्वारा जब इस बारे में तर्क दिया गया, तो उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले किसानों के लिए इसको लागू करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह कार्यान्वित हो रहा है? क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इससे सहमत है? क्या अन्य राज्य सरकारें इससे सहमत हैं और क्या उनको व्यावहारिक कठिनाई नहीं आ रही है? आज जो खाद पर सब्सिडी की बात आपने किसानों के लिए कही है वह लागू नहीं हो रही है और कभी लागू नहीं होगी।

हमारा अनुभव है कि दो प्रकार की चीजों से चोर-बाजारी बढ़ती है। आज भी खाद के मामले में चोर-बाजारी बढ़ेगी। आपने अभी सप्लीमेंट्री बजट में 250 करोड़ रुपये की सदन से अनुमति प्राप्त की है, लेकिन उस पैसे का लाभ गरीब किसानों को नहीं मिलेगा। वह पैसा दूसरी चीजों के नाम पर बंट जाएगा और दूसरी तरफ चोर-बाजारी बढ़ेगी। इसके चलते देश में अनाज का संकट पैदा होगा। इनकी गलत नीतियों के कारण देश में अनाज कम पैदा होगा और आज भी गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। इस देश को सचमुच में बचाना है, देश को आर्थिक संकट से उबारना चाहते हैं, तो इस प्रकार के

[श्री नीतीश कुमार]

शब्द जाल में देश को मत डालिए। आप कहते हैं कि आई. एम. एफ. की कोई कंडिशनैलिटीज नहीं है। आपके वक्तव्य में साफ-साफ है, आप खाद्य तेल का आयात करने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं यह कौन सी आपकी नीति है? 1987-88 के अकाल की चर्चा करके अय्यर साहब ने राजीव गांधी के शासन की तारीफ की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह इस देश का काला अध्याय है। खाद्य तेल का मामूली संकट आया और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तेल का आयात कर लिया। उसके चलते जो हमारा रिक्वायरमेंट था वह बढ़ गया। हमारी आवश्यकता बढ़ गई, क्योंकि सस्ते दामों पर तेल मिला, तो लोगों की जरूरत बढ़ी। उस समय प्रति व्यक्ति 48 ग्राम की जरूरत थी, वह बढ़कर 54 ग्राम हो गई और आज उसके चलते 58 ग्राम की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि 58 ग्राम की जगह पर आज अगर 54 ग्राम प्रति व्यक्ति खाने का तेल उपलब्ध है, तो उससे कोई इन्सान मर जाएगा। मैं समझता हूं कि यह ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं है। एडिबल आयल अगर चार ग्राम कम हो जाएगा, तो उससे कोई आदमी मरने वाला नहीं है। उस आदमी के स्वास्थ्य पर कोई खराब असर पड़ने वाला नहीं है बल्कि बढ़िया असर पड़ेगा। कहा जाता है कि देश में खाद्य तेल का संकट है, हौवा खड़ा हो रहा है। माननीय मनमोहन सिंह जी उद्योगपतियों से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बात की जानी चाहिए, लेकिन क्या तेलिया राजा के सामने घुटने टेकने चाहिए थे। उसकी बात पर यकीन करना चाहिए था। वही गुजरात के तेलिया राजा लोग संकट पैदा करते हैं और हिन्दुस्तान के खाने के तेल के मार्केट को कन्ट्रोल करते हैं। इन्हीं लोगों ने दो साल पहले एन. डी. डी. बी. के चेयरमैन, श्री कुरीयन पर हमला कराया। ऐसे काम ये लोग करते रहते हैं, लेकिन उनके सामने घुटने टेके जाते हैं। बड़े पैमाने पर कृत्रिम संकट पैदा करने की यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर आप हमला नहीं करेंगे, तो तेल का दाम नहीं घटेगा। बाहर से तेल मंगाने की गलती, डा० मनमोहन सिंह जी से आग्रह है, मत करिए, जो कि इस देश के हित में है। बड़ी मुश्किल से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, लेकिन ऐसे देने के लिए नहीं। मैं कहता हूं कि ऐसा संकट देश में नहीं है। इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही परेशानियां बढ़ती चली गई। इनके ही आंकड़े हैं, रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं, लेकिन मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोजगार के अवसर क्या सिमटते नहीं चले जा रहे हैं? रोजगार के अवसर सातवीं पंचवर्षीय योजना में घटकर, सिमटते-सिमटते, 1.8 परसेंट पर चले गए हैं। आप इन बातों को जानते हैं। मैं पूछता हूं, यह किसकी विफलता है? बड़ी आसानी से दो बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनीं, 1977-79 के बीच और पिछली बार ग्यारह महीने के लिए तथा उसके बाद गैर कांग्रेस सरकार नहीं थी, वह तो आपकी कठपुतली सरकार थी। वह तो आपकी सरकार थी। मतलब दो साल और 11 महीने का सारा दोष है, क्या ये जो बेरोजगारी के घटते हुए अवसर है इसके कारण मोरारजी या विश्वनाथ प्रताप सिंह या जो 42-44 साल तक शासन करते रहे, ये जवाबदेह नहीं है, ये कहते चले आ रहे हैं, गरीबी की जब बात होती है, गरीबी का ये आलम है, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 30 फीसदी हो गई थी लेकिन आज की तारीख में फिर से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या पचास फीसदी हो गई है। ये कौन सी तरक्की है, कौन-सा आपका आर्थिक मैनेजमेंट है, तथाकथित नेहरूवियम माडल और आज छिपा रहे हैं, दफन भी कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। (व्यवधान) आपकी आर्थिक नीतियां फेल हुई हैं, उनका उपचार कर रहे हैं और उपचार उससे भी खतरनाक है।

आप पूरे देश को आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक का गिरवी बनाते जा रहे हैं और आप पूरे

देश को मल्टीनेशनल्स का गिरवी बनाते जा रहे हैं, ये देश में और बड़ा संकट लाएगा। मैं तो कहता हूं कि इनएफीशिएंसी की बात पब्लिक सैक्टर के संदर्भ में कही जा रही है। डा० मनमोहन जी वह दिन दूर नहीं है जब कहा जाएगा कि डेमोक्रेसी डेवेलपमेंट के लिए खतरनाक है और इस डेवेलपमेंट के नाम पर डेमोक्रेसी की हत्या होने जा रही है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तर्क में आप बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस प्रकार का पत्र लिखने हैं भारत के वित्त मन्त्री, स्वतन्त्र राष्ट्र के वित्त मन्त्री की हैसियत से लिखा गया पत्र बड़ा ही शर्मनाक हम लोगों को लगता है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा था, अमरीका ने पी. एल. 480 में जब कान ऐंठना शुरू किया भारत का, तो कहा था कि हम सप्ताह में एक शाम नहीं खाएंगे। हम स्वावलम्बन को भूल गए, स्वदेशी मामलों को भूल गए, हम बिल्कुल चले जा रहे हैं उस उपचार के लिए, विदेशों के सामने हाथ में कटोरा ले करके और अगर कुछ कहा जाता है तो आप कह रहे हैं कि हमने आर्थिक मैनेजमेंट सुधार लिया है। विदेशी मुद्रा 2600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपए तक ला दिया है, यह सारी बात कहते जा रहे हैं। यह अपनी पीठ खुद थपथपाते जा रहे हैं लेकिन मुल्क रसातल में जा रहा है, गिरावट की ओर जा रहा है। इस तरह से न रोजगार के अवसर मिलेंगे न यहां से गरीबी दूर होगी और न असमानता दूर होगी और जो आपकी आर्थिक नीति है उस पर क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है फिर देश के कुछ भाग तरक्की कर सकते हैं, कुछ आदमी तरक्की कर सकते हैं लेकिन पूरा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है।

बिहार का क्या हालत है, खनिज सम्पदा में बिहार में ज्यादा, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश में ज्यादा, क्या हालत है, सबसे अधिक अ ज दुर्गति बिहार की है इस देश में आन्तरिक उपनिवेश बनता चला जा रहा है, बिहार जैसा राज्य, यह किसके चलते हुआ है, यह आपकी गलत नीतियों के चलते हुआ है। जब मनमोहन सिंह जी अगस्त के आखिरी सप्ताह में पटना गए थे तो वहां बिहार के चैम्बर आफ कामर्स ने उनको एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें एक एक बात लिखी है कि किस प्रकार बिहार का दोहन और शोषण हो रहा है। गरीब राज्यों का शोषण हो रहा है। प्रतिव्यक्ति आय बिहार में 2122 रुपया, देश में 4247 रुपया, प्रतिव्यक्ति योजना में सबसे कम पहली योजना से लेकर सातवीं योजना तक का आपको मालूम है, यह आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है। सातवीं योजना में 626 रुपया आपने बिहार को दिया, देश का औसत 1026 रु०, केस क्रेडिट डिपोजिट रेशो बिहार में है 38, देश का है 60, यह उपनिवेश बना करके रखा है। जो गरीब राज्यों के लोग हैं, नागरिक हैं अपनी बचत वहां करते हैं, लेकिन उस बचत का इस्तेमाल उस राज्य के विकास के लिए नहीं होता है, वहां से पैसा लूट करके ले जाते हैं और दूसरी जगहों पर यह अन्याय होता जा रहा है।

अब बिजली की हालत के बारे में, बिहार में बिजली नहीं है, आज बिजली की क्या हालत है इसके लिए कौन जवाबदेह है, कितने साल किसका शासन रहा है यह हिसाब करके देख लीजिए। जब-जब गैर कांग्रेसी राज रहा है बिहार में, नया बिजली का कारखाना लगा है, उसके नए संयंत्र लगे लेकिन जब-जब वह शासन गया है तब-तब जो पुरानी प्रगति है उसी को भट्ठा बैठाने में कांग्रेसी राज लगा रहा है, यह स्थिति रही है बिहार की। आज वहां की क्या स्थिति है, प्रतिव्यक्ति उपलब्धता बिजली की 19.56 मेगावाट और भारत का है 65.15 मेगावाट, आज यह हालत है, पीक डिमांड है बिहार का 1526 मेगावाट और सप्लाई है जो शायद कभी ही पूरी हो पाती है 640 मेगावाट, यह हालत है। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार में कुल जो लगाया जा रहा है पैसा देश भर में, उसका है 2.93 प्रतिशत और शेष मुल्क में 97.07 प्रतिशत लगाया जा रहा है। बिहार की आबादी 11 फीसदी है और यह है आपका वहां पर खर्च, आप कौन सा भारत बनाने जा रहे हैं, एक भारत

[श्री नीतीश कुमार]

और एक इंडिया, यही हुआ है कांग्रेस के राज में, जिसकी तारीफ यहां एय्यर साहब करते चले जा रहे हैं। यही हुआ है मुल्क दो हिस्सों में बंटा है, एक है भारत और एक है इंडिया। एक भारत है जो कंगाली का भारत है और एक इंडिया है जो मुरली देवड़ा और मनी शंकर अय्यर का जिसमें कुछ मल्टीनेशनल के एजेंट इस देश में पनपते हैं। (व्यवधान) जिसमें कुछ पूंजीपति हैं जो फलते हैं, बढ़ते हैं, यह है तस्वीर आज की, मुल्क के आर्थिक संकट की।

मनमोहन सिंह जी और नरसिंह राव जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मुल्क को दुर्गति की तरफ मत ले जाइए, मुल्क को असमानता की तरफ मत ले जाइए, क्षेत्रीय असंतुलन की तरफ मत ले जाइए, बेरोजगारी की तरफ मत ले जाइए। बढ़ती हुई कीमतों की तरफ मत ले जाइए, मुद्रास्फीति की तरफ मत ले जाइए। देश को अगर सही रास्ते पर लाना है तो निश्चित रूप से आजादी की लड़ाई में हमारे जो उद्देश्य थे, उनकी तरफ लौट कर देखना होगा और इस धरती से निर्माण शुरू करना होगा। विदेश के दान से और भयंकर शर्तों पर मिले विदेशी कर्जे से मुल्क नहीं बन सकता है, मुल्क बन सकता है अपनी इच्छाशक्ति से, मुल्क बन सकता है अपने संसाधनों के सही इस्तेमाल से और मुल्क बन सकता है कठोर श्रम से, परिश्रम से, समन्वय से, देश को दुर्गति से निकालने के लिए मिलकर काम करने से मुल्क बच सकता है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस ओर ध्यान दे। यह माइनारटी सरकार है, इधर के सपोर्ट पर चल रही है। पता नहीं कब हमारी इच्छा हो, कब इरादा कर लिया जाए और यह सरकार पल्टा खा जाए। अगर हम चाहते हैं कि आप रहें तो हम यह भी चाहेंगे कि सही रास्ते पर भी चलें। मैं अनुरोध करूंगा कि गांधीवादी नीतियों की ओर इस मुल्क को ले चलिए, ताकि सचमुच में देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके और हम दुनिया को दिशा दे सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करते समय इसके जो विभिन्न पहलू हैं, उनके बारे में मेरे पहले के वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं और बढ़ती हुई कीमतों के बारे में सबको चिन्ता है। प्रतिज्ञा के बावजूद हमारी सरकार इसका कोई इलाज नहीं कर पाई है। अगर कीमतें बढ़ाने के विषय में विचार किया जाए तो उसके पीछे कोई रीजन नजर नहीं आता है। एक तरफ बढ़ती हुई कीमतें है और दूसरी तरफ असेंशल सर्विसेस के दाम बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ती हुई कीमतों के कारण बताए जाते हैं, वे भी वास्तविक नहीं होते, अनरीजनेबल हैं और अनप्लांड हैं। जब भी शासन के मन में आता है कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, सर्विसेस की और वस्तुओं की, सब अनप्लांड, अनरीजनेबल, इस वजह से इस बारे में ज्यादा चिन्ता होती है।

दूसरी बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, जैसा कि श्री जसवन्त सिंह जी ने बताया है कि हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में और रुपए की कीमत के बारे में कोई विश्वास दुनिया में नहीं रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जैसा आपने कहा कि प्रोडेक्शन तो है, लेकिन बेकारी बहुत है, बाजार में लेने वाला कोई नहीं है। जो अनपढ़ लोग हैं, वे तो बेरोजगार रहते हैं, बेकार रहते हैं और जिन लोगों में कोई क्वालिटी होती है, वे लोग बड़ी मात्रा में विदेशों में जा रहे हैं। मैंने

अभी आई. आई. टी. कालेज का वार्षिक अहवाल पढ़ा, उसमें देखने को मिला कि हर एक बैच के 76 परसेंट विद्यार्थी फारेन जा रहे हैं और 24 परसेंट यहां रह रहे हैं। तो ब्रेन-ड्रेन भी बड़ी मात्रा में बेरोजगारी की वजह से यहां हो रहा है। जो टेलेंट हम निर्माण करते है, हर एक विद्यार्थी को इंजीनियर, डाक्टर बनाने में लाखों, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं।

6.00 म० प०

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, कल हम इस बात पर सहमत हुए थे कि आज हम इस चर्चा को समाप्त कर देंगे। इसलिए, मैं बहुत आभारी होऊंगा यदि सभा का समय 8 बजे तक दो घंटे बढ़ा दिया जाए क्योंकि चर्चा में भाग लेने वाले अनेक वक्ता शेष हैं।

कमरा सं० 70 में उपस्थित सदस्यों के लिए रात का भोजन उपलब्ध है। उनका वहां स्वागत है।

यदि हमें देर तक बैठना पड़ा तो उसके लिए सभा की सहमति के लिए मैं आभारी होऊंगा ताकि हम चर्चा को समाप्त कर पाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्ना जोशी अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : उपाध्यक्ष जी, मैं बोलना चाह रहा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो बेरोजगारी की समस्या है, वह दोनों तरफ है और उसके लिए भी हमको चिन्ता करनी चाहिए। जो देश का पहला प्लान रहा, जैसे हमारे मित्र ने बताया कि रशियन जो पेटर्न था उसके प्रभाव से पं० नेहरू और उनके सहयोगी बहुत प्रभावित थे और यहां आते ही उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे लगते हुए देश की जो वार्षिक आय थी उस आय में से 70 परसेंट पैसा शहरों में इण्डस्ट्री के बारे में, बड़े-बड़े डैम बनाने के बारे में, बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने के बारे में खर्च किया। लेकिन देश की 80 फीसदी जनता जिस व्यवसाय पर निर्भर है, खेती का व्यवसाय, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। टोटल आय में से केवल 20 परसेंट पैसा इस व्यवसाय पर खर्च होने के कारण आज 40 साल के बाद भी हमारी खेती की स्थिति यह है कि 13-14 टके जमीन पानी के नीचे है और बाकी जगह 40 साल से होता आ रहा है, कहीं ज्यादा वर्षा होती है या सूखा पड़ जाता है। एग्रीकल्चर के बारे में आज हम कुछ नहीं बोल सकते। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी जो हो वह एग्रो इण्डस्ट्रियल बेसड पॉलिसी हो। एक तरफ एग्रीकल्चर को भी इण्डस्टरी का दर्जा हो।

उपाध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस व्यवसाय पर इस देश की 70-80 फीसदी जनता काम करती है, अगर वह जनता घाटे में हो तो उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे का प्रावधान करना और जो बेरोजगार हैं उनको काम देना होगा। उसके साथ-साथ छोटी-छोटी इण्डस्टरी, जैसे अभी महाशय ने

[श्री अन्ना जोशी]

बताया, स्थापित की जाएं। ग्रामोद्योग के बारे में पॉलिसी क्या है, इस बारे में भी जरा विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जगत के अन्य देशों की समस्या अलग है और हमारी समस्या अलग है। हमारी समस्या यह है कि यहां बहुत से जवान काम करने के लिए तैयार हैं। उनके दो हाथों को काम देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय होना चाहिए मास प्रोडक्शन बाई मासिज। इसके लिए हमको एग्रो इण्डस्ट्रियल बेसड पॉलिसी अपनानी चाहिए।

जनता पार्टी का जब राज था तो मुझे याद है हमारे प्रोग्राम में 76 वस्तुएं ऐसी निश्चित की गई थीं जिनका उत्पादन बड़े उद्योगपति नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उनका उत्पादन नहीं करेंगे, तहसील लेवल पर और उसके नीचे के लेवल पर इन वस्तुओं का उत्पादन होगा। वहां रॉ-मैटीरियल भी है और काम करने वाले बेरोजगार युवक भी हैं और उसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। इंदिरा गांधी का राज आने के बाद उन्होंने लिस्ट ही काट दी। कल हमारे सांसद राम नाईक ने जीरो आवर में प्रश्न उठाया था कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में शासन की क्या नीति है। अभी तक 73 इण्डस्टरीज थी।

अभी हमने विशेष रूप से विचार करके एक नया तरीका निकालकर 67 इंडस्ट्रीज खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत दी हैं। इसकी वजह से जो भी व्यवस्था करनी चाहिए, वह व्यवस्था कुछ नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ पेपर में यह 67 इंडस्ट्रीज ज्यादा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ चली गई। उसके लिए रॉ-मैटीरियल उठाना है और अन्य व्यवस्था करनी है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में अभी रोजगार के लिए 6 हजार स्थान है जबकि 1300 खाली है। 1992 में भी कुछ स्थान खाली होने वाले हैं।

[अनुवाद]

कई वर्षों के 1300 पद रिक्त पड़े हैं। 6000 पदों में से 2300 पद खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में खाली पड़े हैं।

[हिन्दी]

इसकी वजह से हमें एक प्रकार की आशंका मन में आती है कि इस खादी ग्रामोद्योग के बारे में शासन के मन में कुछ अच्छे विचार होने की संभावना नहीं है। अर्थ मंत्री जी अपने उत्तर में खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण उद्योग और अपनी इंडस्ट्रीयल पालिसी के बारे में बताएं कि वह क्या है।

जब हम प्राईवेटाइजेशन की दृष्टि से सम्मति से देखते हैं तो हमारे मित्र आरोप लगाते हैं कि यहां की इंडस्ट्रीज मल्टी नेशनल को बिकने जा रही हैं। हम इंडस्ट्रीयल पालिसी को बढ़ावा देते हैं और सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्राईवेटाइजेशन हो तो यहां के इंडीजिनस एन्टरप्रिन्योर की मार्फत कोई बाहर की मल्टी नेशनल लाई जाए इसके लिए हमारा विरोध होगा। हमने जो पालिसी अपनाई है :—

[अनुवाद]

देश का औद्योगीकरण हो। श्रम का राष्ट्रीकरण और उद्योग का श्रमीकरण किया जाए।

[हिन्दी]

मजदूरों को एक प्रकार से राष्ट्रभक्ति सिखानी है। इंडियनाईजेशन का मतलब है लेबराइजेशन इन इंडस्ट्री और योग्य लेबर को रिप्रेजन्टेशन देना चाहिए।

[अनुवाद]

अत्यधिक लोगों द्वारा अत्यधिक उत्पादन, उद्योगों द्वारा अधिक उत्पादन नहीं जैसा कि पूंजीवादी देशों में है।

[हिन्दी]

प्राईवेटाइजेशन के लिए हम नहीं घबराए। मैं फर्नान्डीज साहब को कहना चाहता हूं कि नेशनेलाइजेशन के खिलाफ हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो बेसिक और डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, वे नेशनेलाइज हों और शासन के हाथ में रहें। कुछ छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज हैं जैसे साबुन और कागज तथा कुटीर उद्योग है। हमारा देहाती जवान जो मैट्रीकुलेट और ग्रेजुएट हुआ है, उसको थोड़ा सा दें तो वह वहां इंडस्ट्री चला सकता है। हमारा सपना है कि खेत में किसान हल चलायेगा और खेत के बाजू में उसका लड़का छोटी इंडस्ट्री चलाएगा। जनता पार्टी के समय पर हमने ग्रामीण उद्योग के लिए 76 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रोडक्शन देहाती युवकों के हाथ में रखा था। आज इंडस्ट्री का जो स्वरूप है, उसी इकोनोमी का तो इसके बारे में लोग हमको दोष देते हैं या किसी और को दोष देते हैं। लेकिन इसमें सत्तारूढ़ पक्ष ने जो प्रोग्राम किया तो पैसा खर्च किया।

[अनुवाद]

विभिन्न कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं जो कि पूर्णतः अनुत्पादक हैं।

[हिन्दी]

जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। ऐसे प्रोग्राम के लिए कोई हजारों, लाखों रुपए हमने चाली ससाल में खर्च किए जिससे एक पाई भी वसूल नहीं होती है: आपने खाली लोन मेले लगाकर ही तीन हजार करोड़ रुपए बांट दिए। वे भी किसको बांटे, जो आपको चुनाव में मदद दे सकें और आपके पक्ष में काम कर सकें। अपने पक्ष की छवि अच्छी हो चुनाव में इसके लिए आपने लोन दिया। आपने चालीस सालों में पैसा बांटा वह अन-प्रोडक्टिव कामों पर ही बांटा और अपने पक्ष के लोगों को ही दिया, इसकी जिम्मेवारी किस पर है? इस लिए आपको अन-प्रोडक्टिव प्रोग्राम को खत्म करना चाहिए और जिस व्यवसाय पर देश की 80 प्रतिशत जनता निर्भर है उसके लिए काम करना चाहिए, तब तो सही होगा, नहीं तो वही चलता रहेगा जो नेहरू जी के जमाने से चला आ रहा है कि कई बड़े-बड़े डैम बनाये गये उन पर करोड़ों रुपया खर्च दिया और वे अधूरे पड़े हैं तथा उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। कई ऐसे भी डैम बने हैं कि वे तो बन गए, लेकिन उनका पानी खेतों में ले जाने के लिए नहरों और नालियों का निर्माण नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसके लिए पैसा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में 20 साल से उजनी डैम बना है, लेकिन किसान अपने खेत में उसके पानी के लिए तरस रहा है। अब हमने यह उजनी डैम तो बना दिया, लेकिन खेतों में उसका पानी जा सके उसके लिए नालिया बनाने के लिए पैसा नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि नदी नालियों पर छोटे-छोटे बांध बनाये जायें जिससे खेतों को पानी मिले और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि देहात की तरफ ध्यान देकर, अगर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हुए काम करें और एग्रो बेस्ड स्वरूप इंडस्ट्री को दें तो अच्छा होगा।

[श्री अन्ना जोशी]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इतने अधिक महत्वपूर्ण विषयों, जिन पर देश में विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है, मुझे कुछ शब्द बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में, कुछ माननीय सदस्यों, वरिष्ठ सदस्यों, जिन्होंने मुझसे पहले भाषण दिया है, ने अनेक बातें कहीं हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। परन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक मूक दर्शक बने रहेंगे जबकि व्यापारी, जिनमें से अनेक व्यापारियों को रत्ती भर भी हिचक नहीं है, किसानों तथा उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं।

6.12 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

महोदय, इस संबंध में आपको पूर्ण जानकारी होगी कि बंगलौर शहर में बंगलौर बागबानी उत्पादक सहकारी समिति है जो पिछले कुछ वर्षों से बहुत सही ढंग से कार्य कर रही है। केवल कुछ लाख रुपयों से—इस समय 20-25 लाख रुपयों की धनराशि से यह समिति बंगलौर, मैसूर तथा कर्नाटक के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों में लगभग 80 खुदरा बाजारों में सब्जियों और फलों का वितरण कर रही है। यह समिति उत्पादक किसानों को उपभोक्ता मूल्यों का 80% देने में समर्थ है जबकि निजी व्यापार क्षेत्र में वह 50% तक लेते हैं कुछ मामलों में 100 प्रतिशत तथा कुछ मामलों में 300 प्रतिशत तक लिया जाता है। केवल एक दो दिनों की अवधि में ही वह अत्यधिक धनराशि एकत्र कर लेते हैं।

अतः मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 44 वर्षों के बाद भी उन्हें अवश्य कुछ प्रयास करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको केवल उपाय ही करना चाहिए, परन्तु आपको अवश्य ही ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो उत्पादक व-उपभोक्ता सहकारी समितियां बनाए जो वास्तव में इस मूल्य वृद्धि तथा मुद्रा स्फीति को कम से कम कुछ हद तक समाप्त कर सकें। संभवतः नई दिल्ली शहर में भी सुपर बाजार उस रूप में कार्य नहीं कर रहा जिस ढंग से कार्य करने की हमने प्रारम्भ में इससे आशा की थी। परन्तु मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सब जगह ऐसा नहीं है। मेरे अपने शहर विजयवाड़ा में विजय कृष्णा सुपर बाजार है जो पिछले कुछ समय से सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था और इसे बन्द कर दिया गया था। परन्तु जब एक प्रतिबद्ध अधिकारी ने पूर्ण ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समर्पण, सेवा भावना से उस स्थिति को सम्भाला तो अब यह सही ढंग से कार्य कर रहा है और न केवल विजयवाड़ा के लोग अपितु आस-पास के गांवों के लोग भी वहां से अत्यधिक उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि अत्यधिक गंभीरता पूर्वक इस मामले को उठाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अच्छे ईमानदार लोगों को सहकारी सुपर बाजारों में नियुक्त किया जाए। यदि आप बेईमान लोगों को नियुक्त करेंगे तो निश्चय ही पहले जैसी स्थिति दुबारा उत्पन्न हो जाएगी। आपके पास कुछ ऐसे लोगों की सूची होनी चाहिए

जिन्होंने इन वर्षों में रिकार्ड बनाया है। जब ऐसे व्यक्तियों को यह कार्य सौंपा जाएगा तो निश्चय ही कुछ हद तक मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जा सकता है तथा मुद्रा स्फीति को रोकने में इससे सहायता प्राप्त होगी।

विदेशी मुद्रा के संकट तथा भुगतान संतुलन की स्थिति के संबंध में, मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि राजनीति अथवा किसी अन्य विचारधारा को प्राथमिकता देने के स्थान पर हम अपने देश के हितों को प्राथमिकता दें। अत्यधिक महत्वपूर्ण बात हमारे देश के लोगों के रहन-सहन तथा जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके लिए हमें उस राजनीति को अपनाना होगा जोकि व्यवहारिक हो, जो अधिक लाभदायक हो और जो इस देश के उद्देश्य को पूरा कर सके।

इस सम्बन्ध में, मैं कहना चहता हूं कि हाल ही में मुझे चीन जाने का अवसर मिला था, वहां की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है और वह देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। हमें यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि वह देश अनेक क्षेत्रों में किस प्रकार इतनी प्रगति कर रहा है। कुछ वर्ष पहले उस देश का अलगाववादी दृष्टिकोण था। एक समय, अर्थात् वर्ष 1974 में, विदेश व्यापार मंत्री ने कहा था कि चीन कभी भी विदेशी मुद्रा को एकत्र नहीं कर पाएगा अथवा अन्य देशों के सहयोग से देशी और विदेशी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा। चीन कभी भी दूसरे देशों के साथ संयुक्त प्रबन्ध व्यवस्था कायम नहीं करेगा और इससे भी अधिक यह कि यह देश कभी भी विदेशों से ऋण नहीं लेगा क्योंकि यह पूंजीवादी देश अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ पर आरोप लगा रहा है।

कुछ वर्षों के बाद हालातों ने उन्हें बाध्य किया और चीन ने ऋण लेने की आवश्यकता को महसूस किया। माओ के बाद की अवधि में उच्च नेताओं ने यह निर्णय लिया कि चीन को विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान करनी चाहिए और केवल इसी तरीके से चीन की स्थिति में सुधार हो सकता है तथा लोगों के सामान्य रहन-सहन में तथा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। इस प्रकार चीन ने यह निर्णय लिया था। कुछ लोगों ने, कुछ वरिष्ठ नेताओं ने विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति के संबंध में कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि इससे कुछ गलत हो सकता है। परन्तु जब कुछ अनुभवी नेताओं ने आशंका व्यक्त की कि विदेशी पूंजी निवेश के लिए अनुमति देने पर कुछ अनुचित बातें हो सकती हैं तो प्रसिद्ध नेता श्री डेंग ने कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए और इसके सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। हमारे लिए यही महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी मुद्रा के लिए स्वीकृति प्रदान करने तथा संयुक्त उद्यमों में सहभागिता से देश और लोगों को अधिक लाभ प्राप्त होना न कि पूंजीपतियों को। जब चीन जैसे देश ने विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति प्रदान कर दी है तथा उसे विदेशी मुद्रा तथा विदेशी पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है तो हमारे देश को इन 44 वर्षों में क्या प्राप्त हुआ है। कुछ ही वर्षों में चीन ने अत्यधिक पूंजी निवेश तथा पूंजी एकत्र कर ली है। माननीय वित्त मन्त्री द्वारा परिचालित किए गए दस्तावेजों को मैंने पढ़ा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि इस सरकार द्वारा दस्तावेजों में बताए गए इन उपायों से इस देश में कोई अधिक प्रगति होगी। इनमें से अनेक बातें बहुत समय पहले से कही जा रही हैं।

मेरे मित्र श्री मणि शंकर अय्यर अत्यधिक बलपूर्वक यह बात कह रहे थे कि नेहरू जी की नीति को जारी रखा जाना चाहिए। कुछ दशकों तक नेहरू जी की नीति लागू रही थी। परन्तु दुर्भाग्यवश, अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में नेहरू जी ने महसूस किया कि उन्होंने गलती की थी और

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

महात्मा गांधी द्वारा दर्शाए गए पथ से हटकर गलत रास्ता अपनाया था।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब हमारी दो/तिहाई जनसंख्या कृषि में लगी हुई है तो आप बिना ठोस कदम उठाए ग्रामीण लोगों के रहन सहन के ढंग और रहन-सहन के स्तर में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं, जिनकी संख्या हमारे देश की जनसंख्या में अत्यधिक है। इस दस्तावेज में ऐसा एक भी शब्द नहीं है—मैंने इस दस्तावेज के कृषि सम्बन्धी सभी पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। यदि कृषि क्षेत्र के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया गया, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में एक तिहाई योगदान है तथा जो किसानों और कृषक मजदूरों के लिए रहन-सहन का मुख्य साधन है, जो कि हमारी जनसंख्या का दो/तिहाई हिस्सा है, यदि आपकी नई आर्थिक नीति में कृषि नीति को नहीं छुआ जाता, यदि आपकी नई आर्थिक नीति में इस रूप मे परिवर्तन नहीं किया जाता तो मुझे डर है कि इस वर्तमान आर्थिक नीति, जो सरकार द्वारा प्रतिपादित की गई है, आप और कठिनाइयां उत्पन्न कर देंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि कुछ देशों, विशेष रूप से लेटिन अमरीकी देशों की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता प्राप्त करके और भी खराब हो गई है। यह सच हो सकता है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हम यह अध्ययन करें कि उन्होंने क्या गलत कार्य किए हैं, निश्चय ही हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं ताकि हमारा देश ऐसे गलत कदम न उठाए। कुछ दक्षिण एशियाई देशों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की है तथा उन्हें अपने देशों में काफी आर्थिक विकास करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमे इन देशों के अनुभवों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें केवल किसी विचारधारा अथवा सिद्धान्तवाद के लिए दृढ़तापूर्वक अपनी आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि समस्या का कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में बहुत कम पूंजी निवेश किया जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट, जिस पर आपको अधिक विश्वास है, में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि 80 के दशक में, विशेष रूप से दशक के मध्य में कृषि क्षेत्र पर किया जाने वाला वास्तविक पूंजी निवेश स्थायी रूप से कम हो गया था। 70 के दशक के दूसरे भाग में ही केवल कृषि क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी निवेश किया गया था. जब जनता दल की सरकार ने इस देश पर लगभग 2½ वर्षों तक शासन किया था। परन्तु उसके बाद इस क्षेत्र की अत्यधिक उपेक्षा की गई।

सरकारी पूंजी निवेश बहुत कम हो गया है जिसका अत्यधिक भाग बांध बनाने, नहरों के निर्माण तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए आबंटित किया जाता है। इतना ही नहीं, सरकारी पूंजी निवेश स्वत: ही कम हो गया है यहां तक कि गैर सरकारी पूंजी निवेश भी कम हो गया है क्योंकि व्यापार की शर्तें किसानों के प्रतिकूल थीं। किसानों को अपने कृषि उत्पादों की बिक्री से प्राप्त धन-राशि से अधिक खर्च करने के लिए बाध्य किया गया था।

इस प्रतिवेदन सें यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। निजी निवेश में तो और भी तेजी से गिरावट हुई थी। मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वे अपने द्वारा वर्षों से पालित गलत नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। निजी कृषि-निवेश की कमजोरी प्रोत्साहनों के प्रतिकूल संरचना का प्रतिबिंब है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र को आप काफी ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं तथा कृषि क्षेत्र में निजी निवेश कम से कमतर होता जा रहा है। इस प्रतिवेदन में इसे भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रोत्साहनों के

प्रतिनिधिक अंशों का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होगा कि उत्पादन के मुकाबले कृषि क्षेत्र आरक्षित है। कृषिगत मुनाफा घटता जा रहा है और देहातों में पूंजी निर्माण में कमी हुई है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे क्योंकि कम-से-कम आठवीं योजना में इस असंतुलन को दूर करना होगा और कृषि क्षेत्र के प्रति इस अन्याय को समाप्त करना होगा। इस कार्य से आप न सिर्फ कृषि क्षेत्र की मदद करेंगे बल्कि इसमे देश की सारी अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा। किसान भीखमंगे नहीं हैं। वे भीख या भत्ता नहीं मांग रहे हैं। यदि आप हमें विवेकसम्मत एवं लाभकारी मूल्य दें तो हमें किसी भी तरह के राजसहायता की जरूरत नहीं रहेगी। परन्तु, दुर्भाग्यवश, कृषि मन्त्री के बयान के बाद भी कुछ नहीं किया गया है। भानु प्रताप सिंह समिति द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिए एक सी० ए० सी० पी० द्वारा दिए गए उत्तरों में से मैं एक बात उद्धृत करना चाहूंगा :

जब भानू प्रताप सिंह समिति ने सी० ए० सी० पी० से पूछा कि क्या उपज के खर्च पर होने वाले लाभ की कोई निश्चित प्रतिशतता है तथा यदि हां, तो वह क्या है ? कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे गए थे। उन्होंने कहा था कि उपज-खर्च पर होने वाले लाभ की कोई निश्चित प्रतिशतता नहीं है तथा वैसा कोई गणितीय प्रारूप भी नहीं है जिसके आधार पर समिति इस तरह के नतीजे पर पहुंच सकती है। आयोग द्वारा दिए गए अधिकृत उत्तर के रूप में यही बात कही गई थी।

आपको भली-भांति पता होगा कि उर्वरकों का उत्पादन करने वाले उद्योगपति काफी अक्षम तरीके से अपना काम कर रहे है। फिर भी उन्हें 10 से 12 प्रतिशत के लाभ के मार्जिन की गारंटी है और उसी लाभ के मार्जिन के आधार पर वे प्रतिधारणा मूल्य मांगते हैं पर सरकारिया समिति तो किसानों को कम-से-कम 3-5-6 प्रतिशत का या कोई अन्य विवेकसम्मत लाभ भी नहीं देना चाहती है।

इन हालातों में मेरी दरख्वास्त है कि सरकार को इस विषय पर सावधानीपूर्वक सोचना चाहिए और किसानों को लाभकारी मूल्य देना चाहिए और उन्हें श्रेय भी मिलना चाहिए।

उर्वरको के बारे मे मैने पहले जो भी कहा है, उसे दुहराना नहीं चाहता हूं।

मैं राज्य विद्युत बोर्डों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तथाकथित शर्तों को भी पढ़ा है। यह कहा जाता है कि राज्य विद्युत बोर्डों को काफी घाटा हो रहा है। विद्युत दरों को बढ़ाने का औचित्य भी है, हल्के तौर से आप ऐसा कर भी सकते हैं। परन्तु, सिर्फ इसलिए कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने ऐसा कहा है, आपको सारे भार को किसानों के सिर पर ही नहीं डालना चाहिए। उर्वरकों के मामले मे तो ऐसा ही हुआ है।

ऐसे कई लोग हैं जो घटिया और मिलावटी उर्वरक तैयार कर रहे हैं। अभी हाल में ही गुण्टूर में मिलावटी उर्वरकों को पकड़ा गया था। इसी तरह ऐसे कई उत्पादन हो सकते हैं जो देश के किसानों से करोड़ों रुपये लूट रहे हैं। अतः कीमतों को विवेकसम्मत होना चाहिए तथा सारे बोझ को एकबारगी ही किसानों पर नहीं डाला जाना चाहिए।

रोजगार के बारे में मेरे मित्र श्री नीतीश कुमार और श्री अन्ना जोशी ने जो भी कहा है, उससे मैं सहमत हूं। यदि संरचनात्मक सुधारों से बेरोजगार लोगों को कोई मदद नहीं मिलेगी तो सामाजिक तनाव काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। पहले से ही पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर तथा हमारे अपने प्रांत आंध्र प्रदेश में गरीब, बेरोजगार नवयुवक आतंकवादियों और नक्सलवादियों द्वारा आकर्षित किए

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

जा रहे हैं तथा सामाजिक तनाव काफी बढ़ रहा है। साथ ही गांवों में, ग्रामीण इलाकों में और शहरों में भी शांति-भंग होने की घटनाएं काफी चिंताजनक स्तर तक बढ़ चुकी हैं।

मेरी गुजारिश है कि कम-से-कम आगे से आपको अनुग्रहपूर्वक ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ग्रामोद्योगों और लघु तथा कुटीर उद्योगों को अधिकतम प्रोत्साहन मिले तथा अधिकतर लोगों को रोजगार मिले। बिना ऐसा किए आर्थिक नीति से कोई फायदा नहीं होगा।

सभापति महोदय : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर सभी वक्ताओं को दस मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया गया है। आप बी १ मिनट बोल चुके हैं। कई अन्य लोग भी बाकी हैं। कृपया सभी माननीय सदस्यों के साथ न्याय होने दें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि जब तक कृषि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी तब तक न तो देश की प्रगति होगी न ही इसका विकास होगा। चीन में क्या हुआ? कृषि क्षेत्र में चीनी नेतृत्व द्वारा स्वीकृत 1978 के सुधारों के बाद पांच वर्षों के भीतर वे उत्पादन को दोगुना करने में सफल हो सके। सात वर्षों में वे अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सफल हो सके जिसे कि वे पहले के पच्चीस वर्षों में नहीं कर सके थे।

कृषि के अलावा ग्रामोद्योग भी काफी फला-फूला है। 1983 में सकल घरेलू उत्पाद का 13 प्रतिशत ग्रामोद्योग से आता था। दो वर्षों के भीतर ग्रामोद्योगों का अंशदान पांच प्रतिशत बढ़ा है। जब चीन ने ऐसा किया है तो हमारा देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। इस देश के लोग और किसान ऐसा कर सकते हैं।

सरकार से मेरा आखिरी निवेदन निर्यातों के बारे में है। आप सिर्फ उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर न रहें। सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र से भुगतान सन्तुलन की समस्या हल नहीं हो सकती है। कृषि क्षेत्र ही इसमें बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इसके लिए सिर्फ सरकार को भानु प्रताप सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करके निर्यातों को पूरा प्रोत्साहन देना होगा। जब सारी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं देने के बाद कृषि उत्पादों को बेहतर ढंग से उत्पादन किया जा सकता है तथा आप इसकी सिफारिशों को लागू करें तो अवश्य ही हमारे देश के निर्यात में भी वृद्धि होगी। इससे हमें देश के लोगों की हालत सुधारने में मदद मिलेगी और देश की सामान्य अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी।

अतः मेरा अनुरोध है कि हमें सावधान रहना चाहिए। हमें न तो पूरी आजादी देनी चाहिए न ही ऋण या तकनीकी या निवेश को ग्रहण करने में अनिच्छा प्रकट करनी चाहिए। फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए ताकि इनसे लोगों की हालत सुधरे और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। पहले से ही हमारे पास 4 करोड़ लोग बेकार पड़े हैं। यदि यही स्थिति भविष्य में भी जारी रही तो मैं समझता हूं कि हम प्रजातन्त्र की राह से भी डिग जाएंगे। अन्ततः कुछ ऐसे सामाजिक तनाव और उपद्रव होंगे कि वर्तमान व्यवस्था ज्यादा दिनों तक चल ही नहीं पाएगी। इस चेतावनी के साथ, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत अभी टूटी हड्डी वाले रोगी की तरह है। ठीक से खड़े होने के लिए रोगी को अपने पैरों को ठीक करने की

कोशिश करनी होगी, या इस रोगी को इलाज के लिए बाहरी एजेंसियों के हाथ में सौंपना होगा। उस हालत में आप रोगी को बाहरी लोगों की दया पर छोड़ देंगे।

भारतीयों की असली समस्या अभी भी भूख, भूखमरी, निरक्षरता, बेरोजगारी, दास भावना और संपूर्ण जिन्दगी जीने में अक्षमता की है। महोदय, इस समय, अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत गरीबों और वंचितों की रक्षा करना तथा उन्हें उनका हक देना है। पर वर्तमान सरकार ने ऐसी आर्थिक नीति का उद्घाटन किया है जो उनके जीवन स्तर पर एक बड़े आघात के समान है। अतः महोदय, एक ओर तो समस्यायें अभी भी बरकरार हैं तो दूसरी ओर सरकार ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं और कोई जनांदोलन भी नहीं है। यह तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है क्योंकि यह सरकार सतत परिवर्तन के दर्शन मे विश्वास करती है।

महोदय, वित्त मन्त्री ने हमें उस ज्ञापन की एक प्रति दी है जिसे उन्होने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भेजा था। अब वे हमें यह विश्वास दिलाना चाह रहे है कि इसे भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के परामर्श से तैयार किया था। संरचनात्मक सुधारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति का एकमुश्त मसौदा कुछ इस प्रकार है: कि हरेक विकासशील देश में मुद्रा का अवमूल्य होना चाहिए तथा वित्तीय संयम भी बरतने चाहिए। धन तथा साख-सुविधाओं का संकुचन होना चाहिए। उनमें तरह-तरह का उदारीकरण होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करना चाहिए तथा अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियों को कम करना चाहिए। जिन देशों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया है उन्हें यही नुस्खा दिया गया है।

संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से समायोजित करना होगा कि उत्पादन और रोजगार का संकुचन हो, तथा इस समायोजन का सबसे बड़ा असर गरीबों पर पड़े।

उदाहरण के लिए वित्तीय संयम में सरकारी खर्चों और सरकारी निवेशों में कमी होगी तथा सम्पूर्ण मांग के कारण इससे उत्पादन में सकुचन होगा और कीमतें बढ़ेंगी।

ब्याज दरों में वृद्धि के माध्यम से मुद्रा पर अंकुश रखने की नीति तथा ऋण पर नियंत्रण ने भी उत्पादन वृद्धि को विपरीत रूप से प्रभावित किया है जिससे रोजगार की संभावनाओं पर प्रभाव पड़ता है।

जैसा कि वित्त मन्त्री ने पहले ही स्वीकार किया है, अवमूल्यन का मुद्रास्फीतिवर्धक प्रभाव होता है। परन्तु किए जाने वाले जो मध्यवर्ती उत्पादन हमारे देश में वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं, उनके मूल्यों का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है अतः मुद्रास्फीति का दबाव पड़ता है।

उदारीकरण को विभिन्न प्रकार की नीतियां बुनियादी समंजन कार्यक्रमों से जुड़कर मूल्यों को फिर से निर्धारित करता है, वित्तीय उदारीकरण से जो ब्याज दरों को बढ़ाता है और उससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। अतः वित्त मंत्रालय तथा इस सरकार का यह दावा कि उसने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कदम उठाये हैं, सही नहीं है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

सरकारी क्षेत्र के सुधार के बुनियादी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बाजार की ताकतों द्वारा मूल्यों पर प्रशासनिक नियन्त्रण को हटाना। बाजार की शक्तियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। सवाल यह है कि नई बाजार व्यवस्था में मूल्य स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाजार एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। परन्तु बाजार की शक्तियां खरीद क्षमता तथा वितरण के

[प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती]

आधार पर कार्य करती है। यदि खरीद क्षमता का बराबरी से वितरण नहीं किया जाता है, तो बाजार की शक्तियां आम लोगों के लिए कष्टप्रद होंगी। यदि इसके अलावा कुछ हुआ तो अमीर लोग बाजार की शक्तियों से समझौता कर लेंगे तथा बाजार पर नियंत्रण करके अपना मनमाना लाभ कमायेंगे। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के भाग्य को कुछ लोगों के हाथ में छोड़ दें। इन बातों पर हमें विचार करना है। फिर चूंकि यह प्रक्रिया जो बाजार को सक्रिय बनाता है और उसे विनियमित करता है और जो मूल्यों के माध्यम से मूल शक्ति से काम करती है, और स्वयं मूल्य स्तर नीति निर्धारण के लिए प्रमुख विचारार्थ विषय नहीं हो सकता हैं, यद्यपि वित्त मन्त्री इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इससे फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है।

मैंने अपने कांग्रेसी मित्रों के यह दावे सुने थे कि उन्हें ये समस्यायें विरासत में मिली हैं। क्या उनके दावे वास्तविक तथ्यों द्वारा सिद्ध हुए हैं? जहां तक मुद्रास्फीति का सवाल है, थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशतवार क्या परिवर्तन हुए हैं? 1989-90 में सितम्बर से दिसम्बर तक वह (—) था। 1990-91 में यह 3.2 था और अब वह 12 और 14 प्रतिशत के बीच है। यह देखिए कि सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। इस मौसम में ऐसा नहीं होना चाहिए जबकि सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मैं नहीं जानता कि दिसम्बर या जनवरी के बाद, मूल्यों का क्या होगा। 1991-92 की पहली तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक में केवल 1.9 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है क्या सरकार को ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। जिसमें थोक मूल्य सूचकांक इस दशक का सबसे कम 1.9 प्रतिशत था तथा दूसरे तिमाही मे यह 7 प्रतिशत हो गया है। श्री अय्यर ने कहा है कि वर्तमान स्थिति श्री वी० पी० सिंह और श्री चन्द्रशेखर से विरासत में मिली अर्थव्यवस्था के कारण थी। परन्तु क्या उनका तर्क तथ्यों पर आधारित है? जी नहीं श्रीमान ऐसा नहीं है।

अब रोजगार की क्या स्थिति है। 1990 में 32.2 मिलियन लोगों ने नौकरियों के लिए आवेदन किया था। केवल 1990-91 के पहले 4 महीनों में आवेदकों की संख्या बढ़कर 34.9 मिलियन हो गयी। श्री अय्यर यहां नहीं हैं उनका क्या उत्तर होगा। उन्होंने फिर दावा किया था कि वे हमारी अर्थव्यवस्था की समस्या को सुलझा सकते हैं तथा इसे रोग मुक्त कर सकते हैं। क्या यह सही है?…दूसरी बात, जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वह निर्यात के बारे में है। यहां क्या स्थिति है? जब रुपये में व्यापार में कुछ वृद्धि हुई है तो वास्तविक व्यापार में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। अर्थात डालर में निर्यात करने में वास्तव में अप्रैल-सितम्बर तक निर्यात में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। अतः वित्त मन्त्री महोदय ने जो ये ढांचे संबंधी सुधार सुझाये हैं, उनसे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी।

अन्य क्षेत्र भी हैं। इस माननीय सभा में पहले ही सरकारी क्षेत्र पर चर्चा हो चुकी है। आप किधर जा रहे हैं? भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष ने दावा किया है कि शक्ति को राष्ट्रपति से लोगों में हस्तान्तरित कर देना चाहिए। जिस ढंग से ये लोग बात कहते हैं, उससे एक नए प्रकार की व्यवस्था का संकेत मिलता है। ये लोग कौन हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वे लोग हैं जिनके हाथ में यह सरकार केवल 40 करोड़ की धनराशि के लिए 700 करोड़ रुपए के उद्योग को सौंपना चाहती है। यह मामला डालमिया सीमेंट कम्पनी के साथ हुआ था कि इसको केवल 40 करोड़ रुपये के लिए डालमिया को दे दिया गया है। अतः महोदय इस प्रकार सरकार कार्य कर रही है।

इसके बाद केन्द्र से राज्यों को निधियां देने की बात आती है। वित्त मन्त्री ने अपनी नई नीति के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों को सलाह दी थी कि म्यूच्युल फण्ड खोलें। वे राष्ट्रीय बचत योजना में दिए जा रहे ब्याज से अधिक ब्याज दे रहे हैं। एक ओर तो वे आयकर पर प्रभारित अधिशुल्क पर निर्भर कर रहे हैं और दूसरी ओर राष्ट्रीय बचत योजना से राज्यों को जो लाभ मिल रहे थे उनसे उन्हें वंचित किया जा रहा है पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री का इस मामले की ओर ध्यान दिला चुके है।

सरकार का सम्पूर्ण दृष्टिकोण पूंजीगत घाटे को कम करने का है, राजस्व घाटे को कम करना नहीं। सरकारी खर्चों में कटौती करना तथा प्रत्यक्ष करों को बढ़ाकर कर वसूली तन्त्र में सुधार करना है।

कल जब मैंने सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लिया था। मैंने कर न देने के एक मामले का जिक्र किया था। अब मैं गुजरात विधान सभा के सदस्य श्री जसपाल सिंह द्वारा वित्त मन्त्री, श्री मनमोहन सिंह को लिखे गए एक पत्र का जिक्र कर रहा हूं। उस पत्र में यह बताया गया कि एक समाचार पत्र प्रबन्ध के खिलाफ आयकर अधिकारियों ने जांच की थी और उनके विरुद्ध सुस्पष्ट प्रमाण जुटा लिए थे। परन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नही की गयी। अतः यह परिवर्तन हुआ है। उन्होने नेहरु के आदर्श को छोड़ दिया है; उन्होंने सभी मानवीय अच्छाईयों को अलविदा कर दिया है। वे अर्थव्यवस्था की बुराइया को दूर करने के लिए बाजार की शक्तियों पर विश्वास कर रहे हैं।

अब मैं मूल्यों के सम्बन्ध में मैक्स वेबर के दृष्टिकोण को उद्धरित करता हूं :

'धन का मूल्य हितों के संघर्ष तथा समझौतों का नतीजा है। अतः वे शक्ति पर आधारित हैं। धन केवल अस्पष्ट उपयोगिताओं का वाऊचर ही नहीं है। जिसे बिना मूल्य प्रणाली तथा इंसान के इंसान के साथ संघर्ष से उत्पन्न मूल्य व्यवस्था के स्वरूप पर कोई मौलिक प्रभाव डाले बिना अपनी इच्छानुसार बदला जा सकता है। धन मूलतः मानव से मानव संघर्ष का एक हथियार है और मूल्य इस संघर्ष की अभिव्यक्ति हैं।"

जिस ढंग से हम धन का उपयोग कर रहे हैं, उससे निश्चित ही मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी तथा देश के लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। अतः मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन सभी बातों पर फिर से विचार करें तथा लोगों से सम्पर्क करके उनसे बातचीत करें तथा ऐसा विकल्प खोजें जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था की बुराईयों को दूर कर सकें।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : इस महत्वपूर्ण विषय पर सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार की आर्थिक नीति वास्तव में सफल हुई है। शायद कोई निश्चित उत्तर देना जल्दबाजी ही होगी। बहुत से उपायों के फलीभूत होने में समय लगेगा क्योंकि इसका कोई बना-बनाया नुस्खा नहीं है।

एक असक्षम अन्तर्मुखी अर्थव्यवस्था को रातोंरात सक्षम और बहिर्मुखी नहीं बनाया जा सकता, तथापि, अनेक रुख तथा आंकड़े यह बताते हैं कि सुधार की गुन्जाइश है। यद्यपि रास्ते में रुकावटें हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम कुल स्थिति को समझें न कि केवल आंकड़ों को।

जो बात देखने में आयी है वह यह है कि हमारे प्रधान मन्त्री श्री नरसिंह राव एवं उनके

[प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती]

मन्त्रिपरिषद के सहयोगियों ने अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन करके आर्थिक नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया है। जिन्हें कि कुछ महीनों पहले एकदम असम्भव समझा जाता था।

एक नीति की सफलता आंकने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि यह देखा जाये कि चाहे दूसरी सरकार सत्ता में आयी है तो उसमें परिवर्तन की कहां तक गुंजाइश है, कांग्रेस सरकार के कार्यक्रम मूल रूप से अपरिवर्तनीय लगते हैं। यह अपरिवर्तनीयता इस तथ्य के कारण है देश की नीति कठोरता की थी तथा उसमें उदारीकरण की कोई गुंजाइश नहीं थी।

सारे विश्व के राजनीतिज्ञ कठोर उपायों को तब तक टालते रहते हैं तब तक उदार उपायों से काम चलता रहता है। तथापि, सारे विश्व में यह बात सही नहीं है कि दिवालिया देशों के नेता शीघ्र तथा व्यापक रूप से आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। अतः साहस एवं दूरदर्शिता दिखाने के लिए सरकार की प्रशंसा करनी होगी।

अब सामान्य विश्लेषण करते हुए यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति, जो पिछले वर्ष 12 प्रतिशत थी, बढ़कर 13.6 प्रतिशत तक कम किए जाने से पहले ही इस वर्ष सितम्बर में 15 6 प्रतिशत हो गयी। जिन लोगों ने यह अन्दाज लगाया था कि मुद्रास्फीति बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी, की बात गलत साबित हो गयी है। इसी के साथ हमारे वित्त मन्त्री महोदय का यह दावा कि मुद्रास्फीति मार्च, 1992 तक एक अंक में आ जायेगी बहुत लुभावना लग रहा है। कृषि मूल्यों में तीव्र वृद्धि सबसे अधिक चिन्ताजनक बात है। कुछ मण्डियों में गेहूं और चावल के मूल्यों मे 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है तिलहन के मूल्यों में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा कपासों की कुछ किस्मों के मूल्यों में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उर्वरकों क मूल्यों अथवा वस्तुओं के खरीद मूल्यो में वृद्धि होने से यह स्थिति अपेक्षा से अधिक संगीन हो गई है।

ऐसा लगता है कि लोगों को सरकार की मुद्रास्फीति से निपटने की सामर्थ्य में विश्वास कम हो रहा है। अतः स्फीतिकारी सम्भावनाओं ने जमाखोरी को जन्म दिया है। सरकार को अपने सुरक्षित भंडार से खुले बाजार में अधिक अनाज देना चाहिए और अटकलों से बचने के लिए धन पर अंकुश रखना चाहिए। शायद वित्तीय घाटे के तीन लगातार वर्षों के बाद अर्थव्यवस्था में धन की इतनी अधिकता हो गई है कि इसको खत्म करने और मूल्यों को रोकने के लिए अगली फरवरी में एक और कठोर बजट लाना होगा।

वित्तीय सुधार नए पैकेज का आधार है। वित्तीय घाटे को पिछले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 8.7 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य को पूरा करने की सरकार की योग्यता पर आशंका व्यक्त की गई है। वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में सीमा शुल्क राजस्व लक्ष्य से 2000 करोड़ रुपए कम रहा। उर्वरक राजसहायता बजट में की गई व्यवस्था से अधिक प्रतीत होती है। वित्त मन्त्रालय ने बताया कि अन्य कर बढ़ती पर है और खर्च में कटौती यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। यह तभी संभव हो सकेगा यदि सरकार अतिरिक्त नकदी की मांग जोकि विभिन्न मन्त्रालयों से वर्ष के इसी समय आती है, पर कठोर रुख अपनाये।

क्या मन्त्रालयों को यही स्वीकार कर लेना चाहिए कि वे प्राप्त संसाधनों के भीतर अपने खर्च को रखें। वे शायद फालतू कर्मचारियों को हटाने या अपव्ययी योजनाओं की काट-छांट करने की बजाय योजना निवेश को कम करें।

सरकार को नई भर्ती में कटौती को आवश्यक बना देना चाहिए और विनियन्त्रण करके फालतू कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि इस कदम से आवश्यक सरकारी निवेश के लिए राशि उपलब्ध होगी। आज आवश्यकता हमारे देश के महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार की है।

विदेशी ऋण से छुटकारा पाने के लिए निर्यात बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तथापि, वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों में निर्यात में 6 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। सोवियत संघ को बिक्री 56 प्रतिशत कम हुई है। दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को निर्यात 5.4 प्रतिशत बढ़ गया है जोकि वास्तव में पर्याप्त नहीं है। तथापि, आंकड़ों से यह पता चलता है कि सितम्बर में सुधार तथा अवमूल्यन का प्रभाव नवम्बर, 1991 से महसूस किया जाना चाहिए।

वाणिज्य मन्त्रालय मार्च, 1991 में लगाए गए भारतीय रिजर्व बैंक के वास्तविक आयात नियन्त्रण पर आरोप लगाता है। केन्द्र में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने से तीन महीने पहले इन उपायों से औद्योगिक उत्पादन और निर्यात क्षेत्र में गिरावट आई। अतः यह अनुमान लगाना तर्कसंगत होगा कि पर्याप्त औद्योगिक और निर्यात कार्यनिष्पादन न होना नई नीतियों के परिणामस्वरूप नहीं है बल्कि यह तो पूर्व की दिवालियेपन की स्थिति का परिणाम है।

भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण से वर्ष के पहले छः महीनों में व्यापार घाटे को एक बिलियन डालर तक कम करने में मदद मिली है जबकि पिछले वर्ष यह 2.43 बिलियन डालर था। परन्तु इसे आयात दबाव, जोकि वास्तव में संकट का उपाय है, से ही पूरा किया जा सका है इसे लम्बे समय तक नहीं रखा जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक को निर्माण और निर्यात में वृद्धि के लिए अपने नियन्त्रण को हटा लेना चाहिए। छूट देना संभव हो गया है, क्योंकि जुलाई, 1991 में अवमूल्यन के बाद विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम अर्थात 2600 करोड़ से बढ़कर 8000 करोड़ रुपए हो गया है। यह सफलता का सूचक है और कसोटी है जिसके बिना अन्य नीतियां गंभीर संकट में होतीं।

यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री, माननीय डा० मनमोहन सिंह ने हाल ही में आश्वासन दिया है कि सरकार अथक प्रयास कर रही है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाए।

देश की ऋण साख जो कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी, पुनः बन रही है। सिटी बैंक और ए० एन० जैड० बैंक एयर इण्डिया को ऋण देने के लिए सहमत हो गए हैं। नौमूरा सिक्यूरिटीज इसे व्यवहार्य मानती है कि फरवरी, 19?2 में 1000 लाख डालर की नई विदेशी बिक्री के लिए एक यू० टी० आई० निधि चलाई जाए।

इस पृष्ठभूमि के साथ यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में आ गया है। यदि आई० एम० एफ०, विश्व बैंक और एशियन डेवेलपमेंट बैंक द्वारा सुझाई गई शर्तें देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी हैं तो उन्हें स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं। तुरन्त आंकड़ों से परे देखते हुए भारत को अपनी सारी अर्थव्यवस्था को अधिक उत्पादक

7.00 अ० प०

और अच्छी बनाने की आवश्यकता है। कोई भी यह पूछ सकता है कि क्या यह अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः नया रूप देने के लिए नया वातावरण बनाने में सफल हुआ है? भारतीय व्यापारी आमतौर

[प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती]

पर विनियन्त्रण के बारे में प्रसन्न हैं लेकिन शिकायत करते है कि नौकरशाह अभी भी गड़बड़ करते हैं और लाल फीताशाही लगातार चल रही है। आजादी के बाद पहली बार वे निर्यात को लाभप्रद दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं वे अपनी निवेश योजना में इस पहलू को देखेंगे। यह वास्तव में एक अच्छी बात है लेकिन केवल समय बताएगा कि क्या ये मूर्तरूप धारण करेंगी।

विदेशी निवेशक हमेशा सतर्क रहते हैं। अनेक नए विदेशी निवेशक हैं, जैसे आई०बी०एम०—टाटा कम्प्यूटर उद्यम और बी० एम० डब्ल्यू०—मोटर साइकिल के लिए एस्कार्ट समझौते की सरकार की अनुमति मिल गई है। तथापि, इनमें से अधिकांश प्रस्ताव पहले से चले आ रहे हैं। इस दीर्घ-कालिक आर्थिक संकट के बाद भारत को सभी महत्वपूर्ण विदेशों का विश्वास प्राप्त करने में समय लगेगा।

अन्ततः भविष्य में होने वाली बाधाओं का क्या होगा ? सरकार को न केवल आर्थिक सुधार लाने की आवश्यकता है बल्कि राजनैतिक, विधिक और सामाजिक परिवर्तनों की भी है जो कि राज्य और कानून के शासन की मौलिक सत्ता को बहाल करने में मदद करेंगे। यह निस्संदेह एक लम्बी प्रक्रिया है। सोवियत संघ और यूगोस्लाविया में हाल की घटना से यह पता चलता है कि देश के विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतिक ग्रुपों का प्रबन्ध करना कोई आसान काम नहीं है। सरकार के प्रारम्भिक सुधारों को अच्छी सफलता मिली है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रवर्तन तन्त्र भी मजबूत करना होगा कि जमाखोर और मुनाफाखोर नई उदारीकरण नीति का आम आदमी को नुकसान पहुंचा कर अनुचित लाभ न उठाएं, जिसके प्रचुर समर्थन की सरकार को दुभर कार्य को पूरा करने में आवश्यकता पड़ेगी। वास्तव में हाल की घटनाओं, खासकर अंग्रेजी की इस उक्ति का "आरम्भ अच्छा तो काम हुआ समझो" को देखते हुए इस चर्चा पर एक आशावान दृष्टिकोण अच्छा जान पड़ता है। इस विश्वास को आगे यह कहते हुए और बल मिलता है "भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 8 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।" जैसाकि हाल में एशियाई देशों के अमरीका की एक प्रतिष्ठित निवेश और बैंकिंग कम्पनी मैरिल लिन्च द्वारा हाल के मासिक सर्वेक्षण में बताया गया है। अतः आत्मविश्वास के लिए अत्यावश्यक तत्व, ठोस कार्यवाही के साथ यथार्थवादी आशावाद को हमें, अपना आदर्श वाक्य बनाना चाहिए। विश्व की पूंजी और भारतीय मस्तिष्क में गरीबी हटाने और धन पैदा करने की बहुत संभावनाएं हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, विश्व में आज ब्राजील और मैक्सिको के बाद हिन्दुस्तान का तीसरा नम्बर है जो विदेशी कर्जा लेते हैं। हम छोटे-छोटे देशों से भी कर्जा लेते है– डैनमार्क, हालैंड और यूगोस्लाविया से भी कर्जा लेते हैं। आज हमारे ऊपर 1 लाख 77 हजार करोड़ रुपया विदेशी कर्जा है।

सभापति महोदय, अभी हमारे सामने कांग्रेसी सदस्य बड़े नाज के साथ बोल रहे थे। मेरा इनसे कहना है कि जैसे नादान बेटा होता है, अपने बाप की कमाई का सारा पैसा बरबाद कर देता है वैसे ही कांग्रेस वालों ने जनता का पैसा बरबाद किया है। "मेरा भारत महान" वे फख्र से कहते हैं। 9 अक्तूबर के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह छपवा दिया है :

[अनुवाद]

11,000 लोग प्रतिदिन भूख के कारण मर जाते हैं।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान में प्रतिदिन 11 हजार लोग महंगाई की वजह से, गरीबी की वजह से मरते हैं। यह दुःख की बात है। देश में आज जो आर्थिक संकट आया है, वह आया नहीं बल्कि लाया गया है। हम आयत करते हैं, लेकिन आयात हमारा ज्यादा है और निर्यात कम है। मारुति मोटर्स, पैप्सी कोला और कॉसमेटिक्स जैसी आवश्यक चीजें हम चन्द लोगों के लिए आयात करते हैं। सरकार गरीब लोगों से कर वसूल करती है और अमीरों को छोड़ देती है। मुम्बई शहर में काले धन वाले 1 लाख 34 हजार लोग हैं।

7 05 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

इस देश में पचास शहर ऐसे हैं जहां पर हर शहर में दस हजार लोगों के पास काला धन है। अगर काला धन निकालेंगे तो उसकी कीमत 74 लाख 91 हजार और 529 करोड़ हो जाती है। लेकिन गरीबों के पीछे लगने वाली सरकार है। यह सरकार वेतन पाने वाले कर्मचारियों का आयकर काट देती है। काला बाजार वालो से एक पैसा नही लेती है। 31 मार्च, 1991 तक 6,560 करोड़ का आयकर बकाया है और इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सात हजार करोड़ हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, सभा में कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बजने दो।

अब सभा में कोरम है। श्री मोहन रावले अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : हिन्दुस्तान में बेईमान, धोखेबाज, भ्रष्ट और कालाबाजार वाले लोगों का कांग्रेस ने साथ दिया है। उस वजह से हमारा देश बर्बाद होता जा रहा है। एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने एक हंगर प्रोजेक्ट के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री जॉन होप्स ने कहा है कि प्रतिदिन ग्यारह हजार लोग भूख से मर जाते हैं। यह सरकार सिर्फ नारा लगाना जानती है और अमल करना नहीं जानती है। सौ दिन के अन्दर महंगाई कम करने वाली सरकार ने रेलवे का किराया बढ़ा दिया है। जिसकी वजह से रा-मेटिरियल का भाव बढ़ गया, जन-आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए। एक तरफ सरकार मिट्टी के तेल की कीमत कम करती है और दूसरी तरफ चीनी वगैरह वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए। ये दाम 20 से 40 प्रतिशत तक बढ़े हैं। सरकार बार-बार कहती है कि आई० एम० एफ० ने हमें कोई निर्देश नहीं दिया है, लेकिन उसका यह कहना सत्य नहीं है। क्योंकि वह जनता को सच्चाई बताना नहीं चाहती है इससे लोगों के सामने उसके चेहरे पर से झूठ का पर्दा उठ जायेगा और सबको सच्चाई मालूम हो जाएगी। लेकिन लोगों को धीरे-धीरे सब पता लग रहा है कि आई० एम० एफ० और विश्व बैंक के निर्देशों के अनुसार हमारी नीतियां बनाई जा रही है ताकि उनसे हमे ऋण मिल सके। जब आई०एम०एफ० के मैनेजिंग डायरेक्टर माईकल कैमडेसस भारत आये थे तो उन्होंने कहा था कि आपको भारत के रक्षा बजट में कटौती करनी चाहिए। यदि नहीं किया तो भारत को 1992 की प्रथम किस्त के रूप में मिलने वाले 80 करोड़ डालर नहीं मिलेंगे। भारत के पास रक्षा व्यय में

[श्री मोहन रावले]

कटौती के अलावा कोई और चारा नहीं है। इसलिए देश की सुरक्षा संकट में है। 1992 के बजट में आई०एम०एफ० और विश्व बैंक के बताये नुस्खों की दवायें साफ दिखाई देंगी। कोयले का निजीकरण होगा। इसके कारण 1992 में 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाने की आशा है। महाराष्ट्र में मुम्बई में 1982 में कपड़ा मिलों में हड़ताल होने के कारण आज 70 हजार से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमारे सम्मानित सदस्य जार्ज फर्नान्डीज ने कहा है कि पहले ढाई लाख मजदूर थे और अब उनकी संख्या 90 हजार हो गई है। सरकार यह कहती है कि सिक यूनिट्स बन्द की जायेंगी। सरकार कहती है कि एन० टी० सी० में सिक कपड़ा मिलें ली गई थीं और इसमें भी घाटा हो रहा है। सरकारी कार्यालयों में हम जो पर्दे खरीदते हैं और सेना के तीनों अंगों में जो यूनिफार्म लगती है अगर वह सारा कपड़ा एन० टी० सी० से ले लिया जाए तो वहां कभी भी लॉस नहीं हो सकता है।

कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुद्रास्फीति के बारे में कहा था कि हम कीमतें कम करेंगे, लेकिन क्या सरकार जनता को यह कह सकती है कि उसने दाम कम किए हैं? आपके वायदे थोथे वायदे साबित हुए हैं। आज तक आपने किसी जमाखोर को नहीं पकड़ा है और काला-बाजार करने वाले पर हाथ नहीं डाला है। आपमें इतनी हिम्मत नहीं है। हमें चीन से सबक लेना चाहिए। अभी हमारे यहां चीन के प्रधान मन्त्री आए थे उनसे हमें सीखना चाहिए था, लेकिन उनसे हमने कुछ नहीं लिया। चीन में मुद्रास्फीति की दर 20 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गई है। हमारे यहां स्थिति बहुत भयंकर है और विस्फोट होने में देर नहीं है। आज देश में सचमुच गहरा संकट है।

इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री जब चर्चिल बने तो उन्होंने अपने देशवासियों से संकट के समय कहा था कि इंग्लैंड को आंसू, पसीना और खून की जरूरत है। ऐसी जरूरत आज हमें भी है। अगर सरकार की साफ नीयत है, अगर वह कालाबाजारी करने वालों को पकड़ेगी और उन पर कार्यवाही करेगी तो हमें उम्मीद है कि जो आज का आर्थिक संकट है वह निकल जायेगा। हिन्दुस्तान में आज 74 हजार करोड़ कालाधन है इसको बाहर निकालना होगा।

आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : सभापति महोदय, भारत में लोग काफी तकलीफ झेल रहे हैं। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों ओर के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर चुके हैं। मैं सभा का ध्यान सिर्फ देश में कीमतों की वृद्धि की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि पिछले तीन दशकों के दौरान आप देश में कीमतों की स्थिति का जायजा लें, तो आप पायेंगे कि कोई भी सरकार कीमतों को कम करने में सफल नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी सरकार कीमतों में वृद्धि को कम करने के लिए दृढ़ कदम नहीं उठा सकी। कीमतों की वृद्धि का मुख्य कारण सरकार की आर्थिक नीति और वित्तीय नीति है। कीमतों में यह वृद्धि की गति जो 1989-90 में शुरू हुई थी खाड़ी संकट के दौरान यह गति तेज हो गई थी और यह दो अंकों में पहुंच गई थी यानि 12.1 प्रतिशत हो गयी थी तथा उस वित्तीय वर्ष के अन्त में अगस्त, 1991 तक यह बढ़कर 16 प्रतिशत हो गई थी। परन्तु, यदि वास्तव में कोई बाजार में जाये तो वह पाएगा कि लगातार तीन वर्षों तक सन्तोषजनक उत्पादन के बावजूद वहां दूसरी ही स्थिति है। खुद प्रधानमंत्री ने भी सभा में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान

वितरण प्रणाली शहरोन्मुखी है और आबादी का अधिकतर हिस्सा इसके लाभ से वंचित रह जाता है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे इस तरह की उचित मूल्य की दुकान खोले जिससे कि हर दुकान से 2000 लोगों की जरूरत पूरी हो सके। इस समय भारत में उचित मूल्य की 3 लाख से ज्यादा दुकानें नहीं खोली गई हैं।

इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पचास प्रतिशत अनाज मात्र पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और महानगर दिल्ली जैसे पांच प्रान्तों द्वारा उपभोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उड़ीसा जैसे प्रांतों को जिनकी 50 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, उन्हें इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 20 प्रतिशत अनाज ही मिलता है। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 250 मिलियन है।

महोदया, पश्चिम बंगाल में रूपांतरित राशन प्रणाली के अन्तर्गत 17,256 खुदरा बिक्री केन्द्र है तथा सांविधानिक राशन प्रणाली के अन्तर्गत 2767 खुदरा बिक्री केन्द्र है जो क्रमश: 536 लाख एवं 105.71 लाख राशन कार्ड धारियों की जरूरतों को पूरा करते हैं। परन्तु पिछले कुछ महीनों से भारतीय खाद्य निगम में अनाज की उपलब्धता की स्थिति काफी चिंताजनक रही है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध किया है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 14 आवश्यक वस्तुओं की समुचित मूल्य पर आपूर्ति करे। यदि ऐसा होता है तो मेरे विचार से इसका खुले बाजार में कीमतों की स्थिति पर असर पड़ेगा। पर यह अफसोस का विषय है एक प्रभावशाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत को समझने में एक के बाद एक कई केंद्रीय सरकारें असफल रही हैं। अत. मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह खरीद प्रणाली को सुदृढ़ करे। इस समय भारत में खरीद की वर्तमान दर उत्पादन का 10 से 12 प्रतिशत है, इसे तो कम-से-कम 25 प्रतिशत तो अवश्य होना चाहिए।

अन्त में मेरा विनम्र अनुरोध है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत के सम्बन्धों को समझा जाना चाहिए। यह सिर्फ कुछेक शर्तों को स्वीकार करने की बात नहीं है। बात तो यह है कि तीन वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की देख-रेख में चलेगी। अतः मैं वित्तमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कीमतों को नियंत्रित करने के लिए त्याज्य खर्चों को बन्द करने के लिए अविलम्ब कार्रवाई करें तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति आत्मसमर्पण न करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक सामग्रियों के वितरण की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदया, हम देश की बहुत महत्वपूर्ण तथा संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही हो और सभा में गणपूर्ति की घंटी बजानी पड़े तो हमें यह सोचना चाहिए कि देश के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे।

महोदया, अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक पार्टी की ओर से वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाता हूं। माननीय वित्त मन्त्री ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रति विश्वास जो नरसिंह राव की सरकार के सत्ता संभालने के वक्त तक समाप्त हो गया था यह विश्वास अब फिर से बन चुका है क्योंकि विदेशी मुद्रा का भंडार 2600 करोड़ रुपए से बढ़कर 8000 करोड़ रुपए हो गया है। यह सही है कि अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास बढ़ा होगा पर संसद सदस्य के रूप में हमें देश के विश्वास के बारे में सोचना होगा। देश में राजनैतिक उथल-पुथल के कारण 1989-90 में कीमतें बढ़ी होंगी। पर अब लोगों ने हमें संसद में इसलिए भेजा

[श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन]

है कि कीमतें अब और नहीं बढ़ें। इस सरकार के शासन के पांच महीने के बाद भी हम यह कहने को विवश हैं कि कीमतें बढ़ी हैं तथा यह वित्त मंत्री का कर्तव्य है कि वें लोगों में विश्वास जगायें। अतः, हालांकि कीमतों को जुलाई, 1990 के स्तर तक लाना संभव नहीं है फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वायदे के मुताबिक कीमतों को जुलाई, 1991 के स्तर पर वापस अवश्य लायें।

इस समय मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक बयान में भारतीय खाद्य निगम को खुले बाजार में अनाज देने को कहा है ताकि कीमतों में मंदी आए। पर चावल खाने वाले गरीबों का क्या होगा ? आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहा जो चावल खाते हैं। बंगाली, तमिल तथा केरल वासी चावल खाते हैं। अतः चावल तमिलनाडु या भारत की राजनीति का मुख्य अंश है। अन्ना के जमाने में चावल के जरिए ही हम तमिलनाडु मे सत्ता में आए थे। अतः जब तमिलनाडु में चावल की कीमतें बढ़ गयीं तो हमारी मुख्या मंत्री ने सभी अधिकारियों को बुलाया तथा चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक समिति गठित की। पर अब मैंने सुबह अखबार देखा तो यह खबर ही छपी थी कि माननीय वित्त मंत्री ने गुजरात के तेल व्यापारियों से बात तो की है पर बात बनी नहीं। तमिल में एक कहावत है : किसी मोर से उसके सुन्दर पंखों को मांग कर नहीं लिया जा सकता है, हमें उसमें से नोंचना पड़ता है। उसी तरह सरकारी तंत्र को भी कीमतों को कम करने के लिए कारंवाई करते वक्त कड़ा होना पड़ेगा।

हम नेहरू युग की बात कर रहे है। उन दिनों मूंगफली, सरसों, तिल तथा अदरख आदि सभी तिलहनों के अन्तर्गत आते थे। पर 1970 के बाद हम कपास के बीजों से भी तेल निकालने लगे हैं। नेहरू युग में हम कपास के बीज से तेल नहीं निकालते थे। सर्वप्रथम 1966-67 में महाराष्ट्र में कपास के बीजों से तेल निकाला गया था। कपास का क्या हाल है ? नेहरू युग में हम कपास की 54 लाख गांठों का उत्पादन करते थे। अब हम 120 लाख गांठों का उत्पादन करते हैं। हमें कपास बीज उपलब्ध है। कपास बीजों की अस्सी प्रतिशत किस्मों से तेल को निकाला और परिशोधन किया जाता है। अब हम कपास-केकों का निर्यात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपको देखना चाहिए कि पिछली सरकार ने, जिसके आप सहयोगी थे, उसने क्या किया था ? उन्होंने 12 लाख कपास-गांठों का निर्यात किया था, वैसा भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। फिर भी विदेशी मुद्रा की स्थिति खराब हो गई। 1985 में राजीव गांधी के समय में कीमतों को स्थिर रखने के लिए 2 लाख कपास-गांठों का निर्यात किया गया था। 19 6 87 तथा 1989 में कपास की कीमत स्थिर थी और न तो धागे और न ही कपड़ों की कीमतों में वृद्धि हुई थी। हमें यह बात समझनी चाहिए। हम सारा दोष पूर्व सरकार को नहीं दे रहे हैं। आपको भी जबाब देना होगा। जनता दल की सरकार और उनके राजनीतिज्ञों को इस बात का उत्तर देना होगा कि कपास की 12 लाख गांठों के निर्यात के बावजूद वे भुगतान संतुलन की स्थिति क्यों नहीं सुधार सके।

भारतीय बजट तो मानसून के साथ एक जुआ है। लगातार तीन वर्षों तक अच्छी फसल, अच्छे मानसून के बाद भी हम ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में हैं। यही कारण है कि मैं डा० मनमोहन सिंह से पूछना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी होने तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के फायदे मंद होने या हानिकारक होने की ओर जनता की कोई रुचि नहीं है। पर मुद्रा स्फीति के कारणों को बताते हुए वे कहते हैं कि ऐसा लगातार होते आ रहे वित्तीय घाटे तथा बजट घाटे के एकीकरण (मौद्रिकीकरण ?) के कारण तथा कई वर्षों से धन प्रवाह मे हो रही अत्यधिक वृद्धि और घरेलू उत्पाद

में गिरावट के कारण कुछ खास सामग्रियों में मांग और आपूर्ति के असंतुलन तथा भुगतान संतुलन के कारण आवश्यक सामग्रियों के आयात में सरकार की अक्षमता, संगठित उद्योगों में वेतन-मूल्य की बाढ़ के कारण ही मुद्रा स्फीति और मांग आधारित मुद्रा स्फीति बढ़ी है।

हमारे कामरेडों को यह नहीं भूलना चाहिए कि असंगठित मजदूर ही हमारे मालिक हैं। आप संगठित क्षेत्र के लोगों को 29 नवम्बर को एक दिन का बंद रखने के लिए उकसा रहे थे। पर असंगठित क्षेत्र के लाखों लाख लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है ? क्या आप सभी हमारे साथ एकमत होकर यह निर्णय करेंगे कि जब तक असंगठित क्षेत्र के सभी लोगों—सिर्फ वहीं नहीं जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में है, वे भी जो रोजगार कार्यालयों के बाहर हैं—की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक एक साल तक कोई बंद नहीं होगा। जब तक असंगठित क्षेत्रों के कामगारों की जिन्दगी सामान्य न हो तब तक जो लोग अच्छा वेतन पाते है जिनकी नौकरी अच्छी है और उसकी गारंटी है उन्हें एक साल तक कोई हड़ताल न करनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति अच्छी होती है या नहीं।

अतः मैं श्री मनमोहन सिंह को बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि लोग सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र के बारे में चिंताग्रस्त नहीं हैं, बल्कि वे कीमतों के बारे में चिंताग्रस्त हैं। यदि जुलाई 1990 के स्तर तक नहीं तो, जहां तक चावल और गेहूं का सवाल है, इनकी कीमतों को तो आपको जुलाई, 1991 के स्तर तक वापस लाना ही चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : उन्हें लखपतियों को दान देना चाहिए।

श्री कावम्बुर एम० आर० जनार्दनन : पिछले सात वर्षों में तीन चुनाव हो चुके है। क्या आप सिर्फ संगठित क्षेत्र में बिना हड़ताल और बन्द के 365 दिन भी नहीं गुजार सकते है।

चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र, उद्योग तो उद्योग ही हैं। इसे मुनाफा कमाना ही होगा। सरकारी क्षेत्रों के लिए कृपया तकनीकी रूप से सुशिक्षित और लाभ की गारन्टी देने वाले चेयरमैन नामजद करें।

मैं तमिल भाषा का एक उदाहरण दूंगा क्योंकि रामायण आज तक हमारी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है :

"कादन पातर नेन्जाम
पोल ल कलंजिनन
इनलकई बन्दन"

जिसका अर्थ है कि अन्तिम दिनों में रावण का हृदय इतना पछतावे से भरा था जैसे कोई व्यक्ति ऋण के भार से ग्रस्त हो।

मैं आर्थिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में तमिल भाषा से उदाहरण देना चाहता हूं।

"अकत्यू अलावु एत्तिकैयिनम केदी-ललाई
पोकक्यु अकाई लकदई"

जिसका अर्थ है कि यद्यपि आय के साधन प्रचुर हैं, व्यय कभी भी असीम नहीं होना चाहिए।

[श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन]

आप व्यय में कटौती करना चाहते है। इसके लिए 200 0 वर्ष पहले तिरुकुरल ने कहा था। तमिल भाषा के राष्ट्रीय कवि ने कहा था कि आय के द्वार कभी सीमित किए जा सकते हैं परन्तु व्यय के द्वार हमेशा संकुचे ही रहने चाहिए। हमें चप्पल के हिसाब से पैरों को नहीं काटना चाहिए परन्तु चप्पलों को पैरो के हिसाब से काटा जाना चाहिए।

अधिकारी लोग प्रतिदिन हवाई यात्राएं करते हैं। यहां तक कि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर भी कई बार हवाई जहाज से आते-जाते हैं। इस प्रकार के व्यय में कटौती की जानी चाहिए। आप जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं हम उसमें आपको सहयोग दे रहे हैं।

आप नेहरू जी के दिनों की बात कर रहे है। नेहरू जी ने ही श्री डोगरा जी को बताया था कि हमारे देश में प्रतिदिन 8 घन्टे कार्य करना पर्याप्त नहीं है। यह 10 घन्टे होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, हमारा देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है तथा हमारे वित्तमन्त्री जी देश की अर्थव्यवस्था को इस घोर विपत्ति से निकालने का प्रयास कर रहे है। इस वर्ष विदेशी मुद्रा कम होकर 2,600 करोड़ रुपए रह गई है तथा यह केवल दो सप्ताह ही आयात करने के लिए पर्याप्त है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को ऋण देने से मना कर दिया है। अनिवासी भारतीय प्रत्येक माह 315 मिलियन रुपए की अपनी जमा पूंजी निकाल रहे हैं। औद्योगिक विकास पूर्णतया नकारात्मक है।

हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति की ओर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैं। वित्त मन्त्री जी ने कुछ उपाय किए हैं जिनका भारत के लोगों ने स्वागत किया है। निश्चय ही, जो उपाय किए गए हैं, उनके बारे में मतभेद हैं। इस संकटकालीन समय में क्या उपाय किया जा रहा है ? हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं वित्त मन्त्री तथा भारत सरकार के समक्ष कोई उपाय नहीं है। अतः हमें कुछ उपाय करने पड़े थे, कुछ सही उपाय करने पड़े थे। इसलिए सरकार ने इस उद्देश्य से कुछ उपाय किए हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ अल्पावधिक आर्थिक उपाय तथा कुछ आधारभूत परिवर्तन किए गए यह मुख्य बात है। केवल उत्पादन में वृद्धि करके ही हम विकास कर सकते हैं। सरकार ने औद्योगीकरण की रोजगारोन्मुखी पद्धति शुरू की। मैं इस मामले में कुछ उपाय करने के लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारी सरकार ने अनिवासी भारतीयों को हमारे देश में पूंजी निवेश हेतु आकृष्ट करने के लिए कुछ उपायों, कुछ योजनाओं के बारे में विचार किया है। वास्तव में, पिछले कुछ महीनों से अनिवासी भारतीय अपनी जमा पूंजी निकाल रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब, हमारी सरकार ने अनिवासी भारतीयों को हमारे देश में पूंजी निवेश के लिए आकृष्ट करने के लिए कुछ योजनाओं के बारे में विचार किया है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में एक अच्छा वातावरण बन रहा है। हमारी सरकार प्राथमिक क्षेत्रों जैसे विद्युत और कोयले के क्षेत्र में और अधिक विदेशी पूंजी निवेश को आकृष्ट करने का भी प्रयास कर रही हैं। हमें अपने कोष क्षेत्रों का सुधार करना है। हमारी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। इससे भुगतान सन्तुलन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। परन्तु एक बात है। इसका पूर्ण प्रभाव अभी नहीं देखा जा सकता। परन्तु हम यथा समय इसका पूर्ण प्रभाव देख सकेंगे।

भाषण दे चुके अन्य सदस्यों द्वारा मुख्यतः इस बात का उल्लेख किया गया था वह अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास को प्राप्त करने की बात थी । दुर्भाग्यवश, हमारे देश ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्वास खो दिया है । अब हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को फिर से पाने का भरसक प्रयास कर रही है । मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जो हमारी अर्थव्यवस्था को पुनः लाईन पर लाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं ।

मुद्रा स्फीति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी मुद्रास्फीति की दर 16.7 प्रतिशत थी । अब यह कम होकर 13.7 प्रतिशत हो गई है । परन्तु यह संतोषजनक नहीं है । हमें मुद्रास्फीति को कम करने तथा बिना किसी आर्थिक सहायता के निर्यात में प्रतिस्पर्द्धा क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय करने पड़ेंगे । व्यापार नीति में अनेक मुख्य परिवर्तन किए गए हैं । सरकार द्वारा ये उपाय किए गए हैं । इससे निर्यातकों को प्रोत्साहन मिला है । इन उपायों से हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और यथा समय इन उपायों से अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों के लिए प्रस्तावित दो योजनाओं की तहत 700 मिलियन डालर धनराशि जुटा ली गई है । सरकार ने वित्तीय घाटे की नीति को उलटने का प्रयास किया है । जैसा कि उन्होंने इस पत्र में सही बताया है कि यह मुद्रा स्फीति का मुख्य कारण है । वर्ष 1991-92 के बजट में वित्तमंत्री ने संसाधन जुटा करके तथा व्यय पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू सकल उत्पाद के वित्तीय घाटे को 8.4 प्रतिशत से कम करके 6.5 प्रतिशत करने का प्रयास किया है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने अन्य उपाय भी किए हैं । निर्यात पर राज सहायता समाप्त कर दी गई है । उर्वरकों पर भी राज सहायता कम कर दी गई है । रक्षा व्यय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । मुद्रा स्फीति के दबाव को रोकने के लिए वित्तीय नीति को कड़ा कर दिया गया है । हमें विदेशों से ऋण लेने के लिए बाध्य किया गया । हमारी सरकार के पास कोई और उपाय नहीं था । निश्चय ही, वामपंथी दलों के हमारे कुछ मित्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने तथा विश्व बैंक से ऋण लेने की आलोचना की । चीन की ओर देखिए । वहां क्या हो रहा है ? (व्यवधान) पश्चिम बंगाल की ओर देखें । बहुराष्ट्रकों के साथ आप वहां क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान) आप वास्तव में सही परिप्रेक्ष्य में समस्या को नहीं देख रहे हैं । आप केवल हमारी सरकार को दोष दे रहे हैं । यदि आप इस मामले में कुछ करें तो हमारे आर्थिक संकट का समाधान किया जा सकता है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए कुछ उपाय करें । उन्होंने सीमा-शुल्क से प्राप्त राजस्व के बारे में उल्लेख किया है, सीमा-शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व कम हो रहा है और हम आयात को कम करके अधिक राजस्व अर्जित नहीं कर सकते । सरकार ने और अधिक आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए अनेक उपाय किए हैं । मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में सीमा शुल्क से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी, व्यय में 5% की कटौती करके तथा अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से तथा वित्तीय सुधार के द्वारा किसी अतिरिक्त व्यय की अनुमति प्रदान न करने से ही हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है ।

हमें विरासत में जर्जर अर्थव्यवस्था मिली है और इस कारण मूल्यों में अधिक वृद्धि हो रही है ।

वित्त मंत्री ने कल ही खाद्य तेल के आयात के बारे में घोषणा की थी राज्य व्यापार निगम को और अधिक खाद्य तेल के आयात की अनुमति दी गई है तथा राज्यों को भी खाद्य तेल के आयात की अनुमति दी गई है ।

[श्री रमेश चेन्नितला]

जहां तक गेहूं की बात है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा और अधिक गेहूं खुले बाजार में भेजा जा रहा है। दक्षिणी राज्यों में हमारे लोग चावल खाने के आदी हैं, चावल के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं ताकि चावल के मूल्य कम करने के लिए कुछ उपाय करें। चावल का निर्यात शीघ्र बन्द किया जाए।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है सरकार को जमाखोरों, मुनाफाखोरों तथा चोर बाजारों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।

अवमूल्यन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना तथा आयात को निरुत्साहित करना है। परन्तु मुझे संशय है कि जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्या हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। व्यापारिक अन्तर को कम करके तथा देशी उत्पादन का पुनर्व्यवस्थित करके भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। यदि हम ध्यान से विश्लेषण करे तो हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि निर्यात की स्थिति में कोई आमूल सुधार नहीं हुआ है। अवमूल्यन द्वारा भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार केवल तभी लाया जा सकता है जबकि औद्योगिक उत्पादन अधिक हो, उच्च स्तर की तथा प्रतियोगी उत्पादों का निर्यात किया जाए और प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण द्वारा उच्च औद्योगिक उत्पादन किया जाए। परन्तु भारत में ऐसी स्थितियां विद्यमान नहीं है।

हमारे देश के समक्ष बेरोजगारी की विकट समस्या हैं। आठवीं योजना में यह निर्दिष्ट है कि विकास दर 3% होगी तथा आठवीं योजना का उद्देश्य पूर्ण रोजगार प्रदान करना है। परन्तु मुझे आशंका है कि क्या हम इस उद्देश्य को, प्राप्त कर भी सकेंगे अथवा नहीं।

मैं एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं जो मूलभूत उद्योगों के बारे में है। अधिक विकास के लिए उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे मूलभूत उद्योगो का कार्य-निष्पादन बहुत खराब था। यद्यपि 1991 में बिजली, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में वास्तविक उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उनके लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किए जा सके। उदाहरण के लिए पिछले छः महीनों में ताप विद्युत उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी हुई। है और कच्चे तेल के उत्पादन में 7.5 प्रतिशत की कमी हुई है और आणविक ऊर्जा में वर्ष 1991-92 के पहले छः महीनों में 3 प्रतिशत की कमी रही है। हमें मूलभूत उद्योगों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए और हमें इन उद्योगों की देखभाल करनी चाहिए। हमें देखना है कि इन उद्योगों को विदेशी सहायता और सहायताएं देकर प्रोत्साहन दिया जाता है।

मैं एक बार फिर वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं जिन्हें ने अर्थव्यवस्था के भली भांति प्रबन्धन के लिए साहसिक कदम उठाएं है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति महोदया, आशा और निराशा के भंवर में वित्त मन्त्री जी की अर्थ नीति पड़ गई है। सरकार ने पिछले दिनों में देश के आर्थिक संकट को संभालने के लिए औद्योगिक नीति नई नीति के रूप में घोषित की है, लेकिन विगत छः महीनों में उसके परिणाम देश के सामने अच्छे नहीं आए हैं। गत जुलाई में मुद्रा अवमूल्यन, नया बजट और नई औद्योगिक नीति के अर्थतन्त्र पर अशुभ और शुभ दोनों का प्रभाव पड़ा है। ऐसी संभावनायें उजागर हुई हैं, जिस पर

विचार करना बहुत आवश्यक है। किसी सुनिश्चित निर्णय पर पहुंचने के लिए छः महीने की अवधि काफी तो नहीं होती है, माननीय वित्त मन्त्री महोदय, लेकिन कम भी नहीं होती है। इससे यह भी पता चलता है कि आपकी नीयत क्या है। विकास के क्रम में बहुत बड़ी गिरावट आई है। अगर इनके परिणामों को देखना है, तो आपको इस परिप्रेक्ष्य में आना होगा और इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि आज देश के अन्दर विदेशी व्यापार से देश के खजाने को किस प्रकार से और कितने अनुपात में आमदनी हो रही है। घरेलू उत्पादन किस स्थिति में आ गया है और मूल्य स्थिति क्या है। ये अर्थ-तन्त्र के प्रमुख आयाम होते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति की मासिक औसत आय, जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता, रोजगार की स्थिति, इस देश में इस समय क्या है। ये सब चीजें आपकी आर्थिक नीति से स्पष्ट हो सकती है और एक शब्द में कहा जाए तो इस समय जो देश की आर्थिक स्थिति है, वह पूरे तरीके से असफल है।

जहां तक विदेशी मुद्रा कोष का संबंध है, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने दिसम्बर में ही अपने वक्तव्य में कहा है कि यह आठ हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और शीघ्र ही मुद्रा कोष में दस हजार करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। इस मुद्रा कोष में जो आमदनी है, वह कोई भारत की या इस देश की कमाई नहीं है और न इस देश की कमाई का फल है। इस विदेशी व्यापार के लाभ का एकमात्र कारण आयात पर नियन्त्रण है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा कोष में कमाई का अंश कम और ऋणों का अंश, माननीय वित्त मन्त्री जी, ज्यादा है। विदेशी मुद्रा जमा योजनाओं के तहत प्राप्त की राशि व्यवस्थित ऋण है, इस तरह की कमाई भी व्यापार की वृद्धि का सुनिश्चित चित्र प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि निर्यात वृद्धि से अधिक आयात नियन्त्रण की देन है।

सभापति महोदया, मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह देश गांवों का देश है। जब यह देश गांवों का देश है, तो सबसे बड़ी उपभोक्ता शक्ति गांवों में रहती है। किसान और मजदूर इस देश की सबसे बड़ी उपभोक्ता शक्ति है, लेकिन आपके इस छः महीने के अर्थ-तन्त्र से, आज गांवों में रहने वाले किसानों और देश में पलने वाले मजदूरों को, भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज गांवों में जो किसान रहता है, जो मजदूर रहता है, उसकी आमदनी का स्रोत क्या है? उसकी आमदनी का स्रोत है—खेती की उपज। आज खेती की उपज में बड़ी भारी गिरावट आई है। क्यों गिरावट आ रही है कि खेत पर लगने वाली जो वस्तुएं हैं वे आज किसान को महंगी मिल रही हैं। उसको बिजली महंगी, पानी महंगा, खाद महंगी, बीज [illegible]हंगा, किसान की जेब में आमदनी कम और जब किसान की जेब में आमदनी कम होगी तो क्रय शक्ति कम होगी, जब क्रय शक्ति कम होगी तो देश के अन्दर भुखमरी और गरीबी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी क्योंकि मांग की पूर्ति नहीं हो पाएगी, मांग में गिरावट आएगी और इसी कारण से आज देश में जो कल-कारखाने हैं वह बन्द होते जा रहे हैं, माल का उत्पादन कम होता जा रहा है। जहां उत्पादन हो रहा है वहां माल पड़ा हुआ है और इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के अन्दर जो इस समय क्षेत्रीय सन्तुलन है वह समाप्त हो रहा है और देश के अन्दर क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ रहा है।

आज देश के अन्दर जो भू-भाग हैं, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वे आज उनको प्राप्त नहीं हो रही हैं। मैंने पहली बार आपकी इस 6 मासी आर्थिक नीति के परिणाम देखे हैं कि आज गांव में अनाज की भारी कमी आ गई है और आज किसान अपने पेट को भरने के लिए जो थोड़ा-बहुत उसके पास पहले से जेवर थे, उसे बेचकर वह भर रहा है। (व्यवधान)

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

मैं थोड़ी-सी बात कह कर समाप्त करता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी से मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज गांव के अन्दर जो भुखमरी पैदा हो गई है उससे किसान परेशान है, मजदूर की आज हालत बुरी हो गई है। आज नौजवान बेकार हैं, उनके जो रोजगार के धंधे हैं वह समाप्त हो गए हैं आप उनकी पूर्ति कैसे करेंगे ?

माननीय वित्त मन्त्री जी, आप याद रखिए अगर हिन्दुस्तान का किसान, नौजवान भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया तो इस देश की क्या स्थिति होगी, आपके आर्थिक तन्त्र के परिणाम क्या होंगे और देश की जो आजादी है यह खतरे में पड़ जाएगी।

महोदय, मैं आपसे इन प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं और क्योंकि आपने दो-तीन मिनट का समय दिया है। मेरा तो सारा विषय रह गया है फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदया, आज हम आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान कांग्रेसी सरकार जिस नयी आर्थिक नीति को लाई है वह वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए खतरनाक है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि संस्कृत में एक श्लोक है :

"ऋणम् कृत्वा घृतम पिवेत,
यावत जीवम सुखम जीवेत।"

ये भीख पर कोई मुल्क नहीं चल सकता। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेसी आक्सीजन की नली पर चलने वाली जो अल्पमत की सरकार है वह पूरे 86 करोड़ आवाम को कृत्रिम आक्सीजन पर चलाने की साजिश कर रही है। इस आर्थिक व्यवस्था को लेकर नयी आर्थिक व्यवस्था, जो कांग्रेस ने लाने का काम किया है उनकी जो दिशा है, दृष्टिकोण है यह साफ कर देगा आगे। मैं अभी सदन में सुन रहा था, पृथ्वीराज चौहान साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि देश इस आर्थिक व्यवस्था से, जो माननीय वित्त जी नयी आर्थिक व्यवस्था लाने की प्रेक्टीस, रिहर्सल कर रहे हैं, इस देश में, इस देश की धरती पर, जहां 85 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, खेती पर निर्भर करते हैं। देश में जो प्रयोग कर रहे हैं उसके विषय में माननीय पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख बढ़ी है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश की साख कैसे बढ़ी है। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं अभी प्रधानमन्त्री श्री नरसिंह राव जी हरारे गए थे, कामन वैल्थ में भाग लेने के लिए, कामन वैल्थ की कान्फ्रेंस में पचास सदस्यों के बीच, उस समय विकसित देशों के अध्यक्षों ने यह प्रस्ताव रखा था कि विदेशी आर्थिक सहायता उन्हीं देशों को मिलनी चाहिए जो देश अपने देश में नागरिकों को मानव अधिकार देता हो।

7.53 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

क्या हुआ उपाध्यक्ष महोदय, भारत सहित सभी अविकसित देश असहमत होकर भाग गए। क्या इस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दुस्तान की साख बढ़ी है ? इससे हिन्दुस्तान का स्तर नीचा हुआ, हिन्दुस्तान के सम्मान को झुकाने का काम हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो नयी आर्थिक नीति है, इससे देश में कई तरह की विकृतियां बढ़ेंगी, न केवल बेकारी बढ़ेगी, बल्कि गैर-बराबरी भी जबरदस्त रूप से बढ़ेगी, आर्थिक विषमता जबरदस्त रूप से बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी। इतना ही नहीं गैर-आर्थिक स्तर पर भी गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि गैर-आर्थिक क्षेत्र में सरकार

दमनकारी नीति अपनाएगी। आज जो सरकार है, इनको दमन करना होगा। अपने मानवीय अधिकारों के लिए जब मजदूर, किसान और बेरोजगार लोग सड़क पर आएंगे तो सरकार की तरफ से दमनचक्र चलेगा। इसलिए गैर-आर्थिक क्षेत्र पर भी इसका कुप्रभाव पड़ने वाला है और सरकार का दमनचक्र चलने वाला है। सामाजिक न्याय का मुद्दा भी गौण होने वाला है। जब सार्वजनिक क्षेत्र में, पल्टन में और अन्य महकमों में नौकरियां ही नहीं होंगी तो 70 प्रतिशत मंडल कमीशन कहां से लागू हो पाएगा। आज एक नया फार्मूला कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ है, बड़े जोर से ढिंढोरा पीटा जाता है, जब भी मंडल कमीशन या सामाजिक न्याय की बात आती है तो कहा जाता है कि हम निर्धनतम को देंगे। लेकिन जब नौकरियां ही नहीं हैं तो फिर ये किसको देंगे।

इसी तरह से किसान का सवाल है, खाद का सवाल है। किसान मेहनत करके अपना पेट पालता है। इस देश में केवल किसान ही है जो ईमानदारी से टारगेट पूरा करता है। जब तक किसान हल नहीं चलाएगा, बीज नहीं डालेगा, सिंचाई नहीं करेगा, तब तक एक छटांक भी अनाज पैदा नहीं हो सकता। इन्जीनियर एक किलो मीटर सड़क बनाएगा और 5 किलो मीटर दिखाकर रुपये का भुगतान करवा देगा। इस तरह से अगर हम देखें तो केवल किसान है जो ईमानदारी से टारगेट पूरा करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कि इस खेती के व्यवसाय को घाटे का व्यवसाय बनाने का काम हुआ है, किसान का पेट काटा गया है। इसलिए यह निश्चित है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा गौण हो जाएगा, 27 प्रतिशत आरक्षण मिलने का तो सवाल ही नहीं है। बाजार व्यवस्था में औपचारिकता को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक संबंध औपचारिक होंगे, मानवीय संबंधों का ह्रास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन नई नीतियों से राष्ट्र के नव-निर्माण को रोका जाएगा और आर्थिक नीति के क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, आने वाले दिनों में इसके क्या प्रभाव होंगे, इस बारे में भी मैं बताना चाहता हूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं बहुत से बोलने वाले सदस्य शेष हैं। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मैं एक बात कहना चाहूंगा। पीठासीन अधिकारी विभिन्न दलों के सदस्यों का नाम ले रहे हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें अन्य लोगों के मतों को भी सुना जाना चाहिए। सभी लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह अनुचित आरोप है। छोटे दलों को भी अवसर दिया जा रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं हम 9 बजे तक बैठेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत होगी।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, सभा को सभी दलों के विभिन्न मत जानने चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि नई आर्थिक नीति से राष्ट्र के नव-निर्माण को रोका जाएगा। यह कांग्रेस की एक साजिश चल रही है, आज सब कुछ नया चल

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

रहा है, नई संस्कृति, नई कृषि नीति, नई पर्यावरण नीति, नई शिक्षा नीति, नई आर्थिक नीति, सब कुछ नया हो गया और नेता पुराना हो गया है। इनकी ये जो सारी नीतियां नई हो गई हैं, पता नहीं इससे इनकी क्या मंशा है, नीतियां नई हैं और नेता इनका बहुत पुराना हो गया है।

8.00 म० प०

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं नए और नई के फेर में, गरीब और निर्धन के फेर में, सीमांत और छोटे किसान के फेर में सच्चाई को, असलियत को नकारना चाहते हैं, आम लोगों के अधिकारों को दबाने की साजिश करना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आर्थिक क्षेत्र पर भी जबरदस्त असर पड़ने वाला है। इकोनोमिक क्राइसिस के नाम पर, जिस तरह 1977 में डैमोक्रेसी के नाम पर, प्रजातन्त्र के नाम पर, जनतन्त्र के नाम पर एमरजेंसी लगायी गयी थी, लादी गयी थी उसी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस के नाम पर देश में आपातकाल की घोषणा होने वाली है। इसका असर पूरे देश में गरीबों पर पड़ेगा, शोषित, पीड़ित लोगों पर पड़ेगा, गांव में रहने वाले जो कमजोर लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं उन पर पड़ेगा। खेती आज घाटे का व्यवसाय हो गया है। यह सबसे जबरदस्त घाटे का धन्धा है। इनकी नीति के चलते खेती आज सबसे ज्यादा घाटे का पेशा बन गया है।

सभापति महोदय, घाटे का विषय इसलिए है क्योंकि उस पर ओला, पत्थर और बाढ़ का प्रकोप होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकम्प आता है। यह सब खेती पर पड़ता है और खेती घाटे का व्यवसाय बन गया है।

बिहार की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गयी है। रबी की फसल, माननीय श्री जार्ज साहब ने ठीक कहा, इस बार रबी की फसल 30 प्रतिशत कम होगी। राष्ट्रीय उत्पादन में, जो दलहन और तिलहन का उत्पादन है उस पर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। क्योंकि भारत सरकार को 8 लाख मीट्रिक टन खाद, यूरिया मिश्रित खाद, डी०ए०पी०, फास्फेट, पोटाश बिहार को भेजना था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा वित्त मन्त्री जी से, जो आर्थिक सुधार ला रहे हैं, किसानों की रबी की फसल जो मारी जा रही है, ' दिसम्बर तक बिहार सरकार ने सन्देश भेजा था कि खाद अवश्य दे दें। आबंटित खाद अवश्य दे दें। जो 8 लाख मीट्रिक टन खाद केन्द्र ने बिहार को आबंटित की हैं, वह नहीं भेजी गयी। क्या आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर नहीं होगा ? क्या बिहार की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी। किसानों की सब्सिडी का पैसा था, 35 करोड़ रुपया भारत सरकार ने स्वीकृत किया। इनसे पूछ लिया जाए कि कितने करोड़ रुपया बिहार को गया है। रबी की फसल की बुआई के बाद किसान सब्सिडी के भुगतान के लिए मांग करेंगे। उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। बिहार की घोर उपेक्षा की जा रही है और मैं समझता हूं कि बिहार की ही नहीं, जितने बड़े राज्य हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। गाडगिल फार्मूला है कि जो राज्य जितने रिसोर्सिज देगा उसको उतना बड़ा प्लान का आकार दिया जाएगा, योजना का आकार दिया जाएगा। यह बिल्कुल डिफैक्टिव है। इसके संशोधन के लिए जब हम लोगों की सरकार थी, गाडगिल फार्मूले का जो सिद्धान्त है उसमें परिवर्तन करने के लिए हमने पहल की थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि बड़े राज्यों का सत्यानाश करने का इन्होंने मन बना लिया है। कांग्रेस सरकार की जो नीति है वह सत्यानाश करने वाली है। क्योंकि इनको वोट नहीं मिला। ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सिज ये प्लान देना चाहते हैं। जब तक प्लान ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स

नहीं होगा, गरीबी के आधार पर, बाढ़ और सूखाड़ से जो परेशानी है, उसके आधार पर, पार्टी के आधार पर प्लान का काम नहीं होगा, राज्यों को पैसा नहीं जाएगा तब तक बड़े राज्यों की उन्नति नहीं हो सकती हैं। वे विकसित नहीं हो सकते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया। अभी जो आर्थिक विषमता है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लगभग 20 मिनट ले लिए हैं। अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले चालीस सालों में आर्थिक विषमता बहुत बढ़ गई। यह स्थिति दो दिन में नहीं बनी। हम लोग गांव से आते हैं। श्री नीतीश भाई ने भी यही कहा था कि हम गांवों से आते हैं। पुराने जमाने में जो बड़ा आदमी होता था वह हाथी या घोड़े पर चलता था और एक आदमी जमीन पर चलता था। इनकी गलत नीतियों के चलते एक आदमी नीचे चलता है और एक आदमी आकाश में चलता है। इन्होंने नयी आर्थिक नीति की घोषणा की है इससे और आर्थिक विषमता बढ़ने का काम होगा। यह खाई बढ़ने से और असंतोष होगा, हिंसा फैलेगी और लोग शस्त्र लेकर सामने आयेंगे, इससे आतंकवाद फैलेगा। इस वजह से पंजाब और काश्मीर की समस्या भी और बढ़ जायेगी। ......(व्यवधान) उससे सुलझने की बजाय और उलझने का काम होगा। ......(व्यवधान) वित्त मन्त्री जी ने आपातकाल में अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से समूल परिवर्तन करने की ओर ऐलान किया है, वह अर्थव्यवस्था को क्षत-विक्षत करने वाली है। वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि अल्पकालिक आर्थिक संकट है। यह इस वजह से है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के भुगतान में परेशानियां थी। इसका कारण यह था कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा उदार नीति अपनाना था। इस व्यापार नीति के कारण बेहताशा माल खरीदा गया और उससे कम मूल्य पर निर्यात कर दिया गया। उससे व्यापार घाटे में आ गया। 1979-80 में 2300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वह 1981 में बढ़कर 5300 करोड़ रुपया हो गया। 1985 में राजीव जी की सरकार थी तो देश को व्यापार घाटा आठ हजार करोड़ और दस हजार करोड़ हो गया। 1991 में जो है वह 1985 की नीतियों के कारण है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अब मैं समाप्त कर रहा हूं। सरकार की नयी आर्थिक नीति देश बड़े पैमाने पर को बर्बाद करेगी और विकृत नीतियों के बाद उसका असर समूचे राष्ट्रीय जीवन को क्षत-विक्षत करने वाला होगा। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि आज मैं अन्तिम वक्ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं, चार और वक्ता शेष हैं।

श्री ई० अहमद : मैं इस सभा का बहुमूल्य समय अधिक नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम आर्थिक स्थिति की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कुछ भी शेष नहीं रहा है और सभी आवश्यक मुद्दों पर चर्चा कर ली गई है। इसलिए, मैं अतिसावधानीपूर्वक उन बातों को दोहराने से बचना चाहूंगा जिनका सभा में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

[श्री ई० अहमद]

एक तरफ तो भारत की आर्थिक नीति की आलोचना की गई है और सैद्धान्तिक आधार पर अनेक तर्क दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन तर्कों का विरोध किया जा रहा है और जिस आर्थिक संकट का देश सामना कर रहा है, उससे बच निकलने के लिए सरकार की नीति को न्याय संगत बनाया जा रहा है।

मैं स्थिति के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहूंगा। जब से सरकार ने कुछ नीतिगत परिवर्तन किए हैं, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। क्या सरकार ने नीतिगत परिवर्तन नहीं किया है जिसे हमने वित्तीय नीति में देखा है, चुनौतियों का सामना करने में देश की क्या स्थिति होगी ? यह सच है कि हम भावी भारत के लिए महात्मा गांधी के विचारों का पालन कर रहे हैं। यह भी सच है कि हम पं० जवाहर लाल नेहरू की देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति का पालन कर रहे हैं। लेकिन तथ्य को भुला नहीं सकते—यह अविवादास्पद तथ्य है—कि यह देश विकट आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हम इस मूल सच्चाई को नहीं भूला सकते कि देश विकट आर्थिक परिस्थितियों में फंस गया है।

जैसाकि इस सभा के माननीय सदस्यों ने बताया है, जून, 1991 को हमारा विदेशी मुद्राकोष 2677 करोड़ रुपए तक का था और हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय पिछला भुगतान न करने वाला घोषित करने वाला था क्योंकि यह भुगतान शेष भारत के इतिहास में सबसे कम था। अब, नीति परिवर्तन के बाद 3 दिसम्बर, 1991 को हमारा विदेशी मुद्रा कोष 7242 करोड़ रुपए का हो गया। यह सच है और हमें यह भी आश्वासन दिया गया कि हम इस कैलेण्डर वर्ष के अन्त तक अपने विदेशी मुद्रा कोष में 10,000 करोड़ तक जुटाने जा रहे हैं। यदि हमने यह रवैया नहीं बदला होता और अपनी वित्तीय नीति में कुछ नए परिवर्तन नहीं किए होते तो हम विश्व बाजार में भारत की विश्वसनीयता को कायम नहीं कर पाते।

महोदय, इसलिए मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा की विनिमय दर को कम करना सही कदम है। विभिन्न देश की मुद्राओं में हमारी मुद्रा बहुत नीचे है। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। यह अवश्य ही और नीचे चली गई होती। इसी बीच, हमारे निर्यात को और प्रतिस्पर्धी बनाने और अनावश्यक आयात घटाने की सरकार की नीति ने देश की काफी सहायता की है। यह एक निर्विवाद सत्य है।

आर्थिक क्षेत्र में भी बुनियादी परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हैं। लाइसेंस के प्रशासनिक नियन्त्रण की व्यवस्था के स्थान पर लाइसेंस प्रणाली के उदारीकरण के जरिए व्यापार नीति ने निर्यात में वृद्धि की है और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया है। अगस्त, 1991 में इस सरकार द्वारा घोषित और अधिक उदारता ने 20 आयात मदों और 16 निर्यात मदों की सरणीयन व्यवस्था को समाप्त करने में मदद की है। हमें इन वास्तविकताओं को देखना चाहिए और हम इस नीति के जरिए हुई अन्य उपलब्धियों जैसे अनिवासी भारतीयों आदि द्वारा भेजी गई रकम के आगम आदि की अनदेखी नहीं कर सकते। इन नीति संबंधी परिवर्तनों ने अनिवासी भारतीयों की जमा राशि के बहिर्गमन को कम करने में सहायता की है। इस सभा ने अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि के संबंध में कानून भी पास किया है।

हमें देश के बाहर गिरवी रखे गए सोने, को छुड़ाने के लिए माननीय वित्त मन्त्री द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है। अनेक लोगों ने इसे सरकार की ओर से

शर्मनाक कार्य बताया है। किसी सामान्य घर में भी जब कभी धन की कमी अनुभव की जाती है तो घरवाले उस घर का सोना गिरवी रख दिया करते हैं। उस समय हमारे देश की भी यही स्थिति थी। वित्त मन्त्री और सरकार के पास अपना सोना लंदन के बैंक में गिरवी रखने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था।

एक माननीय सदस्य : यह समर्पण था।

श्री ई० अहमद : इसे समर्पित नहीं किया गया था। इसे अब पुनः ले लिया गया है। इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरता है। अब, प्रत्येक व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों की बात कर रहा है। शर्तं बन्दी क्यों की जानी चाहिए ? क्या मैं एक बात कह सकता हूं। जब कभी कोई धन देता है, वह चाहता है कि वह धन उसे वापस मिले और उसके लिए वह कुछ शर्तें रखता है। मान लो, एक आम आदमी बैंक में जाता है और ऋण लेता है बैंक भी यह सुनिश्चित करेगा कि यह धन उसे वापस मिले। चाहे वह स्थानीय बैंक हो अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, वह कुछ शर्तें रखेगा। यह हर जगह लागू होता है। जब हम धन का वापस भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, तो और ऋण लेने का क्या उपयोग है ? यह बात जानी हुई है कि ऋण लिए बिना हमारे लिए आगे बढ़ना संभव नहीं है। यहां तक कि श्री वी० पी० सिंह और श्री चन्द्रशेखर सरकारों को भी ऋणों का सहारा लेना पड़ा था। जब कांग्रेस सरकार ऐसे ऋण लेती है तो यह कहेंगे कि भीख मांगने जा रहे हैं। जब अन्य दलों की सरकारें इस प्रकार के ऋण लेती हैं तो क्या आपका यह कहने का मतलब है कि वे पार्टियां सोने का पात्र लेकर भीख मांग रही हैं? हम उस वास्तविकता को नहीं भूला सकते जिसके कारण हमारी सरकार को इन उपायों का सहारा लेना पड़ा। मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा इस देश के लिए पं० जवाहर लाल नेहरु द्वारा प्रतिपादित नीति को बिना बदले यह कठोर कदम उठाने के लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगा।

मैं माननीय वित्त मन्त्री को उत्पादन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी याद दिलाना चाहूंगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस नीति को जारी रखेगी या कोई परिवर्तन करेगी ? अब, वित्त मन्त्रालय बहुत से विभागों को नियन्त्रित कर रहा है। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति स्थिर हो गई है। क्या हम अपनी आर्थिक स्थिति को और स्थिर बनाने के लिए इस आर्थिक परिप्रेक्ष्य में साथ रहने के लिए तैयार हैं ?

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उत्पादन के क्षेत्र में कोई ठोस अथवा सुस्पष्ट परिवर्तन किए जाएंगे ? प्रत्येक मन्त्री यह वक्तव्य दे रहा था कि अनिवासी भारतीय विदेशी प्रतिबन्धनों के लिए आएंगे। नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले छः या सात महीनों में कितने ऐसे नए उद्योग स्थापित किए गए हैं ? कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ? इस देश में कितने समझौता ज्ञापनों को कार्यान्वित किया गया है ?

आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आई है लेकिन उत्पादन के क्षेत्र में नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम उसी रास्ते पर चलेंगे अथवा हाल ही में किए गए नीति परिवर्तन के संदर्भ में भविष्य में कोई दृष्टिगोचर परिवर्तन करना चाहेंगे ? मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री सभा में अपने उत्तर के दौरान इस पर प्रकाश डालेंगे।

अनेक माननीय सदस्यों ने मूल्यों का उल्लेख किया है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह बहुत निराशाजनक है ? आम जनता को वित्तीय नीति में परिवर्तन के बारे में संदेह है, इसलिए नहीं

[श्री ई० अहमद]

कि नीति हमारी आर्थिक स्थिति को स्थिर नहीं कर सकी बल्कि इसलिए कि विशेषत: अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य नीचे नहीं आ पाए हैं। वित्त मन्त्री ने बार-बार आश्वासन दिया है कि मूल्य वृद्धि की जांच की जानी है, क्या मैं कहूं कि दुर्भाग्यवश, इस प्रस्ताव को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ? फिर भी आम धारणा यह है कि सरकार किसी भी तरह इस मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करने की स्थिति में नहीं है उल्टे अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। इस बात को माननीय वित्त मन्त्री और इस सभा के ध्यान में लाना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। विशेष रूप से बंधी हुई आय वाले लोगों को दोनों समय का खाना जुटाने में बहुत कठिनाई हो रही है। देश की यह स्थिति है। मैं इससे इन्कार नहीं करना चाहता। महोदय, हर व्यक्ति अपने आपको अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित होने की स्थिति में बताता है, अनेक राज्य सरकारें अपने खजाने को अनिवार्य वस्तुओं के लिए सीमित कर रही हैं। यह वित्तीय स्थिति है। लेकिन जहां तक आम जनता का संबंध है। बहुत खुश नहीं है, वर्ष 1988-89 में मुद्रास्फीति की दर 6 प्रतिशत बताई गई थी, 1989-90 में यह 9 प्रतिशत थी और अब यह 13 5 प्रतिशत है। यह बढ़ रही है। इससे हम इन्कार नहीं कर सकते। इन तथ्यों की ओर से हम आंख नही मूंद सकते।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारों को कुछ लोगों द्वारा बनाई गई इस धारणा को दूर करना चाहिए कि वित्तीय नीति में परिवर्तन, नया आर्थिक ढांचा छोटे अल्पसंख्यकों के हित को सबसे अधिक महत्व देता है और शेष समाज को नाम-मात्र के लिए सुधार लाने वाला है। यह सच है। इस देश में यह प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मैं इस प्रचार को स्वीकार अथवा इसका अनुमोदन नहीं करता हूं। परन्तु यह इस सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस वास्तविकता पर ध्यान दें और इस धारणा को, जो देश में स्वार्थी दलों ने बनाई है, वह दूर करे।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि उन्हें अपने मस्तिष्क को अपने अनेक राज्यों की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने मे लगाना चाहिए। एक तरफ फिजूल खर्चों ने और साथ ही वित्तीय आर्थिक क्षेत्र मे अव्यवस्था ने अनेक राज्यों में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच करें।

इसलिए मैं इस आर्थिक नीति के संबंध में अपनी धारणा को संक्षेप में बता रहा हूं। इस सरकार द्वारा किए गए वित्तीय परिवर्तन और उदार नीति बनाने के लिए किए गए आमूल परिवर्तन समय की आवश्यकता थी। लेकिन साथ ही, मैं माननीय वित्त मन्त्री को सावधान भी करना चाहूंगा कि विदेशी सहायता और अनिवासी भारतीयों से होने वाली दुगुनी-तिगुनी आय पर ही केवल हम निर्भर नहीं रह सकते हैं क्योंकि यह देश के कुछ ऐसे तत्वों को भी प्रभावित करते हैं जो हमारी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं।

इस संबंध में, मैं यहां डा० जय दुभाषी द्वारा अपने एक लेख में किए गए आकलन को उद्धृत करना चाहूंगा। मैं यहां इसे उद्धृत कर रहा हूं। यह उद्धरण इस प्रकार है : "सरकार अनिवासियों सहित विदेशी निवेशों पर अत्यधिक निर्भर करती प्रतीत होती है। यह अपना सब कुछ एक ही दांव पर लगा देना जैसा है और वह भी विदेशी हाथों में। विदेशी पूंजी की अहम भूमिका है।" लेकिन इसे बहुत अधिक बढ़ाया जा रहा है। विश्व में अत्यधिक निवेश के लिए घरेलू बचत से धन लिया जाता है, विदेशी पूंजी नहीं लगाई जाती है।

विश्व बैंक द्वारा किए गए विकासशील देशों के अध्ययन से पता चलता है कि विदेशी पूंजी का औसत अन्तःप्रवाह घरेलू बचत के 15 प्रतिशत से कम के बराबर है।

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या आप जानते हैं कि श्री जय दुभाषी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप उन्हें इस प्रकार पढ़ रहे हैं जैसे शैतान धर्म ग्रन्थों से उद्धृत कर रहा हो ?

श्री ई० अहमद : इसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है कि वह भा० ज० पा० के प्रवक्ता है अथवा नहीं है। जब कभी मैं कोई चीज पढ़ता हूं यदि मुझे कोई विचार सूझता है तो वह ऐसा होता है जो मुझे स्वीकार्य होता है तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। मैंने उनके लेख के किसी अन्य भाग को नहीं लिया है। मैं किसी भी अच्छे विचार को स्वीकार कर लेता हूं चाहे वह श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से हो या श्री वाजपेयी का विचार हो, यद्यपि उनके विचारों और मेरे विचारों में काफी मतभेद हैं। जब कभी वे अच्छी बात बोलते हैं और यदि वह मेरे लिए स्वीकार्य होती है तो मैं उन्हें ले लेता हूं। मैं खुले मस्तिष्क का व्यक्ति हूं।

मुझे डा० जय दुभाषी द्वारा व्यक्त सभी विचार स्वीकार्य नहीं हैं। उनका विश्वास है कि विदेशी सहायता और विदेशी निवेश हमारे देश के हित मे है। इसलिए मैंने यह अपना कर्तव्य समझा कि इसे मैं सरकार के ध्यान में लाऊं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि यह समय विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने का है लेकिन हम केवल विदेशी निवेश पर भी निर्भर नहीं करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

मैं यह बात बताना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री ने वित्तीय नीति में भी परिवर्तन किए हैं वह देश के हित में है।

मैं यह कहने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहूंगा कि सरकारी नीति का असीमित और बेलगाम विरोध गलत है। सरकारी नीति देश के सर्वोत्तम हित में होनी चाहिए। सरकार विशेषतः वित्त मन्त्री द्वारा बनाई गई नीति देश के सर्वोत्तम हित में है। इसलिए हम सबको इन नीतियों के लिए स्वीकृति देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सरकार ने अपनी नीति घोषित की है, इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा की है और जिस पर हम अमल कर रहे हैं, उसके अन्तर्गत, 5 महीने पहले हमारी जो हालत थी, उसमें काफी सुधार आया है, जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री वित्त मन्त्री और यह सरकार बधाई की पात्र हैं।

दूसरी बात यह है कि पहले हमारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी और अब उसमें कितना सुधार आया है, इसके बारे में शायद अभी आप अनुभव नहीं करेंगे। यहां कई माननीय सदस्यों ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों की आलोचना की। यदि उस समय आप रहते, मुझे पता नहीं कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, यदि उस समय आप रहते तो आपको मालूम होता कि अगर उन्होंने यह नीति फोलो नहीं की होती, उस नीति को देश में जवाहर लाल नेहरू ने लागू नहीं किया होता तो आज हमारा देश जिस स्थिति में है, उस स्थिति में न पहुंचा होता। अन्य देशों का उदाहरण हमारे सामने है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गयी है, कई डैमोक्रेटिक कन्ट्रीज के उदाहरण हमारे सामने हैं, भारत की आजादी के बाद, जिन्हें आजादी मिली। केवल यही एक मुल्क ऐसा है जिसमें लोकतन्त्र

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

जिन्दा है और हमारा आर्थिक विकास हुआ है। आप देख लीजिए किसी भी अन्य देश में उतना विकास नहीं हुआ है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए आपको बताना चाहता हूं।...

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट, हमारे प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री ने देश में एक ऐसा वातावरण बनाया है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, उसके प्रति सभी लोगों को चिन्तित बनाया है, लोगों में एक ऐसा माहौल खड़ा किया है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, उसे सुधारने में सभी ने मदद की। मैं चाहता हूं कि इसी तरह हमारी सरकार देश में तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने के लिए भी वैसा ही माहौल बनाये ताकि देश में बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगे, उसे कम किया जा सके।

आप चाहें कितनी भी बड़ी आर्थिक नीति बना लें, कैसी भी राजनीति बना लें, कैसी भी योजनाएं बना लें, लेकिन जब तक देश में आबादी बढ़ती रहेगी, हमारा किसी भी तरह विकास नहीं हो सकेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर पार्टी को चाहिए कि देश की आबादी को नियन्त्रित करने के लिए चाहे जैसे भी बन सके, ऐसा माहौल देश में तैयार किया जाए, जैसा कि एक दिन प्रधान मन्त्री ने कहा था कि हर स्तर पर इस विषय में चर्चा होनी चाहिए, हर जगह, गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रांत के स्तर पर और हर कैपिटल में, हर जगह इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी को किसी तरह कम किया जा सके, उसके लिए उपाय अपनाने चाहिए। काफी सोच-समझकर हमें इसके लिए प्रयत्न करने हैं।

किसी भी देश की आर्थिक नीति का जहां तक संबंध है, उसके दो ही मापदण्ड होते हैं, आर्थिक नीति में सुधार होने के, एक यह कि अधिक लोगों को काम मिले, जिसकी आज हमारे देश में आवश्यकता भी है, और दूसरे, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य गिरें। इसमें कोई शक नहीं कि विगत 5 महीनों में, आवश्यक वस्तुओं के दामों को गिराने में, जितना सरकार चाहती थी, उतना काम नहीं कर सकी है, मगर इसके भी कई कारण हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दिनों-दिन, जैसे हमारे वित्त मन्त्री योजना बना कर लागू कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमें उसमें सफलता प्राप्त होगी और मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, जिसे हम इनफलेशन कहते हैं, उसे कम करने के लिए जिस तरह से वे काम कर रहे हैं उसमें उन्हें पूरी सफलता प्राप्त होगी। जल्दी ही मुद्रास्फिति कम हो जायेगी। उसके पश्चात्, जो आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं के दाम गिरे हुए हैं, वे कम अवश्य हो जायेंगे। यह तो कहने भर को है, एक बार दाम बढ़ गए तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें दाम कम करने के प्रयत्न करने होंगे।

औद्योगिक नीति-ऐसी होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों में इसका लाभ मिले। अभी तक आर्थिक असमानता है, किन्हीं कारणों से अच्छी हुई है, किन्हीं कारणों से अच्छी नहीं हुई है। इस असमानता में समानता लाने के लिए ऐसे कारखाने खोलने चाहिएं जिनसे उत्पादन बढ़े। लोहा, पेट्रोल आदि के जहां उत्पादन कर सकें वहीं करने चाहिएं तभी हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं के दाम कम हो सकेंगे।

बिजली का संकट पूरे देश में है। मध्य प्रदेश में किसानों को मुश्किल से तीन घंटे बिजली मिल पाती है। उद्योगों को पांच घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है। जब तक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे उत्पादन का टारगेट पूरा नहीं होगा। शायद मेरा सुझाव न

माना जा सके लेकिन हर स्टेट में बिजली का उत्पादन अलग-अलग है, क्या यह संभव है कि केन्द्र उसका किसी तरह से संचालन करे जिससे बिजली का उत्पादन निरन्तर बढ़ सके। अभी कई राज्यों मे उत्पादन कम हो रहा है, उस राज्य की सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे देश में आर्थिक स्थिति खराब है, मूल्य वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ हम हड़ताल करने लगते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हड़ताल न करके उत्पादन की ओर अधिक से अधिक ध्यान दें। देश के मजदूरों खास तौर से इन्टक के मजदूरों को मैं बधाई देता हूं कि 29 तारीख की हड़ताल के बावजूद उत्पादन ज्यादा हुआ है। स्टील प्लांट तथा और बहुत जगह उत्पादन ज्यादा हुआ है। कोयले वालों का उत्पादन बढ़ा है, लोहे वालों का उत्पादन बढ़ा है। मैं चाहता हूं कि नेता इससे सबक लें।

इकनोमिक पालिसी की बात करना चाहता हूं। आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है। मेरा सुझाव है कि गांवों में खेती से जो उत्पादन हो रहा है उससे किसानों की स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। स्माल स्केल इण्डस्ट्री और टाइनी डेवलपमेंट बैंक जिसका मुख्य कार्यालय लखनऊ में है, उसके जरिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक इण्डस्ट्री अवश्य खोली जाए उसकी लोकल कंडीशन के मुताबिक। जब तक छोटी-छोटी इण्डस्ट्री नहीं खोलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आजकल लड़के पढ़-लिखकर खेती करने को उत्सुक नहीं होते है। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखकर गांवों में छोटे-छोटे उद्योग खोलने के लिए टाइनी बैंक्स को प्रोत्साहित करना चाहिए।

कोर इण्डस्ट्री जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोल आदि का विशेष ध्यान रखकर उसमें अधिक पैसा लगाना चाहिए बनस्पित कंज्यूमर इण्डस्ट्रीज के। जब तक इस बात को ध्यान में रखकर उत्पादन नहीं बढ़ एंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकेगा।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, अब यह चर्चा अपनी समाप्ति पर है, वित्त मंत्री महोदय उत्तर देने वाले है, मै उनके और सदन के बीच ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा।

वित्त मन्त्री ने देश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में अपने वक्तव्य में जो तस्वीर रखी है, उसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टवादिता से काम लिया है। मैं उनके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उस वक्तव्य से यह साफ है कि हम विदेशी कर्ज की तात्कालिक कठिनाई में से भले ही निकल गए हैं, लेकिन हम अभी किनारे पर नहीं लगे है।

पिछले 6 महीनों में आर्थिक नीतियों में, उद्योग में, व्यापार में, वित्त में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। यह परिवर्तन दूरगामी हैं और कुछ दृष्टियों से ये परिवर्तन बुनियादी परिवर्तन हैं। पुराना ढांचा विफल हो गया, इस तरह की बात कहने वालों में मैं नहीं हूं। आजादी के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। यह एक सही फैसला था, लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से, राज्य का अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया। हमारे देश के उद्योगपतियों ने भी देश के साथ न्याय नहीं किया। उनकी नजर मुनाफे पर रही, विकास पर उतनी नहीं रही। उन्हें एक संरक्षित बाजार चाहिए था, वे प्रतियोगिता को पसन्द नहीं करते थे।

यूरोप में जो कुछ हुआ, उससे एक बात साफ हो गई है कि तब तक आर्थिक विकास नहीं होगा जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। मनोपली चाहे सरकार की हो, चाहे

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

उद्योगपतियों की हो, वह आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक बनती है। सार्वजनिक उद्योगों की परिकल्पना में मैं कोई दोष नहीं देखता हूं। सार्वजनिक उद्योग आरम्भ किये गए, जन हित के लिए, लेकिन हम ठीक तरह से चला नहीं सके, क्योंकि हम उनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं कर सके। हमने सार्वजनिक उद्योगों को आई० ए० एस० अफसरों के भरोसे छोड़ दिया। वे प्रशासन की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, वे कोई उद्योग चलाने की शिक्षा नहीं लेते हैं। आज उद्योग घाटे में चल रहे हैं, उनका क्या किया जाए? हम उद्योगों में बनने वाले माल की कीमत बढ़ाते हैं। वह लोगों पर टैक्स के रूप में लागू होता है, उससे समस्या हल नहीं होती है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर उद्योग बंद करने हैं और जैसा कि दिखाई देता है, एक बड़ी सूची प्रकाशित की गई है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए देश को तैयार किया गया है? मेरी शिकायत है और शिकायत में मैं क्या कहूं, शायद परिस्थिति ऐसी थी कि वित्त मन्त्री को तत्काल कुछ फैसले करने पड़े। हमने जो दूरगामी परिवर्तन किए है, लिबरलाइजेशन के और प्राइवेटाइजेशन के, उनके लिए देश को दिमागी तौर पर तैयार नहीं किया गया है विशेषकर हमारे मजदूर वर्ग को बिल्कुल तैयार नहीं किया गया है। कारखाना बन्द कर देंगे तो मजदूर कहां जाएंगे? नई आर्थिक नीतियां कहीं दो चट्टानों से टकरा कर चूर-चूर न हो जाये, इसका मुझे डर है। एक चट्टान है, बढ़ती हुई मंहगाई की दूसरी बढ़ती हुई बेरोजगारी। कीमतें बढ़ रही हैं।

वित्त मन्त्री बाहर से खाने का तेल मंगाकर तत्काल राहत दे सकते हैं, मगर उससे विदेशी व्यापार का घाटा बढ़ेगा लेकिन तेल मंगाना पड़ेगा, क्योंकि लोग तेल के लिए हाहाकार करेंगे, हमें लोकतांत्रिक ढांचे में परिवर्तन लाने हैं। ढांचा ऐसा है जिसमें राजनीति बड़ी प्रतियोगितात्मक है, एक होड़ लगी है, पता नहीं कब चुनाव हो जाए, यह भी लोगों के मन में है।

इसलिए इन सुधारों पर जो एक नेशनल कन्सेंसस विकसित होनी चाहिए थी और सुधार लागू करने से पहले वह प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। धारणा यह बनी है कि यह सुधार आई० एम० एफ० या वर्ल्ड बैंक के दबाव में किए गए है। इसके कारण भी कठिनाई हैं। परिवर्तन के लिए दिमाग तैयार न होने की वजह से जो थोड़ी अस्तव्यस्तता होगी, उसमें से कैसे निकाला जाएगा? मैं 2-3 साल का समय देख रहा हूं, दो तीन साल में मंहगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं इण्टरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन के आंकड़े देख रहा था, उनका कहना है कि 1992-93 में 10 लाख से लेकर 30 लाख तक रोजगार की तलाश में घूमने वाले लोग तैयार होंगे और 1993-94 में यह संख्या बढ़कर 40 लाख से लेकर 60 लाख तक हो जायेगी। विचित्र बात यह है कि औद्योगिक उत्पादन, बढ़े और रोजगार के अवसर कम हो जायें।

हम नई टैक्नोलोजी की बात कर रहे हैं। नई टैक्नोलोजी आवश्यक भी है, उत्पादन बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़नी चाहिए, हमारे माल की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, हमें दुनिया के बाजार में सामान बेचना है, घटिया माल कौन खरीदेगा लेकिन अगर नई टैक्नोलोजी आयेगी तो रोजगार के अवसर कम होंगे, लोग कहां जायेंगे?

जो सार्वजनिक उद्योग घाटे से चल रहे हैं, उन्हें बन्द करना जरूरी है, उसमें से मजदूर जो निकलेंगे, उनका क्या होगा? इस पर सब राजनीतिक दलों में एक आम सहमति की जरूरत है, वह आम सहमति है नहीं। अभी 29 तारीख की हड़ताल का जिक्र हो रहा था, हमारे वामपंथी दल अपने

धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं उन्हें दोष नहीं देता। उनके सोचने का एक तरीका है, अब या तो इस पर सघन बहस होती…

श्री भोगेन्द्र झा : वाजपेयी जी, आपका तो यह तरीका कभी नहीं रहा कि सार्वजनिक उद्योगों को बन्द ही कर दो कि मरीज को मार ही दो। यह क्यों नहीं कहते कि इनको सुधार कर मजदूरों को भागीदार बनाकर उन उद्योगों को चलाया जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सार्वजनिक उद्योगों को सुधार कर चलाने की कोशिश होनी चाहिए लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ उद्योग ऐसे हैं, जो चल नहीं सकते। कपड़े की मिलों का क्या करें?

श्री भोगेन्द्र झा : वह तो निजी क्षेत्र में भी हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां निजी क्षेत्र में भी हैं। अब उनका क्या किया जाए? अब सरकार का जो रवैया है, इसका भी मैं उल्लेख कर दूं। चौबीस परगना, दक्षिण में एक जूट मिल है, न्यू सेंट्रल मिल्स कम्पनी, 13000 मजदूर उसमें काम करते हैं। मालिकों ने उसमें अप्रैल, 1986 में लॉक आउट कर दिया लेकिन मजदूर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हम अपनी कमाई में से पैसा देंगे और मजदूर 6 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने दिया भी, मगर बी० आई० एफ० आर० ने देर की, रिपोर्ट देने में और फाइनेंशियल एजेंसीज ने पैसा नहीं दिया। शायद एक ही कारखाना ऐसा है कि जिसके बीमार होने के बाद मजदूर उसको चलाने के लिए तैयार हुए लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण ही वह कारखाना फिर अटक गया। ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं जिनमें बीमार उद्योग मजदूरों की सहायता से प्रबन्ध में सुधार करके चल सकते हैं। मैं उन्हें बन्द करने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन कुछ सफेद हाथी तैयार हो गए हैं, उनका इलाज किया जाना चाहिए। लेकिन एग्जिट पॉलिसी की चर्चा है मगर एग्जिट पॉलिसी पर कोई आम राय तो बननी चाहिए।

अगर मजदूर कारखाना बन्द होने के कारण सड़क पर आ गया, तो ठीक नहीं होगा, माफ करिए अगर प्राइवटाइजेशन में उद्योगपतियों को भ्रष्टाचार के आधार पर कारखाने देने का प्रयत्न हुआ, तो मजदूर उसे भी स्वीकार नहीं करेगा। डॉलो सीमेंट फैक्ट्री में यही हो रहा है। क्षमा कीजिए कहीं-कहीं सार्वजनिक उद्योग भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा। केन्द्र में सरकार बदल गई और वी० पी० सिंह की सरकार बन गई। उसमें हम शामिल नहीं थे। हम बाहर से समर्थन कर रहे थे। एक सज्जन एक सार्वजनिक उद्योग के एक बड़े अधिकारी को लेकर मेरे पास आए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अगर वित्त मन्त्री महोदय चाहेंगे तो मैं उन्हें नाम बाद में बता सकता हूं। मुझे कहा गया कि उस सार्वजनिक उद्योग में नया चेयरमैन बनना है, नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनने हैं, एक उन्होंने नाम लिया कि इनको बनाया जा सकता है और अगर आप उनको बनाने में मदद दें तो आपकी पार्टी को हर साल एक करोड़ रुपया उसमें से उपलब्ध करा सकते हैं। मैं तो सुनकर चकित हो गया। क्या सार्वजनिक उद्योग इसके लिए बने हैं? मगर सार्वजनिक उद्योगों का इसके लिए भी दुरुपयोग किया गया। इसलिए भी घाटा हुआ। आज सार्वजनिक उद्योग भी इस तरह से नहीं चल सकते हैं। किन्तु ये विकृतियां पैदा हो गईं। कमजोर वर्ग की मदद के लिए कन्ट्रोल लगे, मगर कन्ट्रोल से कृत्रिम अभाव पैदा हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा और प्रतियोगिता की भावना समाप्त हो गई। अनावश्यक

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

कन्ट्रोल नहीं होना चाहिए। अनावश्यक रैग्यूलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके कारण जो गला काटने की प्रतियोगिता पैदा होगी, उसमें छोटा व्यक्ति, छोटे उद्योग, छोटी जोत वाला किसान कैसे बचेगा— ये चुनौतियां अवश्य हैं। मेरा निवेदन है कि इन चुनौतियों का उत्तर, माननीय वित्त मन्त्री जी बहुत चतुर हैं, बिना एक आम राय बनाये नहीं खोज सकते हैं। फैसले सही हों, लेकिन अगर उसको अमल में लाने के लिए देश में एक वातावरण नहीं होगा—सही वातावरण—वह वातावरण अभी नहीं हैं। उसे पैदा करने का प्रयत्न भी नहीं किया जा रहा है—

देश में बिजली की कमी है। माफ करिए—मेरे खिलाफ छप जाएगा, आज किसानों को बिजली नाम-मात्र की कीमत पर मिल रही है। कम कीमत भी वसूल नहीं हो रही है। बिजली की इतने बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते हैं···(व्यवधान)···

श्री भोगेन्द्र झा : शहरों में क्या चोरी कम हो रही है ?···(व्यवधान)···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शहरों में भी हो रही है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। दाम आप बढ़ा नहीं सकते हैं। बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि केन्द्र ले ले, लेकिन केन्द्र के लेने से समस्या हल नहीं होगी। सब जगह एक ही बीमारी है। इस देश में वर्क-एथिक्स नहीं है। इस संकट के काल में भी हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, तब हम संकट में से निकलेंगे, यह भाव नहीं है। सरकार यह भाव पैदा नहीं कर पा रही है। इसलिए मुझे डर है कि जब मंहगाई बढ़ेगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे और जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ेगी, नौजवान मैदान में आ जायेंगे तब राजनीतिक द्वन्द शुरू हो जाएगा। हमने देखा —फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम करने का फैसला बुनियादी तौर पर सही फैसला था। कितनी सब्सिडी, कितने दिनों तक ? यह देश सब्सिडी के भरोसे नहीं चल सकता है। लेकिन कौन कम करेगा और कम करेंगे तो हम यहां मान लेंगे और विरोध बाहर करेंगे, फिर क्या होगा ? अभी भी समय है, आम राय बनाइए।

आपने सरकारी खर्च में कमी करने की बात कही है। माफ करिए—खर्च में बहुत कमी नहीं हुई है। सादगी का वातावरण नहीं है। देश संकट में है, यह अनुभूति नहीं है। इस संकट पर मिल कर विजय प्राप्त करने का संकल्प नहीं है। आप मुसीबत से निकलेंगे कैसे ? अगर राजनीतिक होड़ चलनी है, तो चलने दीजिए। मुझे इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन वित्त मन्त्री महोदय ने जो परिवर्तन किए हैं, वे परिवर्तन अगर वे चाहते हैं कि सफल हों, तो उनकी सफलता के लिए वातावरण बनाइए। आम सहमति का विकास करिए—यही मेरा निवेदन है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मान्यवर, यह जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहस चल रही है इसमें बहुत से हमारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उस अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से हमारे वित्त मन्त्री जी जो आई० एम० एफ० जैसे डाक्टर को यहां ला करके ठीक करने वाले हैं, लेकिन यह इससे ठीक होने वाली नहीं है। अगर हमने जो ऋण लिया है विकास के लिए ऋण नहीं लिया है और इस ऋण से ब्याज भी दिया जाएगा, इससे हमारी आर्थिक स्थिति और भी ढीली होती जाएगी।

अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है उसमें एक बहुत अच्छा सुझाव है,

अगर आप चाहते हैं कि हम इसको ठीक करें और यह तो सभी लोग चाहते हैं, यहां जितने भी लोग हैं, अधिकारी से लेकर राजनीति करने वाले सभी जानते हैं कि हमारे यहां एक समान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है और उस पर वह समान्तर अर्थव्यवस्था को चाहे वह कितने ही बड़े विद्वान अर्थशास्त्री का क्यों न हों, वे ठीक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुद्रास्फीति में, मुद्रा की बाढ़ जब आ जाती है तो मंहगाई बढ़ जाती है। हमारी खरीदने की क्रय शक्ति नहीं रहती है लेकिन मुट्ठी भर लोगों का चाहे वह सामान पांच से पचास हजार रुपए तक मिलेगा वह दो-चार खरीद लेगा। यही है कालाधन, जिस कालेधन से हमारी अर्थव्यवस्था समाप्त होती जा रही है, लेकिन हमारे वित्त मन्त्री जी क्या वे सब काबू पा सकते हैं, नहीं पा सकते है और इसलिए नहीं काबू पा सकते हैं कि जो आदमी चला रहा है वह इस लोक सभा के अन्दर है और विधान सभा के अन्दर भी पहुंच जाता है और उसको आप लाते हैं, कैसे आपकी हिम्मत है। जब तक यह समान्तर अर्थव्यवस्था को आप खत्म नहीं करते हैं तब तक देश की आर्थिक स्थिति को आप ठीक नहीं कर सकते हैं।

दूसरी चीज यह है जो आप विदेशी मुद्रा की बात करते हैं कि हमको विदेशी मुद्रा का भंडार भरना है, आप कैसे भण्डार भरिएगा, जब निर्यात कीजिएगा तो तभी भंडार भरेगा।

आप जानते हैं ही कि यह देश कृषि प्रधान देश है और थोड़ा तो आपने कृषि की तरफ ध्यान दिया था, तो आपको ख्याल होगा कि हरित क्रांति के नाम पर कृषि में विकास हुआ और आप पी० एल० 480 के फन्दे से निकले, नहीं तो बराबर आप पी० एल० 480 के फन्दे में पड़े हुए थे। विदेशी मुद्रा कितना लगता था, लेकिन अगर आप पूरी कृषि का आधुनिकीकरण कर देते तो आपकी यह स्थिति न होती और यह कृषि से इतना निर्यात होता। अगर आप पैदा करते तो यहां से बाहर भेज कर विदेशी मुद्रा के भंडार को भर सकते थे, जैसे अन्न का भण्डार आपने भरा है उसी तरह से आप भर सकते थे लेकिन आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान इस तरफ दिया होता तो आपको बहुत बड़ा लाभ होता।

अब हम चाहते हैं कि आप अच्छे किस्म का कपास पैदा कीजिए, उन्नत बीज तैयार कीजिए और अगर अच्छे किस्म का कपास पैदा करते हैं तो हम उसको विदेश भेज सकते है। चीनी काफी मात्रा में पैदा करेंगे तो हम उसको भेज सकते हैं और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कृषि से पैदा करके काफी निर्यात कर सकते हैं, यह आपकी समझदारी पर निर्भर करता है।

तीसरी बात यह है कि निर्यात में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे निर्यात में आपको कुछ फायदा हुआ। लेकिन घरेलू बाजार बढ़े इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए गांवों और शहरों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी क्रयशक्ति जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक आपका घरेलू बाजार कैसे बढ़ेगा, इस चीज को हमको सामने रखना है। आपकी एक नीति चली थी कि बेकार, पढ़े-लिखे नौजवानों को स्व-सुनियोजन योजना के जरिए लघु उद्योगों में लगाए जाए।

स्व-नियोजन योजना आपने चालू की है, उस पर खरबों रुपया खर्च किया है। क्या उसकी मानिटरींग की है। क्या वह योजना सचमुच में चल रही है। मुश्किल से पांच प्रतिशत नौजवानों को खड़ा किया है। वे खड़े नहीं हो सकते थे। 35 हजार रुपया आप कर्ज देते हैं, उसमें से बैंक भी कमीशन लेता है···(व्यवधान) ···उसको 35 हजार में से 24 हजार बचता है। जिससे लघु उद्योग खड़ा नहीं होगा। हमारे क्षेत्र जहानाबाद में जिस प्रकार काम शुरू किया है तो दो प्रतिशत लोग उसमें काम नही कर रहे हैं। आप कैसे सुधार करेंगे। भ्रष्टाचार बढ़ना लाजिमी है। आप मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हरेक आदमी की ख्वाहिश होती है कि धन इकट्ठा करें

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

चाहे देश रहे या नहीं। हमारे सुझावों को मानना चाहिए। काला धन रखने वालों को आप कंट्रोल करें। उनका धन निकालें और जो टैक्स चोरी हो रहा है, उसको क्यों नहीं रोकते। स्मगलिंग होती है तो टैक्स खत्म हो जाता है। स्मगलर को आप चुनाव में प्रचार करने के लिए बुलाते हैं। स्मगलर भी चुनाव में प्रचार करेगा तो स्मगलिंग नहीं रुकेगी। खरबों रुपया टैक्स का चोरी हो जाता है। बड़े-बड़े शहरों में अट्टालिकाएं बन रही हैं। वह कमाई कहां से आ रही है। उसको पकड़ना चाहिए। ऐसा कौन सा आदमी है जो इसको पकड़ना चाहता है। आप जो कर रहे हैं तो आपको चार महीने बाद पता चलेगा कि नई नीति से देश को क्या फायदा होने वाला है। कुछ नौजवान हथियार लेकर खड़े हो गए हैं तो बचे हुए नौजवान भी खड़े हो जायेंगे, इससे देश भारी दलदल में फंस जायेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : भोजन कक्ष में रात्रि-भोज की व्यवस्था हो चुकने के बाद मैंने सोचा कि मुझे सभा में कुछ शब्द कहने के लिए इन्तजार तो करना ही चाहिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री जी के साथ हुए समझौते के बारे में बता दूं। उन्होंने पृष्ठ 6 पर सुस्पष्ट रूप से यह बताया है कि सब लोगों को यह बोझ उठाना होगा। वस्तुत: हम जिन मुद्दों पर कहना चाहते हैं, उसमें से एक यह भी है। हमारी आपत्ति यहीं से शुरू होती है कि गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोगों सहित सभी लोगों को यह बोझ उठाना होगा। हमें इसी बात पर आपत्ति है।

दूसरा भाग, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता चाहता हूं यह उनका एक अन्य यह सुस्पष्ट वक्तव्य है, कि हमारे वृहत-आर्थिक असन्तुलन निरंतर बने हुए हैं।

मैं पहले वक्तव्य को आत्म आलोचना नहीं, अपितु आलोचना समझता हूं क्योंकि वह उस समय सत्ता पक्ष में नहीं थे।

मैं पिछले आठ वर्षों से चल रही नीतियों का अनुशीलन करने के बाद दिए गए इन दो वक्तव्यों के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं।

परन्तु वक्तव्य के दूसरे भाग से एक और वक्तव्य देना भी जरूरी हो जाता है कि जिन वृहत-आर्थिक असंतुलनों को आज आप दूर कर रहे हैं, वे किन नीतियों के कारण उत्पन्न हुए अथवा क्या अपने अधिक प्रबल रूप में ये वही नीतियां नहीं है जिनका आप आज अनुसरण

9.00 म०प० कर रहे हैं? मैं इस बात को जानता हूं। मैंने नेहरू के बारे में श्री मणि शंकर अय्यर के उत्कृष्ट भाषण को सुना है। मैं स्टॉलिन के समाजवाद के सहित समाजवाद विषय में बोलूंगा। पण्डित जवाहर लाल नेहरू में एक गुण यह भी था कि वह जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं और वह जो कुछ कर रहे हैं, उनके अनुसार क्या नहीं कर रहे हैं। यह बहुत प्रसिद्ध कार्य था। पुराने समय के लोगों को अवश्य ही इसकी जानकारी होगी। वह चाणक्य के छद्मनाम का प्रयोग करते थे। परन्तु वह स्वयं इस बात पर हंसते थे, जिसे हम नेहरू जी का दर्शन समझते हैं, वह उनके द्वारा घोषित विचार धारा ही है, न कि वह विचार धारा जिस पर उन्होंने अमल किया। आइए हम इसमें अन्तर करते हैं। उन्होंने क्या घोषित किया? उनके द्वारा की गई घोषणा में किन्हीं अन्य लोगों

द्वारा दिए गए वक्तव्यों के विपरीत एक वक्तव्य यह था कि सरकारी क्षेत्र केवल वही है जिसमें गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा धनराशि नहीं दी जाती। यह पद्धति प्रचलित है। उन्होंने घोषणा की थी कि सरकारी क्षेत्र होना चाहिए। कम मैंने किसी सदस्य को भाषण के दौरान टोका था।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : कृपया मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। 9.00 बज चुके हैं। समय को और बढ़ाना होगा। मैं अनुरोध करता हूं कि सभा का समय 9.30 म० प० तक बढ़ा दिया जाए। (**व्यवधान**) मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 9.30 म० प० के बाद सभा की बैठक जारी रखना कठिन होगा क्योंकि हमने कर्मचारियों के घर वापस लौटने तथा रात्रि-भोज आदि की व्यवस्था नहीं की है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया थोड़ा सा सहयोग करें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यह इच्छा है कि हम सभा की कार्यवाही का समय 9.30 म० प० तक बढ़ाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है हम सभा की कार्यवाही का समय 9.30 म०प० तक बढ़ा देते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह वही पद्धति है। सभा में हुई कुछ गलतियों के कारण अथवा नीतियों में गलतियों के कारण दूसरे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। अपने प्रश्न पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वह सरकारी क्षेत्र को अपने आदर्शों को मूर्तरूप देने का साधन बनाना चाहते थे उनका एक आदर्श यह था कि एक समानतावादी समाज होना चाहिए और सम्पति केवल लोगों के पास ही एकत्रित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो एक यह भी सुझाव दिया था कि यदि कार्यकुशलता के लिए दक्षता की आवश्यकता के कारण एक से अधिक यूनिट की स्थापना नहीं की जा सकती, और ऐसी स्थिति में भी इसे सरकारी क्षेत्र में ही होना चाहिए न कि गैर सरकारी क्षेत्र में। उस वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया गया था। वे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। वह सब बेकार की बात है। जैसा कि मैंने दावे से कहा था, विश्व के किसी भी भाग में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आपत्ति है। हम यह कह रहे हैं कि आप उस रास्ते से विचलित हो गए हैं। समतावादी समाज के उद्देश्य पूरे नहीं किए जा सकते। सब जानते हैं कि पंडित जी ने क्या कहा था जिस किसी ने भी उनका भाषण सुना है, उसे इस बात की जानकारी होगी। मुझे आशा है कि बुजुर्ग लोगों को पता होगा कि उन्होंने क्या कहा था।

पण्डितजी अपने धारा प्रवाह भाषण में कहते थे कि लोगों को ठेस नहीं पहुंचाई जाती है तथा एक समानता वादी समाज होना चाहिए, लोगों में दौलत के प्रदर्शन करने की भावना नहीं होनी चाहिए; अतः दौलत का दबाना होगा। यही आवडी संकल्प का औचित्य था। यही सरकारी क्षेत्र का औचित्य था। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। हमने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम तथा अन्य विषयों पर चर्चा की थी। वास्तव मे उस चर्चा के दौरान हमने इस बात का जिक्र किया था कि सम्पूर्ण नीति के परिणामस्वरूप धन का स्वामित्व और संकुचित हो गया है। यह पण्डितजी के कहे के बिल्कुल विपरीत है। अतः आप इस समय कौन से नेहरू को चाहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देना है। स्वयं पण्डितजी ने भी एक प्रश्न पूछा था। मुझे आशा है कि मणिशंकर अय्यर को यह याद होगा।

महोदय, हम सदैव पण्डितजी के आलोचक रहे और फिर भी उनमें जो अच्छाइयां थीं, उनका हमने समर्थन किया था। हमने कुछ ही लोगों के हाथों में धन के जमा होने का समर्थन नहीं किया

[श्री निर्मल कांति चटर्जी]

था। अब आपकी नीतियां कहां ले जायेंगी ? बात यह है कि यह बात सब जानते हैं कि पूंजीवाद का जन्म एकाधिकार के साथ नहीं हुआ था। प्रतिस्पर्धा और बाजार व्यवस्था के कारण एकाधिकार की स्थिति आई। इसे याद रखना होगा। जब हम यह कहते हैं कि हम खुली अर्थव्यवस्था रखकर प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे तो प्रतिस्पर्धा का निष्कर्ष यह निकलेगा कि कुछ लोग तो बाहर हो जायेंगे और कुछ लोग हावी हो जायेंगे। यह हमेशा एक क्रिकेट मैच के बराबरी पर समाप्त होने जैसा नहीं है। यह एक ऐसी अवश्यम्भावी प्रक्रिया है जो पिछले 200 सालों के पूंजीवादी विकास के दौरान सारे विश्व में देखी गई है। अतः जब आप प्रतिस्पर्धा, देश की परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं न कि देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। आज जब हम यह कहते हैं कि हम विश्व स्तर पर एकता चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है। विश्व स्तर पर जो समाजवादी देश थे, उन्हें भूल जाइए। उत्पादन प्रधान है। आप बहुराष्ट्रीय क्यों कहते हैं ? जब हम यह कहते है कि 20 घराने 67 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन को नियन्त्रित करते हैं तो यह स्वामित्व का संकुचन है या प्रतिस्पर्धा है। सभी यह जानते हैं और मुझे डा० सिंह को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। देश में या देश के बाहर संरक्षण देने, पनपने की अवस्था में उद्योगों को समर्थन देने की बात प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध सोची गई थी।

पहला संरक्षणवादी अर्थशास्त्री जर्मनी का था—वह मार्क्स नहीं था—जो उस समय के सबसे प्रमुख पूंजीवादी देश इंग्लैंड में व्याप्त था, प्रकृति का विरोध किया था। मार्क्स बाद में आया था। उसने विश्लेषण करके यह दिखाया कि किस प्रकार प्रतिस्पर्धा से अधिक एकाधिकार का जन्म होता है। अतः हम यही कहना चाहते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ यह नहीं है कि लघु उद्योग क्षेत्र बाजार से बाहर कर दिया जाये। यदि बहुराष्ट्रीय उद्योग आते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि मध्यम तथा बड़े उद्योग भी भारतीय औद्योगिक क्षेत्र से बाहर हो जायेंगे। यह एक पहलू है और यह एक प्रमुख कारण है—जिसके आधार पर हम इसका विरोध करते हैं।

मैं सरलता से श्री बाजपेई से इस बात पर सहमत हूं कि जालों को साफ करना है। मैं उनसे इस बात पर पूरी तरह असहमत हूं कि यदि लोगों को साथ लिया जा सके, तो इस नीति को स्वीकार किया जा सकता है। लोग इससे कभी सहमत नहीं होंगे। समाजवाद की बात होती है—मुझे इन शब्दों को बोलने की अनुमति दीजिए—जिसमें स्टालिनवादी समाजवाद भी शामिल है, आपने इस बात को लगभग नजरन्दाज कर दिया है। कृपया आप याद करें कि यदि समाजवाद न होता, स्टालिन वादी स्वरूप का समाजवाद भी नहीं होता तो हमने कभी इस बात पर चर्चा नहीं की होती कि भारत अथवा संयुक्त राज्य अमरीका में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। क्या आप इस सच्चाई को महसूस करते हैं कि किसी भी प्रकार का समाजवाद रहा हो यदि समाजवाद न होता, तो हमने विश्व में साक्षरता अभियान के बारे में बात ही न की होती ? कितने भी बिगड़े हुए रूप के साथ क्यों न हो, हम जिस प्रकार के समाजवाद को स्टालिन के नाम के साथ जोड़ते है, वह भी नहीं होता तो आपने गरीबी की रेखा, साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य, कल्याणकारी राज्य तथा कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की बात नहीं की होती। तथा विश्व में आयोजना की व्यवस्था भी नहीं होती। क्या आप नहीं जानते हैं या पण्डितजी नहीं जानते थे, कि सोवियत संघ में समाजवाद के बिना, इस्पात के क्षेत्र में बिल्कुल आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती थी। इस्पात के क्षेत्र में भिलाई तथा बोकारो उस बिगड़े हुए समाजवाद का ही परिणाम है, जिसे लेकर आप सोवियत संघ पर आरोप लगाते हैं।

पुन: अपनी आर्थिक स्थिति के विषय पर लौटते हुए मैं यह पूछता हूं कि यदि हम ऐसी नीति का विरोध भी करते हैं तो क्या हम इसके विकल्प का सुझाव दे सकते हैं कांग्रेस के सदस्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसमें खतरा यह है कि किसी को भी निश्चित रूप से यह पता नहीं होगा जिस प्रकार की नीतियां बनाई जाती रही हैं तथा अनुसरण की जाती रही है, उनसे भारतीय अर्थ-व्यवस्था का क्या भविष्य होगा। अत: प्रश्न यह आयत है कि हमारा कौन-सा विकल्प अपनाने का विचार है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम कगार पर खड़े हैं। ठीक हैं, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं आज की स्थिति के लिए उत्तर देना होगा।

आन्तरिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी है? सभी राज्यों में देश के सबसे अधिक समाजवादी उपाय भूमि सुधारों से संबंधित है। क्या इसका यहां जिक्र किया गया है? आप प्रतिस्पर्धा के खतरे को जानते हैं, आपको खतरे के बारे में पता है। डा० सिंह की तरह सब इसे जानते हैं। अत: वे हर समय इसी के इर्द-गिर्द घूमना चाहते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण समतावादी सुधार जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करके भूमि सुधार लागू करना है। आपने ऐसा नहीं किया है। इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसे आपको हर हालत में स्वीकार करना होगा, वह यह है कि बड़े घरानों तथा उद्योगपतियों ने सभी प्रकार के प्रतिबंधों के बावजूद प्रचुर मुनाफा धन कमाया है और वे ही सरकारी और गैरसरकारी दोनों औद्योगिक क्षेत्रों की रुग्णता के लिए जिम्मेदार हैं। क्या आप इसका खंडन कर सकते हैं? अत: यदि आपको कोई विकल्प निकालना हो तो यह मत सोचिए कि अपनी रुग्णता के लिए सरकारी क्षेत्र ही जिम्मेदार है। सरकारी क्षेत्र इसलिए रुग्ण हो गया है क्योंकि सरकारी क्षेत्र ने अपने बाहर विशाल निजी क्षेत्र को विकसित होने का मौका दिया। वे ही लोग हैं जो सरकारी क्षेत्र को भी नियंत्रित करते है। सरकार कभी बचार इसकी सीधे अनुमति क्यों दे रही है? अत: एक विकल्प निकालना होगा। एक ओर समाजवादी उपायों के कारण भूमि सुधार किए गए श्रमिक केवल इसी वक्तव्य से संतुष्ट नहीं होंगे कि उनकी छंटनी नहीं की जाएगी। वे इस देश में ही बड़े हुए हैं। वे अब यह कहना चाहते है कि हम यहां हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालना चाहते हैं। यही विकल्प है।

जब देश का श्रमिक वर्ग 29 तारीख को हड़ताल पर था तो वह केवल यही नहीं कह रहा था, कि वे छंटनी से डरते हैं; उन्होंने यह भी कहा था कि वे सरकारी क्षेत्र को अपने हाथ में लेने को तैयार है, और यदि संभव हुआ तो सरकार को भी। यह दूसरा रास्ता है।

जब श्री अय्यर पण्डित नेहरू की बातों की याद करेंगे तो उन्हें यह बात महसूस करनी होगी, कि जब उनके अच्छे दिन थे तो उन्होंने कहा था कि इन उद्योगों का यदि स्वामित्व नहीं तो कम से कम प्रबन्ध ही यथा सम्भव—वर्तमान हालातों में भी—श्रमिकों द्वारा चलाया जाना चाहिए। यही विकल्प है। यदि आप संग्रह करना चाहते है, यदि आप कर एकत्रित करना चाहते हैं, यदि आप जमा धन को निकालना चाहते हैं तो श्रमिकों, नौकरशाही की मदद कीजिए। इस प्रकार की सरकार किसी काम को नहीं होगी। यही वैकल्पिक रास्ता है जिसके अनुसार काम किया जाना है। (व्यवधान)

वित्तमंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। मैं विशेष तौर से उस बात से प्रभावित हुआ हूं जोकि श्री वाजपेयी ने अपने भाषण के अन्त मे कही कि हमारे देश को कड़े संकटों का सामना करना पड़ रहा है।

[श्री मनमोहन सिंह]

विवेक, ज्ञान पर किसी का भी अधिकार नहीं है। हमें अप्रत्याशित खतरों का सामना करना पड़ रहा है, यदि मैं ऐसा कहूं और कार्य ऐसा है कि कोई अकेला व्यक्ति अकेला दल अपने आप नहीं कर सकता है। अतः इन गंभीर संकटों जो कि हमारे देश के सामने आ रहे हैं, से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आम सहमति की आवश्यकता है। यह इसके अनुसरण में है कि— हमारी सरकार के सत्ता में आने के पहले सप्ताह में ही—प्रधान मंत्री ने विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को बुलाने की पहल की थी और मैं ईमानदारी से यह कह सकता हूं कि मैंने सम्माननीय सभा को उतनी सही तस्वीर दिखाई है जितनी मैं दिखा सकता था, एक प्रकार से यह बताया गया था कि मैं मुद्रा का अवमूल्यन करने जा रहा था, मैंने देश की अर्थव्यवस्था के बारे मे वे सभी तथ्य, यह कहे बिना यह दोषारोपण किए बिना कि कौन जिम्मेवार है, रखे जोकि हमारी सरकार को, सत्ता में आने के दिन मिले थे और हमने उन्हें उस स्थिति का हवाला दिया जोकि हमारे देश में थी। यदि उसी स्थिति को बने रहने दिया जाता तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि आपको इस देश में आर्थिक प्रणाली पूर्ण तौर पर भंग मिलती। यह केवल विदेशी मुद्रा का संकट ही नहीं था, यह हमारे देश की पूर्ण आर्थिक प्रणाली देश के खजाने का संकट था जोकि लगभग दिवालिया हो गया था, एक ऐसा देश जोकि जीवन की अति आवश्यक वस्तुएं आयात करने के काबिल नहीं था, ऐसा देश जहां से अप्रवासी भारतीय 350 मिलियन डालर प्रति सप्ताह की दर से धन ले जा रहे थे और ऐसा देश जिसके कारण केवल इतनी आरक्षित पूंजी थी जिससे कि दो सप्ताह के लिए भी आयात नहीं किया जा सकता था।

उस स्थिति में यदि हमने उसी स्थिति को बने रहने दिया होता, आप देखते कि कितनी बेरोजगारी हुई होती, औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि उत्पादन रुक गया होता जो कि इस देश में कभी भी नहीं देखा गया था। किसी प्रकार से मैं उससे भिन्न नहीं हूं जोकि सोवियत संघ में हुआ है या जो कुछ पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हुआ है। कई प्रकार से यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि बहुत सी राजनीतिक खलबलियां जोकि इन देशों में हो रही है, उनकी अर्थव्यवस्था के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण हो गई हैं। इन गड़बड़ियों को कुछ समय के लिए दबा दिया गया। एक समय हम सबने सोचा था कि यूगोस्लाविया श्रमिकों का स्वर्ग है; श्रमिकों ने भी यूगोस्लाविया पर शासन किया। सभी मानदंडों के अनुसार यह एक आदर्श अर्थव्यवस्था थी कि जिसका सभ्य मनुष्यों द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए।

परन्तु कुछ समय के बाद यूगोस्लाविया में एक प्रणाली विकसित हो गई थी जिसमें वित्तीय अनुशासन कमजोर हो गया था, वहां मजदूरी उत्पादकता की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ी थी, जहां यूगोस्लाविया की अर्थव्यवस्था बाकी विश्व से अलग-थलग हो गई थी और तब तबाही का बीज बोया गया था। उसने यूगोस्लाविया को पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर दिया था।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सोवियत संघ का आर्थिक इतिहास लिखा जा चुका है, इसका विखंडन इसके आर्थिक कुप्रबंध के कारण हुआ है। मेरे विचार से तेल की कीमतों में सातवें और आठवें दशक में की गई दो बार मूल्य वृद्धियों ने सोवियत संघ को बचाया। लेकिन जिस समस्या का हम आज समाधान कर रहे है, वह अभी भी सोवियत संघ में मौजूद है। उनकी इन समस्याओं से निपटने की अकुशलता ने बहुत राजनीतिक संकट को जन्म दिया है जिससे कि पुराने सोवियत संघ का विखंडन हुआ जो हम सब जानते हैं। मेरा दृष्टिकोण गलत नहीं है, लेकिन मैं इस सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम आर्थिक संकट को प्रभावशाली ढंग से नहीं निपटाते तो मेरे विचार से कोई भी ऐसा कड़ा कानून नहीं है जो कहता है कि हमारा यह प्रजातंत्र आम आर्थिक

कानूनों से मुक्त है। इसलिए एक गम्भीर खतरा है। अतः बिना वाद-विवाद की दक्षता का दावा किए मैं विनम्रता से आग्रह करता हूं कि हमें सभी प्रमुख मामलों, जिनका हमारे देश को सामना करना पड़ रहा है, पर एक राष्ट्रीय आम सहमति की आवश्यकता है।

मैंने अपने वक्तव्य में यह दावा नहीं किया है कि हमने देश की समस्याओं का समाधान पा लिया है। मैंने केवल यही कहा था कि हमने कुछ समय लिया है जिससे हमारा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास पुर्नस्थापित हुआ है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस अर्थव्यवस्था को रातों-रात समाप्त भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप कल बजट घाटे पर नियंत्रण नहीं करते या यदि देश में बहुत सी हिंसा हो, चाहे वह साम्प्रदायिक मुद्दे हो या अन्य मुद्दे, यदि अत्यधिक औद्योगिक अशांति होती है तो यह विश्वास खत्म हो सकता है। इतिहास ऐसे मामलों से भरा पड़ा है। विश्वास कायम करने में सालों लग जाते हैं। इसे समाप्त करने में दिन लगते है अतः हमारा देश बहुत ही कमजोर हालत में है।

मैं यह भ्रम पैदा नहीं करना चाहता कि हमने इन समस्याओं का हल ढूंढ लिया है। हमने कठिन यात्रा प्रारम्भ कर दी है। पहला कदम उठाया गया है। स्थिरता प्राप्त करने में थोड़ी-बहुत सफलता मिली है। लेकिन वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए अपने निजी क्षेत्र को और अधिक सुचारु बनाने के लिए अधिक स्पर्धात्मक बनाने के लिए एक लम्बा सफर तय करना बाकी है। मुझे यह कहना है कि हमारे उद्देश्यों समदृष्टि से वृद्धि की वचनबद्धता समदृष्टि से समायोजन को वचनबद्धता के सम्बन्ध में या जिसे मैंने अपने भाषण में, मानव दशा के साथ सामंजस्य की संज्ञा दी थी, मेरे विचार से दृढ़ है। वह अपरिवर्तनीय है यही संदेश मेरे आइ०एम० एफ० को भेजे गए आशयपत्र से था कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि उन पर विषम बोझ पड़े जो कि उन्हें सहन नहीं हो। चाहे यह संगठित कार्मिक वर्ग हो या असंगठित कार्मिक वर्ग हमारी सरकार यह देखने के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को वचनबद्ध है कि अधिक सक्रिय अर्थव्यवस्था के समायोजन की कीमत कमजोर कंधों पर न लादी जाए यह वचनबद्धता मेरे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भेजे आशय पत्र में दोहराई गई थी। एक बार फिर मैं इस वचनबद्धता को दोहराता हूं।

परन्तु मुझे यह कहना है कि आप कठिनाईयों के बिना अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार से श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कल कहा था, "क्या आप कृषि के बारे में चिन्तित नहीं हैं? क्या आप खाद्यान्न उत्पादन के बारे में चिन्तित नहीं हैं? क्या आप बेरोजगारी से चिन्तित नहीं हैं?" कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था "क्या आप क्षेत्रीय असंतुलन से चिन्तित नहीं हैं?" हम इन मामलों के बारे में बहुत चिन्तित है।

यदि आप वित्तीय और भुगतान संतुलन के संकट जिसका हमें जून, 1991 में सामना करना पड़ा था मे सुधार नहीं करते है तो आप इन समस्याओं के लिए समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं ऐसा केवल तभी हो सकता है यदि आपकी वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ हो। कोई भी केन्द्रीय सरकार जिसके पास काफी धनराशि है, बिहार जैसे राज्य की सहायता कर सकती है। मुझे बिहार की हालत से पूरी सहानुभूति है। मैं समझता हूं कि बिहार पर जितना ध्यान दिया जाता है निश्चय ही उससे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन एक दिवालिया केन्द्र सरकार बिहार के लिए क्या कर सकती है। इसलिए हमें अपनी वित्तीय प्रणाली इतनी सुदृढ़ बनानी चाहिए ताकि केन्द्रीय सरकार देश के कमजोर राज्यों की मदद कर सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकारी क्षेत्रों की दशा का उल्लेख किया है, उन्होने उस तरीके

[श्री मनमोहन सिंह]

का उल्लेख किया जिस प्रकार सरकारी क्षेत्रों का प्रबन्धन किया जाता है, किस प्रकार संचित हानियां होती हैं और भ्रष्टाचार होता है। अब ऐसा कोई सरकारी क्षेत्र नहीं है जिससे वह उद्देश्य प्राप्त किया किया जा सके जो श्री निर्मल कान्ति चटर्जी के मस्तिष्क में है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि इस प्रकार के सरकारी क्षेत्रों का कोई उपयोग नहीं हैं। इसलिए, हम सबका यह दायित्व है और हम सब उन सरकारी क्षेत्रों के समर्थन के लिए वचनबद्ध हैं जो कि कार्यक्षम हैं। हमें अक्षमता के सभी स्रोतों को बन्द कर देना चाहिए। लेकिन इस मंत्र को मानकर कि कार्यक्षमता और सामाजिक हित अनपेक्ष है, प्रत्येक सरकारी उद्यम को जीवित रखा जाना चाहिए, मैं आप से निवेदन करूंगा कि इससे न तो सरकारी क्षेत्रों का हित हो रहा है और न ही इससे इन उद्योगों में कार्यरत कामगारों का हित हो रहा है। हमारी सरकार सरकारी क्षेत्रों की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए हमें कामगारों, मजदूर संघों और सभी इच्छुक दलों की सहायता की जरूरत होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्रों की समस्या लोगों को हड़ताल करने के लिए कहकर नहीं सुलझाई जा सकती है। मैं मात्र आलोचना नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र में हड़ताल करना मजदूर संघों और कामगारों का अधिकार है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक दिन की हड़ताल जो की गई है उसने सारे विश्व में गलत संकेत दिए हैं कि इस देश में अनुशासन के मूल्यों की प्रशंसा नहीं की जाती है। हो सकता है कि यह हमारी असफलता हो कि हमारे पास इस बारे में सर्वसम्मति प्राप्त करने का समय नहीं है कि हड़ताल की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन, हड़ताल तालाबंदी और सांप्रदायिक दंगे जैसी अन्य घटनाएं प्रगति में बाधक है और इस देश को इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी साधन जुटाने है।

अभी कई माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए हैं और एक विशेष सदस्य ने कहा कि हम तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन करने जा रहे हैं। इस समय इस बात के लिए इच्छुक दल और वह लोग जो यह नहीं चाहते कि भारत का भुगतान संतुलन सुधरे, यह अफवाह फैला रहे हैं कि यह एक दिवालिया देश है और यह केवल शुरूआत है और अभी आप और अधिक अवमूल्यन देखेंगे और इसलिए उन्होंने अनिवासी भारतीयों को धन आदि भेजने के लिए हतोत्साहित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भेजे गए आशय पत्र में भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम रुपए की वर्तमान सामान्य विनिमय दर को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं और इसका और अवमूल्यन करने की हमारी कोई मंशा नहीं है और मैं नहीं समझता कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता है क्योंकि रुपए के मूल्य में सुधार हो रहा है और हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ा है। इस प्रकार यह एक गलत प्रचार किया जा रहा है कि हम रुपए का और अवमूल्यन करने के लिए योजना बना रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने औद्योगिक उत्पादन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं कहूंगा कि मैं उनकी चिंता से सहमत हूं लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, आपको अपने आयात जो हमें करना पड़ा था पर प्रतिबंध लगाना है, तब आप और क्या आशा कर सकते हैं। मैं पहले दिन से यह कहता आ रहा हूं कि मैं देश में औद्योगिक उत्पादन पर आयात दबाव के प्रभावों के बारे में चिंतित हूं। मैं कह रहा हूं कि हमने वह तरीके नहीं अपनाएं हैं जो हमने अपनाए थे, अब हमें धीरे-धीरे आयात में उदारता की नीति की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और ऋण की उदारनीति की प्रक्रिया शुरू कर रहे है। मैं आशा करता हूं कि औद्योगिक स्थिति में इससे सुधार होगा। लेकिन यह अत्यधिक आयात पर रोक का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसे हमें अपने देश के सम्मुख विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए करना होगा।

इसी प्रकार कई माननीय सदस्यों ने मूल्य वृद्धि के संबंध में मामले उठाए है। मैं उनकी चिंता से सहमत हूं। अपने वक्तव्य में मैंने कहा कि हमें वह सफलता प्राप्त नहीं हुई है जो हम मूल्यों के क्षेत्र में प्राप्त करना चाहते हैं। मैं अपनी अक्षमता पर विचार करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि भुगतान के लिए अत्यधिक चुकाने में हमारी अक्षमता, आयात पर प्रतिबंध से घरेलू सप्लाई अपर्याप्त हो गई विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए हमें गेहूं और चावल जैसी अनिवार्य वस्तुएं बाहर भेजनी पड़ी ताकि हम उर्वरक और डीजल आयात कर सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह आशा करना जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मूल्यों को जल्दी ही नियंत्रित किया जा सकता था किसी के लिए भी यथार्थ से परे है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यदि हम अपने मार्ग पर कायम रहते हैं; यदि माननीय सभा वित्तीय असंतुलन जिसके बारे में निर्मल बसु ने कहा है, को ठीक करने में हमें सहयोग देती है और यदि हम आपूर्ति प्रबंधन के फार्म पर कायम रहते हैं तो मुझे विश्वास है कि मूल्य स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरेगी। अब हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति में सुधार हुआ है, हम खाद्य तेलों का भी आयात कर सकते हैं। यदि हम यह सब करते हैं तो निश्चय ही स्थिति में सुधार होगा। अन्त में, मैं कहना चाहूंगा ··(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय वित्त मंत्री को अपना उत्तर पूरा करने दें। तत्पश्चात आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सभा को वचन दिया था कि मैं माननीय सदस्यों की सन्तुष्टि के लिए इस माननीय सभा के सम्मुख यह आशय पत्र रखूंगा कि इस आशय पत्र में जो कुछ भी है वह इस सभा द्वारा अनुमोदित नीतियों का पुन: विवरण देने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार, सभा के भीतर और सभा के बाहर यह प्रचार कि हमने किसी भी तरह देश के राष्ट्रीय हितों को बेचा है, ठीक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आशय पत्र में हमने अपने विकास और एक्विटी पर अत्यधिक ध्यान, गरीबी उन्मूलन पर अत्यधिक जोर, ग्रामीण विकास पर अत्यधिक बल और पर्यावरण सुरक्षा पर अत्यधिक बल दिया है जो उन लोगों की बात को झुठलाता है जो यह प्रचार कर रहे हैं कि हम इस देश के सम्मान और हितों को बेच रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह विधेयक नहीं है और न ही यह तृतीय पाठन है। नियम 193 के अन्तर्गत चर्चाओं पर कभी भी स्पष्टीकरण नहीं मांगे जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम चार से भी अधिक घंटों तक बातचीत कर चुके हैं और अब रात्रि के 9.30 बज चुके है। कृपया मेरी बात सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

9.33 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार 19 दिसम्बर, 1991/28 अग्रहायण, 1913 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एसप्लेनेड रोड, दिल्ली-110006.